लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[बारहवाँ सत्र
Twelfth Session]





[खंड 47 में अंक 21 से 28 तक हैं
Vol. XLVII contains Nos. 21 to 28]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय सूची | CONTENTS

अंक 27 गुरुवार 17 दिसम्बर, 1970/26 अग्रहायण 1892 (शक)

No. 27, Thursday, December 17, 1970/Agrahayana 26, 1892 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
ता. प्र. संख्या S.Q.Nos.		
783. उत्तर प्रदेश में चूहों से फसलों को क्षति	Damage to crops in U.P. due to rats.	1—4
786. दिल्ली महानगर परिषद द्वारा पारित गौ-बध समाप्त करने संबंधी विधेयक	Bill to ban Cows Slaughter passed by Delhi Metropolitan Council.	4
787. बारानी खेती तथा भूमिगत जल सर्वेक्षण के लिये विदेशी सहायता	Foreign Assistance for Dry Land Agriculture and Ground Water Survey.	13—15
788. चौथी योजना के दौरान रुई तथा तिलहन जैसी नकद फसलों के उत्पादन का बढ़ाया जाना	Boosting up, prbduction of cash crops like cotton and oilseeds during fourth plan.	15—19
789. भारतीय ट्रैक्टरों की उत्पादन लागत का सरकार द्वारा निर्धारित विक्रय-मूल्य से अधिक होना	Cost of production of Indian Tractors higher than the sale price fixed by Government.	19—22
795. गोरक्षा सम्बन्धी समिति	Committee on cow protection.	5—13
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS		
ता. प्र. संख्या S.Q.Nos.		
781. पी०एल० 480 के अन्तर्गत आयात किये गये खाद्यान्नों को रखने की भंडार क्षमता तथा खाद्यान्न के आयात के लिये इस्तेमाल किये गये जहाज	Storing capacity of foodgrains imported under PL—480 and ships used for their Import.	22

किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

ता. प्र. संख्या S.Q.Nos,			
782.	रूसी उपकरणों की सहायता से स्थापित सरकारी कृषि फार्मों का कार्यकरण	Working of State Farms set up with Soviet Equipment.	22—24
784.	'दी स्ट्रेंज केस ऑफ जाइंट नेम्ड पब्लिक सेक्टर' नामक पुस्तिका	Booklet entitled 'the Strange case of a Giant named public sector'	24
785.	दोषपूर्ण आर० एम० 09 ट्रैक्टरों के कारण हुई हानि के लिये पंजाब के किसानों को मुआवजा	Compensation to Farmers of Punjab due to Loss suffered froms Defective R. S.—09 Tractors.	25
790.	अखिल भारतीय खाद्यान्न व्यापारी संघ द्वारा खाद्य नीति में परिवर्तन की मांग	Demand by All India Foodgrain Dealers' Association regarding Reorientation of Food Policy.	25—26
791.	टिकटों की किस्म सुधारने के लिए नई प्रिन्टिंग प्रेस की स्थापना	New printing press for improving quality of stamps.	26
792.	भारतीय खाद्य निगम द्वारा गत तीन वर्षों में वसूल किये गये खाद्यान्नों की मात्रा	Quantity of foodgrains procured by F.C.I. during last three years.	26—27
793.	गुजरात में मूंगफली के बढ़ते हुए मूल्यों को रोकना	Curbing of groundnut prices in Gujarat.	27
794.	1975 में ट्रैक्टरों के लिये प्रतीक्षा सूची	Waiting List for tractors in 1975.	27—28
796.	कृषि आयोग के गठन के सम्बन्ध में आलोचना	Criticism on the composition of Agricultural Commission.	28—30
797.	परादीप (उड़ीसा) में मत्स्य बन्दरगाह के लिये धन की मंजूरी	Sanction of fishing Harbour at Paradip, Orissa.	30
798.	मजदूर संघों के प्रतिनिधित्व का चयन	Determination of Representative character of Trade Unions.	30—31
799.	समाचार पत्रों के स्वामित्व ढ़ाचें में परिवर्तन	Change in owner ship structure of News papers.	31
800.	दंडकारण्य परियोजना के कर्मचारियों द्वारा भूख हड़ताल का नोटिस	Hunger strike Notice by Employees of Dandakaranya project.	31
801.	पुनर्वास बस्तियों के लिये चंडीगढ़ की योजना	Chandigarh plan for Rehabilitation colonies.	32
802.	गन्ने का मूल्य निर्धारित करने का फार्मूला	Formula for fixing sugarcane price.	32

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता. प्र. संख्या S.Q.Nos.		
803. नई दिल्ली को–आपरेटिव बैंक का परिसमापन	Liquidation of New Delhi Coopera-tive Banks.	32—33
804. आर० एस० 09 ट्रैक्टरों का आयात करने से पूर्व नमूनों की जांच और ट्रैक्टरों का टेस्ट किया जाना	Testing and examination of Specifications of R.S.—09Tractors before their import.	33
805. राज्यों में बीड़ी–सिगार अधिनियम लागू किया जाना	Implementation of Bidi-Cigar Act in States.	34
806. मालदा तथा कटिहार के बीच ट्रंक टेलीफोन लाइन के तांबे के तारों की चोरी	Theft of trunk Telephon Line copper Wire between Malda and Katihar.	34—35
807. पंजाब के किसानों को दिये गये आर० एस० 09 ट्रैक्टरों के बारे में उनके द्वारा किया गया आंदोलन	Agitation by Punjab Farmers regarding R. S.—09 Tractors allotted to them.	35
808. चीनी उद्योग के लिये ऋण, चीनी का अनुमानित उत्पादन और गन्ने के मूल्य का बौंड के रूप में भुगतान	Credit for Suger Industry, Estimate of Suger Production and payment of Cane price in Bonds.	35—36
809. बाल वर्म, रैड वर्म तथा सेलयोथिक रोगों के कारण महाराष्ट्र की कपास की फसलों को हानि	Damage to cotton crop of Maharashtra due to Boll-worm, Red Worm and Seliothic diseases.	36—37
810. गन्ने का आंतरिक और निर्यात मूल्य	Internal and export price of suger cane.	37—38
अता. प्रा. संख्या U.S.Q. Nos.		
4974. खाद्यान तथा उर्वरकों का भंडार रखने के लिये प्लास्टिक के थैले बनाना तथा उसका पटसन उद्योग पर प्रभाव	Manufacture of Plastic Bags for storing Grains and Fertilisers and its effect on Jute Industry.	38
4975. तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल का नोटिस	Strike Notice by ONGC Workers.	38—39
4976. दिल्ली टेलीविजन केन्द्र के निदेशक तथा सहायक निदेशक	Directors and Assistant Directors of Delhi T.V. Station.	39—40

अता.प्र.संख्या S.Q.Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
4977.	टेलीविजन प्रशिक्षण केन्द्र का पूना से दिल्ली स्थानान्तरण	Shifting of TV Training Centre from Poona to Delhi.	40
4978.	टेलीविजन के लिये प्रोड्यूसरों का चयन	Selection of TV Producers.	40—41
4979.	डाकघर सावधिक जमा योजना	Post Office Cumulative Time Deposit Scheme.	41—42
4980.	मध्य प्रदेश में कर्मचारी भविष्य निधि की देय राशियां	Employees Provident Fund dues in Madhya Pradesh.	42—43
4981.	सौ कर्मचारी रखने वाले प्रतिष्ठानों पर कर्मचारी भविष्य निधि योजना लागू करने का प्रस्ताव	Proposal to introduce Employees Provident Fund Scheme in Establishments having one hundred Workers.	43
4982.	कर्मचारियों द्वारा किया गया कार्य	Workers' Output.	43—44
4983.	30 सितम्बर, 1970 तक टेलीफोन कनैक्शनों के लिये निर्णयाधीन पड़े आवेदन-पत्रों की राज्यवार संख्या	Applications pending for Telephone Connections on 30.9.1970, Statewise.	44
4984.	रजिस्टर्ड नोटिस के बिना टेलीफोन कनैक्शनों को काटना	Disconnection of a telephone connection without registered notice.	44—45
4985.	स्वैच्छिक पंच फैसले सम्बन्धी पुस्तिका का प्रारूप	Draft Brochure on Voluntary Arbitration.	45
4986.	श्रम सम्बन्धी कानूनों में संशोधन	Amendment of Labour Laws.	46
4987.	कर्मचारियों के समयोपरि भत्ते की गणना करने सम्बन्धी श्रम कानूनों का संशोधन	Amendment of Labour Laws regarding computing of overtime of workers.	46—47
4988.	मालवीया नगर, नई दिल्ली में अलाटियों द्वारा मकानों के लिये पूरा भुगतान न किया जाना	Houses not fully paid for by allottees in Malviya Nagar, New Delhi.	47
4989.	जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य के कौंसल का भारत में जी०डी० आर० ट्रैक्टरों के बारे में वक्तव्य	Statement of consul of GDR about working of GDR Tractors in India.	47—48
4990.	अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूहों में पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों के पुनर्वास की योजना	Scheme for Rehabilitation of East Bengal Refugees in Andaman and Nikobar.	48—50

अता.प्र.संख्या S.Q.Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
4991.	दूर संचार योजनाओं में सहायता के लिये विश्व बैंक द्वारा मूल्यांकन	World Bank appraisal for assistance to telecommunication schemes.	50
4992.	पी० एल०—480 के अन्तर्गत नये समझौते का ब्यौरा	Details of fresh agreement under PL—480.	50—51
4993.	खाद्यान्न की खेती का विस्तार तथा दालों और तिलहनों की खेती के अन्तर्गत भूमि पर इसका प्रभाव	Extension of cereals cultivation and its effect on acreage under pulses and oilseeds.	51—52
4994.	राजस्थान की रेगिस्तानी भूमि को खेती योग्य बनाने के लिये इसरायल द्वारा सहायता का प्रस्ताव	Offer of Israeli help in reclaiming Rajasthan Desert.	52
4995.	कन्टई तटवर्ती पट्टी पर काजू का उत्पादन	Production of Cashew Nuts in Contai Coastal Belt.	52—53
4996.	सिमुली पहाड़ उड़ीसा में एक आखेट निषिद्ध क्षेत्र के विकास के लिये वन्य पशु बोर्ड की सिफारिशें	Recommedations of Wild Life Board for a game sanctuary in Simulipahad, Orissa.	53
4997.	बिहार तथा राजस्थान में बाढ़ पर नियंत्रण करने के लिये तथा वर्षा के जल का संग्रह करने के लिये किये गये उपाय	Measures adopted to check Floods and storing of Rain Water in Bihar and Rajasthan.	53—54
4998.	इंडियन काफी वर्कर्स को-आपरेटिव सोसाइटी लि०, दिल्ली	Indian Coffee Workers' Co-operative Society Ltd., Delhi.	54—55
4999.	पश्चिम बंगाल में उत्तरपाड़ा स्थित हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by Workers of Hindustan Motors Limited, Uttarapara, West Bengal.	55
5000.	बम्बई तथा दिल्ली में मध्यस्थ निर्णय संबंधी मामलों पर किया गया खर्च	Expenditure incurred on Arbitration cases at Bomay and Delhi.	55—56
5001.	एच.एण्ड टी.ठेकों की अवधि समाप्त होने पर जमानत की राशि न लौटाये जाने पर खर्च	Expenditure for not refunding security after expiry of H. & T. contract.	56—57
5002.	जी०सी०टी०डी० नई दिल्ली में वर्ष 1968 में हुई टेलीग्राफिस्टों की परीक्षा	Examination of Telegraphists held in 1968, G. C. T. D., New Delhi.	57

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता. प्र. संख्या S.Q.Nos.		
5003. मछली पकड़ने वाले जहाजों के निर्माण में हुई प्रगति	Progress made in the manufacture of Fishing Vessels.	57—58
5004. दवाइयां छिड़कने के लिये हेलीकाप्टरों का चयन	Selection of Helicopter for Spraying.	58—59
5005. केन्द्रीयकृत विदेशी पार्सल लेखा कार्य विभाग में सैलेक्शन ग्रेडलिपिकों के पदों को भरना	Filling up of posts of selection Grade Clerk in Centralised Foreign Parcel Accounts work.	59—60
5006. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों को भूमि का वितरण	Distribution of land to Scheduled Casts and Scheduled Tribes.	60
5007. तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग में बोनस संबंधी विवाद	Bonus dispute in Oil and Natural Gas Commission.	60
5008. सातवीं एशियाई विज्ञापन कांग्रेस विचार गोष्ठी में ताइवान के शिष्टमंडल का भाग लेना	Participation of Taiwan Delegates in Seventh Asian Advertising Congress Seminar.	60—61
5009. उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि	Rise in prices of fertilizers.	61—62
5010. भद्रसाही (रायदा) मैंगनीज खानों में दुर्घटना	Accident in Bhadrasahi (Raida) Manganese Mines.	63
5011. हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड में हड़ताल	Strike in Hindustan Zinc Ltd.	63
5012. आर० एस० 09 टैक्टर में काम आ सकने वाले पुर्जों का चयन करने के लिये स्थापित की गई समिति	Committee set up to select matching Implements regarding R.S.—09 Tractor.	64
5013. पश्चिम बंगाल के कृषि उद्योग निगम का कार्य	Working of Agro-Industries Corporation, West Bengal.	64—65
5014. सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों के अन्तर्गत चलाये जा रहे बड़े फार्म	Big Forms run in Public and Private Sectors.	65—66
5015. उपजाऊ भूमि का औद्योगिक कार्यों के लिये आवंटन किये जाने पर प्रतिबंध	Legislation to ban allotment of Fertile Land for Industrial Purposes.	66—67
5016. रूस से ट्रैक्टरों के आयात के लिये करार	Agreement for Import of Tractors from U.S.S.R.	67—69
5017. दूर संचार फैक्टरी की स्थापना के लिये हंगरी से सहायता	Aid from Hungary for setting up Telecommunication Factory.	70

अता . प्र . संख्या S.Q.Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
5018.	ट्रैक्टर के कल पुर्जों का चेकोस्लोवाकिया को निर्यात	Export of Components and Spares of Tractor to Czechoslovakia.	70
5019.	आई० टी० आई० दिल्ली के कर्मचारियों का स्थायी किया जाना	Confirmation of Staff in I.T.I. in Delhi.	71
5020.	चौथी योजना के आरम्भ में खेती की भूमि का क्षेत्रफल	Acreage of cultivated Land at the beginning of Fourth Plan.	71
5021.	पंजाब राज्य कृषि उद्योग निगम के प्रबन्धक निदेशक के विरुद्ध आरोप	Allegation against Managing Director Punjab State Agro—Industries Corporation.	72
5022.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा किये गये कर्मचारियों के चयन के विरुद्ध अभ्यावेदन	Representation against selection of Staff made by Indian Council of Agriculture Research.	72—73
5023.	मध्य प्रदेश में सेन्धवा तथा खेतिया के बीच टेलीफोन लगाना	Telephone connection between Sendhwa and Khetia in Madhya Pradesh.	73
5024.	पश्चिम निमाड़ जिले (मध्य प्रदेश) में डाक का वितरण	Dak distribution in West Nimar district (M.P.).	73—75
5025.	मजदूरों की निम्नतम मजदूरी में विषमता	Disparity in minimum wages of workers.	75
5026.	दिल्ली की औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में गणित के शिक्षकों के वेतन मान	Scale of Mathematics Instructors in Industrial Training Institution in Delhi.	75—76
5027.	नई दिल्ली स्थित भारतीय विधि संस्थान के श्रम कानून के डिप्लोमा कोर्स को मान्यता	Recognition of Diploma Course in Labour law conducted by Indian Law Institute, New Delhi.	76—77
5028.	पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये वित्तीय सहायता देने सम्बन्धी स्टेट बैंक आफ इंडिया की योजना	State Bank of India scheme to Finance rehabilitation of East Pakistan Refugees.	77
5029.	डाकघर खोलने सम्बन्धी उदार नीति के कारण डाक और तार विभाग को हुई हानि	Loss suffered by P & T Deptt. due to liberalp olicy of opening post offices.	77—78
5030.	लद्दाख शिविर में तिब्बत के शरणर्थियों की स्थिति	Condition of Tibetan refugees in Ladakh camps.	79

अता.प्र.संख्या S.Q.Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
5031.	बाड़मेर, राजस्थान में शरणार्थियों को आवंटित भूमि का उनसे वापस लिया जाना	Land taken back from refugees after allotment in Barmer, Rajasthan.	79
5032.	विदेशों के लिये आकाशवाणी का विशेष कार्यक्रम	A. I. R. special programme for foreign countries.	79—81
5033.	दिल्ली–जयपुर के बीच टेलीफोन के अपर्याप्त चैनल	Inadequate telephone channels between Delhi and Jaipur.	81
5034.	जयपुर का ट्रंक–आटो एक्सचेंज द्वारा दिल्ली से मिलाया जाना	Linking of Jaipur with trunk auto-Exchange at Delhi.	81—82
5035.	इंदौर, मध्य प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शनों के लिये विचाराधीन आवेदन–पत्र	Applications pending for telephone connection at Indore, Madhya Pradesh.	82
5036.	गत पांच महीनों में मध्य प्रदेश को सप्लाई किया गया गेहूं तथा चीनी	Wheat and suger supplied to Madhya Pradesh during last five months.	82—83
5037.	जम्मू तथा काश्मीर में एक चल–डाक घर का खोला जाना	Opening of a Mobile post office in Jammu and Kashmir.	83
5038.	टेलीग्राफ तथा टेलीफोन इंजीनियरिंग सेवा के अधिकारियों के स्थानान्तरण अथवा अर्जित अवकाश पर जाने पर अपने पास टेलीफोन रखने के बारे में नियम	Rule for retaining of Telephone by officers of Telegraph and Telephone Engineering Service on transfer or going on Earned Leave.	83—84
5039.	कृषि सम्बन्धी सहकारी ऋण और इसका राज्यों में बंटवारा	Agricultural Co-operative Credit and its Disbursement in States.	84—85
5040	'हिन्दुस्तान समाचार' नामक समाचार एजेंसी	News agency 'Hindustan Samachar'.	85—88
5041.	कृषि विभाग में रिक्त स्थाई पदों पर लोअर डिवीजन क्लर्कों को स्थाई बनाना	Confirmation of LDC.s against permanent vacancies lying vacant in Deptt. of Agriculture.	88
5042.	दिल्ली में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों के वेतनमान	Scales of Pay of Staff working in Industrial Training Institutes in Delhi.	88—89
5043.	दिल्ली में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कार्य करने वाले अध्यापकों/प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देना	Training of Teachers/Instructors working in Industrial Training Institutes in Delhi.	89

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता . प्र . संख्या S.Q.Nos.		
5044. वर्षा के कारण खाद्यान्नों की क्षति का अनुमान	Eastimate of loss of Foodgrains due to rains.	89—90
5045. मध्यप्रदेश के पूर्वी निमाड़ जिले में बुरहानपुर में एक कृषि महाविद्यालय खोलना	Opening of an Agricultural College in Burhanpur, East Nimad district, Madhya Pradesh	90
5046. मध्य प्रदेश में भारतीय वन सेवा के एक अधिकारी की नियुक्ति	Posting of an Officer Indian Forest Service in Madhya Pradesh.	90—91
5047. 30—9—70 तक मध्य प्रदेश में टेली—फोन के बकाया बिल	Telephone dues outstanding in Madhya Pradesh on 30-9-70.	91
5048. पूर्व पाकिस्तान के शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये चम्बल घाटी के सुधार के लिए राजस्थान का प्रस्ताव	Rajasthan proposal for reclamation of Chambal Valley for Rehabilitation of East Pak refugees.	91
5049. सातवां एशियाई विज्ञापन सम्मेलन	Seventh Asian Advertising Conference.	92
5051. बड़े समाचार—पत्रों के मालिकों के शेयरों का विकेन्द्रीकरण	Diversification of shares of big Newspaper owners.	92—93
5052. उड़ीसा से मछली पकड़ने के लिये बन्दगाहों की स्वीकृति	Sanctions for fishing Harbours in Orissa.	93—94
5053. स्वचालित मशीनों के प्रयोग के बारे में वेंकटारामन समिति	Venkataraman Committee on Automation.	94
5054. टेलीविजन कार्यक्रमों में अंग्रेजी को प्रधानता दिया जाना	Predominance of English in T.V. Programmes.	94—95
5055. भारतीय समाचारपत्रों में प्रकाशित विदेशी समाचार	Indian Newspapers' coverage of Foreign News.	95
5056. उपकरणों की कमी के कारण राजस्थान में टेलीफोन योजना को कार्यान्वित न करना	Non-Implementation of Telephone Schemes in Rajasthan due to Shortage of Instruments.	95—96
5057. छत्तीसगढ़ में निश्चित न्यूनतम दर से कम पर धान का विक्रय	Sale of Paddy in Chattisgarh below the fixed Minimum price.	96
5058 आकाशवाणी का भागलपुर केन्द्र	A.I.R. Bhagalpur Station.	96—97
5059. दुर्गापुर मेल्टिंग शाप में तालाबन्दी	Lock-out in Durgapur Melting shop.	97

अता. प्र. संख्या S.Q.Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
5060.	बाढ़ों के परिणामस्वरूप राज्यवार फसलों को हुई हानि	Loss to crop to floods Statewise.	98
5061.	दिल्ली के चिड़ियाघर का विकास	Development of Delhi Zoo.	98—101
5062.	विदेशों से प्राप्त अकाल सहायता का राजस्थान में वितरण	Distribution of Famine Relief received from foreign Countries in Rajasthan.	101—102
5063.	नेत्रहीनों के लिये कृषि प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना	Setting up of Agricultural Training Centre for Blind.	102
5064.	संकर किस्म के अनाज की फसलों के विकास में अनुसंधान	Research in development of hybrid grain crops.	102—103
5065.	माधेपुर, दरभंगा में केन्द्रीय डेरी संयंत्र का कार्यकरण	Working of Central Dairy Plant at Madhepur, Darbhanga.	103
5066.	बैंकों द्वारा अनाज के व्यापारियों को ऋण	Cerdit to foodgrains trade by the Banks.	103—105
5067.	अखिल भारतीय तार कर्मचारी संघ (श्रेणी तीन) की मांगे	Demands of All India Telegraph Engineering Employees Union (Class III).	105
5068.	बीड़ी उद्योग के श्रमिकों की मजूरी	Wages of workers in Beedi Industry.	106
5069.	टेलीविजन द्वारा सजीव कार्यक्रम	Live Programmes over T.V.	106
5070.	वसूली का अनुमान	Estimates of procurement.	106—107
5071.	हड़तालों में न्याय निर्णय	Adjudication in strikes.	107
5072.	यन्त्रीकृत खेती के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी	Unemployment in rural areas due to mechanised farming.	107—108
5073.	ब्रिटिश सरकार द्वारा बेरोजगारी की समस्या का हल निकालने हेतु बुलाया गया सम्मेलन	Conference called by British Government for solving unemployment.	108
5074.	बिजली तथा पानी के अभाव के कारण पंजाब में गेहूं के उत्पादन में गिरावट	Fall in production of wheat in Punjab due to lack of water and electricity.	108
5075.	'आकाशवाणी के प्रसारणों' के बारे में शिकायतें	Complaints ragarding A. I. R. Broadcasts.	109
5076.	चोर बाजारी रोकने के लिए वनस्पति घी का सुगमता से मिलना	Easy availability of Vanaspati ghee to check Black-marketing.	109

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता. प्र. संख्या S.Q.Nos.		
5077. विदेशों से प्राप्त कृषि सहयोग	Agricultural cooperation received from foreign Countries.	109—110
5078. डाक दरों, अन्तर्देशीय पत्रों एवं लिफाफों के मूल्य में वृद्धि	Increase in Postal Rates of Inland letter, Cards and Envelopes.	110
5079. अच्छी नस्ल की भैंसों का रिकार्ड रखना	Maintenance of record of good breed Buffaloes.	110—111
5080. सोयाबीन में प्रोटीन के तत्व	Value of Soyabean on its Protein contents.	111
5081. विभिन्न प्रकार की खेती के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के उर्वरकों का उत्पादन	Production of complex Fertilizers for various types of crops.	111—112
5082. सरकारी क्षेत्र उपक्रमों द्वारा लन्दन के "दी टाइम्स" को विज्ञापन	Advertisements of Public undertakings in "The Times" London.	113
5083. राज्य सरकारों द्वारा आकाशवाणी का अपने उद्देश्यों के लिये प्रयोग करने का प्रयास	State Governments' attempt to use All India Radio for their purposes.	113—114
5084. पोस्ट कार्ड सेवा पर होने वाली हानि के परिणामस्वरूप इसकी संशोधित दरें	Revision of Postal rates due to loss on Post Card Service.	114
5085. 1970के दौरान हड़तालें, तालाबन्दियों, घेराव आदि	Strikes, Lock-outs, Gheraoes etc, during 1970.	115
5086. राज्यों में केन्द्रीय फार्मों की स्थापना	Setting up of Central Farm in States.	115
5087. 'रावेनशा कालेज', कटक के संबंध में स्मृति डाक टिकटों का जारी किया जाना	Issue of Commemorative Stamp on Ravenshaw College at Cuttack.	115—116
5088. बिहार में बैंकों के निकासी गृहों के बन्द होने और उस पर लोक सभा में हुई चर्चा के बारे में आकाशवाणी द्वारा प्रसारित समाचार बुलेटिन	A.I.R. News coverage on closure of clearing Houses of Banks in Bihar and discussion thereon in Lok Sabha.	116
5089. इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग एंड न्यूटरेशन, नई दिल्ली के प्रबंधकों द्वारा हड़ताल के दौरान विद्यार्थियों का अशोक होटल, नई दिल्ली में भेजा जाना	Sending of Students by the Management of the Instituteof Hotel Management, Catering and Nutrition, New Delhi to Ashoka Hotel, New Delhi during Strike period.	116—117
5090. एक उद्योग के लिये एक श्रमिक संघ	One Union for one Industry.	117

अता.प्र.संख्या
S.Q.Nos.

5091. राष्ट्रीय उद्यानों तथा रक्षित स्थानों के सम्बन्ध में विशेषज्ञ समिति का प्रतिवेदन — Report of Expert Committee on National Parks and Sanctuaries. 117—119

5092. पूर्वी पकिस्तान से आये शरणार्थियों को बसीरहाट सब-डिविजन में विभिन्न स्थानों पर बसाया जाना — Dispersal of East Pak refugees in Basirhat Sub-division. 119—120

5093. पश्चिम बंगाल में बन्द पड़ी चीनी मिलें — Idle sugar mills in West Bengal. 120

5094. चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में उड़ीसा तथा मैसूर में डाकघर खोलना — Opening of Post offices in Orissa and Mysore during Fourth Plan. 120

5095. चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में मैसूर में टेलीफोन कनेक्शनों की व्यवस्था — Provision of Telephone Connections in Mysore during Fourth Plan. 121

5096. दोषी नियोक्ताओं से श्रमिकों की बकाया राशि वसूल करने के बारे में समिति की नियुक्ति — Appointment of a Committee to recover workers dues from defaulting employers. 121—122

5097. उर्वरक प्रयोग पर पुस्तिका निकालना और इसे किसानों में बाटना — Issue of Booklets on use of Fertiliser and their distribution to Farmers. 122

5098. उर्वरक प्रयोग को लोक प्रचलित बनाना — Popularisation of use of Fertiliser. 122—123

5099. कृषि सम्बन्धी ज्ञान वाले कृषि-कार्य में रत व्यक्तियों की प्रतिशतता — Percentage of population with knowledge of Agriculture engaged in Agriculture. 123—124

5100. पश्चिम बंगाल से बाहर स्थापित कैम्पों में पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्ति — East Pak-Displaced persons in Camps outside West Bengal. 124—125

5101. उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में डाक तथा तार घरों का खोला जाना — Opening of Post and Telegraph Offices in Rae Bareli U.P. 125—127

5102. उत्तर प्रदेश के बांदा जिलें में भूमि को कृषि योग्य बनाना तथा उसे भूमिहीनों में वितरित करना — Reclamation of Land in Banda, U.P. and its distribution to Landless. 127

5103. उत्तर प्रदेश में रायबरेली क्षेत्र के बाढ़ पीड़ितों को खाद्यान्न सामग्री का वितरण — Food stuff for distribution to Flood affected people of Rae-Bareli Area, U.P. 128

अता. प्र. संख्या
S.Q.Nos.

5104.	चौथी योजना में बुंदेलखंड के पिछड़े क्षेत्रों का विकास	Development of Backward area of Bundel-Khand during VI Plan.	128
5105.	प्रमुख फसलों की खेती पर आने वाली लागत का अनुमान	Assessment of the cost of cultivation of Principal Crops.	128—129
5106.	जापान से यूरिया खरीदने के लिये करार और राज्यों को उसका वितरण	Contract for purchase of Urea from Japan and its distribution to States.	129
5107.	भारतीय फिल्म उद्योग	Indian Film Industry.	129
5108.	राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह	National Film Awards Function.	130
5109.	त्रिपुरा में चावल का उत्पादन	Rice yield in Tripura.	130
5110.	त्रिपुरा में विद्युत तथा डीजल से चालित पम्पों के लिये ऋण देने की योजना	Scheme for grant of loan for Power and Diesel pump in Tripura.	130—131
5111.	त्रिपुरा के छोटे किसानों और खेतिहर मजदूरों के लिये योजना	Scheme for marginal farmers and Agricultural Labour of Tripura.	131
5112.	अंग्रेजी तथा अन्य राष्ट्रीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अखबारी कागज का नियतन	Allotment of Newsprint to News-papers in English and National Languages.	132—134
5113.	केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों को दी गई चीनी और अनाज	Foodgrains and Suger supplied by Central Government to States.	134—136
5114.	राज्यों की राजधानियों से सीधे कनेक्शनों की व्यवस्था करना	Provision of Direct Connections with State Capitals.	136
5115.	बोधीघाट सिंचाई परियोजना (मध्य प्रदेश)	Bodhighat Irrigation project (Madhya Pradesh).	136—137
5116.	टेलीफोन सलाहकार समिति, चंडीगढ़ की देर से हुई बैठक	Late Meeting of Telephone Advisory Committee, Chandigarh.	137
5117.	पत्रकारों तथा गैर–श्रमजीवी पत्रकारों के पंचाट को क्रियान्वित किया जाना	Implementation of Journalists and Non-working Journalists Awards.	137—138
5118.	कूच-बिहार में डाक तथा तार कार्यालय और टेलीफोन केन्द्र तथा सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों की स्थापना के लिये अभ्यावेदन	Representations for opening Post and Telegraph Offices, Telephone Exchanges and Public Call Offices in Cooch-Behar.	138

अता. प्र. संख्या
S.Q.Nos,

5119.	आसाम के कछार जिले के सिलकवारी शिविर के निवासियों का अभ्यावेदन	Representation from Silcowriee Camp Dwellers in District Cachar, Assam.	139
5120.	छोटे समाचार-पत्रों को सरकारी मूल्य पर अखबारी कागज देना	Newsprint at Government prices to small Newspapers.	139—140
5121.	बर्मा से स्वदेश लौटने वालों को ऋण देना	Loans to Burmese Repatriates.	140—145
5122.	वाणिज्यक फसलों के विकास के लिये पैकेज कार्यक्रम	Package programme for development of Commercial Crops	145—146
5123.	कलकत्ता के बेलगचिया में सेंट्रेल डेयरी में समाज विरोधी तत्व	Anti-social lement at Central dairy at Belgachia, Calcutta.	146
5124.	समाचार पत्रों के पत्रकारों को संस्थागत गारन्टियां	Institutional gurantees to newspaper Journalists.	146
5125.	गांधी टिकट की बिक्री	Sale of Gandhi stamp.	146—147
5126.	आन्ध्र प्रदेश तथा अन्य राज्यों में भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्न की वसूली	Procurement of foodgrains by F.C.I. in Andhra Pradesh and other states.	147—148
5127.	बहुभाषीय निबंध	Multi-lingual digest.	149
5128.	"इंजीनियरिंग टाइम्स" का परिचालन	Circulation of "Engineering Times".	149—150
5129.	दिल्ली के पत्रकार संघ की लेखा तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की जांच	Checking of Accounts and Audit Reports of Delhi Union of Journalists.	151
5130.	प्रकाशन प्रभागों के अध्यक्षों द्वारा विदेशों के दौरे	Foreign trips of Chief of Publications Division.	151—153
5131.	कलकत्ता बन्दरगाह में आपात स्थिति की घोषणा	Declaration of Emergency in Calcutta port.	153
5132.	भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों की हड़ताल	Strike by workers of Food Corporation of India.	153—154
5133.	भारतीय प्रेस परिषद् के अध्यक्ष के नाम याचिकाएं	Petition to Chairman, Press Council of India.	154
5134.	पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों को कालकाजी कालोनी, नई दिल्ली में भूमि का आवंटन	Allotment of plots to East Pakistan displaced person in Kalkaji Colony New Delhi.	154—155

अता.प्र.संख्या S.Q.Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
5135.	कालकाजी कालोनी, नई दिल्ली में विस्थापित व्यक्तियों को आवंटित भूमि के प्रीमियम में कमी	Reduction of premium on land allotted to displaced persons in Kalkaji Colony, New Delhi.	155—156
5136.	दिल्ली की शरणार्थी बस्तियों में जमीन का किराया	Ground rent in refugee colonies in Delhi.	156—158
5137.	पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापितों की कालोनी कालकाजी नई दिल्ली के लिये दिल्ली विकास प्राधिकरण आवास योजना के लिये जीवन बीमा निगम द्वारा वित्त की व्यवस्था करना	Financing of D.D.A. Housing Scheme for E.P.D. Ps. in Kalkaji Colony, New Delhi by L.I.C.	158
5138.	पाकिस्तान में संचित भविष्य निधि की बकाया धनराशि	Accumulated Provident Fund dues in Pakistan.	159
5139	रिकार्ड किये गये दुर्लभ रागों का मिटा दिया जाना	Rare recorded Ragas erased.	159—160
5140.	मद्रास में डाक व तार भंडार कार्यालय का थाउजैन्ड लाइट्स से थंड्रयारपेट को स्थानांतरण किया जाना	Shifting of the office of Post and Telegraph Stores from Thousand Lights in Madras to Thandayarpet.	160
5141.	गिरीडीह, जिला हजारीबाग बिहार की अभ्रक खानों में श्रमिकों को नियमित करना	Regularisation of workers in Mica-mines in Giridih, Hazari Bagh. district Bihar.	160—161
5142.	हजारी बाग, बिहार के गिरीडीह क्षेत्र में, राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की कोयला खानों का बन्द होना	Closure of N.C.D.C. Coal mines in Giridih area, Hazaribagh, Bihar.	161
5143.	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा कोयला मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित करना	Implementation of Coal Wage Board recommendation by N.C.D.C..	161—162
5144.	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के कर्मचारियों के लिये समान उपदान योजना	Uniform Gratuity Scheme for N.C. D.C. employees.	162—163
5145.	कारखाना अधिनियम और दुकान तथा संस्थापन अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हजारीबाग जिला के गिरीडीह क्षेत्र में अभ्रक खान कारखाने	Mica mine Factories in Giridih area, Hazaribagh Distt. registered under the Factory Act.	163

अता . प्र . संख्या
S.Q.Nos.

5146.	टैलको, जमशेदपुर में ठेके की तथा अस्थायी मजदूर व्यवस्था का समाप्त किया जाना	Abolition of contract and Temporary system of Labour in TELCO, Jamshedpur.	164
5147.	भू-दान आंदोलन में प्राप्त भूमि का वितरण	Distribution of Land received in Bhoodan Movement.	164
5148.	सरकारी क्षेत्र में वनस्पति तेल और घी बनाने वाले कारखानों की स्थापना	Setting up of Vegetable oil and Vanaspati Ghee Factories in Public Sector.	164—165
5149.	बिहार में गगनपुर, चकई, चन्द्रमंडी आदि में डाक-घर का खोला जाना	Opening of a post office in Gaganpur, Chakai, Chandramandi etc. in Bihar.	165—167
5150.	कूर्ग (मैसूर) में कृषि का विकास तथा जामा भूमि का समाप्त किया जाना	Development of Agriculture in Coorg (Mysore) and Abolition of Jama Lands.	167
5151.	न्यूनतम बोनस में वृद्धि	Increase in Minimum Bonus.	167—168
5152.	पश्चिम बंगाल में मालदा के हरिचन्द्-रपुर संयुक्त (डाक व तार) उप-डाकघर का एक किराये के मकान में स्थानांतरण किया जाना	Shifting of combined (P&T) Sub-post Office of Harishchandrapur in Malda, West Bengal to a rented Building.	168—169
5153.	न्यू सतग्राम कोयला खान	New Satgram Colliery.	169
5154	विजय नगर, दिल्ली में पट्टे पर दी गई भूमि	Land leased out in Vijay Nagar, Delhi.	169—170
5155.	बंगलौर प्रसारण केन्द्र से तुलु और कोंकणी भाषाओं में प्रसारण	Tulu and Konkani Broadcasts over Bangalore Broadcasting Station.	170—171
5156.	मंगलूर प्रसारण केन्द्र की स्थापन में विलंब	Delay in setting up Mangalore broad-casting Station.	171—172
5157.	बेरोजगार कृषि स्नातक	Unemployed Agricutural Graduates.	172
5158.	दिल्ली में शरणार्थियों को प्लाटों की बिक्री	Sale of plots to refugees in Delhi.	172—173
5159.	आलम बाग लखनऊ में अनियमित डाक वितरण की शिकायत के बारे में जांच	Enquiry into complaint of irregular postal delivery in Alambagh Lucknow.	173
5160.	'जी ब्लाक' विजय नगर, दिल्ली में सार्वजनिक सड़क तथा सार्वजनिक पार्क का पुनः बनाया जाना	Restoration of public lane and public park in 'G' Block, Vijay Nagar, Dehli.	173—174

अता. प्र. संख्या
S.Q.Nos.

5161. अन्न की फसल का मनुष्यों के लिये हानिकारक होना	Food crop harmful for human beings.	174
5162. जर्मन जनवादी गणतंत्र के लिये स्थलीय डाक दरों में कमी	Lowering of surface Postage rates to GDR.	174—175
5163. राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा महाराष्ट्र राज्य में कृषकों को घटिया किस्म के बीजों की सप्लाई	Supply of inferior quality seeds to Farmers in Maharashtra by National Seeds Corporation.	175
5164. दिल्ली चिड़ियाघर के जानवरों के खाद्य-मान निश्चित करने संबंधी समिति	Committee to determine feeding standard of Animals of Delhi Zoo.	175—176
5165. आकाशवाणी द्वारा 'संसद् समीक्षा' का पाठ लिखने के लिये पत्रकारों का चयन	Selection of Journalists to write 'Sansad Sameeksha', broadcast by A.I.R.	176—177
5166. कालकाजी, नई दिल्ली स्थित गोबिन्दपुरी ऐक्स्टेनशन नामक कालोनी की भूमि का अधिग्रहण	Acquisition of Gobindpuri Extension Kalkaji, New Delhi.	177—178
12 नवम्बर, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 659 के उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य	Statement correcting Answer to USQ No. 659, dt. 12.11. 1970.	178—179
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
रेल के माल डिब्बे पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न होने के कारण पंजाब की मंडी में चावल के व्यापार में मंदी आ जाने के समाचार	Reported depression in the rice market in Punjab due to non-availability of railway wagons.	179—184
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री	Shri Raghuvir Sigh Shastri.	1 80
श्री नन्दा	Shri Nanda.	179—180
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table.	185—186
याचिका समिति—कार्यवाही सारांश	Committee on Petitions—Minutes.	186
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के कल्याण संबंधी समिति—कार्यवाही सारांश	Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes—Minutes.	186
राज्य सभा से संदेश	Messages from Rajya Sabha.	186—187

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता. प्र. संख्या S.Q.Nos.		
सदस्य की गिरफतारी	Arrest of Member.	187
(श्री हुकम चन्द कछवाय)	(Shri Hukam Chand Kachwai).	
बाहरी व्यक्तियों पर लगाये गये आरोपों की जांच करने की प्रक्रिया	Procedure for dealing with Allegation against Outsiders.	188—190
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति	Committee on Absence of Mambers from the Sittings of the House.	
16 वां प्रतिवेदन	Sixteenth Report.	190
अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति	Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.	
14 वां प्रतिवेदन	Fourteenth Report.	190
हावड़ा अमता और हावड़ा शियाखाला लाइट रेलवे कम्पनियों के बारे में याचिका	Petition re. Howrah Amta and Howrah Sheakhala Light Railway Companies.	190—196
राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध तथा प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 में रूप भेद करने के बारे में प्रस्ताव	Motions *re*: Modification of Nationalised Bank (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970.	197—220
श्री मुरासोली मारन	Shri Murasoli Maran.	197—199
श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे	Shri N.K.P. Salve.	199—201
श्री स.कुण्डू	Shri S. Kundu.	201—203
श्री कमलनयन बजाज	Shri Kamalnayan Bajaj.	203—204
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh.	204—205
श्री शिव चन्द्र झा	Shri Shiva Chandra Jha.	205—206
श्री सरदार अमजद अली	Shri Sardar Amjad Ali.	206
श्री लोबो प्रभु	Shri Lobo Prabhu.	206—208
श्री प.गोपालन	Shri P. Gopalan.	208—209
श्री क.नारायण राव	Shri K. Narayan Rao.	209
श्री दत्तात्रय कुंटे	Shri Dattatraya Kunte.	209—210
श्रीमती शारदा मुकर्जी	Shrimati Sharda Mukerjee.	210—211
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri.	211—212
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla.	212—220

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता. प्र. संख्या S.Q.Nos.		
पूर्वी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के पुनर्वास के बारे में प्रस्ताव	Motion *re*: Rehabilitation of East Pakistan Rufugees.	220—230
श्री समर गुह	Shri Samar Guha.	220—222 and 229—230
श्री वेणी शंकर शर्मा	Shri Beni Shanker Sharma.	222
श्री कृष्ण कुमार चटर्जी	Shri Krishna Kumar Chatterji.	222—223
श्री अमिय नाथ बोस	Shri Amiyanath Bose.	223
श्री ज्योतिर्मय वसु	Shri Jyotirmoy Basu.	223—224
श्री स.मो. बनर्जी	Shri S. M. Banerjee.	224
श्री देवेन सेन	Shri Deven Sen.	224
श्री बे.कु. दासचौधरी	Shri B.K. Daschowdhury.	224—226
श्री भागवत झा आजाद	Shri Bhagwat Jha Azad.	226—230

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार 17 दिसम्बर, 1970/26 अग्रहायण, 1892 (शक)

Thursday, December 17, 1970/Agrahayana 26, 1892 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

Thr Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER IN THE CHAIR]

प्रश्नों के मौखिक उतर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

उत्तर प्रदेश में फसलों को क्षति

*783. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घूंसों जितने बड़े चूहों ने उत्तर प्रदेश में हाल ही में हजारों एकड़ भूमि पर सरसों, गेंहू, जौ, फूल मटर के खेतों को नष्ट कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उससे कितनी क्षति हुई और किसानों को कितने रुपये की हानि हुई है;

(ग) क्या चूहों की यह गम्भीर समस्या अन्य राज्यों में भी विद्यमान है ; यदि हां, तो कहां-कहां ; और

(घ) क्या सरकार ने चूहों का उन्मूलन करने सम्बन्धी कोई व्यापक योजना बनाई है ; यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है और यह कब आरम्भ की जायेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे): (क) से (घ) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) और (ख) : उत्तर प्रदेश सरकार से जानकारी मांगी गई है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) और (घ) : चूहों की समस्या अन्य राज्यों में भी विद्यमान है । अप्रैल 1970 से केन्द्रीय संचालित चूहा नियन्त्रण योजना राज्य क्षेत्र को हस्तान्तरित कर दी गई है और चौथी पंचवर्षीय योजना के अधीन राज्य सरकारें अपने कार्यक्रम के भाग के रूप में चूहा नियन्त्रण योजना के लिये व्यवस्था करती हैं । वार्षिक योजना पर विचार विमर्श करते समय भारत सरकार राज्य योजनाओं में कृन्तक नियन्त्रण कार्यों के लिये पर्याप्त व्यवस्था करने की जरूरत पर बल देती है ।

जहां तक उत्तर प्रदेश का सम्बन्ध है केन्द्रीय सरकार ने उस राज्य में चूहा नियन्त्रण अभियान चलाने के लिये 1968–69 में 3.6 लाख रुपये की रकम मंजूर की थी । उत्तर प्रदेश सरकार के वार्षिक रिपोर्ट के प्रारूप में यह बताया गया है कि चूहा नियन्त्रण के लिये उन्होंने 1969–70 में 44.43 लाख हैक्टार और 1970–71 में 14.57 लाख हैक्टार क्षेत्र का उपचार किया है । आशा है कि राज्य सरकार चूहों के बचाव के लिये 1971–72 में 16.68 लाख हैक्टार क्षेत्र में उपचार सम्बन्धी कदम उठायेगी ।

श्री बाबूराव पटेल : विवरण में दिया गया उत्तर टालमटोल वाला है । समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों में मैंने देखा है कि बुलन्द शहर जिले में यमुना के किनारे 50,000 एकड़ भूमि चूहों के उपद्रव से नष्ट हो गई है। समाचार में यह भी बताया गया है कि उन गावों की बिल्लियां चूहों से डर गई हैं । विशेषत: आज की सरकार में बिल्लियां आक्रमणकारी क्यों नहीं हैं ?

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : मैं समझता हूँ कि वे श्री पटेल से अनुदेश प्राप्त नहीं करतीं अन्यथा वे उन जैसी आक्रमणकारी होती । परन्तु हम समस्या के प्रति पूरी तरह जागरुक हैं । राज्य सरकारों को इस बारे में प्रयत्न करने हैं ।

श्री बाबूराव पटेल : दक्षिण पूर्व एशिया के अपने हाल के दौरे में मैंने देखा कि चीनी लोग चूहों को प्रति दिन हजारों की सख्या में खाते हैं। उन्होंने एक प्रकार की जड़ी बूटी की पेस्ट तैयार की है जो चूहों को कुछ समय के लिये जडवत बना देती है उन्हें मारती नहीं, और बारह घण्टों में उन्हें पुन: जीवित कर देती है। चीनी लोग एक चूहे के लिए हांगकांग का एक डालर देते हैं । छात्रों को अपनी फीस चूहों में देने को प्रोत्साहित किया जाता है । क्या सरकार संसार के विभिन्न देशों में बसे चीनी लोगों के लिये चूहों का निर्यात करेगी । उससे कुछ विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी (हंसी) इसमें हंसने की बात नहीं है । उनका भोजन उनको बेचा जा सकता है । आपको मौलिक रूप से सोचना चाहिए । अब तक क्यों कि खाद्य मंत्री हिन्दु थे, चूहों का गणेशजी की सवारी समझते हुए निर्यात नहीं किया गया । परन्तु अब तो खाद्य मंत्री मुसलमान हैं, अतएव अब तो चूहों के निर्यात में बाधा नहीं होनी चाहिए । उनका निर्यात क्यों नहीं किया जाता ?

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : यह कार्यवाही के लिये सुझाव है।

श्री तेन्नेटी विश्वनाथम : हो सकता है चीनी लोग भारतीय चूहें लेने के इच्छुक न हों।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : हमने वैज्ञानिक प्रयोगों से देखा है कि चूहों के एक जोड़ी से कुछ ही वर्ष में हजारों चूहे बन जाते हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए तथा यह भी देखते हुए कि 5 से 10 प्रतिशत फसल चूहों द्वारा नष्ट कर दी जाती है, सरकार राज्यों के सहयोग से चूहों के उन्मूलन अथवा न्यूनीकरण के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : यह सच है कि चूहों की वृद्धि दर बहुत ऊँची है परन्तु यह उतनी ऊंची नहीं है जितनी कि माननीय सदस्य ने उल्लेख की है। एक चूहों की जोड़ी प्रति वर्ष कम से कम 100 से 120 चूहों को जन्म देती है परन्तु उनमें से बचने वालों की संख्या भी बहुत कम है, अर्थात् दस प्रतिशत है। चूहे की अनुमानित संख्या 250 करोड़ है।

एक माननीय सदस्य : मानवीय जन संख्या का छः गुना

श्री अन्नासाहब शिन्दे : कुछ समय पूर्व केन्द्र कार्यवाही कर रहा था। परन्तु एक मुश्त-अनुदान देने के साथ यह मामला राज्यों को सौंप दिया गया है और प्रत्येक राज्य उस पर कुछ धन व्यय कर रहा है। यह ऐसी समस्या है जिस पर केन्द्र और राज्य ध्यान देते रहेंगे।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न चूहों को समाप्त करने अथवा उनमें परिवार नियोजन चालू करने का है ?

Shri Maharaj Singh Bharati : People have taken to eating ra ts so far in this country. A campaign was launched in this direction by a responsible Minister in Uttar Pradesh and which abondoned under political pressure. If the hon. Minister eats a rat offered to him by an honourable member here, he will do a great good to the country. The efforts so far made to exterminate the rats in Uttar Pradesh were limited to a few farmers in certain districts and this does not made much difference. It would be better if rodent Control Scheme is started in compact area. It is no use if a few rats are killed and others are allowed to remain.

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : हम इस पर विचार करेंगे। हम राज्यों को चूहों के उन्मूलन के लिये कम्पैक्ट एरिया हाथ में लेने को कहेंगे।

Shri Ganga Reddy : As far as I know a pair of rats produces 240 rats every year, but since family planning is practised in Maharashtra the population of rats may be less there. Two efforts should be made to exterminate the rats; firstly by killing them and secondly, by building rat proof godowns. The rats not only destroy cereals but vanishing other articles. Their teeth grew very fast and they eat each and every thing to suppress their sensation. So vigorous efforts should be made to exterminate them.

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : मैं माननीय सदस्य के चूहें के उन्मूलन संबन्धी कार्य का स्वागत करता हूँ। इस समय सरकारी गोदाम "रैट्स प्रूफ" हैं अतः क्षति गोदामों में नहीं अपितु खेतों में होती है।

अभिप्राय यह है कि फसल कटने के बाद की हानि बहुत होती है। इस वर्ष उत्तर प्रदेश के फार्मों में काफी क्षति पहुँची है ।

Bill to ban Cow Slaughter Passed by Delhi Metropolitan Council

*786. **Shri Ram Swarup Vidyarthi** : Will the Minister of **Food And Agriculture** be pleased to state:

(a) whether the Delhi Metropolitan Council has unanimously passed a Bill for imposing a total ban on the slaughter of cow and its progeny in Delhi State and sent it to the Central Government for their approval;

(b) if so, whether Government have approved the said Bill;

(c) if not, the reasons therefor; and

(d) the time by which the Government propose to accord their approval to this Bill?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) अभी नहीं ।

(ग) और (घ). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(ग) और (घ). दिल्ली प्रशासन द्वारा 16 दिसम्बर 1967 को, महानगर परिषद् द्वारा 14 नवम्बर 1967 को अपनी बैठक में पास किये गये दिल्ली गो रक्षा विधेयक, 1967 को भारत सरकार के पास भेजा गया था । इस विधेयक में संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में किसी भी आयु के सांडो तथा बैलों सहित गायों के वध पर प्रतिबन्ध की व्यवस्था है चाहे वे दूध देने अथवा प्रजनन या भारवाही पशुओं के रूप में कार्य करने में समर्थ न हों । विधेयक के प्रारंभ को अग्रेषित करते हुये, दिल्ली प्रशासन ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मुहम्मद हनीफ कुरेशी तथा अन्य बनाम बिहार राज्य (1959) के मामले में दिये गये निर्णय का संदर्भ देते हुये सिफारिश की थी कि गोवध पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने के लिये संविधान में संशोधन किया जाना चाहिये । प्रस्तावित नियंत्रण असंवैधानिक होगा । बीफ के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबन्धों के फलस्वरूप जैसा कि दिल्ली गोरक्षा विधेयक में परिभाषित है अनुचित प्रतिबंध को लागू करना, संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के विपरीत होगा ।

सरकार ने इस मामले में आगामी कार्यवाही करने से पूर्व गो रक्षा के प्रश्न तथा इससे सम्बन्धित सभी पक्षों (संवैधानिक, वैधानिक तथा आर्थिक) की जांच पड़ताल के लिये स्थापित समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा करने का निश्चय किया है ।

गोरक्षा सम्बन्धी समिति

*795. **श्री कंवरलाल गुप्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गोरक्षा संबंधि समिति कोई कार्य नहीं कर रही है तथा गत दो वर्षों से उसकी कोई बैठक नहीं हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस समिति को कोई निर्देश दिये हैं;

(घ) यदि हाँ, तो कब तथा क्या निर्देश दिये हैं;

(ङ) क्या समिति सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी या नहीं; और

(च) इस समिति का वहिष्कार करने वाले कुछ सदस्यों की आपत्तियों को स्वीकार न किये जाने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) से (च) .यह विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) अगस्त 1968 से गोरक्षा समिति की कोई बैठक नहीं हुई है ।

(ख) सर्वदलीय गौरक्षा महाभियान समिति द्वारा प्रतिनिधियों के वापिस लेने के कारण समिति अपना कार्य न कर सकी ।

(ग) **और** (घ) . समिति का गठन करते समय सरकार के संकल्प दिनांक 29 जून, 1967 द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिये थे :—

यह समित गोरक्षा के प्रश्न पर, सर्वदलीय गोरक्षा महाभियान समिति तथा अन्यों की इस विषय पर सभी प्रस्थापनाओं के प्रकाश में, जिसके अंतर्गत गो तथा गोवंश के वध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की प्रस्थापना भी आती है, विचार करेगी और इस विषय पर सभी पहलुओं, अर्थात् सांविधानिक, विधिक. आर्थिक तथा अन्य सुसंगत पहुलुओं से विचार करके, सरकार को गायों, बछड़ों, सांडों और बैलों की संरक्षा' के लिये समुचित व्यावहारिक उपायों की सिफारिश, सरकार के विचारार्थ, करेगी । समिति संविधान के अनुच्छेद 48 के उपबन्धों के प्रभावसाधक रूप में कार्यान्वयन के लिये अर्थोपायों के बारे में सुझाव देगी और किसी ऐसे सुझाव पर भी कि गो तथा गोवंश के वध पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने के लिए संविधान को संशोधित किया जाना चाहिये, पूर्णतया विचार करेगी ।

समिति अपने कार्य के लिए अपनी प्रक्रिया विनिश्चित करेगी ।

समिति अपनी रिपोर्ट सरकार को 6 मास के अन्दर प्रस्तुत करेगी ।

(ङ) समिति ने अभी सरकार को अपनी रिपोर्ट नहीं दी है । समिति की कालावधि 31 मार्च, 1971 तक बढ़ा दी गई है । सरकार आशा करती है कि यदि समिति के प्रतिनिधि कमेटी के साथ सहयोग दें तो समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकेगी ।

(च) दिनांक 17 जुलाई, 1967 को हुई गोरक्षा समिति की प्रथम बैठक में समिति ने सरकार से यह स्पष्टिकरण लेने का निर्णय किया है कि क्या 'समिति को केवल गाय तथा उसकी संतति पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने के प्रस्तावों पर विचार करना है या गोवध पर आंशिक प्रतिबन्ध तथा बिलकुल भी प्रतिबन्ध न लगाने आदि अन्य प्रस्तावों पर भी विचार करना है। गोरक्षा के सचिव को मंत्रालय के पत्र दिनांक 10-8-67 (विवरण की प्रति संलग्न है) में दिया गया स्पष्टीकरण सदस्यों द्वारा स्वीकार कर लिया गया और समिति ने 27 मई, 1968 तक अर्थात् लगभग 1 वर्ष तक कार्य करना जारी रखा। फिर ऐसा ही प्रश्न सर्वदलीय गोरक्षा महाभियान समिति का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों द्वारा उठाया गया। दिनांक 2 अगस्त, 1968 को सर्वदलीय गोरक्षा महाभियान समिति के अवैतनिक सचिव ने गोरक्षा समिति के अध्यक्ष को लिखा कि श्री जगत-गुरु शंकराचार्य, श्री एम० एस० गोलवलकर तथा श्री राम प्रसाद मुखर्जी ने समिति से प्रथक होने का निर्णय किया है। सरकार को इस निर्णय पर काफी खेद हुआ। समिति की आपत्तियां स्वीकार न करने के कारण तत्कालीन खाद्य तथा कृषि मंत्री श्री जगजीवनराम द्वारा श्री जगतगुरु शंकराचार्य को लिखे गये दिनांक 5 अक्तूबर, 1968 के पत्र के निम्नलिखित उद्धरण में दिए गए हैं :-

> प्रत्येक समिति को विचारार्थ विषयों पर अपने विचार प्रकट करने और उनके सम्बन्ध में सलाह देने का अधिकार है। मामले पर मतभेद भी हो सकते हैं परंतु सदस्यों के लिए सामान्य प्रणाली यह है कि वे सदस्य जो अपनी पृथक राय रखते हों, उसे वे उचित रूप में व्यक्त कर सकते हैं जहाँ भी आवश्यक हो, असहमति की टिप्पणी के रूप में अपना मत अभिव्यक्त कर सकते हैं। इस मामले में, सरकार के एक संकल्प की व्याख्या का प्रश्न है और इस प्रतिनिधित्व में एक प्रसिद्ध भूतपूर्व न्यायाधीश है, और इसके अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं, अतः मेरा विश्वास है कि व्याख्या के मामले में अन्त में न्यायिक दृष्टिकोण ही प्रमुख रहेगा। क्योंकि समिति ने सरकार को इस मामले में सलाह देने का कार्यभार स्वीकार कर लिया है, सरकार इस बात पर जोर देगी कि समिति को अब कमेटी की आम प्रणालियों का अनुसरण करना चाहिए और यदि वे समझते हैं कि उनका दृष्टिकोण सही है तो वे अपने साथियों को सम्मत करें, न कि वे यह रुख अपनाएं कि जो वे कहते हैं वे बिना किसी परीक्षण के और उन विचारों के विरुद्ध, जिन निष्कर्षों पर अन्य सदस्य पहुंचे है, अवश्य ही स्वीकार किया जाए।"

विवरण

कृषि विभाग:-- सचिव, गोरक्षा समिति। कृपया दिनांक 19-7-67 के अपने नोट को देखने की कृपा करें, जिसके साथ गोरक्षा समिति की 17 जुलाई, 1967 को हुई पहली बैठक के कार्यवृत्त की एक प्रति भेजी गई थी।

2. दिनांक 29 जून, 1967 का संकल्प, जिसके अनुसार समिति की स्थापना की गई थी, पूर्णतः भारत सरकार द्वारा 5 जनवरी, 1967 तथा 1 फरवरी, 1967 को दिये गये वक्तव्यों के अनुरूप है, जो सर्वदलीय गोरक्षा महाभियान समिति को भेजा गया था। 21 मई, 1967 को संकल्प के प्रारूप को अंतिम रूप दिये जाने से पूर्व खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्री ने इस विषय में समिति के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श किया था, जिन्होंने कि इसमें कुछ परिवर्तन करने का सुझाव दिये थे जो स्वीकार कर लिये गये थे। विचारार्थ विषय पूर्णतः

1 फरवरी, 1967 के वक्तव्य के अनुसार सर्वदलीय गौरक्षा महाभियान समिति को दिये गये आश्वासन के अनुरूप है। अनुच्छेद 2 के अनुसार, जो कि संकल्प का कार्यात्मक भाग है, समिति गाय तथा उसकी संतति के वध पर पूर्ण प्रतिबन्ध के प्रस्तावों सहित गो रक्षा के प्रश्न पर विचार करेगी और गाय तथा उसकी संतति के वध पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने के लिये संविधान में संशोधन संबंधी किसी भी सुझाव पर पूर्णतः विचार करेगी। इसके साथ ही साथ अनुच्छेद 2 में यह भी व्यवस्था है कि समिति सर्वदलीय गौरक्षा महाभियान समिति के अतिरिक्त "अन्यों" से उद्भूत होने वाले प्रस्तावों पर विचार करेगी। गौरक्षा के सम्बन्ध में अपनी सिफारिशें देते हुये समिति समस्या के सभी पक्षों अर्थात् संवैधानिक, वैधानिक, आर्थिक तथा अन्य सम्बन्धित पक्ष पर विचार करेगी।

हस्ताक्षर वी० डी० गंगल

10-8-67

उप सचिव (पशु पालन)

सचिव, गोरक्षा समिति (श्री सरकार, उप सचिव)

कृषि विभाग अनौपचारिक नोट संख्या 25-5/67-पशुधन विकास 1 दिनांक 10-8-67

Shri Ram Swaroop Vidyarthi : The Delhi administratoin has passed a Bill on 16th December 1967 and forwarded the same to the Union Government but the Government have not yet looked into it. The hon. Minister has stated that the Committee appointed for that would consider it. I want to know the number of the meetings as also the date of the last meeting held by this Committee and by when would it be able to finish its work.

खाद्य तथा कृषि और सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : माननीय सदस्य शायद स्वयं जानते हैं कि यद्यपि दिल्ली प्रशासन ने उक्त विधेयक 1966-67 में पारित किया था और वे स्वयं जानत थे कि इस में कुछ संवैधानिक आपत्तियां हैं। केन्द्र सरकार को लिखे गये प्रेषक-पत्र में उन्होने स्वयं कहा है इस विधेयक को संवैधानिक सीमा में लाने के लिया संविधान में संशोधन करना होगा। इस के पश्चात् सरकार ने इस समस्या के हल के लिये एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त की जिसका नाम गोरक्षा समिति है; परन्तु दुर्भाग्य से गो-रक्षा महाभियान समिति के प्रतिनिधि उक्त समिति से निकल गये। हम उनसे उस समिति के साथ सहयोग करने के लिये बार बार प्रार्थना करते रहे हैं। इन समिति के अध्यक्ष न्यायाधिपति सरकार हैं। न जाने ये लोग सहयोग क्यों नही दे रहे हैं ? माननीय सदस्य की क्रांति दल भी इस बात के इच्छुक हैं कि उक्त समिति का कार्य शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण हो जाये।

Shri Ram Swaroop Vidyarthi : I had asked about the number of meetings, the date of the last meeting and also as to when this committe would submit its report. He may find it difficult to state the date of submission of the report, but he can certainly tell us the number of meetings and the date of the last meeting.

श्री अन्ना साहेब शिन्दे : गत वर्ष के दौरान वस्तुतः कोई बैठक नहीं हुई और इस का कारण यह है कि समिति को एक पक्ष समिति से निकल गया। हमने इसकी अवधि बढ़ाकर मार्च, 1971 कर दी है।

Shri Ram Swaroop Vidyarthi : The hon. Minister has first now stated that some members have quit and have not been co-operating with Committee. May I know the reasons therefor? Article 48 directs the Government to take certain minimum steps.

May I know the steps taken by Government since the commencement of the constitution till the appointment of the cow protection committee?

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : इस समिति से निकलने वाले कुछ सदस्य चाहते है कि यह समिति इस समाचार के एक पहलू पर विचार करे। स्वभावतः इस समिति के निदेश–पदो का निर्धारण स्वयं गोरक्षा महाभिधान समिति के प्रतीनिधियों के साथ विचार करके ही किया गया था। जब भूतपूर्व मंत्री श्री **जगजीवनराम** के अधीन यह विषय था तो उन्होंने स्वयं इस विषय पर गोरक्षा महाभियान समिति के प्रतिनिधियों से सलाह की थी। उन प्रतिनिधियों की स्वीकृति लेने के पश्चात् ही उक्त निदेश-पद निर्धारित किये गये थे।

अब उन सदस्यों ने त्यागपत्र दे दिया है। वे चाहते हैं कि समिति निर्धारित निदेश पदों के आधार पर कार्य न करे। अब समिति अपना कार्य करने को स्वतंत्र है और हम उस में हस्तक्षेप करने का कोई प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। त्यागपत्र देने वाले सदस्य स्वयं ही भारतीय जनता को बतायें कि उन्होंने क्यों त्यागपत्र दिया है।

Shre Ram Swaroop Vidyarthi : One part of my question was: when the Article 48 gives you the direction and that this Article comes under Directive Principles Government should have adopt their policies accordingly. I want to know the various steps taken by the Government to ban cow-slaughter and implement those Directive Principles since the commencement of the constitution and till the appointment of the Cow Protection Committee.

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : हम निदेशात्मक सिद्धान्तों को पूरी तरह पालन करते हैं और संविधान के अनुच्छेद 18 का भी पालन करते हैं मगर उस व्याख्या के अनुसार जो कि उच्चतम न्यायालय ने की है न कि माननीय सदस्य द्वारा की गई व्याख्या के अनुसार। हम उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या से मार्गदर्शन प्राप्त करने को तैयार हैं तथा हम उसी के आधार पर आगे कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री राम स्वरूप विद्यार्थी : (खड़े हुए)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब और प्रश्न मत पूछिये।

श्री राम स्वरूप विद्यार्थी : मेरा प्रश्न एक विशिष्ट प्रश्न था ....

अध्यक्ष महोदय : इस में तर्क करने की आवश्यकता नहीं है।

Shri Ram Swaroop Vidyarthi : Those who shout are heard. I want to submit that I have asked a specific question as to what have the Government done to implement the Directive Principles under Art. 48, before the Cow Protection Committee was set up?

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको इस प्रकार बोलते रहने की अनुमति नहीं दूंगा । आपने दो बार यह प्रश्न पूछा है और इस का स्पष्ट उत्तर दिया जा चुका है । अब आप बैठ क्यों नहीं जाते ?

श्री राम स्वरूप विद्यार्थी : मेरा प्रश्न बड़ा स्पष्ट था परन्तु उन्होंने उसके उत्तर में एक भी शब्द नहीं कहा । मैंने पूछा था कि निदेशात्मक सिद्धान्तों के अनुसरन में उन्होने क्या कार्यवाई की ?

अध्यक्ष महोदय : यदि आप ऐसे ही बोलते चले जायें तो मैं मंत्री महोदय को उत्तर देने के लिये नहीं कहूँगा ।

Shri Kanwarlal Gupta : The hon. Minister has agreed that there has not been any meeting of this committee for the last $2\frac{1}{2}$ years. Only the Government is responsible for this dead lock. Since he has stated in his reply that the terms of reference are :

> The Committee will go into the question of cow protection in the light of all the proposals, or Sarvadaliya Goraksha Mahabhiyan Samiti....."
>
> Now, the Mahabhiyan Samiti had said.....

श्री अन्नासाहेब शिंदे : आप आगे क्यों नहीं पढ़ते ? "Samiti and others."

Shri Kanwarlal Gupta : "And others on the subject". In the report submitted to you a complete ban on cow slaughter has been demanded. I want to know the basis of the extension of time upto 31st March, 1971 and also that of the statement that now everybody will co-operate? Shri Jagjiwan Ram wrote letters and many more letters were also written to those members who boycotted the Committee. I want to know the details of those letters and the replies thereto, whether they would now co-operate, and if not, what is the basis of your statement that the report will come upto 31st March, 1971.

Secondly, West Bengal is now under your rule. Would you therefore frame laws to ban cow-slaughter there as you did in the case of Uattar Pradesh and other areas?

श्री अन्नासाहेब शिंदे : पहले तो मैं यह निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य द्वारा वर्णित निदेश–पद बड़े ही स्पष्ट हैं अर्थात् "यह समिति गोरक्षा के प्रश्न पर, सर्वदलीय गोरक्षा महाभियान समिति तथा अन्यों को इस विषय पर सभी प्रस्थापनाओं के प्रकाश में, जिसके अन्तर्गत गो तथा गोवंश के वध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की प्रस्थापना भी आती है, विचार करेगी और इस विषय पर सभी पहलुओं पर अर्थात सांविधिक लिपिक, आर्थिक तथा अन्य सुसंगत पहलुओं पर विचार कर के ....."

ये निदेश पद इतने संकीर्ण नहीं हैं जितने कि माननीय सदस्य ने व्यक्त किये हैं। वे बड़े ही सारगर्भित हैं और कुछ सदस्यों ने समिति द्वारा निदेशपदों के अनुसार कार्य किये जाने पर आपत्ति उठाई । जहां तक हमारे द्वारा लिखे गये पत्रों का संबंध है मैं उन्हें सभा पटल पर रखने को तैयार हूं ।

श्री कंवरलाल गुप्त : आप उन को सभा पटल पर रखिये ।

श्री अन्नासाहेब शिंदे : कुछ सदस्यों द्वारा त्याग पत्र दिये जाने के बाद हमने जो पत्र उन्हें लिखे हैं और उनके जो भी उत्तर प्राप्त हुवे हैं, मैं वे भी सभा पटल पर रखने को तैयार हूं ।

जहां तक पश्चिम बंगाल का संबंध है पीछे हमने इस मामले को पश्चिम बंगाल सरकार के पास भेजा था जबकि वहां एक प्रतिनिधि सरकार थी और पश्चिम बंगाल सरकार ने अपना मत व्यक्त किया है कि वह गो–वध पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने को तैयार नहीं हैं ।

श्री कंवरलाल गुप्त : इस समय तो पश्चिम बंगाल का प्रशासन आपके हाथ में है।

श्री अन्नासाहेब शिंदे : यह तो स्वाभाविक ही है कि प्रतिनिधि सरकार के मत को यथेष्ठ महत्व दिया जायेगा ।

श्री कंवरलाल गुप्त : अब पश्चिम बंगाल केन्द्र सरकार के अधीन है।

श्री अन्नासाहेब शिंदे : जब कि इस मामले पर समिति द्वारा विचार किया जा रहा है तो स्वाभाविक ही है कि सरकार समिति की सिफारिशें प्राप्त करके ही कोई मत निर्धारित करेगी, पहले नहीं ।

Shri Kanwarlal Gupta : Will the report come by March 31, 1971 ? Have you asked the chairman to submit his report even if those members do not co-operate? What steps have you taken to enlist the co-operation of those members? Would you go on putting of this matter like this? You want to put it off eliderately. Ybu do not want to force it. You do not want to honour the feelings of the nation. You are throwing this matter into a waste paper basket.

श्री अन्नासाहेब शिंदे : मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य समिति को उन सदस्यों को सहयोग उपलब्ध कराने के लिये अपने स्रोतों का प्रयोग करें । जहां तक सरकार का संबंध है हम यथासंभव शीघ्र ही समिति की सिफारियों को अंतिम रूप से तैयार करने के इच्छुक हैं । जब सदस्यगण सहयोग नहीं देते तो समिति के कार्य में बाधा पड़ती है ।

श्री कंवरलाल गुप्त : आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री अन्नासाहेब शिंदे : हम तो समिति की सिफारिशों को प्राप्त करने के बाद ही कोई कार्यवाही करेंगे । इस समिति को सारगर्भित निदेश पद देकर नियुक्त किया गया है और इसका हमारी अर्थव्यवस्था तथा अन्य बातों पर भारी प्रभाव पड़ेगा । स्वाभाविक ही है कि

सरकार समिति की सिफारिशों की प्रतिक्षा करेगी और यह निश्चय करेगी कि इस संबंध में क्या किया जाना चाहिये ।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम् : जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा है केवल समिति ही नहीं बल्कि अन्य लोग भी गोवध पर प्रतिबंध लगाने में रूचि रखते हैं । उन्होंने कहा है कि समिति ने प्राय: $2\frac{1}{2}$ वर्ष से कोई कार्य नहीं किया है । तो समिति कार्य ही नहीं कर रही है उस से कोई सिफारिश प्राप्त होने की उन्हें कैसे आशा है ? यदि वह मुझसे सहमत हों, तो क्या वह दूसरी समिति का गठन करेंगे ताकि इस प्रश्न का हल निकल सके ? केवल उक्त समिति ही नहीं अन्य लोग भी इस मामले में रूचि रखते हैं ।

श्री अन्नासाहेब शिंदे : यदि सभा चाहे तो इस बारे में भी विचार किया जा सकत है परन्तु वह समिति एक प्रतिनिधि समिति थी और हम अब भी इसकी संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं और मैं आज भी अवसर प्राप्त करूंगा । यदि अपना नाम वापस लेने वाले लोग वापस आ जायें तो कार्य को तेजी से किया जा सकता है; परन्तु कुछ सदस्यगण तो उन चुनावों के लिये वातावरण बनाने की फिराक में हैं जो शायद आयोजित हों अथवा न हों।

श्री कंवरलाल गुप्त : यह बिलकुल गलत है । ये राजनीतिक लाभ उठाना चाहते है या जानबूझकर टालना चाहते हैं ।

श्री अन्नासाहेब शिंदे : सत्य सदा कड़वा होता है । मेरी प्रार्थना है कि इस बात की प्रतीक्षा की जाये कि हम क्या कर सकते हैं । आप सदस्यों का सहयोग प्राप्त करने का यत्न करें । किसी व्यक्ति अथवा दल को इसका राजनैतिक विशेष के लिये उपयोग नहीं करना चाहिए ।

Shri P. L. Barupal : We are also in favour of banning cow slaughter. Would the Government appeal to all the people who wanted cow not to use leather in any form, whether it be shoes, chappels or hand bags etc. This will help the cause of cow protection.

Shri Gurucharan Singh : If the Government aware that in Punjab there are lakhs of stray cows. Those, advocating cow-protection neither keep cows nor do they do any farming. Stray cows destroy crops and who is going to pay for that. The people of Punjab leave such cattle on Pakistan border. Would the Government look into this matter?

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : मैं माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त विचारों की ओर समिति का ध्यान दिलाऊंगा ।

Shri Ram Gopal Shalwale : I do not use any leather article. My shoes are made of Canvas.

This committee was set up at the instance of Goraksha Mahabhiyan Samiti. Government had promised that it would give its report within six months. This committee would not be able to give its report as its eight official members act according to the wishes of the Government. The three members who have resigned in these conditions

would not came back. Keeping that in view would the Government set up another committee to consider the matter and give its report?

It has repeatedly been announced to act in accordance with the Article 48. You have addressed the State Governments in the matter. You have stated that you would accede to their proposals. The Delhi Administration has approved it and sent the proposal to you. If the Government is honest there seem to be no reasons for its not agreeing to those proposals and if the Constitution is to be amended, a Bill may be brought forward in the Parliament. Guru Govind Singh sacrificed his life.

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूँ एक दूसरे की भावनाओं पर आगध करने वाली कार्यवाही न करें । उनके अपने कुछ भी विचार हो सकते है परन्तु उन्हें उनको अन्य पर थोपना नहीं चाहिए ।

Shri Maharaj Singh Bharati : Buffelows are slaughtered daily in Delhi. We also have sentiments.

Shri Ram Gopal Shalwnle : The slaughter of both cows and buffelows should be banned.

अध्यक्ष महोदय : मुझे इसका बहुत खेद हैं । चूहों के मामलों में तो ठीक था । अब उन्होंने भैंसों को भी सम्मिलित कर लिया है । यह ठीक नहीं है ।

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : यह कहना अनुचित है कि समिति के सदस्य सरकार के दबाव में हैं । वे निष्पक्ष व्यक्ति हैं । उसके अध्यक्ष एक उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश हैं । अन्य सदस्य विभिन्न राज्यों से हैं और वे विशेषज्ञ हैं । सरकार ने समिति के कार्य में हस्तक्षेप करने का कभी भी प्रयत्न नहीं किया । हमने समिति को स्वेच्छा से किसी भी प्रक्रिया के पालन करने और किसी भी मामले के अध्ययन करने की स्वतंत्रता दी है ।

जहाँ तक दिल्ली का सम्बन्ध है मैंने स्थिति स्पष्ट कर दी है । जब विधेयक पारित किया गया तो दिल्ली प्रशासन ने स्पष्ट किया कि उसमें कुछ न्यूनताएं हैं और उन्होंने ही सुझाव दिया कि संविधान का संशोधन किया जाना चाहिए ताकि विधेयक पारित किया जा सके । जबकि यह सम्पूर्ण मामला, जिसमें यह भी सम्मिलित है कि क्या संविधान में संशोधन की आवश्यकता है अथवा नहीं, उच्च स्तरीय समिति को सौंपा गया हैं, मैं नहीं समझता कि समिति की रिपोर्ट आने से पूर्व सरकार से कार्यवाही करने की आशा कैसे की जा सकती है ?

Shri Malahu Prashad ; Sir, I would like to know of the hon. Minister if same scientific aspect in the matter has also been thought of ? Those cows which do not have blood, how would they produce milk. Milk is made of blood. In Hindu religion cow is referred as mother. Taking these sentiments into consideration would the Government at once prohibit the milching of the cows and taking of their milk ?

श्री अन्नासाहेब शिंदे : सरकार दूध के प्रयोग पर प्रतिबन्ध नहीं लगाएगी ।

Syri Mahabir Prasad : Hon. Speaker, what happened to my question ? Would the Government ban the use of milk at once in view of the sentiments of the people?

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही के लिये सुझाव है ।

Shri Mahabir Prasad : The answer should come from the hon. Minister. Please ask him to give reply.

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : मैंने पहले ही नहीं कह दिया है ;

बारानी खेती तथा भूमिगत जल सर्वेक्षण के लिये विदेशी सहायता

*787. **श्री चेंगलराया नायडू** :
श्री रा० बरुआ :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाड़ा और कुछ अन्य देशों ने देश में बारानी खेती और भूमिगत जल सर्वेक्षण के बारे में अनुसंधान के लिए सहायता देने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में किसी देश के साथ किसी करार पर हस्ताक्षर लिये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा किन स्थानों पर कार्य आरम्भ किया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे): (क) और (ख) . जी हाँ । कनाड़ा ने बारानी भूमि की कृषि तथा भूमिगत जल सर्वेक्षण के अनुसंधान की सहायता के लिये प्रस्ताव किया है और इन परियोजनाओं के लिये कनाड़ा सरकार के साथ अगस्त, 1970 में करारों पर हस्ताक्षर किये गये ।

(ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4599/70]**

श्री चेंगलराया नायडू : सरकार देश को केवल यही प्रदर्शित करना चाहती है कि यह बारानी खेती वाले क्षेत्रों के विकास के लिये विशेष अनुदान दे रही है । सभा पटल पर रखे गये पत्रों को पढ़ने से मुझे इस बात की तसल्ली हो गयी है कि इस क्षेत्र का चयन लोगों के लिये नहीं बल्कि अधिकारियों के लिये किया गया है । उन्होंने हैदराबाद शहर के आसपास 3,000 वर्गमील क्षेत्र का चयन भूमि जल सर्वेक्षण के लिये किया है । कैनेडा तथा भारत के अधिकारी वहां जाकर अच्छा समय गुजारेंगे और कोई भी काम नहीं करेंगे । मैसूर में 160 वर्गमील का क्षेत्र छांटा गया हैं । उन्होंने चित्तोड़ और रियालसीमा के अन्य क्षेत्र क्यों नहीं छांटे । वे अधिकारियों को वहां अच्छा समय व्यतीत करने के लिये सुविधाएं प्रदान करने में क्यों दिलचस्पी रखते हैं । बारानी खेती वाले क्षेत्रों के विधानों की सहायता करने में वे रूचि क्यों नहीं रखते ?

उन्होंने बारानी खेती के लिये कई क्षेत्र छांटे हैं । इन क्षेत्रों में अनंतपुर भी शामिल है लेकिन चित्तोड़ नहीं जिसकी स्थिति अनंतपुर से भी खराब है । क्या मंत्री महोदय चित्तौड़ गये है? राज्य

सरकार पूरी रिपोर्ट भेजती है और उसी के आधार पर उन्होंने अनंतपुर को छांटा है। उन्होंने चित्तौड़ को क्यों नहीं छांटा ?

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : देश में बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां जमीन के नीचे काली चट्टानें हैं। आंध्र ही नहीं बल्कि दक्षिणी भारत में दक्षिणी विंध्या का धरातल चट्टान वाला है। भारत सरकार इस दिशा में यह पहला कदम उठाने का प्रयत्न कर रही है। यही एक परियोजना नहीं है। यह तो एक अग्रिम परियोजना है। यदि माननीय सदस्य यह समझते हैं कि चित्तौड़ की उपेक्षा की गई तो इस पर भविष्य की योजनाओं में विचार किया जावेगा।

श्री रंगा : चित्तौड़ में तो एक भी मार्गदर्शी प्रायोजन नहीं।

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : इसे हाथ में लेना राज्य सरकार का काम है। केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड स्वतंत्र रूप से तथा विदेशी सहायता से आन्ध्र ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी कई क्षेत्रों में काम शुरू करने पर विचार कर रहा है और मुझे आशा है कि चौथी पंच वर्षीय योजनाकाल के दौरान काली चट्टान वाले कई क्षेत्रों में भूमिगत जल के स्रोतों की खोज हो चुकेगी।

श्री चेंगलराया नायडू : क्या मंत्री महोदय को यह मालुम है कि हैदराबाद के ईदगिर्द का 3,000 वर्गमील क्षेत्र का चयन किया गया है जहां कारखानों के लिये जमीन स्वीकृत भी की गयी है, आप औद्योगिक कार्यों के लिये खोज कर रहे हैं या कृषि कार्यों के लिये ? अगर आप सचमुच किसानों में दिलचस्पी रखते है तो आपको यह कार्यक्रम पृथक पृथक करके कई क्षेत्रों में चलाना चाहिये। क्या मंत्री महोदय अब भी इस पर विचार करेंगे ? चूंकि सारी योजना तथा धन व्यर्थ सिद्ध होगा तो क्या आप इसे कई स्थानों पर नहीं चलायेंगे ?

मंत्री महोदय ने कहा है कि अनंतपुर देश भर के उन 15 केन्द्रों में से एक है जो छांटे गये हैं लेकिन साथ में बल्लारि जिला भी है। सरकार दूर का स्थान क्यों नहीं चुन सकती।

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : मैं यह बताना चाहूंगा कि यह विकास परियोजना नहीं यह तो भूमिगत जल की खोज करने के लिये है। राज्य सरकार को तो विकास को अंत में अपने हाथ में लेना ही पड़ेगा लेकिन सम्भावित जल विकास कार्यों के लिये सम्भवतः लाभदायक सिद्ध होगा। यह खोज भूमिगत जल की खोज के लिये ही है। यह औद्योगिक तथा कृषि दोनों कार्यों के लिये उपयोग में लाया जा सकता है। यह परियोजना कृषि के लिये है न कि उद्योग के लिये। 3000 वर्गमील क्षेत्र केवल हैदराबाद शहर के ही लिये नहीं। यह हैदराबाद के इदर्गिद है।

श्री चेंगलराया नायडू : आपने वक्तव्य में स्वयं ही कहा है कि "हैदराबाद के ईर्दगिर्द"।

श्री रा० बरुआ : कृषि के अधीन लाये जा सकने वाले बागनी खेती वाले क्षेत्रों तथा गीले क्षेत्रों का क्या अनुपात है ? भूमिगत जल द्वारा बारानी खेती क्षेत्र के विकास के लिये क्या सरकार ने ऐसे आंकड़े इकट्ठे किये थे कि भूमिगत जल कितनी मात्रा में उपलब्ध होगा ?

इस सम्बन्ध में मैं सरकार का ध्यान उन भूमिगत जल वाले क्षेत्रों में लगाये गये करों की ओर दिलाना चाहता हूँ जहां अंत में यह मालुम हुआ कि सब कुछ सूख रहा है और यह एक

गम्भीर समस्या है जिसे वे बंद करने जा रहे हैं उस सम्बन्ध में क्या मैं जान सकता हूँ कि भूमिगत जल उपलब्ध करने के लिये पम्प आदि लगाने से पहिले क्या सरकार कोई यथार्थ योजना बनायेगी ?

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : सिंचित क्षेत्रों तथा वर्षा के पानी को छोड़कर देश भर में बागनी खेती क्षेत्र 40 से 45 प्रतिशत तक है। भूमिगत जल स्रोतों की खोज सरकार देश भर में करना चाहती है लेकिन इस पर काफी व्यय आयेगा और इसमें काफी समय लगेगा। आजकल संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अधीन राजस्थान में पानी की खोज की जा रही है। इसके बाद हम गुजरात और महाराष्ट्र में काम शरू करना चाहते हैं।

Shri Sarjoo Pandey : The hon. Minister has stated that Canada has offered to take up underground water exploration and dry land agriculture. May I know the reasons for the inclusion of only Dehradun District of Uttar Pradesh in the list given by the hon. Minister and whether did this exploration after consulting you or independently? Secondly what type of assistance is being received from Canada in this connection? Is the assistance in cash or kind?

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : कुछ सहायता विशेषज्ञों तथा उपकरणों के रूप में मिली है। भारत सरकार भी इस प्रायोजन के लिये 50 प्रतिशत प्रदान करती है। लेकिन ये सब मार्गदर्शी प्रायोजन हैं जिन्हें भारत सरकार अपने ही साधनों से चलाती है।

श्री रंगा : मैंने आर्काकुलम जिले के बारे में, जो नक्सलवादियों का गढ़ है और जहां वे गुरिल्ला युद्ध प्रणाली का प्रयोग करना चाहते हैं, एक नोट भेजा था, क्या सरकार आर्काकुलम तथा विशाखापत्तनम जिलों जहां भूमिगत जल स्रोतों की काफी सम्भावना है के सर्वेक्षण के लिये प्राथमिकता देगी। इन जिलों में आजकल कहीं कहीं पीने के पानी के स्रोत भी नहीं खोजे जा सकते हैं। क्या सरकार इस दिशा में कुछ करेगी ?

श्री अन्नासाहेब शिंदे : यह एक सुझाव है जिस पर कार्यवाही की जा सकती है।

श्री कंडप्पन : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि तामिलनाडु द्वारा नदियों के साधन जुटाये जा चुके हैं और वह केवल भूमिगत जल पर ही निर्भर करता है, क्या मैं जान सकता हूँ कि तामिलनाडु क्षेत्र में भूमिगत जल सर्वेक्षण के लिये सरकार किस प्रकार की प्राथमिकता निश्चित कर रही है।

श्री अन्नासाहेब शिंदे : हम इस कार्यक्रम को बड़ी प्राथमिकता देने की कोशीश कर रहे हैं क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि भूमि के ऊपर के जल तथा भूमिगत जल के उपयोग किये बिना हम कृषि उत्पादन की समस्या को हल नहीं कर सकते तथा अधिक क्षेत्र को सिंचाई के अधीन नहीं ला सकते। भविष्य की योजनाओं के लिये तामिलनाडु तथा अन्य राज्यों की समस्याएं भी हमारे ध्यान में हैं।

चौथी योजना के दौरान रुई तथा तिलहन जैसी नकद फ़सलों के उत्पादन का बढ़ाया जाना

*788. **श्री स० कुन्दू** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान रुई तथा तिलहन जैसी नकद फसलों के उत्पादन

का लक्ष्य क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में इन फसलों का अनुमानित उत्पादन लक्ष्य कितना था तथा इनका वास्तविक उत्पादन कितना हुआ;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकेगा ; और

(घ) यदि हां, तो नकद फसल के उत्पादन को बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे): (क) और (ख). **(ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4600/70)** एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

(ग) योजना का अभी दूसरा वर्ष है, अतः अभी यह नहीं कहा जा सकता कि समस्त फसलों के उत्पादन का लक्षित स्तर प्राप्त किया जा सकेगा ।

(घ) नकदी की फसलों के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सम्भाव्य क्षेत्रों में पैकेज कार्यक्रम की पद्धतियों पर सघन खेती के उपाय शुरू कर दिए गए हैं । अनुसंधान वैज्ञानिक अधिक उपज वाली किस्मों को विकसित करने के लिए समन्वित परियोजनाओं के संबन्ध में कार्य कर रहे हैं ।

श्री स० कुन्दू: श्रीमान जी, कृपया मेरी बात को ध्यान से सुनें । आप हमेशा हमें ही बैठने के लिए कहते हैं, क्योंकि आप के अनुसार हम कई बार असंगत बात करते हैं ।

अध्यक्ष महोदय: आप इस प्रकार पहले से सावधान क्यों कर रहे हैं ?

श्री स० कुन्दू: यह अधूरा उत्तर है इसीलिए मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं । प्रश्न के (क) और (ख) भाग से सम्बद्ध एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया है । आप इसे देख सकते हैं । मेरे प्रश्न का सम्बन्ध, गत तीन वर्षों के निर्धारित लक्ष्य तथा उत्पादन से था जबकि 1970–71 के आँकड़े भी दिये गये हैं । "गत तीन वर्षों" में भला वर्ष 1970–71 कैसे आता है ?

अध्यक्ष महोदय: गत तीन वर्ष ।

श्री स० कुन्दू: उन्होंने 1968–69, 1969–70 और 1970–71 के आंकड़े दिये हैं । जब मैं वर्ष 1970 में प्रश्न करता हूँ और गत तीन वर्षों के आंकड़े मांगता हूँ तो वह इस प्रकार का उत्तर देते हैं । मैं और अधिक कुछ नहीं कहना चाहता; मैं तो केवल आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ । चूंकि मंत्री महोदय सामान्यतः सहयोग देते रहे हैं, अतः आप उन्हें केवल चेतावनी मात्र देकर ही, इस बात को समाप्त कर सकते हैं ।

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कुछ आधारभूत और महत्वपूर्ण उद्योगों के लिए व्यापारिक फसलों का उत्पादन नितान्त आवश्यक है और इस बात को भी ध्यान में रखते हुये कि गत दो वर्षों में निर्धारित लक्ष्य कभी प्राप्त नहीं किये गये; तो क्या मन्त्री महोदय यह कह सकते हैं कि चौथी योजना के अन्तर्गत सभी निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किये जायेंगे और यदि नहीं तो फिर लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए क्या विशेष कार्यक्रम आरम्भ किये जायेंगे ? मैं समझता हूँ कि मेरा प्रश्न तो स्पष्ट ही है ।

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : जिस भूल की ओर माननीय सदस्य ने मेरा ध्यान दिलाया है, मैं उसे समझ गया हूँ और उसे ठीक करने का प्रयत्न करूँगा । जो आंकड़े हमने दिये हैं वह तीन वर्ष के ही हैं । हमने उसमें चालू वर्ष के आंकड़े भी दे दिये हैं । यही हमारी भूल है । जहाँ तक खाद्यान्न उत्पादन का सम्बन्ध है, उसके बारे में माननीय सदस्य को यह तो मालूम ही है कि हम उत्पादन दर को काफी हद तक बढाने में सफल हुए हैं। उदाहरणार्थ पिछले वर्ष का उत्पादन लक्ष्य लगभग 1010 लाख टन था और हम 990.50 लाख टन का उत्पादन करने में सफल हुये हैं जो कि लक्ष्य के बहुत निकट है । इस वर्ष भी यदि सर्दी की ऋतु में वर्षा सामान्य हुई है, तो हमारा खाद्यान्न उत्पादन काफी अच्छा होने की संभावना है । यहां तक की तिलहन भी, जिसकी अब तक कुछ कमी महसूस की जाती थी, इस बार उसका उत्पादन भी लगभग निर्धारित लक्ष्य तक होने की संभावना है । परन्तु कपास तथा पटसन की उपज इस बार काफी कम होने की सम्भावना हैं । इसका प्रमुख कारण यही है कि हमारे देश में तिलहन तथा कपास का उत्पादन मुख्यतः देश के सिंचाई रहित तथा बारानी क्षेत्रों में किया जाता है । इसीलिए हम अब तक उत्पादन को स्थिर करने में समर्थ नहीं हुए हैं । परन्तु सरकार ने इस सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही की है जैसे अच्छे बीज सप्लाई करना, पौधों की सुरक्षा के लिए उपाय करना और अन्य संसाधन जुटाना । आगामी कुछ वर्षों में हम जल्दी से जल्दी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे ।

श्री स० कुन्दू : क्या यह सच नहीं है कि अधिक भूमि में तिलहन के उत्पादन के बावजूद भी गत कुछ वर्षों से उसके उत्पादन में निरन्तर रूप से कमी होती जा रही है ? यदि हाँ, तो सरकार ने इसके लिए क्या विशेष कार्यवाही की है कि जब मूंगफली, कपास, खोपरा व अण्डी और तिल आदि की उपज अधिक भूमि पर की जा रही है तो इनके उत्पादन में भी वृद्धि हो ? इसके लिए क्या विशेष कार्यवाही की जा रही है ?

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : यह ठीक है कि गत कुछ वर्षों में तिलहन की उपज संतोषजनक नहीं हुई है । उपज में जो कुछ भी वृद्धि हुई है वह वृद्धि केवल इसीलिए हुई है कि इनकी उपज अधिक भूमि पर की जाने लगी है । वैसे प्रति एकड़ की उपज में कोई वृद्धि नहीं हुई है । सरकार इस मामले को भलि-भांति जानती है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि अच्छी भूमि का उपयोग तो अन्य फसलों के लिए किया जा रहा है और सख्त भूमि पर तिलहन की उपज की जा रही है । यह इसका केवल एक कारण है । परन्तु जब तक तिलहन की उपज के अन्तर्गत आने वाली भूमि के लिए सिंचाई की सुविधायें उपलब्ध नहीं करवाई जाती, मेरे विचार से तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता । बीजों की किस्म में सुधार कर, अच्छी किस्म के बीज सप्लाई करने तथा पौधों की सुरक्षा आदि के विभिन्न उपाय करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं कपास के बारे में भी यही समस्या है । इसकी 85 प्रतिशत उपज सिंचाई रहित भूमि में होती है और पौधों की

सुरक्षा के लिए जो उपाय किये गये है वह भी अपर्याप्त है । सरकार बीजों की किस्म सुधारने और पौधों की सुरक्षा के लिए अधिक से अधिक उपाय करने लिए कार्यवाही कर रही है ।

श्री लोबो प्रभु : खाद्यानों की कमी होना, अच्छी बात नहीं है । इस वर्ष कपड़े की भी कमी होगी, और यह उससे भी बुरी बात है । मैं मन्त्री महोदय को यह स्मरण करवाना चाहता हूं कि यद्यपि विश्व में सबसे अधिक भूमि पर कपास की खेती भारत में की जाती है, फिर भी हमारी कपास की उपज विश्व की कपास की उपज का चौथाई भाग होती है । हमारी कपास की उपज 156 पौंड प्रति एकड़ है जबकि विश्व की प्रति एकड़ उपज 312 पौंड है और पाकिस्तान की 259 पौंड । निर्धारित लक्ष्यों पर दृष्टिपात करने से पता चलता है कि यदि हमारा निर्धारित लक्ष्य 100 लाख पौंड था तो हमारा उत्पादन केवल 70.61 लाख पौंड ही हुआ है । इन परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये सरकार ने कपास उत्पादन कार्य में विकास करने की व्यवस्था क्यों नहीं की ? चौथी योजना में यह केवल 3.9 करोड़ रुपये है । मैं इस सम्बन्ध में मन्त्रालय को यह याद दिलाना चाहता हूं कि भारतीय कपास उत्पादक संघ ने, जो कि एक गैर-सरकारी क्षेत्र है, उसने 76 लाख रुपये की व्यवस्था की है । मैं मन्त्री महोदय से यह निश्चित आश्वासन चाहता हूं कि जब हम कपास के आयात के लिए प्रतिवर्ष 90 करोड़ रुपया व्यय कर रहे हैं तो क्या हम कपास के विकास के लिए कम से कम 10 करोड़ रुपया प्रति वर्ष व्यय करेंगे ।

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : मैं माननीय सदस्यों की चिंता से भलिभांति सहमत हूं ।

श्री सु० कु० तापड़िया : तो इसके बारे में कुछ कीजिये ।

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : इसीलिए मैंने यह मामला राज्य सरकारों के साथ उठाया है और इसे योजना आयोग के साथ उठाने का भी मेरा विचार है ताकि कपास के विकास के लिए अधिक साधन जुटाये जा सकें ।

माननीय सदस्य ने अन्य देशों में अधिक उत्पादन का जिक्र किया है। मैंने स्वयं इसका कारण खोजने का प्रयत्न किया। उदाहरणार्थ रूस का प्रति एकड़ उत्पादन विश्व में सबसे अधिक है। मैं स्वयं वहां गया था । वहां जाने पर ही मुझे पता चला कि वहां कपास की उपज वाली भूमि का 98 प्रतिशत भाग तो सिंचाई वाली भूमि का है । इस भारत में सिंचाई वाली भूमि पर ही कपास की अधिक से अधिक फसल बोने का विचार कर रहे हैं । उदाहरणार्थ पंजाब में प्रति एकड़ भूमि से होने वाली कपास उपज अन्य राज्यों की अपेक्षा बहुत अधिक है और उसकी तुलना हम अमरीका तथा अन्य देशों से भी कर सकते हैं । इसका कारण यही है कि यहां कपास की खेती सिंचाई वाली भूमि पर की जाती है । अतः इस समस्या का समाधान यही है कि अधिक से अधिक सिंचाई के साधन उपलब्ध करवाये जाये, पौधों की सुरक्षा की व्यवस्था की जाये और इसीलिए मैं इस मामले को राज्य सरकारों तथा योजना आयोग के साथ उठाने का भरसक प्रयत्न कर रहा हूं ।

Shri Kamble : May I know whether the hon. Minister is aware of the fact that the production of cotton and oilseeds is decreasing because their do not remain stable? When the produce is with the farmers, their prices go down but when the produce passes on to the hands of the traders, their prices begin to rise. Consequently,

people have stopped the growing cotton. If the Government is aware of this fact, may I know its plan to stabilise the prices?

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : इस समय तो कपास की कीमतें काफी अधिक है और सरकार उनकी कीमतें स्थिर करने की ओर भी ध्यान दे रही है। इसका न्यूनतम मूल्य पहले ही निर्धारित किया जा चुका है। कुछ समय पूर्व हमने अधिकतम मूल्य भी निर्धारित किया था; परन्तु उत्पादकों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए अब हमने उसे समाप्त कर दिया है।

भारतीय ट्रेक्टरों की उत्पादन लागत का सरकार द्वारा निर्धारित विक्रय-मूल्य से अधिक होना

*789. **श्री बलराज मधोक** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय निर्माताओं द्वारा बनाये जा रहे ट्रेक्टरों की उत्पादन लागत सरकार द्वारा उनके निर्धारित विक्रय मूल्य से अधिक है;

(ख) क्या कुछ भारतीय निर्माताओं को भारी हानि हुई है तथा वे अपने कारखानों को बन्द करने का विचार कर रहे हैं;

(ग) क्या स्वदेशी उत्पादन देश की आवश्यकताओं से पहले ही बहुत कम है तथा हम विदेशों से बड़ी संख्या में ट्रेक्टरों का आयात कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो स्वदेशी ट्रेक्टरों के विक्रय मूल्य का पुनरीक्षण करने में क्या कठिनाई है जिससे देश में ट्रेक्टरों का उत्पादन बढने में तथा विदेशी मुद्रा बचाने में सहायता मिले।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) और (घ) . एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ख) सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है।

(ग) जी हाँ।

विवरण

(क) और (घ) . टैरिफ आयोग द्वारा कृषि ट्रेक्टरों के मूल्य निर्धारण के बारे में 1967 में दी गई रिपोर्ट में की गई सिफारिशों से परीक्षण के पश्चात्, देशी कृषि व्हीलड ट्रेक्टरों की बिक्री मूल्य सीमा अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन जून 1968 में घोषित की गई। ये कीमतें 31 मार्च 1969 तक लागू रहनी थीं। ट्रेक्टर निर्माताओं ने जून 1969 में अभ्यावेदन दिया कि यह मूल्य लाभप्रद नहीं हैं अतः इन्हे संशोधित करना चाहिए। यह जानने के लिए 31 मार्च 1969 के पश्चात् आये परिवर्तनों के कारण, टेरिफ आयोग द्वारा निर्धारित सिद्धान्तों के अन्तर्गत कृषि ट्रेक्टरों के मूल्यों को बढाने की आवश्यकता है या नहीं, वित्त मन्त्रालय की लागत लेखा शाखा ने तदनुसार लागत का परीक्षण किया। लागत लेखा शाखा की रिपोर्ट प्राप्त होने और उसके परीक्षण के पश्चात् यह महसूस किया गया कि टेरिफ आयोग द्वारा निर्धारित सिद्धान्तों के अनुसार मूल्य वृद्धि के लिये कोई औचित्य नहीं है। फिर भी क्योंकि निर्माता ट्रेक्टरों के

मूल्य की वृद्धि के लिये जोर देते रहे हैं इसलिये लागत और मूल्य ब्युरों को कहा गया कि वे नये सिरे से प्रत्येक ट्रेक्टर निर्माण एककं की लागत का विस्तृत परीक्षण करें । उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा है । ब्युरो की रिपोर्ट प्राप्ति तथा उसके परीक्षण के पश्चात् ट्रेक्टर निर्माताओं के मुल्य वृद्धि के बारे में अभ्यावेदन पर आगे कार्यवाही की जायेगी ।

श्री बलराज मधोक : जो विवरण मंत्री महोदय द्वारा सभा-पटल पर रखा गया है उसमें बताया गया है कि लागत लेखापालों की समिति ने इस पर विचार किया था और वह इस निष्कर्ष पर पहुंची कि अभी उनके मूल्यों में वृद्धि करने की कोई आवश्यकता नहीं है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि गत एक वर्ष में सभी वस्तुओं और विशेषतया इस्पात की कीमतों में वृद्धि हुई है और यह कि जिस समिति ने इस प्रश्न पर विचार किया था, उसने मूल्य निर्धारित करने सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण कारकों जैसे कि आकार आदि पर ध्यान नहीं दिया था; और यह कि विदेशों से आयात किये जाने वाले ट्रैक्टरों के मूल्यों में वृद्धि हुई है और वह भारतीय भूमि के लिये अधिक उपयुक्त भी नहीं हैं और देश में बनाये जाने वाले ट्रैक्टरों का उत्पादन केवल 25 प्रतिशत है? जब सरकार ट्रैक्टरों के देशीय उत्पादन को प्रोत्साहन देना चाहती है, तो क्या वह इसके लिए तुरन्त कोई ऐसी कार्यवाही करेगी जिससे कि भारी हानि के कारण बन्द हो रहे इन कारखानों को बन्द होने से रोका जा सके और इन कारखानों को मूल्यों की आन्तरिक वृद्धि के रूप से कोई सहायता दे दी जाये?

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि माननीय सदस्य ने हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित किया है, परन्तु सभा को मालूम है कि कुछ वर्ष पूर्व प्रशुल्क आयोग ने इस समस्या पर विचार किया था और सरकार ने टैरिफ कमीशन की सिफारिशों के अनुसार ही मूल्यों का निर्धारण किया था । इस लिए गत वर्ष जब यह शिकायत प्राप्त हुई थी की लागत मूल्यों में वृद्धि हो गई है तो वित्त मंत्रालय की लागत लेखा शाखा ने गत वर्ष 1969 में इस समस्या पर विचार किया था और वह इस नतीजे पर पहुंचे थे कि इस मांग का कुछ भी औचित्य नहीं है । जो मूल्य निर्धारित किये गये हैं वह ठीक है और उसमें उत्पादकों के लिए लाभ की पूर्ण व्यवस्था है। यह ठीक है कि इस प्रतिवेदन के बाद, इस्पात के मूल्य में वृद्धि हुई है इसीलिए भारत सकार ने यह मामला लागत और मूल्य ब्यूरो को सौपने का निर्णय किया है। इस समय वह इस पर विचार कर रहे हैं और हम इस मामले को जल्दी निपटाने की कोशिश करेंगे ।

श्री बलराज मधोक : मेरा प्रश्न यह था कि नई समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होने तक क्या आप मूल्यों में कोई आन्तरिक वृद्धि करेंगे ताकि कारखाने चलते रहें और उत्पादन बन्द न हो?

श्री अन्नासाहेब शिन्दे: इस मामले में हम कोई मनमाना निर्णय नहीं कर सकते, क्योंकि यह एक आर्थिक मामला है और इसका अध्ययन करना आवश्यक ही है । मैं प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन की बात नहीं कर रहा हूं अपितु लागत और मूल्य के ब्यूरो की बात कर रहा हूं जो कि इस पर विचार कर रहा है । हम यह मामला उनके साथ उठायेंगे और उन्हें अपना प्रतिवेदन जल्दी देने के लिए कहेंगे। हम इस के बारे में जल्दी ही घोषणा करने का प्रयत्न करेंगे ।

श्री बलराज मधोक: यह तथ्य है कि हमारा ट्रेक्टरों का उत्पादन काफी नहीं है । यह हमारी मांग का केवल 25 प्रतिशत है । यदि कारखानों का विस्तार किया जाये, तो उत्पादन मूल्य

में कमी हो सकती है । मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि क्या वह किसी ऐसी योजना पर विचार कर रही है जिससे आयात में कमी की जा सके और नई एककों तथा पुराने कारखानों को विस्तार के लिए लाईसेंस दिये जाये ताकि उनकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो जिसके फलस्वरूप उत्पादन लागत में कमी की जा सके?

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : गत कुछ महीनों में सरकार ने इस दिशा में कुछ ठोस कदम उठाये हैं । बहुत सी फर्मों को लाईसेंस दिये गये हैं और अब उत्पादन संख्या 1 लाख ट्रैक्टर हो गई है । परन्तु इस बीच की अवधि बहुत लम्बी है । जो अच्छी फर्में ट्रैक्टरों के उत्पादन के लिए लाईसेंस प्राप्त करना चाहती है, सरकार उनके रास्ते में किसी प्रकार का रोड़ा नहीं अटकाती ।

श्री क० नारायण राव : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह ट्रैक्टरों की कीमतें बढाने की अपेक्षा, इस्पात मंत्रालय से यह अनुरोध करेंगे कि वह इस्पात के लिए भिन्न मूल्य निर्धारित करें ताकि ट्रैक्टरों के निर्माताओं को कम दर पर इस्पात की सप्लाई की जा सके और ट्रैक्टरों की कीमतों में कोई अन्तर न पड़े ।

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : जहां तक कच्चे माल की सप्लाई का सम्बन्ध है इसके बारे में ट्रैक्टरों को तो पहले ही प्राथमिकता सूची में सम्मिलित किया जा चुका है । जहां तक मूल्यों का सम्बन्ध है, लागत तथा मूल्य ब्यूरो स्वाभाविक रूप से ही वर्तमान मूल्यों पर भी विचार करेगा और उसके अध्ययन के आधार पर ही सरकार आगे की कार्यवाही करेगी ।

श्री स० मो० बनर्जी: एस्कार्ट जैसी जिन बड़ी कम्पनियों को ट्रैक्टर उत्पादन का लाईसेंस दिया गया है, उनके ट्रैक्टरों की कीमतें अधिक है—मैं आयात किये गये ट्रैक्टरो की बात नहीं कर रहा-तो क्या सरकार ट्रैक्टरों के मूल्य ढांचे पर पुनः विचार करेगी, क्योंकि किसान बहुत कठिनाई से ट्रैक्टर खरीद सकने में समर्थ होता है । विक्रय-मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या एस्कार्ट तथा अन्य बड़ी कम्पनियों द्वारा ट्रैक्टरों के लिए जो मूल्य लिया जाता है, वह बहुत अधिक है, और यदि हां, तो क्या सरकार इसके बारे में कोई जांच करेगी कि मूल्य ढांचा के अनुसार मूल्यों का उचित निर्धारण किया जाये, ताकि किसान ट्रैक्टर खरीद सकें ।

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : देश में बनाये जाने वाले ट्रैक्टरों के मूल्यों का निर्धारण प्रशुल्क आयोग की सिफारिशों के अनुसार किया जाता है । लागत की जांच वित्त मंत्रालय द्वारा की जाती है । उन्हें मनमाने ढंग से निर्धारित नहीं किया जाता । इसलिए इसके बारे में किसी प्रकार का संदेह होने का कोई कारण नहीं है । जहां तक देश में बनाये गये तथा आयातित ट्रैक्टरों के मूल्य के अन्तर का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य को स्वयं यह मालूम है कि हम उनकी आपस में इस प्रकार तुलना नहीं कर सकते क्योंकि यह प्रत्येक देश की अर्थ व्यवस्था पर निर्भर करता है । फिर बहुत से देश तो ट्रैक्टरों का निर्यात मूल्यों के लिए नहीं अपितु अपने देश की अर्थ व्यवस्था और निर्यात की वृद्धि के लिए करते हैं ।

Shri Randhir Singh : Mr. Speaker, sir, as far as the question of raising the tractor price is concerned, it is only an excuse to cheat the farmer. I would like to know from the hon. Minister whether the Government is considering any plan to manufacture small traderrs of 20 Horse Power or less instead of 47 or 57 **Horse power** tractors, so that these can be made available to the poorfarmers

at comparatively cheaper rates. If they still persist in their demand to raise the price tractors should be imported from abroad so that they are made available to lakhs peasants who are in the waiting list. What is tha reaction of the Government to this issue?

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : सरकार इस बात के लिए उत्सुक है कि किसानों को उचित मूल्य पर ट्रैक्टर उपलब्ध करवाये जा सके । जैसा कि मैंने अभी बताया इनकी कीमतें सरकार निर्धारित करती है । सार्वजनिक क्षेत्र में 20 हार्स-पावर के ट्रैक्टरों का उत्पादन आरम्भ किया जा रहा है । इसके लिए हिन्दुस्थान मशीन टूल्ज पिंजोर में एक कारखाना लगा रहा है । हमें आशा है कि आगामी कुछ वर्षों में यह कारखाना उत्पादन आरम्भ कर देगा । हमारे देश की भूमि हर दूसरे स्थान पर भिन्न हो जाती है । उदाहरण के लिए पठार के दक्षिण की भूमि सस्त है और उसके लिए बड़े ट्रैक्टर की आवश्यकता होगी । इसलिए सरकार इस बात के लिए एक बहुत बड़ी योजना बना रही है कि देश की कौन सी भूमि के लिए कितने हार्स-पावर के ट्रेक्टर की आवश्यकता है ।

प्रश्नों के लिखित उतर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

पी० एल० 480 के अन्तर्गत आयात किये गये खाद्यान्नों को रखने की भण्डार क्षमता तथा खाद्यान्न के आयात के लिये इस्तेमाल किए गये जहाज

781. **श्री शशि भूषण** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन नौपरिवहन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनके जहाजों का प्रयोग गत तीन वर्षों में पी० एल० 480 के अन्तर्गत खाद्यान्नों के आयात के लिये किया गया था ;

(ख) इन खाद्यान्नों को जमा करने की क्षमता क्या है तथा क्या भंडार–गृहों के अभाव के कारण कुछ अनाज खराब हो गया था; और

(ग) स्थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) उपलब्ध भण्डारण क्षमता आयातित तथा देश में अधिप्राप्त किए गये खाद्यान्नों को रखने के लिए है । यह क्षमता भारतीय खाद्य निगम के पास 60 लाख मीटरी टन की है । भण्डारण क्षमता की न्यूनता के कारण खाद्यान्नों की कोई क्षति नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

रूसी उपकरणों की सहायता से स्थापित सरकारी कृषि फार्मों का कार्यकरण

782. **श्री राजदेव सिंह**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ द्वारा सप्लाई किये गये उपकरणों की सहायता से देश में पांच

सरकारी फार्म स्थापित किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन में से कितने फार्मों में ठीक ढंग से कार्य हो रहा है और क्या उन में वर्ष 1969–70 में लाभ हुआ है ; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने प्रत्येक राज्य में ऐसे फार्म स्थापित करने का निर्णय किया है ; और यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) से (ग) ; उपहार के रूप में या वाणिज्यिक शर्तों पर सोवियत संघ के द्वारा सप्लाई किये गये उपकरणों की सहायता से निम्नलिखित फार्म स्थापित किये गये हैं :–

1. केन्द्रीय राज्यकीय फार्म, सूरतगढ़ (राजस्थान)
2. ,, ,, ,, जैतसर (राजस्थान)
3. ,, ,, ,, हिसार (हरियाणा)
4. ,, ,, ,, रायचूर (मैसूर)
5. ,, ,, ,, झरसुगुद (उड़ीसा)

केरल तथा पंजाब में फार्म स्थापित करने का भी प्रस्ताव है।

सूरतगढ, हिसार, रायचूर, झरसुगुद और जलन्धर (पंजाब) में फार्मों के लिये भी उपकरण उपहार के रूप में रूस से प्राप्त हो गये हैं । केरल के फार्म के लिये भी उपहार के रूप उपकरण आ रहे हैं । जेतसर फार्म के लिये उपकरण रूस से भारत सरकार द्वारा खरीदे गये। झरसुगुद (उड़ीसा) के फार्म के सिवाय समस्त अन्य फार्म भली भांति काम कर रहे हैं । 1969–70 के दौरान सूरतगढ़ फार्म से 44.49 लाख रुपये का लाभ हुआ । उसी वर्ष हिसार फार्म से 4.94 लाख रु० का लाभ हुआ । जलन्धर में फार्म के लिये रखी गई भूमि अभी तक राज्य सरकार द्वारा नहीं सौंपी गई है, किन्तु फार्म के लिये प्राप्त मशीनरी कस्टम कार्य हेतु उपयोग में लाई गई है, और 1969–70 के दौरान फार्म से 31,000 रु० का कुल लाभ प्राप्त हुआ ।

फार्म पर काम करने वाले स्थानीय लोगों के आन्दोलन के कारण झरसुगुद का फार्म भली प्रकार कार्य नहीं कर रहा है । इनकी राज्य सरकार के विरूद्ध शिकायत है कि हीराकुड बांध के निर्माण के लिये उन की भूमियों को अर्जित किये जाने के बाद उन को भली प्रकार पुनः बसाया नहीं गया है । इस मामले पर राज्य सरकार के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है और यह निर्णय किया गया है की झरसुगुद फार्म के क्षेत्र को कम किया जाये । राज्य सरकार ने उड़ीसा में एक अन्य फार्म के लिये स्थान की पेशकश की है और उस की उपयुक्तता पर राज्य फार्म निगम द्वारा, जो समस्त फार्मों का प्रबन्ध कर रहा है, विचार किया जा रहा है ।

शेष फार्म विकास की विभिन्न अवस्थाओं में है और अभी लाभ देना शुरू नहीं किया है । किन्तु समस्त फार्म को समग्र रूप से दृष्टि में रखते हुये 1969–70 के दौरान राज्य फार्म निगम को 33.61 लाख रु० का कुल लाभ प्राप्त हुआ है ।

प्रत्येक राज्य में एक फार्म स्थापित करने का कोई इरादा नहीं है, किन्तु यदि कोई राज्य अपने क्षेत्र में एक फार्म स्थापित करना चाहता है तो विशिष्टता के आधार पर उन के प्रस्ताव पर विचार किया जाता है । इस समय तमिलनाडु में एक फार्म स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

एक फार्म असम के मिजो हिल्ज जिले के लोकीचरा में भी स्थापित कर दिया गया है । यह फार्म पूर्णरूप से विकासात्मक प्रयास के रूप में स्थापित किया गया है । और ऐसा प्रस्ताव है कि मिजो हिल्ज जिले में दो और फार्म स्थापित किये जायें । इन तीनों फार्मों का कुल क्षेत्र सम्भवत: 4,500 एकड़ के लगभग होगा ।

'दी स्ट्रेंज केस आफ ए जाइंट नेम्ड पब्लिक सैक्टर' नामक पुस्तिका

*784. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जो पुस्तकें जन परिचालन के लिए है क्या उनमें मुद्रक के लिए प्रिंटिंग प्रेस का नाम छापना आवश्यक है;

(ख) क्या उनका ध्यान 'हरयाणा मेल' द्वारा प्रकाशित तथा संसद सदस्यों इत्यादि को वितरित 'दी स्ट्रेंज केस आफ ए जाइंट नेम्ड पब्लिक सैक्टर, नामक पुस्तिका की ओर आकर्षित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस पुस्तिका के मूल–स्रोत का पता लगाया है; और

(घ) इस सम्बन्ध में यदि कोई कार्यवाही करने का विचार है तो क्या है?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) और (ख). जी, हां ।

(ग) पुस्तिका हरियाणा मेल, चण्डीगढ़ द्वारा प्रकाशित की गई थी तथा टौरस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 14 सुन्दर नगर, नई दिल्ली द्वारा तैयार की गई थी । हरियाणा मेल के मुद्रक तथा प्रकाशक श्री अनन्तसिंह हैं ।

(घ) चण्डीगढ़ प्रशासन से यह प्रार्थना की जा रही है कि वह पत्र तथा पुस्तक पंजीयन अधिनियम के नियमों का पालन न करने के कारण पुस्तिका के मुद्रक और प्रकाशक के विरुद्ध कार्यवाही करें ।

दोषपूर्ण आर० एस० 09 ट्रेक्टरों के कारण हुई हानि के लिए पंजाब के किसानों को मुआवजा

*785. **श्री नारायणन**
श्री दंडपाणि :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार उन किसानों को मुआवजा देने के लिए सहमत हो गई है जिन्हें जर्मन डेमाक्रेटिक रिपब्लिक के आर० एस० 09 ट्रेक्टरों में दोषों के कारण हानि हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बारे में सूचना दी गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे): (क) और (ख) . राज्य सरकार से अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

अखिल भारतीय खाद्यान्न व्यापारी संघ द्वारा खाद्य नीति में परिवर्तन की मांग

*790. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फेडरेशन आफ दी आल इंडिया फूडग्रेन डीलर्स एसोसिएशन ने मुख्य मंत्रियों से यह मांग की है कि उनके द्वारा भारी अभाव की आशंका के स्थान पर बहुलता की अवधि के आधार पर देश की खाद्य नीति को नया रूख दिया जाये ;

(ख) क्या उक्त संघ ने खाद्यान्नों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने पर लगे प्रतिबन्धों को हटाने, लाइसेंस देने की पद्धति को समाप्त करने, राशन व्यवस्था के पूर्णत: समाप्त करने तथा रक्षित भण्डार के लक्ष्यों को घटाने की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) जी हां । इस संबंध में संघ ने राज्य के मुख्य मंत्रियों को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था ।

(ख) जी हां ।

(ग) सरकार ने राज्य सरकारों के परामर्श से 1970–71 के लिए खाद्य नीति तैयार की है । चावल क्षेत्रों को यथावत बनाए रखने का निर्णय लिया गया है और अधिप्राप्ति विनियमनों में यथा सम्भव कोई और ढील नहीं दी जानी चाहिये । 1970–71 मौसम के दौरान खरीफ खाद्यान्नों के 55 लाख मीटरी टन के अधिप्राप्ति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक प्रयत्न किए

जा रहे हैं । सरकार चौथी पंच वर्षीय योजना के अन्त तक 50 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों का बफर स्टाक बनाने की कोशिश कर रही है।

टिकटों की किस्म सुधारने के लिये नई प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना

*791. **श्री नि० रं० लस्कर :**
श्री मोहम्मद शरीफ :

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने टिकटों की किस्म में सुधार करने हेतु देश में एक नया प्रिंटिंग प्रेस लगाने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उत्तम किस्म के टिकट छापने में यह नया प्रेस कहां तक सहायक होगा ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : (क) जी हां, बहुरंगी डाक टिकट छापने के लिए इंडिया सिक्यूरिटी प्रेस, नासिक में अगले वर्ष के शुरू में किसी समय नया उपस्कर लगाया जाएगा ।

(ख) नई मशीन से स्वाभाविक रंगों में आकर्षक और रंगीन डाक–टिकट निकाले जा सकते हैं, जो मौजूद मशीन से नहीं छाप जा सकते, क्योंकि इससे केवल दो रंगों में ही डाक टिकटें छापे जा सकते हैं ।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा गत तीन वर्षों में वसूल किये गये खाद्यानों की मात्रा

*792. **श्री भोगेन्द्र झा:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम ने गत तीन वर्षों में कुल कितना खाद्यान्न वसूल किया तथा आगामी वर्ष में कितना वसूल किया जायेगा ;

(ख) क्या भारतीय खाद्य निगम की खाद्यान्न वसूल करने की क्षमता कम होने का एक कारण धन की कमी भी है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों से पर्याप्त मात्रा में ऋण प्राप्त किया जा रहा है और यदि नहीं ; तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विवरण

भारतीय खाद्य निगम द्वारा पिछले तीन वर्षों में अधिप्राप्त खाद्यानों की कुल मात्रा और आने वाले वर्ष में अधिप्राप्त की जाने वाली मात्रा सम्बन्धी विवरण।

वर्ष	लाख मीटरी टन
1967–68	31.95
1968–69	51.77
1969–70	48.38
1970–71	61.53 (अनुमानित)

गुजरात में मूंगफली के बढ़ते हुये मूल्यों को रोकना

*793. **श्री मयावन :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने इस बारे में चिन्ता व्यक्त की है कि केन्द्रीय सरकार राज्य में मूंगफली के तेल के बढ़ते हुये मूल्यों को रोकने में राज्य सरकार को सहयोग नहीं दे सकी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में राज्य विधान सभा में कड़ी आलोचना की गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी नहीं। भारत सरकार अखिल भारतीय स्थिति के संदर्भ में मूंगफली के तेल के मूल्यों को स्थिर करने के विषय में गुजरात सरकार के किसी भी सुझाव पर यथोचित विचार करती है।

(ख) दिनांक 19 नवम्बर, 1970 को गुजरात विधान सभा में मूंगफली के तेल के मूल्यों के बारे में हुई चर्चा की रिपोर्ट से सरकार अवगत है।

(ग) मूंगफली तथा मूंगफली के तेल के सम्भरण तथा मूल्य स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है और समस्त देश की आवश्यकता का यथा सम्भव ध्यान रखते हुये उपयुक्त उपाय किये जा रहे हैं।

Waiting List for Tractor in 1975

*794. **Shri Maharaj Singh Bharti** : Will the **Minister of Food and Agriculture** be pleased to state.

(a) the annual increase likely to be registered in the number of 3 lakhs of farmers,

who are on the waiting list for tractors at present, by 1975;

(b) whether some farmers will remain on the waiting list in 1975 keeping in view the production and supply position of tractors; and

(c) If so, the number thereof?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Coop. (Shri Annasaheb Shinde) : (a) to (c), Over 1.60 lakhs registrations are reported to be pending with the various indigenous manufacturers and the State Agro-Iudustries Corporations. The Working Group on Agrigultural Machinery and Implements has estimated the requirements of tractors for agricultural purposes during the Fourth Five Year Plan. According to it, the annual demand was expected to rise from 70,000 tractors from the first year of the Fourth Five Year Plan to 90,000 numbers towards the end of the Plan period *i. e.* 1973-74. The demostic production of tractors has increased from 8,816 during 1966-67 to 17,099 tractors during 1969-70 and is further likely to go upto 25,000 nos. during 1970-71. Besides industrial licences and letters of Intent for manufacture in the country of 46,000 and 1,03,000 tractors per annum respectively have been granted to various units. While, therefore, all possible efforts will continue to be made to incrense and intensify production of tractors and also to increase imports to the extent possible, it is likely that farmers may remain on the waiting list in 1975 on the basis of the existing trend of demand. However, it is not possible to indicate, at this stage, the annual increase to be registered in the waiting list for tractors by 1975.

कृषि आयोग के गठन के सम्बन्ध में आलोचना

*796. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक संसद् सदस्यों ने, कृषि आयोग के गठन और विशेषतया इसके अध्यक्ष की नियुक्ति की कटु आलोचना की है ।

(ख) यदि हां तो क्या अलोचना को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्यों के स्थान पर सर्वदलीय संसद् सदस्यों को नियुक्त करने का है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) कृषि आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति की शर्तें क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) कुछ सदस्यों ने राष्ट्रीय कृषि आयोग के गठन के सम्बन्ध में असंतोष व्यक्त किया है । किन्तु सरकार की दृष्टि में यह आलोचना उचित नहीं है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) राष्ट्रीय कृषि आयोग का गठन विचारार्थ विषयों में दिए विभिन्न विषयों से सम्बद्ध व्यक्तियों की विशेषता तथा व्यावसायिक क्षमता के आधार पर किया गया है राजनैतिक दलों के प्रतिनिधित्व के आधार पर नहीं । अध्यक्ष के नाम के सम्बन्ध में निर्णय करते समय कृषि के सम्बन्ध में उनके पिछले अनुभव और भारत में कृषि विकास के लिए नई नीति के अपनाने में उनके योगदान को दृष्टि में रखा गया ।

(घ) अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

अध्यक्ष

1. राष्ट्रीय कृषि आयोग के अध्यक्ष के रूप में अपनी पदावधि के दौरान श्री सी० सुब्रामणियम को लागू होने वाली शर्तें निम्न लिखित है:--

(i) वे अशंकालिक आधार पर अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगें जिसके लिए वे कोई वेतन नहीं लेंगे ;

(ii) राष्ट्रीय कृषि आयोग का प्रधान कार्यालय दिल्ली में होगा, किन्तु श्री सी० सुब्रामणियम का निजी प्रधान कार्यालय मद्रास में होगा ।

(iii) वे अपने प्रधान कार्यालय से बाहर 90/-रु० के हिसाब से दैनिक भत्ता प्राप्त करेंगे, किन्तु दिल्ली में यह दैनिक भत्ता घट कर 50/- रु० रह जाएगा ।

(iv) श्री सी० सुब्रामणियम स्वेच्छानुसार हवाई जहाज से या रेल की उच्चतम श्रेणी (जिनमें ए. सी. सी. सम्मिलित है) में यात्रा करने के अधिकारी होगें । ऐसी यात्राओं के लिए आकस्मिक खर्च उसी हिसाब से दिया जाएगा जिस हिसाब से मंत्रिमण्डल के मंत्री को दिया जाता है ।

(v) उन्हें नई दिल्ली में उन्ही शर्तों पर बिना किराये का निवास स्थान दिया जाएगा जिन शर्तों पर मंत्रि मंडल के मंत्री को दिया जाता है ।

(vi) श्री सी० सुब्रामणियम को उपसचिव के पद का एक निजी सचिव, दो वैयक्तिक सहायक और प्रांसगिक कर्मचारी दिए जायेंगे ।

सदस्य

2. सदस्य सचिव भारत सरकार का एक पूर्णकालिक अधिकारी है और 2500-125/ 2-2750 रु० के वेतनमान में वेतन पाता है । उसकी सेवा की शर्तें वही है जो भारत सरकार में समतुल्य पद के अधिकारियों को लागू होती है ।

पूर्णकालिक सदस्य

3. पूर्णकालिक सदस्य 2500/-रु० प्रतिमास निश्चित वेतन प्राप्त करेंगे और उनकी सेवा की अन्य शर्तें वही होंगी जो समतुल्य पदवी के अधिकारियों को लागू होती है।

अंशकालिक सदस्य

4. अंशकालिक सदस्य कोई वेतन नहीं लेंगे । चार संसद सदस्यों तथा उस सदस्य को जो पंजाब विधान सभा का सदस्य है आयोग की उन बैठकों के सम्बन्ध में जिनमें वह सम्मिलित

होते हैं और दौरे करते हैं यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता दिया जाएगा । यह भत्ता उनको संसद तथा सम्बन्धित विधान सभा के सदस्यों के रूप में उसी हिसाब से दिया जाएगा ।

अन्य अंशकालिक सदस्यों के सम्बन्ध में दिए जाने वाले यात्रा भत्ते तथा मँहगाई भत्ते की दरों पर विचार किया जा रहा है ।

परादीप (उड़ीसा) में मत्स्य बन्दरगाह के लिये धन की मंजूरी

*797. **श्री प्र० के० देव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन के मंत्रालय को उड़ीसा सरकार तथा परादीप पत्तन के अधिकारियों से बार-बार यह अनुरोध प्राप्त हुआ है कि परादीप में एक मत्स्य बन्दरगाह बनाने के लिये धनराशि मंजूर की जाये ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर लिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) और (ख). राज्य सरकार ने अनुरोध किया है कि प्रदीप में मात्स्यकी पत्तन की व्यवस्था करने के लिये शीघ्र ही कार्यवाही की जाये । इस बारे में पत्तन ट्रस्ट ने जुलाई 1970 में सरकार से मार्गदर्शी परीक्षण करने और परियोजना के लिये अनुमान तैयार करने के लिये प्रार्थना की थी । राज्य सरकार ने इस प्रार्थना का समर्थन किया था । भारत सरकार ने अनुमानत: 50,000 रुपये की लागत से सितम्बर 1970 में कार्य शुरू करने की मंजूरी दे दी है ।

(ग) पत्तन ट्रस्ट ने केन्द्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधान संस्थान, पूना में मार्गदर्शी परीक्षणों का प्रबन्ध करना है । ट्रस्ट मार्गदर्शी परीक्षण रिपोर्टों के आधार पर ब्यौरेवार योजनायें, अनुमान और परियोजना रिपोर्ट तैयार करेंगी । अन्य मुख्य पत्तनों पर मछली पत्तनों के लिये इसी प्रकार की परियोजना रिपोर्टें या तो तैयार की जा चुकी हैं या तैयार की जा रही हैं । इन पत्तनों और प्रदीप में मछली पत्तनों की स्वीकृति के प्रश्न पर संसाधनों की उपलब्धि तथा विभिन्न तथ्यों को ध्यान में रख कर विचार किया जायेगा

Determination of Representative Character of Trade Unions

*798. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the **Minister of Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether all the Central labour organisations except the Indian National Trade Union Congress have been demanding the introduction of secret ballot for determining the representative character of a trade union in any industry for the last many years;

(b) if so, whether Government have laid down any fixed policy in this regard : and

(c) if so, the details thereof?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya) : (a) No, Sir. Not all the central workers' organisations other than the INTUC have formally asked for the introduction of secret ballot as the only method for determining the representative character of a trade union.

(b) and (c). The conclusion of the Standing Labour Committee which met in July, 1970, was that membership of all unions claiming recognition as the representative union should be determined by verification of records. Action is being considered in the light of this conclusion.

समाचार-पत्रों के स्वामित्व ढांचे में परिवर्तन

*799. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि समाचार–पत्रों तथा समाचार अभिकरणों के स्वामित्व में मूलभूत परिवर्तन करने संबंधी प्रेस आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : प्रेस आयोग ने वर्तमान तथा भविष्य में चालू होने वाले दोनों प्रकार के उपक्रमों में शेयरों के कर्मचारियों और कुछ सीमा तक जनता में क्रमिक वितरण के साथ-साथ समाचारपत्रों के स्वामित्व के फैलाव की सिफारिश की थी। सरकार प्रेस आयोग से सहमत है।

प्रेस परिषद् के कार्यों में एक कार्य समाचारपत्रों की वित्तीय ढांचे या उन परिस्थितियों का अध्ययन करना भी है जो एकाधिकार या स्वामित्व के सकेन्द्रीकरण की ओर ले जाए।

समाचारपत्रों को प्रकाशित करने वाली कम्पनियों के स्वामित्व के ढांचे का अध्ययन कम्पनी कार्य विभाग द्वारा हाथ में लिया जा रहा है।

जहां तक प्रेस परिषद् की समाचार एजेंसियों के स्वामित्व के ढांचे में परिवर्तन का सम्बन्ध है, मामला विचाराधीन है।

दण्डकारण्य परियोजना के कर्मचारियों द्वारा-भूख हड़ताल का नोटिस

*800. **श्री समर गुह** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दंडकारण्य परियोजना के कर्मचारियों ने, जिनमें से अधिकांश शरणार्थी है, भूख हड़ताल करने का नोटिस दिया है;

(ख) यदि हां, तो उनकी शिकायतों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उनकी मांगों को पूरा करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आज़ाद): (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

पुनर्वास बस्तियों के लिये चंड़ीगढ़ की योजना

*801. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चंडीगढ़ प्रशासन पुनर्वास बस्तियों को आधुनिक ढंग से बनाने की योजना बना रहा है ;

(ख) यदि हां तो परियोजनाओं की कब तक पूरी होने की सम्भावना है ;

(ग) क्या बस्तियों के वर्तमान निकासी इस बारे में विरोध कर रहे हैं; यदि हां, तो उनकी मुख्य शिकायतें क्या हैं ; और

(घ) सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) चण्डीगढ़ प्रशासन एकमात्र विस्थापित व्यक्तियों के लिए कोई पुनर्वास बस्तियाँ स्थापित करने की योजना नहीं बना रहा है ।

(ख) से(घ). प्रश्न नहीं उठता ।

गन्ने का मूल्य निर्धारित करने का फार्मूला

+802. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गन्ने के मूल्यों को निर्धारित करने के लिए कोई नया फार्मूला बनाया जा रहा है ; और

(ख) यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, समुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) और (ख). जी नहीं । सरकार ने यह निर्णय किया है कि 1970–71 (पहली अक्तूबर 1970 से 30 सितम्बर, 1971 तक) में खरीदे गये गन्ने के लिए निर्वात पात्र (वैक्यू पैन) चीनी कारखानों द्वारा देय मूल न्यूनतम मूल्य 9.4 प्रतिशत या इससे कम उपलब्धि पर 7.37 रुपये प्रति क्विंटल बनाए रखा जाय । तथापि, उपलब्धि में 9.4 प्रतिशत से प्रत्येक 0.1 प्रतिशत की वृद्धि दर अधिमूल्य (प्रीमियम) 5.36 पैसे प्रति क्विंटल से बढ़ा कर 9.6 पैसे प्रति क्विंटल कर दिया गया है ।

नई दिल्ली को-ऑपरेटिव्ह बैंक का परिसमापन

* 803 **श्री का० लकप्पा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड का दिवाला निकल गया है :

(ख) यदि हां, तो इसका दिवाला निकल जाने के क्या कारण हैं ?

(ग) क्या खातेदारों को जमा धनराशि में से कुछ भी नहीं दिया गया है ;

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार का विचार खातेदारों के हितों की रक्षा करने के लिये तथा कार्यवाही करने का है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) से (ङ) . दिल्ली प्रशासन को कुछ जमाकर्ताओं से इस कथन की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि बैंक द्वारा उनकी जमा राशियाँ वापस नहीं की जा रही हैं। दिल्ली प्रशासन ने इन शिकायतों तथा अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बम्बई कोआपरेटिव सोसायटी एक्ट, 1925, जो कि दिल्ली में भी लागू है, की धारा 43 के अन्तर्गत वैधानिक जांच करने के आदेश दिए हैं। जांच के पूर्ण होने के पश्चात् पूरे तथ्यों का पता चलेगा और जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए दिल्ली प्रशासन द्वारा उपयुक्त कानूनी तथा प्रशासनिक कदम उठाए जाएंगे ।

आर० एस० 09 ट्रेक्टरों का आयात करने से पूर्व नमूनों की जांच और ट्रेक्टरों का टेस्ट किया जाना

*804. **श्री वासुदेवन नायर** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर० एस० 09 जी० डी० आर० ट्रेक्टरों के सम्भरणकर्ताओं ने बुदनी में टेस्ट किये गये पहले माडल और जर्मन लोकतंत्रगणराज्य में इस समय निर्मित किये जा रहे ट्रेक्टर के नमूनों का एक तुलनात्मक विवरण दिया था ;

(ख) क्या इन नमूनों की तकनीकी जांच करने के पश्चात् ही आयात करार पर हस्ताक्षर किये गये; और

(ग) यदि हाँ, तो सम्भरणकर्ताओं ने किन-किन परिवर्तनों के सुझाव दिये तथा उनके साथ पत्र व्यवहार में क्या तकनीकी राज जाहिर की गई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) और (ख) . जी हाँ।

(ग) ये परिवर्तन ट्रेक्टर के माडल, इंजिन की किस्म, सिलिंडरों की संख्या, बोर तथा स्ट्रोक कुल धन क्षमता, इंजिन के भार कर्षणदण्ड कर्षण, नियंत्रकों इंजिन की अश्व-शक्ति, संलोडन प्रचालन प्रचालक की सीट तथा केज व्हील्स के बारे में थे। ये परिवर्तन पिछले माडल के मुकाबले में अच्छे समझे गये थे ।

राज्य में बीड़ी सिगार अधिनियम लागू किया जाना

*805. **श्री अ० कु० गोपालन**
श्री के० रमानी :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बीड़ी-सिगार अधिनियम कई राज्यों में अब तक लागू नहीं किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त अधिनियम किन-किन राज्यों में लागू नहीं किया गया है :

(ग) उक्त अधिनियम की लागू न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार उक्त अधिनियम को उन राज्यों में भी लागू करने के लिये, जहा अभी तक लागू नहीं किया गया है, तत्काल कोई कार्यवाही करेगी और यदि हाँ, तो कब ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री जी० संजीवैया) : (क) से (ग) . बीड़ी और सिगार श्रमिक (रोजगार की शर्तें) अधिनियम, 1966 बिहार, गुजरात, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर उड़ीसा, राजस्थान, तामिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के राज्यों द्वारा लागू किया गया है।

शेष राज्य सरकारों ने इस अधिनियम को अभी तक लागू नहीं किया है, क्योंकि या तो उन राज्यों में बीड़ी और सिगार के प्रतिष्ठानों की संख्या नगण्य है या यह मामला अभी उनके विचाराधीन है ।

(घ) अधिनियम की धारा 1 (3) के अधीन, अधिनियम को लागू करने की तारीख नियत करना राज्य सरकारों का काम है ।

मालवा कटिहार के बीच ट्रंक टेलीफोन लाइन के तांबे के तारों की चोरी

*806. **श्री च० क० भट्टाचार्य** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री** यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत सितम्बर से मालदा और कटिहार के बीच ट्रंक टेलीफोन लाइन के तांबे के तारों की प्रायः प्रतिदिन चोरी होती है ;

(ख) सितम्बर से 15 नवम्बर तक कितनी बार चोरियाँ हुई हैं ;

(ग) सरकार को (एक) तांबे के तार की चोरी, (दो) उसके स्थान पर लोहे के तार लगाने, (तीन) इस कार्य पर मजदूरी और (चार) ट्रंक टेलीफोन से शुल्क, जो अन्यथा सरकार को प्राप्त होता, के रूप में कितनी हानि हुई हैं; और

(घ) इस चोरी को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : (क) जी हां कटिहार और मालदा के बीच तांबे तार युग्मों की लाइन से प्रायः बार-बार चोरी होती रही है ।

(ख) 70 बार ।

(ग) (i) 76, 776 रुपये
(ii) 8, 345 रुपये
(iii) 5, 012 रुपये

(iv) इसका ठीक-ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि तांबे के तार युग्मों की परिपर्था पर गड़ी-बड़ी होने से इस मार्ग पर तांबे से झले युग्मों परिपर्था के जरिये परियात को भेजने के भरसक प्रयत्न किये जाते हैं।

(घ) जहाँ तक इस विशेष मार्ग का प्रश्न है, कलकत्ता के पोस्टमास्टर जनरल ने इस मामले को पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य सचिव और कलकत्ता के पुलिस इंस्पेक्टर जनरल के साथ उठाया है।

जहां तक देश में तांबे के तारों की आम चोरी का प्रश्न है, संचार मंत्री ने स्वयं सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों को इस संबंध में लिखा है। विभाग उत्तरोत्तर सभी स्थानों पर तांबे के तार की जगह तांबे से झले तार या अल्यूमीनियम के तार लगा रहा है, बशर्ते कि ये उपलब्ध हों और तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त हो।

पंजाब के किसानों को दिये गये आर० एस० 09 ट्रेक्टरों के बारे में उन के द्वारा किया गया आन्दोलन

*807. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब के किसानों ने यह धमकी दी है कि यदि सरकार पूर्वी जर्मनी से आयातित ट्रेक्टर उनसे वापिस नहीं लेती है, तो वे आन्दोलन कर देंगे ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार को इस सम्बन्ध में पंजाब सरकार से अथवा वहां के किसानों से कोई औपचारिक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे): (क) और (ख). जी हां, । इस सम्बन्ध में आर० एस० 09 ट्रेक्टर स्वामी संघ पंजाब, जलन्धर तथा पंजाब राज्य कृषि उद्योग निगम से अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं।

(ग) मामला सरकार के विचाराधीन है।

चीनी उद्योग के लिये ऋण, चीनी का अनुमानित उत्पादन और गन्ने के मूल्य का बौंड के रूप में भुगतान

*808. **श्री लोबो प्रभु** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री 2 दिसम्बर, 1970 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स में 'छपे' शुगर इंडस्ट्री नीड्स 500 करोड़ क्रेडिट (चीनी उद्योग को 500 करोड़ रुपये के ऋण की आवश्यकता) शीर्षक में प्रकाशित समाचार के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का चीनी उद्योग को 500 करोड़ रुपये का अपेक्षित ऋण किस प्रकार से देने का विचार है ;

(ख) इस वर्ष गन्ने का कितना उत्पादन होने का अनुमान है और क्या इस वर्ष अनबिकी चीनी गत वर्ष की तुलना में अधिक बच रहेगी ;

(ग) यदि हां, तो क्या चीनी की खपत बढ़ाने के लिए उत्पादन शुल्क में कमी करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है;

(घ) क्या कोई समिति ऐसे गन्ना उत्पादन क्षेत्र के बारे में विचार करेगी जहां भविष्य में न्युनतम मूल्य दिया जा सके; और

(ङ) धन के अभाव को ध्यान में रखते हुए गन्ने के मूल्य कुछ के भाग का भुगतान सरकारी बौंडों के रूप में न किये जाने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) भारत के रिजर्व बैंक से चालू मौसम के दौरान चीनी उद्योग के लिए पर्याप्त क्रय की व्यवस्था करने हेतु अनुरोध किया गया है ।

(ख) गन्ने के अखिल भारतीय प्रथम अनुमान के अनुसार 1970–71 में इस फासले के अन्तर्गत आया क्षेत्र, 1969–70 के तदनुरूपी अनुमान की तुलना में; लगभग 1.5 प्रतिशत कम है । यह आशा की जाती है कि वर्ष में आन्तरिक खपत और निर्यात सम्बन्धी आवश्यकता चालू मौसम में चीनी के उत्पादन को संतुलित कर देंगी और पूर्व बचे स्टाक में कोई वृद्धि नहीं होगी ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न के इस भाग का आशय स्पष्ट नहीं है ।

बाल वर्म, रेड वर्म तथा सेलयोथिक रोगों के कारण महाराष्ट्र की कपास की फसलों को हानि

*809. **श्री कृ० गु० देशमुख** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि हाल ही में महाराष्ट्र में कपास की फसल पर वाल वर्म तथा रेडवर्म तथा सेयोथिक रोगों का गम्भीर प्रकोप हुआ है ;

(ख) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार को एक अभ्यावेदन भेजा है जिसमें कहा गया है कि सरकार इस बात की घोषणा करे कि कपास की फसलपर "महामारी" का प्रकोप हो गया है और इन भयानक रोगों को रोकने के लिए आवश्यक उपचारात्मक उपाय करे ; और

(ग) यदि हां, तो महाराष्ट्र की कपास की फसल को रोगों से बचाने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए अथवा करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र के अमरावती जिले के दो तालुकों में कपास पर हेलीओथिस (न कि सिलियोथैटिक) के आक्रमण के सम्बन्ध में भारत सरकार को एक रिपोर्ट भेजी थी ।

(ख) महाराष्ट्र सरकार चाहती थी कि प्रभावित क्षेत्रों का केन्द्रीय दल द्वारा सर्वेक्षण होना चाहिए और आपात राहत निधि के अन्तर्गत उन्हें कीटनाशी औषधियों के लिये राज सहायता दी जानी चाहिए ।

(ग) कीट नियन्त्रण अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा धारियापुर ताल्लुक के 30 गांव (30,000 एकड़) तथा अचलपुर तालुक के 13 गांव (10,000 एकड़) पहले ही "महामारी" से प्रभावित क्षेत्र घोषित किये गये हैं ताकि इस क्षेत्र में कपास की नई फसल को

बचाने के लिये पर्याप्त पौध रक्षण उपाय शुरू किये जा सकें । लगातार भारी वर्षा होने के कारण राज्य सरकार द्वारा सितम्बर 1970 के अन्त तक पौध रक्षण सम्बन्धी उपाय नहीं किये जा सके। गत नवम्बर में धारियापुर ताल्लुका के सुगठित ब्लाक के 9, 000 एकड़ क्षेत्र में एन्ड्रीन से हवाई छिड़काव किया गया और अन्य क्षेत्रों में भूमि छिड़काव द्वारा एन्ड्रीन । सेविन से फसल का उपचार किया गया । जिला परिषद ने सधन पौध रक्षण उपायों के लिये अचलपुर तथा धारियापुरा ताल्लुकों में 40, 000 एकड़ क्षेत्र चुन लिया है । इस आक्रमण से बचने के लिये राज्य सरकार ने लगभग 7 दिनों के अन्तर पर कपास की फसल पर एन्ड्रीन कार्बर्यल का छिड़काव करने के लिये भी निर्णय किया है ।

राज्य सरकार के अनुरोधानुसर केन्द्रीय दल ने अचलपुर तथा धारियापुर तालुकों के प्रभावित क्षेत्रों का सर्शेक्षण किया था । केन्द्रीय दल ने आपात राहत निधि से सहायता देने की सिफारिश नहीं की । क्योंकि काफी क्षेत्रों में कपास चुनने का कार्य समाप्त हो चुका था और वर्तमान फसल से और कपास प्राप्त होने की सम्भावना नहीं थी ।

गन्ने का आंतरिक और निर्यात मूल्य

*810. **श्रीमती इलापाल चौधरी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली तथा अन्य शहरों में प्रचलित इन अफवाह की ओर दिलाया गया है कि भारत सरकार द्वारा चीनी का जो निर्यात मूल्य निर्धारित किया गया है वह औसतन 0.50 पैसे प्रति किलोग्राम हैं जबकि आन्तरिक फुटकर मूल्य 1 रुपया 78 पैसे प्रतिकिलो ग्राम रखा गया हैं जो कि निर्यात मूल्य से लगभग साढ़े तीन गुना अधिक है ;

(ख) यदि हां, तो चीनी का प्रति किलोग्राम वास्तविक निर्यात मूल्य क्या है ; और

(ग) आन्तरिक फुटकर मूल्य को निधोरित मूल्य से साढ़े तीन गुना अधिक रखने का क्या कारण है ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) से (ग) . चीनी के निर्यात मूल्य और आन्तरिक मूल्य के बीच कोई सम्बन्ध नहीं है । चीनी का अन्तर्राष्ट्रीश मूल्य विश्व के चीनी बाजार में मांग और पूर्ति की स्थिति से शासित होता है और यह मूल्य आमतोर पर चीनी के आन्तरिक मूल्य से कम होता है । अतः भारत को विश्व के अधिकांश निर्यातक देशों के साथ नुकसान पर चीनी का निर्यात करना पड़ता है और इस नुकसान की किसी न किसी प्रकार प्रतिपूर्ति की जाती है। 1970 में चीनी के निर्यात से जहाज तक निष्प्रभार औसत प्राप्त लगभग 800 रुपये प्राप्ति प्रति मीटरी टन या 80 पैसे प्रति किलोग्राम होने का अनुमान है । आंशिक विनियन्त्रण की मौजूदा नीति के अधिन उत्पादन का एक भाग मुख्यतः घरेलु उपभोक्ताओं में वितरण करने के लिए निर्धारित मूल्यों पर अधिग्रहण किया जाता है और उत्पादन का अन्य भाग खुले बाजार में बेंचने के लिए फैक्ट्रियों को दिया जाता है जिसकी नियुक्ति का विनियमन सरकार करती है । लेवी-चीनी का टैरिफ आयोग द्वारा अभिस्तावित अनुसूचियों तथा क्षेत्रों के आधार पर निर्धारित किया जाता है । खुले बाजार में बिकने वाली चीनी का मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है । लेवी चीनी का औसत मूल्य कारखाने के दरवाजे पर

लगभग 1.25 रुपये प्रति किलोग्राम है जिसमें उत्पादन शुल्क शामिल नहीं है। विभिन्न तथ्यों के कारण खुदरा मूल्य प्रत्येक क्षेत्र में भिन्न-भिन्न हैं।

खाद्यान्न तथा उर्वरकों का भण्डार रखने के लिये प्लास्टिक के थैले बनाना तथा उस का पटसन उद्योग पर प्रभाव

4974. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम ने खाद्यान्न उर्वरकों तथा अन्य वस्तुओं का भंडार रखने के लिये परम्परागत टाट के थैलों के स्थान पर प्लास्टिक के थैलों के प्रयोग के लिये उन का बड़े पैमाने पर निर्माण करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा प्लास्टिक के थैलों का निर्माण करने के लिये सरकारी क्षेत्र में एक बड़ा उपक्रम स्थापित करने का विरोध किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) जब महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश की सरकारें प्लास्टिक के थैलों का निर्माण करना आरम्भ कर देंगी तो इस से पटसन उद्योग पर कहां तक प्रभाव पड़ेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं होता।

(ग) ऐसा प्रतीत होता है कि प्लास्टिक के थैलों से जूट उद्योग पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल का नोटिस

4975. **श्री मणिभाई जे० पटेल** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कर्मचारियों के कार्मिक संघ ने काम बन्द करने का नोटिस दिया है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या है;

(ग) सभी यूनिटों में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कर्मचारियों के कितने कार्मिक संघ हैं तथा उनमें से कितने कार्मिक संघों को मान्यता मिली हुई है; और

(घ) उक्त दिये गये नोटिस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) जी, हां।

(ख) यूनियनों की संयुक्त बैठक में पर्याप्त बोनस के भुगतान का मामला तय किया जाना है।

(ग) वहां 24 यूनियनें हैं, जिनमें से चार मान्यता प्राप्त है।

(घ) बोनस से सम्बन्धित विवाद केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण दिल्ली को न्यायनिर्णय के लिये भेज दिया गया है ।

दिल्ली टेलिविजन केन्द्र के निदेशक तथा सहायक निदेशक

4976. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय दिल्ली टेलिविजन केन्द्र में कार्य कर रहे निदेशकों तथा सहायक-निदेशकों के नाम तथा प्रत्येक की अर्हताएं एवं वेतन क्या है;

(ख) क्या दिल्ली टेलिविजन केन्द्र का कार्य अब तक केवल एक निदेशक तथा एक सहायक निदेशक संभालते थे; और

(ग) यदि हां, तो सम्बन्धित कार्य की मात्रा में वृद्धि किये बिना निदेशक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने के क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(ख) जी, नहीं । दिल्ली टेलीविजन केन्द्र का कार्य अभी तक एक निदेशक तथा दो सहायक केन्द्र निदेशकों द्वारा देखा जाता था।

(ग) उपग्रह प्रयोग कार्यक्रमों से संबंधित कार्य की देख-रेख करने के लिए 21-9-70 से एक अतिरिक्त टेलीविजन निदेशक नियुक्त किया गया है।

विवरण

आकाशवाणी, नई दिल्ली के टेलीविजन केन्द्र में निदेशकों तथा सहायक केन्द्र निदेशकों के नाम, उनकी अर्हतायें तथा उनके वेतन ।

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	अर्हतायें	वेतन (मूल वेतन)
	निदेशक		
1.	श्री रोमेश चन्द्र	बी०ए० बी०बी०सी० में प्रबन्ध तथा टेलीविजन निर्माण में प्रशिक्षण प्राप्त; ई०टी०वी० में विशेष ज्ञान; अफरीकी देशों में टेलीविजन के प्रयोग के सम्बन्ध में हुई बैठक में यूनेस्कों के सलाहकार। ई०टी०	1360/-रुपये

1	2	3	4
		वी0 पर हुए अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया । भारतीय तथा विदेशी पत्रिकाओं में व्यावसायिक लेख प्रकाशित किये ।	
2.	श्री एन०एल चावला	एम०ए० पत्रकारिता में डिप्लोमा । ब्रिटेन तथा अमेरिका में टेलीविजन तथा रेडियो प्रसारणों का अध्ययन किया ।	1350/–रुपये
	सहायक केन्द्र निदेशक		
1.	श्री एस०पी०नारायन	बी०ए० (आनर्स) (अंग्रेजी में) । जर्मनी में टेलीविजन का प्रशिक्षण, बी०बी०सी० में तीन साल का प्रसारण प्रशिक्षण ।	*810/–रुपये
2.	श्री जी०डी० शुक्ल	बी०एस०सी० तथा हिन्दी में बी०ए० । जापान में टेलीविजन का प्रशिक्षण ।	*810/–रुपये

† लेखा परीक्षा की जांच के अधीन ।

टेलिविजन प्रशिक्षण केन्द्र का पूना से दिल्ली स्थानांतरण

4977. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पूना स्थित टेलिविजन प्रशिक्षण केन्द्र को दिल्ली में स्थानान्तरित करने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा कब किया जायेगा तथा इसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

टेलिविजन के लिए प्रोड्यूसरों का चयन

4978. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में टेलिविजन हेतु प्रोड्यूसरों का चयन करने वाले मंडल के सदस्यों के नाम तथा उनकी अर्हताएं क्या हैं; और

(ख) चुने गये प्रोड्यूसरों के नाम तथा उनकी अर्हताएं क्या हैं तथा उनके चयन के लिए क्या मानदंड अपनाया गया ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ०कु० गुजराल) :

(क) : (1) श्री बी० के० राव, आई० ए० एस० — अध्यक्ष
उप-महानिदेशक (प्रशासन),
आकाशवाणी महानिदेशालय

(2) स्वर्गीय श्री के० एस० चारी, — सदस्य
प्रसिद्ध फिल्म तथा डाकुमेंट्री निर्माता

(3) श्री एन० एल० चावला, — सदस्य
निदेशक, टेलीविजन केन्द्र,
आकाशवाणी, नई दिल्ली

(4) श्री चरणजीत, — सदस्य
चीफ प्रोड्यूसर (नाटक),
आकाशवाणी महानिदेशालय

(ख) चयन समिति की सिफारिशें अभी विचाराधीन हैं ।

डाकघर सावधिक जमा योजना

4979. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सावधिक जमा योजना (सी०टी०डी०) के अधीन डाकघर में 10 वर्ष तक 50 रुपये महीना जमा कराने वालो को यह अवधि पूरी होने पर लगभग 8,000 रुपये मिल जाते है;

(ख) क्या यदि कोई जमाकर्ता यही राशि इसी योजना के अधीन किसी बैंक में जमा कराता है तो अवधि पूरी होने पर उसे 8,555 रुपये मिलते है;

(ग) डाक बचत की ऐसी जमा राशि पर 60 प्रतिशत तक पहले जो आय-कर की छूट मिलती थी क्या वह छूट अब बैंकों में जमा राशि पर भी मिलने लगी है;

(घ) क्या डाक बचत योजना में, जमाकर्ताओं को, बैंकों द्वारा दी जाने वाली सावधिक जमा खाते से अवधि पूरी होने से पूर्व जमा राशि पर ब्याज खोये बिना ही, धन निकालने जैसी कुछ विशेष सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं; और

(ङ) यदि हां, तो डाक सावधिक जमा योजना को आकर्षक बनाने के लिये की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) 1 अप्रैल, 1970 के बाद 10 वर्षीय सावधिक संचयी जमा के खाते में 50 रुपये महीना जमा कराने वालों को देय रकम 7,650 रुपये होती है।

(ख) यह सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है । इसे बैंकिंग विभाग, वित्त मंत्रालय के जरिये एकत्रित किया जाएगा।

(ग) बैंकों में आवर्ती जमा करने वालों को आय कर में वह विशेष रियायत नहीं दी जाती जो डाक घर बचत बैंक के सावधिक संचायी जमा योजना के 10 वर्षीय खाते या 15 वर्षीय खाते में रकम जमा कराने वाली को दी जाती है ।

(घ) किसी सावधिक संयची जमा खाते में जमा रकम में से रकम निकालने की इजाजत नियमों में निर्धारित शर्तों के अधीन दी जाती है लेकिन जमाकर्ता को तब तक इस रकम पर ब्याज देना पड़ता है जब तक कि खाता चालू रहने की अवधि में वह रकम वापस जमा नहीं कर दी जाती । अन्यथा निकाली गई रकम और अवधि समाप्त होने तक का ब्याज लेखा समाप्त करते समय देय रकम में से घटा दिए जाते हैं । नियमों के अनुसार किसी खाते को अवधि समाप्त होने के पूर्व बंद करने की इजाजत नहीं है, हालांकि कठिन परिस्थितियों में नियमों के प्रावधानों में ढील बरत कर खाते बंद करने की इजाजत भी दी जाती है। अवधि समाप्त होने से पहले बंद किए गए खातों पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता ।

जहां तक बैंकों द्वारा दूसरी विशेष सुविधाओं के देने का प्रश्न है, इसके बारे में बैंकिंग विभाग वित्त मंत्रालय के जरिये यह बात पता लगाई जाएगी कि क्या डाकघर बचत बैंकों के जमाकर्ताओं को भी इस तरह की सुविधाएं दी जा सकती हैं ।

(ङ) 1-4-70 के बाद खोले गये खातों की अवधि पूरी होने पर मिलने वाली रकम बढ़ा दी गई है । उदाहरणार्थ, पहले 50 रुपये प्रतिमास जमा करने वाले 10 वर्षीय खाते में यह रकम 7,500 रुपये थी और अब इसे बढ़ा कर 7,650 रुपये कर दिया गया है । जो खाते 1-4-70 के पहले खोले गए थे लेकिन उनकी अवधि 1-4-70 के पश्चात् पूरी होती है, उन की देय रकम में भी वृद्धि कर दी गई है । इसके अतिरिक्त, 1-4-68 को या इसके बाद खोले गए सावधिक संचयी खाते में अवधि समाप्त होने पर यदि रकम की पुनः अदायगी नहीं ली जाती तो अवधि समाप्त होने पर देय रकम पर साधारण बचत बैंक जमा खाते की तरह साधारण ब्याज दिया जाता है। यह ब्याज अधिक से अधिक 2 वर्ष तक दिया जाता है ।

Employees Provident Fund Dues in Madhya Pradesh

4980. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) the total amount of the Employees Provident Fund outstanding at present against the textile mills and other institutions in Madhya Pradesh;

(b) the action Government propose to take in this regard; and

(c) the details of the amount of Provident Fund outstanding against each of the textile mills?

The Minister of Labour & Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya) : (a) to (c). The administration of the Employees' Provident Fund is the concern of the Central Board of Trustees, an autonomous organisation set up under the Employees' Provident Funds Act, 1952 and is not the direct concern of the Government of India. A statement showing the names of the un-exempted establishments in Madhya Pradesh which were in arrears of the Provident Fund dues of rupees one lakh and more as on 30-6-70 together with the amount in default and particulars of action taken to recover the amount as furnished by the Provident Fund authorities is attached. [*Placed in the Library. See No. LT-4601/70*].

Proposal to Introduce Employees Provident Fund Scheme in Establishment having one hundred Workers

4981. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether Government have under consideration a proposal to introduce Employees Provident Fund Scheme in establishments having 100 or more employees;

(b) if so, the time by which the said scheme is likely to be introduced;

(c) the action proposed to be taken by Government to introduce this scheme in such establishments; and

(d) the approximate number of employees in the country expected to be benefited by this Scheme?

The Minister of Labour and Rehabilittinoa (Shri D. Sanjivayya): (a) The Employees' Provident Funds Act, 1952 already applies to establishments employing 20or more persons which belong to the industries/classes of establishments to which the Act has been extended.

(b) to (d). Do not arise.

कर्मचारियों द्वारा किया गया कार्य

4982. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारतीय श्रमिक ने श्रम सम्बन्धी कानूनों के कारण काम से जी चुराना आरम्भ कर दिया है और वह अपनी कार्यक्षमता के अनुसार आधा भी नहीं करता है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा श्रमिकों में गिरावट न आने देने तथा उनकी पूरी क्षमता के अनुसार कार्य करने को उत्साहित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ग) क्या सरकार ने खंडत: कार्य के आधार पर भुगतान करने के प्रश्न पर विचार किया है; और

(घ) क्या सरकार का विचार एक समिति स्थापना करने का है जो इस बारे में विचार करे तथा अपना प्रतिवेदन दे ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) जी, नहीं । राष्ट्रीय श्रम आयोग ने यह नोट किया है कि उत्पादिता में हुए सुधार के अनुरूप वास्तविक मंजूरी में वृद्धि नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) मुख्य पत्तनों, कारखाना उद्योगों, बागानों और खानों में कुछ हद तक उजरती दर के आधार पर मजदूरी की अदायगी पहले से की जा रही है । परन्तु यह ऐसे उद्योगों व्यवसायों तक सीमित है जिनमें सही रूप से किसी श्रमिक या श्रमिकों के दल का उत्पादन मापना और उत्पादन की किस्म पर संतोषजनक नियंत्रण बनाये रखना सम्भव हो ।

भारत सरकार द्वारा गठित मजूरी बोर्डों से उनके विचारार्थ विषयों द्वारा यह अपेक्षा की गई थी कि वे कार्य के अनुरूप अदायगी की प्रणाली लागू करने की वांछनीयता पर विचार करें । अब मजूरी में संशोधन के प्रश्न को द्विपक्षीय बातचीत द्वारा तय करने की प्रवृत्ति है ।

(घ) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

पत्रों की राज्यवार संस्था

4983. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 सितम्बर, 1970 तक टेलीफोन कनेक्शनों के लिये निर्णयाधीन पड़े आवेदन-पत्रों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) इनमें से प्रत्येक राज्य में नये टेलीफोन कनेक्शन देने के लिये शीघ्र कार्यवाही करने हेतु क्या उपाय किये जा रहे हैं;

(ग) क्या टेलीफोन कनेक्शनों की बढ़ी हुई क्षमता पिछले तीन वर्षों के दौरान बढ़ती मांग के अनुरूप रही है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के लिये राज्यवार तथा प्रतिशतता के आधार पर आंकड़े क्या थे ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभागों में राज्य मंत्री, (श्री शेर सिंह) : (क) से (घ). सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

रजिस्टर्ड नोटिस के बिना टेलीफोन कनेक्शनों का काटना

4984. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि टेलीफोनों के कनेक्शन काटने से पूर्व रजिस्टर्ड डाक द्वारा लिखित मांग नहीं भेजे जाने के कारण बड़ी कठिनाई हो रही है;

(ख) अदायगी न करने पर काटे गये टेलीफोन कनेक्शनों को पुनः जोड़ने के लिये जुर्मानें के रूप में 1969–70 वर्ष के दौरान सरकार ने कितनी राशि वसूल की; और

(ग) क्या सरकार इस बात को सुनिश्चित करेगी कि टेलीफोनधारी को रजिस्टर्ड डाक द्वारा इस आशय का मांग पत्र की अदायगी न करने पर कनेक्शन काट दिया जायेगा भेजने से पूर्व कोई टेलीफोन कनेक्शन काटा नहीं जायेगा ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री, (श्री शेर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) टेलीफोन को पुनः जोड़ने से पहले जोड़ने के लिए जो रकम वसूल की गई है उसकी अलग से कोई सूचना नहीं रखी जाती । इसलिए यह सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ग) इस समय ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा जिसके अनुसार टेलीफोन काटने से पहले रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए जाएं। फिर भी, माननीय सदस्य की सूचना के लिए यह बताया जा सकता है कि बिल की तारीख के पन्द्रह दिन बाद तक बिल की अदायगी का समय दिया जाता है, इस समय के बाद टेलीफोन उपभोक्ता को एक बार टेलीफोन पर याद दिलाया जाता है और बिल की अदायगी के लिए सात दिन और दिए जाते हैं । इसके अलावा, अब बिल निर्धारित तारीखों पर ही जारी किए जाते हैं । ये तारीखें उपभोक्ता को पहले से ही बता दी जाती हैं। इस प्रकार, आप यह देखेंगे कि टेलीफोन काटने से पहले उपभोक्ता को बिलों की अदायगी के लिए काफी नोटिस दिया जाता है।

स्वैच्छिक पंच फैसले सम्बन्धी पुस्तिका का प्रारूप

4985. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री 6 अगस्त, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1608 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को इस बीच राष्ट्रीय पंचनिर्णय संवर्द्धन बोर्ड के सदस्यों से स्वैच्छिक पंचनिर्णयों सम्बन्धी पुस्तिका के प्रारूप पर टिप्पणियां प्राप्त हो गई हैं;

(ख) यदि नहीं, तो ये कब तक प्राप्त हो जायेंगी तथा इसको अन्तिम रूप कब तक दे दिया जायेगा; और

(ग) क्या राष्ट्रीय पंचनिर्णय संवर्द्धन बोर्ड के सदस्यों को परिचालित पुस्तिका के प्रारूप की एक प्रति सभा–पटल पर रखी जायेगी ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) से (ग). कुछ टिप्पणियां प्राप्त हो चुकी हैं। और टिप्पणियों की प्रतीक्षा की जा रही है । सभी सदस्यों से टिप्पणियां प्राप्त होने के बाद पुस्तिका को अंतिम रूप दिया जायेगा । तब इसे सदन की मेज पर रखा जा सकता है ।

श्रम संबंधी कानूनों में संशोधन

4986. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के समक्ष कारखाना अधिनियम, 1948, खान अधिनियम 1952 तथा बागान अधिनियम 1951 में संशोधन का कोई प्रस्ताव है जिससे कि (एक) सेवा से पदत्याग करने वाले कर्मचारी अपने मालिकों से मिलने वाली अर्जित छुट्टी के स्थान पर सांविधिक रूप से मंजूरी लेने का दावा कर सकें, (दो) इन अधिनियमों में कैलेंडर वर्ष में सांविधिक आधार पर आकस्मिक छुट्टी की व्यवस्था की जाये;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) भारत में कर्मचारियों के लिये, जो उक्त तीन अधिनियमनों के अन्तर्गत आते हैं, सांविधिक रूप से इन उपबन्धों की व्यवस्था कब तक की जायेगी ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) से (ग). जहां तक सवेतन वार्षिक छुट्टी का सम्बन्ध है, कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 79 (ii) तथा खान अधिनियम, 1952 की धारा 52 (8) में पहले से ही व्यवस्था है । एक वर्ष के दौरान त्यागपत्र देने पर अल्पकालीन सेवा पर भी ऐसी छुट्टी के लिए पात्रता प्रदान करने के लिए इन अधिनियमों के संशोधन के कुछ प्रस्ताव विचाराधीन हैं किन्तु निश्चित समय-सीमा जिसके अन्दर संशोधनों को अधिनियमित किया जा सके बताना सम्भव नहीं है। बागान श्रम अधिनियम 1951 में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है, और न ही इस समय इस अधिनियम को इस प्रयोजन के लिए संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है । तीनों अधिनियमों में से किसी के अन्तर्गत भी आकस्मिक छुट्टी की मंजूरी की व्यवस्था करने का प्रस्ताव नहीं है क्योंकि यह मामला औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 के अन्तर्गत बनाए गए स्थायी आदेशों से विनियोजित है ।

कर्मचारियों के समयोपरि भत्ते की गणना करने सम्बन्धी श्रम कानूनों का संशोधन

4987. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या (एक) कर्मचारी की छुट्टी अवधि के दौरान उत्पादन बोनस तथा मजूरी को शामिल करके समयोपरि भत्ते की गणना की व्यवस्था करने के लिए वर्तमान श्रम कानूनों में संशोधन करने हेतु (दो) वर्तमान कानून में इस आशय से संशोधन करने के लिए 750 रुपये तक प्रति मास मजूरी पाने वाले पर्यवेक्षण कर्मचारियों को भी इसके अन्तर्गत लाया जा सके और वे समयोपरि भत्ता पाने के अधिकारी बन सकें बशर्ते कि उन्हें मालिक के स्थान पर समयोपरि कार्य करने वाले कर्मचारियों का पर्यवेक्षण करने को कहा जाये, सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ; और

(ग) उक्त सांविधिक उपबंधों की कब तक व्यवस्था की जायेगी ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) से (ग) . अन्य बातों के साथ -साथ उत्पादन बोनस की व्यवस्था करने, मजूरी की सामान्य दरें शामिल करने और कारखाना अधिनियम में, अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार 400 रुपया प्रति मास तक पाने वाले पर्यवेक्षी श्रमिकों को समयोपरि मजदूरी के लिए हकदार बनाने की व्यवस्था करने के लिए कारखाना अधिनियम, 1948 और खान-अधिनियम, 1952 में संशोधन करने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

जैसे ही इनको अंतिम रूप दिया जायेगा, वैसे ही आवश्यक विधेयक संसद में पेश किए जायेंगे।

मालवीया नगर नई दिल्ली में अलाटियों द्वारा मकानों के लिये पूरा भुगतान न किया जाना

4988. **श्री क० मि० मधुकर** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री 16 अप्रेल, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6405 के उत्तर के सम्बन्ध में बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन 97 मकान की ब्लाक संख्या, मकान संख्या तथा उनके मालिकों के नाम क्या हैं जिनका भुगतान 12 मार्च, 1970 से 16 अप्रेल, 1970 तक की अवधि में किया गया था तथा उन्होंने कितना धन जमा करवाया तथा किस दिनांक को जमा करवाया ; और

(ख) उन 120 मकानों के प्रत्येक अलाटी पर कितनी बकाया राशि है जिसके लिए पूरा भुगतान नहीं किया गया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैय्या) : (क) और (ख) . जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य के कौंसल का भारत में जी० डी० आर० ट्रैक्टरों के बारे में वक्तव्य

4989. **श्री घी० ना० देव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य के कौंसल द्वारा 29 अक्टूम्बर, 1970 को बम्बई में दिये गये इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि जी० डी० आर० एस०-59 ट्रैक्टरों के असंतोषजनक कार्य करने के सम्बन्ध में विवाद राजनैतिक कारणों से उत्पन्न हुआ तथा वह पश्चिमी जर्मनी तथा अमरीका शान्तिकारों से प्रभावित हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार की इस सम्बन्ध में प्रतिक्रिया क्या है और क्या इस मामले के सम्बन्ध में कई संसद सदस्यों ने भारत सरकार को लिखा है और यदि हां, तो उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे 12 नवम्बर 1970 को लोकसभा में पूछे गए प्रश्न संख्या 93, 100, 112 तथा 119 के उत्तर को देखे । यह सच है कि संसद के कुछ सदस्यों ने आर० एस०-09 ट्रैक्टरों के बा में भारत सरकार को शिकायतें भेजी थी ।

अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूहों में पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों के पुनर्वास की योजना

4990. **श्री बृज भूषणलाल** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूहों में पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों तथा अन्य व्यक्तियों को पुनः बसाने के लिये पुनर्वास सम्बन्धी उनकी योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं जिसके लिये मुख्य विकास तथा पुनर्वास आयुक्त का पद बनाया गया था और यह योजना कहां तक क्रियान्वित की गई है ; और

(ख) क्या योजना के शेष भाग को पूरा करने के लिये मुख्य विकास आयुक्त की अब भी आवश्यकता है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैय्या) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) जी, हां ।

विवरण

पुनर्वास विभाग को इसके विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत संघ शासित अण्डमान तथा निकोबार द्वीपों के विकास का उत्तरदायित्व सौंपा गया था । कार्यक्रम का उद्देश्य द्वीपों के साधनों का, विशेषकर पूर्वी पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों और बर्मा तथा श्रीलंका से आये भारतीयों के पुनर्वास के लिये समग्र रूप से विकास करना है । द्वीपों के सम्भावित साधनों का मूल्यांकन करने के लिये, और उनकी भौतिक, आर्थिक और सामजिक विशेषताओं को देखते हुए एक विकास योजना बनाने के लिये, एक अन्तर्विभागीय दल का गठन किया गया था । दल ने अपनी रिपोर्ट में, 1965 की लगभग 75,000 जनसंख्या को 1971 के अन्त तक दुगना करना और 1976 में अन्त होने वाले अवधि के अन्तर्गत इसमें और एक लाख की वृद्धि करना ; आगामी 10 से 15 वर्षों की अवधि में लगभग 1.25 लाख एकड़ भूमि का उद्धार करना और उसका कृषि तथा बागान फसलों, जैसे रबड़, नारियल, सुपारी इत्यादि के लिए प्रयोग करना, मछली विकास कार्यक्रम में वर्तमान 200 टन की पकड़ में 2,000 टन प्रति वर्ष की वृद्धि करना, बहुत से लकडी पर आधारित उद्योग स्थापित करना, आयात की दृष्टि से चीनी की मिल, और पर्याप्त आर्थिक तथा सामाजिक सुख सुविधाओं की स्थापना करना, दृष्टि में रखा गया है । उपरोक्त कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिये, मुख्य कमिश्नर की सहायता के लिये एक पद मुख्य विकास सहित पुनर्वास कमिश्नर, का बना दिया गया है ।

कार्यक्रमों की क्रियान्विति की प्रगति नीचे लिखे पैराग्राफों में दी गई है ।

भूमि उद्धार

भूमि के उद्धार की प्रगति निम्न है:—

1. मध्य अन्डमान में बीटापुर .. .. 2,050 एकड़

2. ग्रेट निकोबार	..	..	6 57 एकड़
3. लिटल अन्डमान	..	..	225 एकड़
4. नील	..	..	6 00* एकड़

(अन्य 700 एकड़ में लकड़ी साफ कर दी गई है)

बागान :

दक्षिण अन्डमान में एक रबड़ सहित विकास केन्द्र स्थापित कर दिया गया है। 500 एकड़ भूमि पर रबड़ के पौधे लगा दिए गये हैं ।

वाणिज्यक आधार पर, कछल में, 6,0 00 एकड़ पर रबड़ बागान लगाना क्रियान्विति अधीन हैं। अब तक 550 एकड़ भूमि पर पौधे लगा दिए गये हैं ; 1971 के बुआई काल में लगभग 800 एकड़ पर पौधे लगाये जायेंगे ।

भूमि सर्वेक्षण

5850 एकड़ भूमि के सम्बन्ध में भूमि सर्वेक्षण किए जा चुके हैं। कुल मिलाकर धान की खेती और बागान फसलों के लिए लगभग 3,000 एकड़ भूमि उचित पाई गई हे ।

सड़कें

लिटल अन्डमान में चतुर्थ योजना की अवधि के अन्तर्गत 15 किलोमीटर सड़कों के निर्माण की एक योजना मंजूर कर दी गई है और क्रियान्विति के अधीन है ।

अन्य कार्यक्रम :

केन्द्रिय सरकार के अन्य मंत्रालय भी द्वीपों में विकास कार्यक्रम हाथ में ले रहे हैं उनमें से मछली विकास, जैटीस, सड़कों समुद्र तथा वायु परिहन इत्यादि सम्बन्धी योजनांएं अधिक उल्लेखनीय है ।

आबादी का बसाना :

अब तक त्वरितविकास कायंक्रम के अन्तर्गत अन्डमान में भेजे गए परिवारों की संख्या नीचे दी गई है--

द्वीप / स्थान का नाम	अब तक भेजे गए परिवारों की संख्या
1. मध्य अन्दमान में बीटापुर	339
2. रबड़ अनुसंधान सहित विकास केन्द्र	37

1	2
(वर्मा से लौटे भारतीय)	17
३. नील	175
4. ग्रेट निकोबार (भूतपूर्व सैनिक)	100
५. लिटल अन्दमान	48
योग	699

दूर संचार योजनाओं में सहायता के लिए विश्व बैंक द्वारा मूल्यांकन

499 1. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिस्टर आई० ए० न्यूसटेड के नेतृत्व में विश्व बैंक के मूल्यांकन करने वाला दल हाल ही में भारत आया था और उसने चौथी योजना के अंतिम दो वर्षों दूर संचार योजनाओं के लिये 7.5 करोड़ डालर की अतिरिक्त सहायता देने सम्बन्ध में संचार मन्त्रालय और डांक-तार बोर्ड के अधिकारियों से बातचीत की थी ;

(ख) यदि हां, तो बातचीत के क्या परिणाम निकले और उस योजना का ब्यौरा क्या है जिसके लिए सहायता दी जा रही है ; और

(ग) क्या उसमें तकनीकी सहायता की भी कोई व्यवस्था है और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) अब तक किसी अन्तिम निर्णय के सम्बन्ध में नहीं बताया गया है। यह सहायता मुख्यतः सरकारी दूर संचार कारखानों के लिए कच्चे माल और पुर्जों और सामग्री तथा उपस्कर की जिन वस्तुओं की स्थिति गम्भीर है उनके लिए विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए हैं ।

(ग) जी हां, अभी इसके ब्यौरों को अन्तिम रूप दिया जाना है।

पी० एल०–480 के अन्तर्गत नये समझौते का ब्यौरा

4992. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा** :
श्री मयावन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का निकट भविष्य में पी० एल. 480 के अन्तर्गत कोई नया समझौता करने का विचार है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस समझौते के अन्तर्गत आयात की जाने वाली वस्तुओं के नाम क्या है;

(ग) इनमें से प्रत्येक वस्तु का कितनी मात्रा में आयात किया जायेगा ; और

(घ) इस नये समझौते के अन्तर्गत सप्लाई की जाने वाली वस्तुओं का कुल कितना मूल्य होगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) से (घ). संयुक्त राज्य की सरकार के साथ पी० एल० 480 के अन्तर्गत और करार करने का विचार है। आशा है कि इस करार के अन्तर्गत गेहूं, कपास तथा सोयाबीन के तेल का आयात किया जायेगा। क्योंकि करार के ब्यौरे को अभी अन्तिम रूप देना शेष है इसलिये अभी यह कहना सम्भव नहीं है कि इस नये करार के अन्तर्गत ये जिनसे कितनी कितनी मात्रा में अथवा कितनी लागत की आयात की जाएंगीं।

खाद्यान्न की खेती का विस्तार तथा दालों और तिलहनों की खेती के अन्तर्गत भूमि पर इसका प्रभाव

4993. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्यान्न की खेती का विस्तार करने से दालों और तिलहनों की खेती कम भूमि में हो रही है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विस्तार एजेंसियों द्वारा किसानों को खाद्यान्नों तथा लघु फसल के रूप में मूंगफली अथवा दालों की खेती बारी-बारी करने को कहने के बावजूद भी निरन्तर खाद्यान्न की खेती करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) दालों और तिलहनों के उत्पादन में कमी होने की संभावना को दूर करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी नहीं। प्रत्येक वर्ष क्षेत्र में होने वाला परिवर्तन बुवाई के समय विद्यमान रहने वाली मौसमी परिस्थितियों के कारण होता हैं।

(ख) प्रश्न नहीं होता।

(ग) ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई हैं।

(घ) प्रश्न नहीं होता।

(ङ) सरकार स्थिति की गंभीरता से परिचित है। उठाये गये कदमों में तिलहनों तथा दालों की कृषि के लिये पैकेज पद्धतियां भी सम्मिलित हैं। संभाव्य क्षेत्रों में तिलहनों के उत्पादन के लिये केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें संस्वीकृत कर दी गई हैं। इसके अतिरिक्त प्रमुख दीर्घावधि फसलों में वह फसल तथा अन्तर्सस्य के अन्तर्गत अल्पावधि दालों के प्रचलन से दालों के क्षेत्र में वृद्धि के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं। अनुसंधान वैज्ञानिकों द्वारा दालों तथा तिलहनों की अल्पावधि अधिक उत्पादनशील किस्मों को विकसित करने के लिये भरसक प्रयत्न किये जा रहे हैं।

Offer of Israeli help in Reclaiming Rajasthan Desert

4994. **Shri Ramgopal Shalwale :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government attention has been drawn to a statement made by the Consul of Israel wherein he has offered the services of Israeli experts to help reclaim the desert land in Rajasthan; and

(b) if so, the difficulty of Government in accepting this offer?

The Minister of State in the Ministry of food, Agricnlture, Community Development & Coop. (Shri Annasaheb Shinde): (a) and (b). A statement is attached.

Statement

No official offer for any Israeli assistance in the reclamation of Rajasthan desert has been received recently. As reported in certain newspapers, Mr. Yaakov Morris, Israele Consul in India, however, stated in a press conference at Chandigarh on the 27th October, 1970 that he looked forward to close-cooperation betwcen India and his country in the exchange of scientific knowledge and expertise, particularly in the reclaimation of desert areas'. Through the published scientific literature, the Central Arid Zone Research Institute, Jodhpur, is aware of the techniques which have been used in the transformation of desert lands into fertile lands all over the world including Israel. The results obtained from researches conducted on introduction of plant species in desert tract of Israel were also tried in the arid regions of this country and successful species are being introduced here. The conditions of arid zone of Israel are, however, different from the self India and the results of researches in that country may not always directly apply here.

कन्टाई तटवर्ती पट्टी पर काजू का उत्पादन

4995. **श्री समर गुह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के कन्टाई सब-डिवीजन की तटवर्ती पट्टी पर काजू का उत्पादन किया जाता है;

(ख) क्या उक्त क्षेत्र में काजू के उत्पादन में काफी सुधार किया जा सकता है;

(ग) क्या सरकार का काजू की उचित प्रकार से खेती करने, उत्पादन और विपणन में सहायता देने का विचार है; और

(घ) क्या काजू की विकसित खेती की सम्भावना का पता लगाने के उद्देश्य से सरकार का उक्त क्षेत्र में एक अध्ययन दल भेजने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) से (घ). राज्य सरकार से सम्बन्धित जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

सिमुली पहाड़ उड़ीसा में एक आखेट निषिद क्षेत्र के विकास के लिये वन्य पशु बोर्ड की सिफारिशें

4996. **श्री स० कुन्दू** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन पशु बोर्ड ने यह सिफारिश की है कि उड़ीसा के मयूरभंज जिले में सिमुलीपहाड़ का आखेट निषिद्ध क्षेत्र के रूप में विकास किया जाये;

(ख) यदि हां तो, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सिमुली पहाड़ के विकास के बारे में वन्य पशु बोर्ड की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) से (ग). भारत सरकार द्वारा वर्तमान राष्ट्रीय उद्यानों वन्य प्राणी आश्रयस्थलों की जांच करने और नये स्थापित करने के बारे में सलाह देने के लिये स्थापित की गई विशेषज्ञ समिति ने सिफारिश की है कि यदि क्षेत्र को 160 वर्ग किलोमिटर तक सीमित कर दिया जाये और वहां से 70 जनजाति के कबिलों की ओर उसके आस-पास के लोगों को वहां से हटा दिया जाये तो वन्य प्राणीयों के सन्केन्द्रण के लिये उड़ीसा में सिमुली पहाड़ को प्रस्तावित राष्ट्रीय उद्यान के लिये उचित स्थान समझा जा सकता है ।

विशेषज्ञ समिति की इस रिपोर्ट और उस की अन्य सिफारिशों पर 24-10-70 को हुए भारतीय वन्य प्राणि बोर्ड के 8 वे अधिवेशन में विचार विनिमय किया गया था ।

अधिवेशन में किये निर्णयानुसार इस बारे में राज्य सरकारों की राय मांगी गयी है ।

बिहार तथा राजस्थान में बाढ़ पर निग्रंत्रण करने के लिए तथा वर्षा के जल का संग्रह करने के लिए किए गये उपाय

4997. **श्री अब्दूल गनी दार** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में 31 अक्टूबर, 1970 तक, सरकार बाढ़ की वृद्धि पर नियंत्रण रखने में असफल रही है जिससे कि लगातार करोड़ों रुपयों के मूल्य की फसल नष्ट हो रही है; और

(ख) क्या वर्षा के जल का संग्रह करके तथा उसका नहरों द्वारा बहुत से क्षेत्रों में सप्लाई करके बिहार तथा राजस्थान में सूखे की स्थिति को समाप्त किया जा सकता है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) बाढ़ों से होने वाली हानि प्रत्येक वर्ष देश के विभिन्न भागों में बाढ़ों की मात्रा पर निर्भर करती है। यद्यपि गत तीन वर्षों में अधिक हानि हुई है, तथापि यह नहीं कहा जा सकता कि बाढ़ों की वृद्धि हो रही है। 1954 से भण्डारण जलाशयों, बांधों, निकास नालियों आदि के निर्माण जैसे उपाय लिए गये हैं जिससे कि बाढ़ों तथा निकास नालियों के संतुलन से होने वाली हानि को रोका जा सके। इन उपायों में और चौथी योजना के प्रारंभ तक 59 लाख हैक्टार क्षेत्र लाभान्वित हुआ है। चौथी योजना में रक्षात्मक उपाय जारी रखे जायेंगे।

(ख) योजनाओं के दौरान वर्षा-जल संग्रह करने और उसे भूमि संरक्षण तथा लघु सिंचाई योजनाओं के एक भाग के रूप में उपलब्ध साधनों के अनुसार सिंचाई के लिए उपयोग में लाने के लिए राज्य सरकारों ने योजनायें बनाई हैं। उनके पास ऐसी अनेक नयी योजनायें भी हैं। जब इन्हें क्रियान्वित किया जाएगा तब सूखे की समस्या काफी हद तक हल हो जाएगी।

इन्डियन काफी वर्क्स को-अपरेटिव सोसायटी लि०, दिल्ली

4998. **श्री सी० के० चक्रपाणि** :
श्री विश्वनाथ मेनन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन्डियन काफी वर्क्स कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, दिल्ली में कुल कितने सदस्य हैं;

(ख) क्या उन कर्मचारियों को, जो पांच वर्ष से अधिक की अवधि से कार्य कर रहे हैं, सदस्य बनने का अधिकार हैं;

(ग) यदि हां, तो जिन कर्मचारियों ने 5 वर्ष की शर्त पूरी कर ली हैं उनमें से कितने कर्मचारियों को अभी तक सदस्य नहीं बनाया गया है;

(घ) इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि जिन कर्मचारियों ने 5 वर्ष की अवधि पूरी कर ली है, उन्हें सदस्य बनाने के लिये आदेश दिये जायें ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) 227।

(ख) जी हां।

(ग) 105।

(घ) 105 कर्मचारियों में से केवल 16 ने लिखित आवेदन-पत्र दिए हैं, जो कि समिति के विचाराधीन हैं।

(ङ) उपर्युक्त भाग (घ) में बताई गई स्थिति को देखते हुए, अनुदेश जारी करने का प्रश्न नहीं उठता है।

पश्चिम बंगाल में उत्तरपाड़ा स्थित हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

4999. **श्री मुहम्मद इस्माइल** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरपाड़ा (पश्चिम बंगाल) के हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड के कर्मचारियों ने हाल ही में 'नियमानुसार काम करो' हड़ताल की थी;

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों की प्रमुख मांगें क्या हैं;

(ग) क्या हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड से हाल ही में 27 कर्मचारियों की छंटनी कर दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

बम्बई तथा दिल्ली में मध्यस्थ निर्णय सम्बन्धी मामलों पर किया गया खर्च

5000. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में एकमात्र निर्णायक श्री रामचन्दानी की अदालत में, संभरण तथा निपटान विभाग से संबंधित मामलों में सरकार की ओर से केवल विशेष-कार्य अधिकारी (मुकदमा) ही हाजिर होता है और खाद्य विभाग से सम्बन्धित मामलों में केवल उपाविधि-सलाहकार ही हाजिर होता है;

(ख) क्या बम्बई स्थित एकमात्र निर्णायक श्री पी०जी० गोखले की अदालत में खाद्य विभाग की ओर से उप विधि-सलाहकार सरकारी वकील तथा खाद्य निगम के विधि सलाहकार तथा सरकारी निर्णायक-कर्मचारी निर्णय सम्बन्धी कार्यवाहियों हेतु हाजिर होते हैं; और

(ग) क्या सरकार का बम्बई में निर्णय-सम्बन्धी कायवाहियों में काफी बड़ी संख्या में अधिकारियों तथा कर्मचारियों के हाजिर होने पर होने वाले अतिरिक्त खर्च में कमी करने हेतु कोई कार्यवाही करने का विचार है जैसा कि दिल्ली में किया जा रहा है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) सम्भरण तथा निपटान महा निदेशालय से संबंधित मामलों में उस निदेशालय के विशेष कार्य-अधिकारी (मुकदमा) ही अधिकांश मामलों में, जिनकी सुनवाई दिल्ली में होती है, विवाचक के सामने हाजिर होते हैं। तथापि, जब काफी अधिक राशि से संबंधित मामले आ जाते हैं, तब उन मामलों की पैरवी के लिए विशिष्ट काउंसिल रखे जाते हैं। खाद्य विभाग के मामले अधिकांशत: इस विभाग के सेना-क्रय संगठन से संबंधित होते हैं। ऐसे मामलों की पैरवी के लिए 20-7-70 से एक पूर्णकालिक उप-विधि सलाहकार नियुक्त किया गया जोकि उस तारीख के बाद उक्त संगठन के विवाचन को भेजे गये मामलों की पैरवी करता है। उक्त संगठन के पहले के मामलों और सेनाक्रय संगठन के अलावा विभाग के अन्य मामलों की पैरवी प्राइवेट काउंसिल करते हैं। संबंधित सरकारी अधिकारी इन मामलों की पैरवी के लिए विशेष-कार्य-अधिकारी, उप-विधि सलाहकार अथवा प्राइवेट काउंसेल को, यथा स्थिति, सचिवालय संबंधी और अन्य आवश्यक सहायता सुलभ करते हैं।

(ख) खाद्य विभाग से संबंधित मामलों की पैरवी प्राइवेट काउंसिल करते हैं। बम्बई में विधि मंत्रालय के उप-सलाहकार भी सामान्यत: केन्द्रीय सरकार के सालिसीटर की ओर से सुनवाई में भाग लेते हैं। जबकि संबंधित अधिकारी सचिवालय संबंधी और अन्य आवश्यक सहायता सुलभ करते हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि बम्बई में विवाचक के सामने खाद्य विभाग के मामलों की पैरवी इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किए गए काउंसेलों द्वारा की जाती है इसलिए उप-विधि सलाहकार के विवाचन संबंधी कार्यवाही में भाग लेने अथवा संबंधित अधिकारियों को सचिवालय संबंधी और अन्य आवश्यक सहायता करने पर कोई अतिरिक्त खर्च नहीं किया जाता है।

एच एण्ड टी ठेकों की अवधि समाप्त होने पर जमानत की राशि न लौटाये जाने पर खर्च

5001. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1969 में बम्बई में निर्णायक श्री पी०जी० गोखले द्वारा दिये गये निर्णय के अनुसार, सरकार को सी० एस० डी० ग्वालियर में जून, 1965 में श्री शान्ति प्रसाद अग्रवाल के नाम जमा जमानत की राशि को एच एण्ड टी ठेके की अवधि समाप्त होने पर भी अदा नहीं करने के सम्बन्ध में ब्याज के रूप में 4200 रुपये तथा अन्य अदालती खर्चे सहित खर्चे की 1000 रुपये की अदायगी करनी पड़ी थी;

(ख) उक्त जमानत की राशि की समय पर वापस अदायगी न करने के लिये उत्तरदायी अधिकारियों के नाम क्या हैं जिसके कारण उपरोक्त व्यर्थ का खर्च हुआ; और उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाई की गई; और

(ग) क्या भविष्य में सरकार को होने वाली ऐसी हानियों को रोकने के लिये कोई निर्देश जारी किये गये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) उपर्युक्त मामले में विवाचक द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार सरकार ने जमानत की जमा राशि पर 4198.35 रुपये ब्याज के रूप में तथा इस मामले को विवाचन के लिये दिए जाने पर ठेकेदार की लागत के प्रति 500 रुपये दिए थे।

(ख) और (ग). आवश्यक विचार-विमर्श करने के बाद ही जमानत की जमा राशि के न दिए जाने के बारे में निर्णय लिया गया था और तदनुसार किसी विशिष्ट अधिकारी अथवा अधिकारियों को इस मामले में जिम्मेदार ठहराने अथवा इस विषय पर किसी प्रकार के सामान्य निर्देश जारी करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था।

Examination of Telegraphists held in 1968, G.C.T.D. New Delhi

5002. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communication** be pleased to state:

(a) the names of Telegraphists who took the examination held by the Central Telegraph Office, New Delhi in 1968, the results thereof and the details of the dates on which their recruitments were made;

(b) whether some of the telegraphists had already been appointed in other offices as Lower Division Clerks before the result of the examination was declared; and if so, the details thereof;

(c) whether telegraphists selected by other offices as Lower Division Clerks were not sent to those offices through proper channel, even though they served in the Central Telegraph Office for more than four years and were issued 'No objection certificate' by it and also belonged to the Scheduled Castes;

(d) if so, whether Government propose to issue the necessary orders in this regard;

(e) if so, when; and

(f) if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Mintstry of Information and Broadcasting and in the Department of Communication (Shri Sher Singh): (a) No examination for the recruitment of Telegraphists or an examination for which Telegraphists would have been eligible was held by Central Tele- graph Office, New Delhi in 1968.

(b) to (f). In view of reply to part (a), further questions do not arise. However in respect of part (c) of the question it may be added that the Telegraphists are in higher scale (Rs. 110-240) than Lower Division Clerks (Rs. 110-180), therefore we are not aware of any case in which a Telegraphists has chosen to become Lower Division Clerk.

Progress made in the manufacture of Fishing Vessels

5003. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the **Minister of Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) the progress made so far in regard to the manufacture of fishing vessels; and

(b) the probable time by which the country is likely to become self-sufficient in this matter?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde): (a) The Ministry of Food and Agriculture placed an indent on DGS & D on 18th March, 1968 for procurement of 40 vessels of 57-ft. length from Indian ship building yards. The orders for these vessels were placed on the West and East Coast Consortia of shipbuilders by DGS & D for 20 vessels each on dates varying from October, 1968 to January, 1969. The consignees are Central Government institutions, *viz.* Deep Sea Fishing Organisation, Bombay and Central Institute of Fisheries Operatives, Ernakulam, and the State Governments of Gujarat, Maharashtra, Goa, Mysore, Kerala and Tamil Nadu.

The present position is that the West Coast Consortium has delivered 11 vessels up to the end of November, 1970 and two vessels have been completed and are awaiting final taking over. The remaining seven vessels are ready with all fittings and are awaiting trials.

As far as the East Coast Consortium is concerned, trials for two vessels have been completed and two vessels are under trial. According to the latest schedule of delivery, all the twenty vessels are to be delivered before March, 1971, But due to delay in import of certain components, request for extension of the delivery date has been received and under consideration.

(b) The pooled order for construction of 40 indigenous fishing vessels is expected to help the Indian ship-building industry to gain experience in construction of deep sea fishing vessels. In order to encourage the indigenous ship-building industry, the Government had made it obligatory for entrepreneurs who have been permitted to import vessels under a scheme of limited imports to place orders for one indigenous vessel for every two vessels permitted to be imported. As an incentive to entrepreneurs proposing to establish deep sea fishing projects with Indian made vessels, Government have also introduced a scheme for subsidising indigenously constructed steel fishing vessels above 57-ft. length.

It is not practicable to indicate a date by which the country will be fully self-sufficient in the manufacture of deep sea fishing vessels. The industry is being encouraged and it is expected that the bulk of the requirements of the fishing industry in the Fourth Plan period will be met by indigenous construction.

दवाइयां छिड़कने के लिये हेलीकाप्टरों का चयन

5004. **श्री कंवरलाल गुप्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री फसलों को नष्ट करने वाले कीड़ों और रोगों के उन्मूलनार्थ कृषि विमानों के लिये विश्व बैंक से करार के सम्बन्ध में 26 नवम्बर, 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 380 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि विमानन निदेशक उपयुक्त निर्धारण करके आयात किये जाने वाले फिक्स्ड विंग अथवा हेलीकाप्टर विमानों के प्रकार के बारे में निर्णय करेंगे;

(ख) हेलीकाप्टरों की खरीद करने और धन को समुचित ढंग से लगाने के लिये उत्तरदायी अधिकारियों की कोई व्यवस्था है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) वित्त एवं खाद्य तथा कृषि मंत्रालयों और सिविल विमानन एवं पूर्ति तथा निपटान निदेशालयों के प्रतिनिधियों से गठित अधिप्राप्ति समिति की पूर्व स्वीकृति से सम्भरण-कर्ताओं द्वारा उपलब्ध कराये गये मेक तथा नमूनों के विमानों की अधिप्राप्ति भारत सरकार तथा विमान चालकों की मांगों पर आधारित होगी। यह पूर्व-स्वीकृति विमानों के विशिष्ट विवरण अतिरिक्त पुर्जों, विक्रयोपरान्त सेवा तथा पोत परिवहन व्यवस्थाओं सहित सार्वजनिक विज्ञापन से प्राप्त प्रस्तावों पर आधारित होगी। गैर-सरकारी चालकों को आयात लाइसेंस जारी किये जायेंगे और वे विमानों के आयात के लिये स्वयं उत्तरदायी होंगे।

सरकारी एककों के लिए विमानों की खरीद का उत्तरदायित्व उपरोक्त अधिप्राप्ति समिति पर ही होगा।

केन्द्रीयकृत विदेशी पार्सल लेखा-कार्य विभाग में सलेक्शन ग्रेड लीपिकों के पदों को भरना

5005. **श्री गुणानन्द ठाकुर** :
श्री सुब्रावल :
श्री दीवीकन :

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी पार्सल लेखा-कार्य का वर्ष 1962 में डाक व तार निदेशालय में केन्द्रीयकरण कर दिया गया था;

(ख) क्या सलेक्शन ग्रेड के लिपिकों के पद, तत्सम्बन्धी कार्य सहित, बम्बई तथा कलकत्ता से स्थानान्तरित कर दिये गये थे; और

(ग) यदि हां, तो इन पदों को समय समय पर किस प्रकार भरा गया ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) महानिदेशालय में काम के केन्द्रीयकरण करने पर बम्बई और कलकत्ता के लोअर सलेक्शन ग्रेड क्लर्कों के पदों को समाप्त कर दिया है। साथ ही साथ, महानिदेशालय में स्थल डाक लेखा कार्य के लिए लोअर सलेक्शन ग्रेड क्लर्कों के दो पदों को बनाया गया है।

(ग) लोअर सलेक्शन ग्रेड क्लर्कों के दो पदों की ऐसे हवाई डाक लेखा क्लर्कों को नियुक्त कर के भरा गया था जो उसी (हवाई डाक लेखा) अनुभाग में 1952 से काम कर रहे थे।

तत्पश्चात यह निर्णय किया गया था कि हवाई डाक लेखा क्लर्कों और स्थल डाक लेखा क्लर्कों की संख्या को ध्यान में रखते हुए दोनों अनुभागों में सम्मिलित रूप में रिक्त स्थान दोनों ग्रेडों में से क्रमशः 3:1 के अनुपात में भरा जाना चाहिए। इस निर्णय के अनुसार चौथे और आठवें रिक्त स्थान को स्थल डाक लेखा क्लर्कों में से क्लर्कों की पदोन्नति कर के भरा गया है।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों को भूमि का वितरण

5006. **श्री देवराव पाटिल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के कितने लोगों को भूमि वितरित की गई ; और

(ख) इन लोगों को भूमि प्रदान करने सम्बन्धी नियम क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिदे) : (क) और (ख) : जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग में बोनस सम्बन्धी विवाद

5007. **श्री नारायणन** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के प्रबंधकों तथा वहां के कर्मचारियों के मध्य बोनस संबंधी औद्योगिक विवाद दिल्ली स्थित राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण को सौंपने का निश्चय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) तत्सम्बन्धी निर्देश-पद क्या हैं, और उक्त न्यायाधिकरण द्वारा कब तक अपना निर्णय दिये जाने की संभावना है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). कारण और विचारार्थ-विषय का० आ० सँख्या 3759, दिनांक 12 नवम्बर, 1970 में दिए गए हैं, जिसकी एक प्रति संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०–4602/70]** सरकार के पास कोई सूचना नहीं है, राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, दिल्ली अपना निर्णय कर देगा।

सातवीं एशियाई विज्ञापन कांग्रेस विचार गोष्ठी में ताइवान के शिष्टमण्डल का भाग लेना

5008. **श्री शशि भूषण** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई दिल्ली में आयोजित हुई सातवीं एशियाई विज्ञापन कांग्रेस विचार गोष्ठी में भाग लेने वाले शिष्टमंडलों तथा प्रतिनिधियों की सूचि वाली पुस्तिका का अध्ययन किया है;

(ख) क्या सरकार का ध्यान उसमें चीनी प्रतिनिधि के रूप में ताइवान के शिष्टमण्डल को शामिल किये जाने के बारे में विशेष रूप से आकर्षित किया गया है;

(ग) क्या विज्ञापन काँग्रेस के संयोजकों ने उक्त पुस्तिका को प्रकाशित करने से पूर्व सरकार की सलाह ली थी; और

(घ) यदि हाँ, तो उक्त नाम को शामिल करने की अनुमति देने के क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हाँ ।

(ख) और (ग) . सातवीं एशियाई विज्ञापन कांग्रेस के आयोजकों द्वारा अपने सभी सदस्यों, जो एशियाई देशों की विज्ञापन एजेन्सियों के प्रतिनिधि थे, को सर्कुलर जारी किया गया था । यह सर्कुलर प्रत्येक सदस्य को अलग-अलग तथा संबंधित देशों की सरकारों की मार्फत भेजा गया था । ये निमन्त्रण यह बात स्पष्ट करते हुए भेजे गए थे कि मेजवान देश अर्थात भारत तथा अन्य देशों के बीच सम्मेलन के समय लागू बीमा संबंधी नियमों के अधीन होंगे । पुस्तिका छापने से पूर्व आयोजकों ने सरकार से परामर्श नहीं किया था परन्तु ताईवान के एक व्यक्ति के नाम को शामिल किया गया था क्योंकि उसने काँग्रेस में सम्मिलित होने की अपनी इच्छा व्यक्त की थी परन्तु वह आए नहीं थे । ताईवान के अन्य किसी प्रतिनिधि ने काँग्रेस में भाग नहीं लिया था ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि

5009. **श्री श्रद्धाकर सूपकार** :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उर्वरकों की विभिन्न किस्मों का वर्तमान मूल्य क्या है, उनकी उत्पादन लागत क्या है और पिछले दो वर्षों के दौरान मूल्यों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई ;

(ख) क्या उर्वरकों के मूल्य घटाने की माँग की जा रही है; और

(ग) इस माँग के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) आयातित उर्वरकों की चालू पूल निर्गम कीमतें और गत दो वर्षों के दौरान प्रचलित कीमतें और प्रतिशत वृद्धि निम्न लिखित है:—

(रु० प्रति मीटरी टन)

	राज्यों के लिये पूल निर्गम कीमतें 1968-69	1969-70	राज्यों के लिये चालू पूल निर्गम कीमतें	प्रतिशत वृद्धि
1. अमोनियस सलफेट (श्वेत क्रास्टलाइन)	458	485	485	7.47
2. यूरिया	780	863	863	9.62
3. केलशियम अमोनियम नाइट्रेट (26 प्रतिशत एन)	475	515	515	7.77
4. केलशियम अमोनियम नाइट्रेट (25 प्रतिशत एन)	455	490	490	7.14
5. अमोनियम क्लोराइड	450	484	484	7.02
6. क्यूरियेट आफ पोटाश	445	483	483	7.87
7. डाइ-अमोनियम फोस्फेट	1000	1122	1122	10.87
8. एन० पी० के० (14-14-14)	700	755	755	7.86
9. एन० पी० के० (15-15-15)	760	832	832	8.65

घरेलु उर्वरकों के उत्पादन की लागत को उर्वरक निर्माताओं ने गोपनीय रखा है और इसलिये उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) जी हां।

(ग) यह माना गया है कि करों के लगने के कारण कीमतों में वृद्धि होने पर भी मौजूदा उत्पाद कीमतों के स्तर पर, वैज्ञानिक आधार पर उर्वरक का प्रयोग अत्यन्त आकर्षक है। केन्द्रीय उर्वरक पूल 'न लाभ न हानि' के आधार पर चलता है और सरकार का यह हमेशा प्रयत्न रहा है कि पूल निर्गम कीमतों और फुटकर कीमतों को यथा सम्भव कम रखा जाये। यह आशा की जाती है कि नवीनतम तकनोलोजी के साथ बड़े उर्वरक कारखानों की स्थापना से, उत्पादन लागत कम हो जायेगी और परिणामस्वरूप उर्वरकों की कीमतें भी कम हो जायेंगी।

भद्रसाही (रायदा) मेंगनीज खानों में दुर्घटना

5010. **श्री गु० च० नायक** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भद्रासाही (रायदा) मेंगनीज खानों में हाल ही में हुई गंभीर खान दुर्घटना में चार व्यक्ति जिन्दा दब गये थे और कुछ अन्यों को गंभीर चोटें आई थीं ;

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाई का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या दुर्घटनाग्रस्त हुए लोगों के परिवारों को कोई क्षतिपूर्ति दी गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) 14-10-1970 को दीवार के गिर जाने के कारण भद्रासाही मैंगनीज खान में एक घातक दुर्घटना हुई, जिसके कारण वहां काम कर रहे 5 श्रमिकों में से 4 श्रमिक दब कर मर गये। पाँचवें श्रमिक को कोई चोंट नही आई । कोई अन्य व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ ।

(ख) दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने के तत्काल बाद खान सुरक्षा महानिदेशालय के अधिकारी दुर्घटना-स्थल पर गए और उन्होंने बचाव कार्यों में भाग लिया। दुर्घटना की जाँच भी की गई और अंतिम रिपोर्ट की प्रतिक्षा की जा रही है । रिपोर्ट के अंतिम रूप लिए जाने के शीघ्र ही बाद दुर्घटना के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

(ग) और (घ) : कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अधीन, जिसकी व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जाती है, प्रबन्धकों द्वारा मुआवजा देय है; उड़ीसा सरकार से इस मामले में आवश्यक कार्यवाही करने के लिए प्रार्थना कर दी गई है । इस बीच यह निर्णय किया गया है कि स्पेशल मेजिस्ट्रेट वार्बिल द्वारा वैध दावों की जांच के बाद प्रत्येक मृतक के परिवार को 200 रुपये का तदर्थ मुआवजा दिया जाए । एक मृतक की विधवा पत्नी यह राशि प्राप्त कर चुकी है। अन्योंने उक्त राशि का दावा करना है ।

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड में हड़ताल

5011. **श्री रवि राय** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड में हाल ही में हुई श्रमिक हड़तालों के क्या कारण हैं; और

(ख) इस स्थिति में सुधार के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड की खानों में हाल ही में कोई हड़ताल नहीं हुई है। हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के अन्य एककों में औद्योगिक सम्बन्ध राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आते हैं ।

(ख) जहाँ तक उन खानों का सम्बन्ध है जिनके लिए उचित सरकार केन्द्रीय सरकार है, प्रश्न नहीं उठता ।

आर० एस० 09 ट्रेक्टर में काम आ सकने वाले पूर्जों का चयन करने के लिये स्थापित की गई समिति

5012. **श्री वासुदेवन नायर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आर० एस० 09 पूर्व जर्मनी के ट्रक्टर के उपकरण अपरम्परागत है, कोई समिति उनके लिये उपयुक्त उपकरण चुनने के लिये स्थापित की गई थी;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त समिति ने कोई प्रतिवेदन दिया है; और

(ग) यदि कोई प्रतिवेदन दिया गया है तो क्या उसकी प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहेब शिन्दे) : (क) सरकार ने औपचारिक रूप से किसी ऐसी समिति का गठन नहीं किया था। परन्तु आर० एस०–09 ट्रेक्टरों के उपयुक्त उपकरणों के चयन का कार्य विभाग के तीन वरिष्ठ तकनीकी अधिकारियों की एक समिति को सौंपा गया था। परन्तु यह समिति औपचारिक रूप से गठित नहीं की गई थी ।

(ख) समिति ने पहले 500 ट्रेक्टरों के लिए अपेक्षित उपकरणों के चयन, उनके मूल्य आदि के बारे में सिफारिशें की थीं। इन ट्रेक्टरों और उपकरणों के अधिकतम उपयोग के लिए समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि आर० एस०–09 ट्रेक्टरों का कुछ चूनिन्दा क्षेत्रों के लिए ही आवंटन किया जाए। विदेशी सम्भरणकर्ताओं से बात-चीत करते समय और राज्यवार आवंटन करते समय इन सिफारिशों पर विचार किया गया था।

(ग) समिति की रिपोर्ट की प्रति सभा पटल पर रखना जन-हित में नहीं है।

पश्चिम बंगाल के कृषि उद्योग निगम का कार्य

5013. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1969–70 और 1970–71 के दौरान पश्चिम बंगाल कृषि उद्योग निगम का कार्यकरण कैसा रहा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : पश्चिमी बंगाल कृषि उद्योग निगम लिमिटेड की मुख्य गतिविधियाँ निम्न प्रकार हैं:—

(क) कृषि मशीनरी तथा आदानों का विक्रय तथा वितरण और जलपाईगुरी, दार्जलिंग तथा कूच–बिहार के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में भूमि सुधार जैसे विशेष परियोजना कार्य ।

(ख) कृषि मशीनरी का विक्रय तथा वितरण, भाड़ा क्रय आधार पर कृषि आदान और मरम्मत सेवा केन्द्रों को चलाना ।

वर्ष 1969–70 की अवधि में 15 जेटर–2011 ट्रैक्टर, 97 डी·टी 14 बी रूसी ट्रैक्टर 25 कुबोटा पावर टिलर्स, 163 कृषि आदान, 316 पम्प सेट नकद आधार पर बेचे गये तथा 224 मीटरी टन कृषि आदान भी बेचे गये और निगम को मरम्मत सेवा केन्द्रों को चलाने तथा उत्तरी बंगाल के बाढ़ग्रस्त गादयुक्त क्षेत्र में ट्रैक्टर द्वारा खेती करने की अवशिष्ट राशि से 3,35,000 रुपये प्राप्त हुये ।

इस वर्ष की अवधि में कुल 30,11,000 रुपये की प्राप्ति हुई और लाभ सहित गतिविधियों से होने वाली आय 4,85,000 रुपये थी । वर्ष 1970–71 की अवधि में अगस्त 1970 के मध्य तक 16 जेटर–2011 ट्रैक्टर, 3 डी टी–14 बी रूसी ट्रैक्टर, 12 कुबोटा पावर टिलर्स, 7 मिस्त-विशी पावर टिलर्स तथा 117 पम्प सेट और 445 मीटरी टन कृषि आदानों का विक्रय किया गया था । निगम को इस अवधि में मरम्मत सेवा केन्द्रों को चलाने से 99,000 रुपये की प्राप्ति हुई । इस अवधि में कुल 13,63,000 रुपये की उपलब्धी हुई तथा गतिविधियों से होने वाली आय, लाभ सहित 1, 48,000 रुपये थी ।

वर्ष 1969–70 की अवधि में निगम द्वारा भाड़ा क्रय आधार पर 6210 पम्पसेट वित-रित किये गये थे और कुल उपलब्धि 1,78,72,000 रुपये थी तथा 31–3–70 तक ब्याज सहित गतिविधियों से होने वाली आय 12,70,000 रुपये थी । आय का विवरण निम्न प्रकार है:—

1969–70	–	17,55,000
1970–71		
(मध्य अगस्त, 1970 तक)	–	1,48,000 (1969–70 की अवधि में दिये गये ऋणों का ब्याज सम्मिलित नहीं किया गया है)

वर्ष 1969–70 की अवधि में जून 1970 तक पम्पसेटों के भाड़ा-क्रय के अन्तर्गत दिये गय ऋणों पर मूलधन तथा ब्याज का कुल भाग 1,88,750.64 रुपये थी तथा मध्य अगस्त, 1970 तक वसूल की गई कुल राशि 2,92,503.25 रुपये थी ।

Big Farms run in Public and Private Sectors

5014. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) the names of the States in the country where big farms are being run in the public as well as private sectors; and

(b) the facilities extended by the Central as well as State Governments for running big farms?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture Community Development and cooperation (Shri Annasaheb Shinde) :

(a) The following large sized mechanised farms are being run by the State Farms Corporation of India Ltd., a public sector undertaking, in the States indicated against each:—

(1)	Suratgarh	Rajasthan
(2)	Jetsar	Rajasthan
(3)	Jharsuguda	Orissa
(4)	Hisser	Haryana
(5)	Raichur	Mysore.

In so far as the big farms in public as well as private sectors of the States are concerned, the information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha.

(b) In so far as the Central mechanised farms in the public sector are conserned these are directly run by the State Farms Corporation of India Ltd., a public sector undertaking entirely owned by the Central Government. In some cases the land for the farm has been purchased by the Government of India. In other cases the land has been taken on lease from the State Governments and handed over to the Corporation. As regards other facilities extended to the big farms in the public and private sectors, the information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha.

उपजाऊ भूमि का औद्योगिक कार्यों के लिये आवंटन किये जाने पर प्रतिबन्ध

5015. **श्री अब्दुल गनी डार** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उपजाऊ भूमि के औद्योगिक उद्देश्यों के लिये आवंटन पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये कोई व्यापक विधेयक ला रही है : और

(ख) क्या उक्त विधेयक में यह भी व्यवस्था होगी कि कोई उद्योगपति अपनी आवश्यकता से अधिक भूमि नहीं रख सकेगा और यदि सरकार को यह पता चलता है कि किसी उद्योगपति के पास अधिक भूमि है, तो सरकार उस भूमि पर कब्जा कर लेगी और उस भूमि को गरीब किसानों को सौंप देगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे): (क) और (ख) : यह सुनिश्चित करना भारत सरकार की स्वीकृत नीति है कि भूमि के ऐसे अर्जन को छोड़कर जहां स्वयं कृषि के विकास के लिए या विशिष्ट महत्व के कारण वह अनिवार्य है किसी सार्वजनिक कार्य के लिये अच्छी कृषि भूमि को अर्जित न किया जाये। भारत सरकार द्वारा समस्त राज्य सरकारों को परिपत्र जारी कर दिए गए हैं, जिनमें उनसे अनुरोध किया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि भूमि अर्जन अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत अच्छी कृषि भूमि अर्जित न की जाये। भूमि अर्जन पुनरीक्षण समिति ने भी भूमि अर्जन के समस्त पहलुओं पर विचार किया और सिफारिश की है कि चूंकि विशिष्ट महत्व के कारण और कृषि के विकास के लिए भी अच्छी कृषि भूमि के अर्जन पर पूरा प्रतिबन्ध लगाना व्यावहारिक न हो, सरकार को अच्छी कृषि भूमि के अर्जन को रोकने के लिए एक वैधानिक साधन प्रदान करना चाहिए। भूमि अर्जन पुनरीक्षण समिति ने यह भी सिफारिश की कि सार्वजनिक कार्यों के लिए जिसमें परियोजनाओं की क्रियान्वित सम्मिलित है, बड़े पैमाने पर अर्जन के मामले में भूमि उपयोग नीति के

सम्बन्ध में सरकार को परामर्श देने के लिए प्रत्येक राज्य में एक भूमि अर्जन समिति स्थापित की जानी चाहिए । इस समिति के कार्यों में एक कार्य यह सुनिश्चित करना भी है कि अच्छी कृषि भूमि का अर्जन वहां नहीं किया जाना चाहिए जहाँ इसके बिना काम चल सकता है। भूमि अर्जन पुनरीक्षण समिति की सिफारिशों को राज्य सरकारों के पास उनका मत जानने के लिए भेज दिया गया है । समस्त राज्यों से उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं । अब तक जो उत्तर प्राप्त हुए हैं उनसे पता चलता है कि कुछ राज्य सरकारों ने सम्बन्धित प्राधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं ताकि अनिवार्य परिस्थितियों को छोड़कर अच्छी कृषि भूमि को अर्जित नहीं किया जाना चाहिए । इस समय उपजाऊ भूमि को औद्योगिक उद्देश्यों के लिए आवंटित करने पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए व्यापक विधेयक लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

रूस से ट्रैक्टरों के आयात के लिये करार

5016. **श्री मुहम्मद शरीफ:**
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री रा० बरुआ :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम और रूस सरकार के बीच ट्रैक्टरों की सप्लाई सम्बन्धी किसी करार पर हस्ताक्षर हुए हैं ;

(ख) जिन दूसरे देशों से भारत ट्रैक्टरों का आयात करता है उनके नाम क्या हैं ;

(ग) प्रत्येक देश से आयात किये जाने वाले ट्रैक्टरों का ब्यौरा क्या है, और भारत को सप्लाई किये जाने वाले ट्रैक्टरों का तुलनात्मक प्रति ट्रैक्टर मूल्य क्या है ;

(घ) क्या सरकार ने देश में ट्रैक्टरों के आवंटन के लिये कोई विशेष कार्यवाही की है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, विकास सामुदायिक, तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे): (क) जी हां ।

(ख) भारतीय राज्य व्यापार निगम ने पूर्वी जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, रुमानिया, पोलैण्ड, युगोस्लाविया और इंगलैंड के विदेशी सम्मरणकर्ताओं के साथ भी ट्रैक्टर आयात करने के लिये समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं । पूर्वी जर्मनी से ट्रैक्टरों का आयात स्थगित कर दिया गया है ।

(ग) अपेक्षित जानकारी नीचे दी गई है—

ट्रैक्टरों का मेक	आयात मूल्य प्रति ट्रैक्टर
आर0 एस0 09	6,350 लागत और भाड़ा
जैटर–2011 एस0 के0 डी0	10,007 ,,
जैटर–2011 धान विशेष एस0 के0 डी0	10,557 ,,
जैटर–2011 धान विशेष पूर्ण निर्मित	11,467 ,,
जैटर–5511 पूर्ण निर्मित	17,680 ,,
जैटर–5511 एस0 के0 डी0	17,173 ,,
यू0 650 पूर्ण निर्मित	19,650 ,,
यू0 650 एस0 के0 डी0	19,650 ,,
यू0 651	21,759 ,,
वाईलारूस	13,500 लागत बीमा भाड़ा
टी0 25	8,900 ,,
उरसुस 328 पी0 के0 डी0	7,100 लागत और भाड़ा
उरसुस 335	11,800 ,,
आई0 एम0 टी0 555	15,557 ,,
फोर्ड–3000	1,145 ,,
इन्टर्नेशनल बी0 276	849.10 ,,

(आयात स्थगित कर दिया गया है और मूल्य उच्छेद के साथ है)

(घ) और (ङ) सन् 1969–70 की आवश्यकताओं के लिये आयात किये जाने वाले 30,000 ट्रैक्टरों के नियतन का विवरण संलग्न है ।

विवरण

क्र0 सं0	राज्य कृषि उद्योग निगम / संघ शासित क्षेत्र का नाम	आवंटन			
		12–20 (अश्वशक्ति)	35 (अश्वशक्ति)	50 या उससे ऊपर (अश्वशक्ति)	जोड़
1.	आंन्ध्र प्रदेश	1,600	300	400	2,300
2.	असम	175	75	50	300
3.	बिहार	1,425	300	375	2,100
4.	गुजरात	925	275	400	1,600
5.	हरियाणा	1,300	325	375	2,000
6.	जम्मू और कश्मीर	100	50	50	200
7.	केरल	600	50	150	800
8.	मध्य प्रदेश	1,050	350	400	1,800
9.	महाराष्ट्र	975	325	500	1,800
10.	मैसूर	1,150	275	425	1,850
11.	तामिलनाड़	1,275	325	300	1,900
12.	उड़ीसा	100	100	50	250
13.	पंजाब	2,300	300	400	3,000
14.	राजस्थान	1,250	325	425	2,000
15.	उत्तर प्रदेश	2,525	375	500	3,400
16.	पश्चिम बंगाल	200	50	50	300
	रक्षा	1,400	500	600	2,500
	कस्टम हायरिंग	100	500	400	1,000
	संघ शासित क्षेत्र/आरक्षित	550	200	150	900
	जोड़	19,000	5,000	6,000	30,000

दूर-संचार फैक्टरी की स्थापना के लिए हंगरी से सहायता

5017. **श्री यशपालसिंह :**
श्री नारायणन :
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हंगरी ने दूर संचार तथा सूक्ष्म तरंगों के निर्माण के लिये फैक्टरी बनाने के लिये वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो दोनों देशों के बीच करार की क्या शर्तें हैं ; और

(ग) फैक्टरी के कब तक स्थापित होने की संभावना है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) से (ग). हंगरी सरकार के धातुकर्म तथा अभियांत्रिकी (मैटलर्जी तथा इंजीनियरी) उप-मंत्री हाल ही में भारत आये थे और उन्होंने संचार विभाग के अधिकारियों से भी भेंट की थी जिसमें परस्पर-रूचि के मामलों पर सामान्य रूप से विचार हुआ। उक्त उप-मंत्री महोदय ने बताया कि उनके देश के पास सुविकसित दूरसंचार उद्योग मौजूद है वह भारत को सूक्ष्मतरंग (माइक्रोवेव) उपस्कर सहित दूरसंचार उपस्कर की पूर्ति करना तथा उक्त उपस्कर के निर्माण के लिये भारत में संयुक्त-उद्यम की स्थापना करना पसन्द करेगा। अभी तक कोई ठोस प्रस्ताव सामने नहीं आया है और इस विषय में हंगरी से कोई समझौता नहीं किया गया है।

ट्रैक्टर के कल-पुर्जों का चेकोस्लोवाकिया को निर्यात

5018. **श्री राजदेव सिंह :**
श्री एन० शिवप्पा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चेकोस्लोवाकिया को ट्रैक्टरों के कल-पुर्जों के निर्यात के सम्बन्ध में भारत और चेकोस्लावाकिया के बीच कोई करार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे): (क) और (ख). दिनांक 18 नवम्बर, 1970 को भारत और चेकोस्लोवाकिया के बीच व्यापार सम्बन्धी एक मसौदे पर हस्ताक्षर किए गए हैं और इसमें चेकोस्लोवाकिया से जेटर–25 के तथा अन्य ट्रैक्टरों और जेटर–2011 के फालतू कल-पुर्जे और जेटर–5511 (सम्पूर्ण) तथा फालतू कल-पुर्जों के आयात की व्यवस्था की गई है। इनके अतिरिक्त राज्य व्यापार निगम और मेसर्स मोटोकोव विदेश व्यापार निगम, पराहा, चेकोस्लोवाकिया के बीच 2,500 पूर्ण रूप से निर्मित जेटर–2011 (चावल विशेष तथा 1,000 जेटर–5511 ट्रैक्टर और उनके फालतू कल-पुर्जे तथा औजारों के अतिरिक्त 3,000 जेटर–2011 (एस के डी), 1000 जेटर–2011 (एस के डी) (चावल विशेष) 500 जेटर–5511 (एस के डी) के आयात के लिए भी एक करार किया गया है।

आई० टी० आई० दिल्ली के कर्मचारियों का स्थाई किया जाना

5019. **श्री रामस्वरूप विद्यार्थी** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान दिल्ली में कुल कितने प्रशिक्षक, पर्यवेक्षक' फोरमेन और प्रिंसिपल हैं ;

(ख) उनमें से कितने 10 वर्ष से अधिक समय से सेवा में हैं और अभी तक अस्थायी है ;

(ग) उनमें से कितने लोगों को स्थायी किया गया है;

(घ) क्या कर्मचारी पिछले कई वर्षों से स्थायी घोषित किये जाने की मांग कर रहे हैं; और

(ङ) सभी पात्र कर्मचारियों को स्थायी घोषित करने में क्या बाधा है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) :

(क) अनुदेशन कर्मचारी वर्ग	545
प्रधानाचार्य	17
(ख) अनुदेशन कर्मचारी वर्ग	150
प्रधानाचार्य	शून्य
(ग) अनुदेशन कर्मचारी वर्ग	67
प्रधानाचार्य	2

(घ) जी हाँ।

(ङ) दिल्ली/नई दिल्ली के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अनुदेशन कर्मचारी वर्ग/प्रधानाचार्यों के स्थायी पदों पर कार्य कर रहे लोगों की स्थायी नियुक्ति कर दी गई है । कुछ अस्थायी पदों का स्थायी करने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

चौथी योजना के आरम्भ में खेती की भूमि का क्षेत्रफल

5020. **श्री शंकर राव माने** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चौथी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में कितने एकड़ भूमि पर खेती की गई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : कृषि क्षेत्र के आंकड़ों को भू-प्रयोग आंकड़ों के रूप अंग में संकलित किया जाता है, जो कि कुछ समय के उपरान्त ही उपलब्ध होते हैं। इन आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 1966-67 की अवधि में (जिसके सम्बन्ध में अखिल भारतीय नवीनतम आंकड़े उपलब्ध हैं) भारत में कृषि क्षेत्र (बोया गया निवल क्षेत्र तथा वर्तमान पड़ती भूमि, 1503.3 लाख हैक्टार (3714.7 लाख एकड़) है।

पंजाब राज्य कृषि उद्योग निगम के प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध आरोप

5021. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब राज्य कृषि उद्योग निगम के प्रबन्ध निदेशक के विरूद्ध, पक्षपात, भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार की बहुत सी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में एक ज्ञापन भारत के राष्ट्रपति को भेजा गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उन शिकायतों और ज्ञापन पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) और (ख) . जी हां ।

(ग) ये शिकायतें क्रमश: मुख्य सचिव, पंजाब सरकार तथा अध्यक्ष, पंजाब राज्य कृषि-उद्योग निगम को उचित कार्यवाही, जांच-पड़ताल एवं रिपोर्ट देने के लिये भेज दी गई हैं ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा किये गये कर्मचारियों के चयन के विरुद्ध अभ्यावेदन

5022. **श्री राम स्वरूप विद्यार्थी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् में पिछले तीन वर्षों में किये गये कर्मचारियों के चयनों के विरूद्ध कितने तथा किस प्रकार के अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं ;

(ख) कर्मचारियों का चयन किस के आदेश से संघ लोक सेवा आयोग के क्षेत्राधिकार से लेकर भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् को सौंपा गया ; और

(ग) क्या हेर फेर करने तथा कतिपय उम्मीदवारों के साथ पक्षपात करने के लिये बरते गये अन्य तरीकों के बारे में आरोप सरकार की जानकारी में लाये गये थे ; और यदि हां, तो किन अधिकारियों के विरूद्ध आरोप लगाये गये हैं और उन अधिकारियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) गत तीन वर्षों की अवधि में परिषद् के अधीनस्थ संस्थानों में कार्य करने वाले 5 वैज्ञानिकों ने उचित माध्यम से अभ्यावेदन दिए थे । इसके अतिरिक्त, मुख्यत : विभाग से सम्बद्ध वैज्ञानिकों के विषय में आम जनता से बहुत से नोट या पत्र प्राप्त हुए हैं ।

(ख) भारत सरकार द्वारा नियुक्त कृषि अनुसंधान पुनरीक्षण दल की सिफारिशों पर सरकार ने मंत्रिमण्डल की वैज्ञानिक सलाहकार समिति के परामर्श से निर्णय किया कि पुनर्गठित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् तथा उसके द्वारा संभाले गये संस्थानों में विभिन्न वैज्ञानिक तथा तकनीकी पदों पर भर्ती जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती थी, परिषद् द्वारा

गठित उन चयन समितियों की, जिनमें विशेष क्षेत्र के प्रमुख वैज्ञानिक होते हैं, सिफारिशों पर की जानी चाहिए।

(ग) योग्यता आदि के विषय में किसी प्रकार के हेर फेर को रोकने में धोखेबाजी के अवसर की दृष्टि से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने वैज्ञानिक तथा तकनीकी पदों के लिए मानवार तथा विषयवार समान योग्यताएं निर्धारित की हैं। आवेदन पत्रों के निरीक्षण की विधि निर्धारित कर दी गई है और समान मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए चयन समितियों के लिए मार्गदर्शन पद्धतियां भी तय की गई हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के उप नियमों के उपबन्धों के अनुसार प्रत्येक पद के लिए तदर्थ आधार पर गठित होने वाली चयन समितियों में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के महा-निदेशक तथा खाद्य तथा कृषि मंत्री की स्वीकृति से (जैसा भी मामला हो) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के संगठनों से बाहर के व्यक्ति विशेषज्ञों के रूप में नियुक्त किए जाते हैं। समरूपता तथा औचित्य की दृष्टि से ये सभी उपाय किए जाने के बावजूद भी चयन समितियों की सिफारिशों के विरुद्ध उम्मीदवारों या जनता से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। ऐसे प्रत्येक अभ्यावेदन पर भलीभाँति विचार किया गया है और यह सुनिश्चित किया गया है कि ऐसे चयन में ऐसी कोई अनियमिति नहीं हुई है जिसका अभ्यावेदनों में उल्लेख है।

मध्य प्रदेश में सेन्धवा तथा खेतिया के बीच टेलीफोन लगाना

5023. **श्री शशि भूषण** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में सेन्धवा से खेतिया तक टेलीफोन लगाने की व्यवस्था करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या विकास के लिये खेतिया टाउन क्षेत्र की सहायता करने हेतु इस लाईन पर टेलीफोन कनेक्शन बहुत दूर तक भेजा जायेगा ; और

(ग) इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय किये जाने की सम्भावना है और सेन्धवा तथा खेतिया के बीच टेलीफोन लाईन का निर्माण कार्य कब तक आरम्भ हो जायेगा ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री, (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख). सेन्धवा और खेतिया के बीच टेलीफोन सुविधा की व्यवस्था करने की योजना की जांच की गई है। इसे अलाभकर पाया गया है और इसलिए इसकी स्वीकृति नहीं दी जा सकी। इस तथ्य को ध्यान में रखा गया है कि खेतिया के लिए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने से इस क्षेत्र के विकास में सहायता मिल सकती है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पश्चिम निमाड जिले (मध्यप्रदेश) में डाक का वितरण

5024. **श्री शशि भूषण** : क्या **सूचना तथा प्रसार और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या पश्चिम निमाड़ जिले का डाकघर अभी भी माहू में ही है और मध्य प्रदेश में डाक वितरण के मामले में अब भी ब्रिटिश प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है;

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है कि खेतिया, सेन्धवा बरवा, खरगोन आदि स्थानों से डाक सीधी इन्दौर भेजी जाये और समाचार पत्र इन्दौर से मध्य प्रदेश के इन कस्बों में सीधे पहुंचे ;

(ग) इन्दौर तथा मध्य प्रदेश के इन कस्बों के बीच अपनाई जाने वाली वर्तमान संचार और परिवहन व्यवस्था क्या है ; और

(घ) क्या डाक वितरण की सुविधा के लिये खरगोन में एक डाक घर खोलने का प्रस्ताव है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेरसिंह) : (क) जी नहीं । 26–12–66 से पश्चिम निमाड़ जिले की डाक माहु रेल डाक–सेवा, इन्दौर रेल डाक सेवा और खंडवा रेल डाक सेवा द्वारा निपटाई जा रही है ।

(ख) डाक का पारेषण निम्नलिखित स्थानों से सीधे थैलों में किया जाता है ।

(i) खेतिया से भुसावल और सूरत के बीच प्रचालित सेक्शन को आगे निपटाने के लिए ।

(ii) सेन्धवा से माहू रेल डाक सेवा और इन्दौर रेल डाक सेवा के जरिये।

(iii) बरवा से खंडवा और रतलाम के बीच एक सेक्शन से खंडवा रेल–डाक सेवा और इन्दौर रेल डाक सेवा के जरिये ।

(iv) खरगोन से सड़क सेवाओं के जरिये इन्दौर रेल डाक सेवा और खंडवा रेल डाक सेवा तक । इन्दौर से उपयुक्त स्थानों के लिए समाचार–पत्रों का पारेषण सीधे थैलों में किया जाता है और ये थैले इन्दौर रेल डाक सेवा और इन्दौर शहर छटाई कार्यालय द्वारा बन्द किए जाते हैं । केवल खेतिया के लिए सीधा थैला खंडवा रेल डाक सेवा द्वारा बंद किया जाता है ।

(ग) (i) खेतिया का इन्दौर से सीधा संबंध नहीं है, लेकिन इसका काम भुसावल और सूरत के बीच चल रहे एक रेल डाक सेवा छंटाई सेक्शन द्वारा किया जाता है ।

(ii) सेधवा का संबंध डाक मोटर सेवा द्वारा इन्दौर के साथ सीधे जुड़ा हुआ है ।

(iii) बरवा का संबंध इन्दौर के साथ सीधे खंडवा और रतलाम के बीच चल रहे एक रेल डाक सेवा सेक्शन और तौल प्रणाली पारेषण द्वारा जुड़ा हुआ है ।

(iv) खरगोन का इन्दौर के साथ डाक मोटर सेवा से सीधा सम्बन्ध जुड़ा हुआ है ।

(घ) खरगोन में एक वितरण करने वाला डाकघर पहले ही मौजूद है । वहां एक और वितरण करने वाला डाकघर खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ङ) चौथी पंचवर्षीय योजना में पश्चिम निमाड़ जिले में एक शहरी और छह ग्रामीण डाकघर खोलने का प्रस्ताव है ।

मजदूरों की निम्नतम मजूरी में विषमता

5025. **श्री इन्द्रजीत गुप्ता** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा समान श्रेणी के कर्मचारियों के लिए निर्धारित निम्नतम मजूरी की दरों में भारी विषमता है ;

(ख) यदि हां, तो राज्यों के नाम क्या हैं और कर्मचारियों की श्रेणियां और उनकी मजूरी क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में श्रम आयुक्तों के सम्मेलन में क्या निर्णय किया गया ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) चूंकि मजदूरी–दरें विभिन्न तंत्रों द्वारा निर्धारित की गई हैं और संशोधनों की तारीखें समान नहीं है, इसलिए मजदूरी की दरों में अन्तर अवश्य विद्यमान है ।

(ख) 30 सितम्बर, 1969 तक निर्धारित या संशोधित न्यूनतम मजदूरी की दरों के सम्बन्ध में सूचना इंडियन लेबर स्टेटिस्टिक्स, 1970 की तालिका 4.10 में दी गई है, जिस-की एक प्रति संसद के पुस्तकालय को भेज दी गई है ।

(ग) समय के अभाव के कारण, इस मामले पर हाल ही में हुए श्रम आयुक्तों के सम्मेलन में, विचार–विमर्श नहीं हो सका ।

दिल्ली की औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में गणित के शिक्षकों के वेतन मान

5026. **श्री दे० अभात** :
श्री अदिचन :
श्री केदारनाथ सिंह :

क्या **श्रम तथ पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली की औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में गणित के शिक्षकों को प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों के समान (220–500 रुपये) वेतनमान नहीं दिये गये हैं जैसे कि दिल्ली में प्रशिक्षण में (पृष्ठ 49, अनुच्छेद 150) उपबन्ध है और उन्हें केवल 130–280 रुपये के वेतनमान दिये गये हैं;

(ख) उक्त असमानता के क्या कारण हैं विशेषकर जब ये प्रशिक्षक/प्रशिक्षित अनुभवी स्नातक अध्यापक हैं और उन्हें लम्बे समय तक काम करना पड़ता है और उन्हें कोई वार्षिक अवकाश नहीं मिलता है ; और

(ग) क्या संबंधित व्यक्तियों से इस बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं और यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय किया गया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) और (ख). दिल्ली प्रशासन के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में गणित अनुदेशकों का वेतनमान रु० 130–280 है । सन् 1967 में कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में सुझाये परिवर्तित ढांचे में अन्य बातों के साथ–साथ यह सुझाव भी दिया गया था कि गणित–अनुदेशक को वही वेतनमान दिया जाये जो बी० ए०, बी० टी० अध्यापक को मिलता है । अन्य केन्द्र प्रशासित प्रदेशों और राज्यों की तरह केन्द्र प्रशासित प्रदेश दिल्ली में भी कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में सुझाये नये ढांचे को कर्मचारियों, जिनमें अतिरिक्त करार दिये जाने वाले दूसरी श्रेणी के कर्मचारी भी शामिल हैं, के समंजन में निहित कठिनाइयों की वजह से स्वीकार नहीं किया गया ।

मई 1970 से दिल्ली प्रशासन के प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों का वेतनमान बढ़ाकर रु० 220–550 कर दिया गया है जबकि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के गणित अनुदेशकों का वेतनमान रु० 130–280 ही चल रहा है ।

(ग) जी हां । दिल्ली प्रशासन द्वारा अभ्यावेदनों पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है ।

नई दिल्ली स्थित भारतीय विधि संस्थान के श्रम कानून के डिप्लोमा कोर्स को मान्यता

5027. **श्री दे० अमात :**
श्री अदिचन :
श्री केदार नाथ सिंह :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्थित भारतीय विधि संस्थान द्वारा श्रम कानून के विषय में दिये जाने वाले डिप्लोमा कोर्स को 1969–70 से मान्यता प्रदान करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) इस कोर्स को अन्य मान्यता प्राप्त डिप्लोमा कोर्सों के स्तर पर लाने के लिये क्या अप्रैल, 1970 में हुई परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों को औद्योगिक मनोविज्ञान इत्यादि पर एक अतिरिक्त पेपर देने के लिये कहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) और (ग). भारतीय विधि संस्थान द्वारा श्रम कानूनों के विषय में दिये जाने वाले डिप्लोमा कोर्स को मान्यता प्रदान करने के प्रश्न पर सरकार ने विचार किया था । संस्थान को सूचना दे दी गई थी कि सरकार इस

स्थिति में नहीं थी कि कोर्स को जिस स्थिति में यह है, मान्यता प्रदान करे. परन्तु यदि संस्थान इच्छुक है, तो इस मामले पर, इसकी गुणवन्ता के आधार पर बाद में पुनर्विचार किया जा सकता है, बशर्ते कि इस बीच में संस्थान अपनी कार्यकारी क्षमता को पर्याप्त रूप में सुदृढ़ कर ले और अपने पढ़ाने और क्षेत्रीय कार्य का समय प्रचुर मात्रा में बढ़ा ले ।

(ख) ऐसी कोई शर्त नहीं रखी गई थी ।

पूर्व पाकिस्तान के शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए वित्तीय सहायता देने सम्बन्धी स्टेट बैंक आफ इंडिया की योजना

5028. **श्री कं० हाल्दर** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक आफ इंडिया ने पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये वित्तीय सहायता देने सम्बन्धी एक योजना सरकार को प्रस्तुत की है; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैय्या) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

डाकघर खोलने सम्बन्धी उदार नीति के कारण डाक और तार विभाग को हुई हानि

5029. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाकघरों को खोलने सम्बन्धी उदारनीति अपनाने के कारण डाक तथा तार विभाग को प्रति वर्ष एक करोड़ रु० से अधिक की हानि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ शर्तों पर प्रति वर्ष प्रति डाकघर 500 रु० से 2500 रु० के बीच घाटा होने पर भी डाकघर खोलने और उन्हें दस वर्ष तक बनाये रखने की अनुमति दी जाती है । घाटे की कुछ अन्य सीमाओं के भीतर ऐसे डाकघरों को स्थायी भी बना दिया जाता है । डाक-तार विभाग द्वारा घाटे की कुछ निर्धारित सीमाओं के भीतर डाकघर खोलने और उन्हें बनाए रखने की नीति अपनाए जाने के कारण 1969–70 में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रायोगिक डाकघर चलाने के कारण विभाग को लगभग 80 लाख रु० का घाटा हुआ है ।

(ख) 1969–70 के वर्ष के दौरान प्रायोगिक डाकघरों पर सर्कल–वार घाटा इस प्रकार हुआ है—

क्रमांक	सर्कल का नाम	लाभ रु०	घाटा रु०	कैफियत
1.	आन्ध्र	–	1,65,583.17	
2.	असम	–	4,91,505.02	
3.	बिहार	–	18,470.52	
4.	महाराष्ट्र	–	10,53,714.31	
5.	मध्य प्रदेश	–	19,57,348.95	
6.	दिल्ली	–	3,417.61	
7.	गुजरात	–	2,35,382.76	
8.	केरल	64,983.03	–	
9.	जम्मू तथा काश्मीर	–	2,82,720.33	
10.	तमिल नाडु	3,18,009.27	–	
11.	मैसूर	–	8,50,770.41	
12.	उड़ीसा	–	8,87,485.37	
13.	पंजाब	–	5,69,406.79	
14.	राजस्थान	–	17,27,773.56	
15.	उत्तर प्रदेश	66,929.20	–	
16.	पश्चिम बंगाल	–	1,79,205.80	
		4,49,921.50	84,22,784.60	

वास्तविक घाटा–84,22,784.60 रु०–4,49,921.50 रु०

=79,72,863.10 रु०

लद्दाख शिविर में तिब्बत के शरणार्थियों की स्थिति

5030. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन द्वारा अधिकृत तिब्बत से आये 7000 शरणार्थी लद्दाख क्षेत्र के शिविरों में गत 8 वर्षों से कष्ट पा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैय्या) : (क) और (ख) . लद्दाख के शिविरों में 1484 तिब्बती शरणार्थी हैं । इन शरणार्थियों को भूमि पर बसाने के लिये राज्य सरकार के परामर्श से एक योजना तैयार की गई है और उस योजना के अगले कार्य-काल में कार्यान्वित किये जाने की आशा है ।

Land taken back from Refugees after allotment in Barmer, Rajasthan

5031. **Shri Meethalal Meena** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the land allotted to the refugees, who had migrated from Pakistan since the year 1965, has been taken back from them, particularly in the border area in Barmer District of Rajasthan; and

(b) if so, the number of such refugees who have been affected?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri D. Sanjivyya) : (a) and (b). Information is being collected from the State Governments and will be laid on the Table of the Sabha when received.

A.I.R. Special Programme for Foreign Countries

5032. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the names of the countries in respect of which special programmes are broadcast by the All India Radio;

(b) the names of the languages in which these programmes are broadcast and the timings thereof; and

(c) whether the comments of the listeners are also invited and if so, the details thereof?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) and (b). A statement is laid on the Table of the House.

(c) Listeners' comments are invited through broadcast announcements and also through AIR's Programme Journals. Listeners' letters mostly contain appreciation of programmes, inquiries about various aspects of life in India, reports on the reception quality of broadcasts and requests for programme journals/Schedules and for broadcast of music of their choice.

Statement

Principal Target Area	Language	Time of broadcast (Ist)
1	2	3
Burma	Burmese	0610-0645 1645-1745
China	Cantonese/Kuoyu	0330-0430 1745-1845
Indonesia	Indonesian	1415-1515
Thailand*	Thai*	1710-1730 (except Sundays)]
Ceylon	Sinhala	1815-1845
Nepal	Nepali	0700-0745 1200-1230
Afghanistan	Pushtu	0815-0830 1230-1300 2015-2100
	Dari	1300-1330
Iran	Persian	0915-0930 2145-2245
Arabic-speaking countries in West Asia and North Africa (Saudi Arabia, Egypt, Lebanon, Syria, Jorden, Iraq, Yaman)	Arabic	1030-1100 2300-0000
	French	0015-0100
South East Asia	Hindi	0445-0545
	Tamil	0545-0630 1700-1800 (Experimental Service from Madras).
	French	1645-1700
East Africa	Hindi	0900-0945 2145-2230
	Gujarati	0945-1000 2230-2315
	Konkani	1005-1015
	Swahili	2115-2145
Mauritius	Hindi	1815-1825 (Experimental Service)
Tibet & Tibetan knowing people of India	Tibetan	0845-0900 1800-1845
Indo-Pak Sub-Continent	Urdu	0700-1000 1400-1700 2030-0000
East Pakistan	Bengali	2145-2300 (From Calcutta)

1	2	3
East and South East Asia & North East Asia.	English Transmission I	0415-0645
North East Asia Australia & Newzealand	English Transmission II	1530-1630
South East Asia	English Transmission III	1900-2030
U. K. & West Europe	English Transmission IV	2315-0400
East Africa	—do—	2315-0115
West & North Africa	—do—	0115-0215
Australia & Newzealand	—do—	0215-0400

Inadequate Telephone Channels between Delhi and Jaipur

5033. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state:

(a) whether the telephone channels have not been provided in the required numbers to cope with the requirement of the total number of telephones in Jaipur under the direct Dialling System between Jaipur and Delhi;

(b) whether in the absence of the required channels, a large number of calls are cancelled every day;

(c) if so, whether Government propose to solve the problem by providing more channel lines; and

(d) if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communication (Shri Sher Singh) : (a) The number of channels available is not adequate for the present traffic.

(b) The number of ineffective calls is appreciable though not entirely due to insufficiency of channels.

(c) Yes. Action is already on hand for augmentation of circuits in this route.

(d) Does not arise.

Linking of Jaipur with trunk-Auto Exchange at Delhi

5034. **Shri Meetha Lal Meena**: Will the Minister of **Information and Broadcastiug and Communications** be pleased to state:

(a) whether Jaipur is not being connected with the new Trunk-Auto-Exchange being set up in Delhi;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the time by which Jaipur is likely to be connected with it?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) to (c). Jaipur is likely to be connected to the Trunk Automatic Exchange (TAX) at Delhi early in 1972. The delay is due to certain additional work which is required to be completed in the TAX at Delhi before Jaipur can be connected to it.

Applications pending for telephone connections at Indore, Madhya Pradesh

5035. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communication** be pleased to state:

(a) the total number of telephone connections at present in District Indore' Madhya Pradesh;

(b) the number of persons who are in the waiting list for telephone connections; and

(c) the approximate number of persons proposed to be provided with telephone connections during the current year there?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) 5670.

(b) 2602.

(c) Approximately 600.

गत पांच महीनों में मध्य प्रदेश को सप्लाई किया गया गेहूं तथा चीनी

5036. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच महीनों में केन्द्रीय कोटे में से केन्द्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को कितना गेहूं तथा कितनी चीनी दी गई; और

(ख) इस अवधि में राज्य सरकार द्वारा कितने गेहूं तथा कितनी चीनी की मांग की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जुलाई से नवम्बर, 1970 के दौरान मध्य प्रदेश सरकार के नामितों ने 102.9 हजार मीटरी टन गेहूं के कुल आवंटन के प्रति वास्तव में केवल 41 हजार मीटरी टन गेहूं उठाया था। उसी अवधि में उक्त सरकार को 89.1 हजार मीटरी टन लेवी चीनी आवंटित की गई थी लेकिन इस आवंटन के प्रति राज्य सरकार के नामितों ने उसका अधिकांश भाग नहीं उठाया था।

(ख) राज्य सरकार ने उक्त अवधि में गेहूं तथा लेवी चीनी की निम्न मात्रा मांगी थी:-

	(हजार मीटरी टन में)
गेहूं	113.5
लेवी चीनी	98.4

Opening of a Mobile Post Office in Jammu and Kashmir

5037. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state:

(a) whether a Mobile Post Office has been opened in Jammu and Kashmir in this year; and

(b) if so, the total expenditure incurred thereon?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) A floating Post Office is functioning at Nehru Park of Dal Lake at Srinagar from 6th October, 1970.

(b) An expenditure of Rs. 902.17 per month is being incurred for running the above Post Office.

टेलीग्राफ तथा टेलीफोन इंजीनियरिंग सेवा के अधिकारियों के स्थानान्तरण अथवा अर्जित अवकाश पर जाने पर अपने पास टेलीफोन रखने के बारे में नियम

5038. **श्री प्र० कु० घोष** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसी कोई अवधि निर्धारित की गई है कि जब तक टेलीग्राफ तथा टेलीफोन इंजीनियरिंग विभाग का कोई एक अधिकारी अपने स्थानान्तर के उपरान्त अथवा 30 दिन से अधिक के अर्जित अवकाश पर जाते समय आवासीय टेलीफोन रख सकता है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) इन विभागों के अधिकारियों के पद नाम क्या हैं जिन्हें दिल्ली टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट में चालू वर्ष में उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित परिस्थितियों के अन्तर्गत 30 दिन से अधिक की अवधि तक अपना आवासीय टेलीफोन रखने की अनुमति मिली है; और

(घ) किस अधिकारी ने यह मंजूरी दी है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख) . जब कोई ऐसा डाक-तार अधिकारी छुट्टी पर जाए जिसके निवासस्थान पर टेलीफोन उपलब्ध हो और उसके उसी स्थान पर वापस आने की संभावना हो तो यदि उक्त अधिकारी अन्यथा इच्छा प्रकट न करे उसे दिया गया आवासीय सरकारी टेलीफोन बना रहने दिया जाता

है । स्थानान्तरण पर जाने वाले अधिकारियों को यह छूट है कि वे एक वर्ष के लिए अपने निजी खर्च पर सामान्य किराये पर टेलीफोन रख सकते हैं।

(ग) और (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और शीघ्र ही सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

कृषि सम्बन्धी सहकारी ऋण और इसका राज्यों में बंटवारा

5039. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (एक) वर्ष 1968-69 से 1970-71 में वर्षवार और राज्यवार कृषि के लिये कितने ऋण की मांग की गई है, (दो) इसी अवधि में वर्षवार सहकारी समितियों के माध्यम से राज्यवार कृषि के लिये कितना ऋण बांटा गया;

(ख) वर्ष 1968-69, 1969-70 और 1970-71 में केन्द्रीय सहकारी बैंकों तथा प्राथमिक कृषि समितियों की राज्यवार कितनी राशि बकाया थी;

(ग) क्या राज्य सहकारी बैंकों तथा ऋण सम्बन्धी सहकारी समितियों की हालत बहुत खराब है और यदि हां, तो राज्यवार वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में यदि कोई कार्यवाही की जा रही है तो वह क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) कृषि ऋण की मांग के बारे में सूचना सुलभ नहीं है । (2) वर्ष 1968-69 में वितरित किए गए कृषि ऋण (अल्प तथा मध्यकालीन और दीर्घकालीन) की सूचना संलग्न विवरण 1 में दी गई । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी० 4603/70]** वर्ष 1969-70 तथा 1970-71 के बारे में उसी तरह की सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है।

(ख) 30.6.1969 को जो अतिदेय थे उनके बारे में सूचना संलग्न विवरण 2 में दी गई है । **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०/टी०** 460 3/70] वर्ष 1969-70 और 1970-71 के बारे में आंकड़े सुलभ नहीं हैं ।

(ग) राज्य सहकारी बैंकों की स्थिति सामान्यतः खराब नहीं है । भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार केन्द्रीय सहकारी बैंकों को लेखा-परीक्षा वर्गीकरण क, ख, ग, घ, दिया जाता है । प्राथमिक ऋण समितियों को प्रत्येक राज्य के सहकारी समितियों के पंजीयक द्वारा निर्धारित किए गए मानक के अनुसार क, ख, ग, घ, व ङ में वर्गीकृत्त किया जाता है । सामान्यतः, केन्द्रीय सहकारी बैंकों का वर्गीकरण और प्राथमिक ऋण समितियों के घ व ङ वर्गीकरण खराब हालत बताने वाले समझे जाते हैं। सहकारी केन्द्रीय बैंकों तथा प्राथमिक ऋण समितियों के लेखा-परीक्षा वर्गीकरण की राज्य-वार आधुनिकतम सूचना दर्शाने वाला एक विवरण (विवरण नं० 3) संग्लन है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 460 3/70]

(घ) निम्न उपाय किए जा रहे हैं:

(1) प्राथमिक ऋण समितियों के पुनर्गठन के कार्यक्रम को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिए कदम उठाना, उन क्षेत्रों, जो छोटा किसान विकास अभिकरण तथा

सीमान्त किसान एवं कृषि श्रमिक योजनाओं के अन्तर्गत हैं, में तथा उन जिलों में भी जहां केन्द्रीय बैंकों के पुनः स्थापना का कार्य आरम्भ किया गया है, में इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए प्राथमिकता दी जा रही है;

(2) कमजोर केन्द्रीय बैंकों की पुनः स्थापना के कार्यक्रम को कार्यान्वित करना तथा जब तक कि केन्द्रीय बैंकों को पुनः स्थापित नहीं किया जाता है, तब तक के प्राथमिक ऋण समितियों को वित्त प्रदान करने के लिए दूसरे उपाय तैयार करना;

(3) अतिदेयों को कम करने के लिए सभी प्रकार के प्रयत्न करना;

(4) बकायादारों को सहकारी संस्थाओं के चुनाव लड़ने के लिए खड़े होने अयोग्य ठहराना तथा बकायादार समितियों के नामितों को उच्च स्तर के संगठनों के प्रबन्ध मंडलों में पद ग्रहण करने के अयोग्य ठहराना;

(5) राज्य सरकारों द्वारा प्राथमिक ऋण समितियों तथा केन्द्रीय सहकारी बैंकों की अंशपूंजी में बड़े पैमाने पर भाग लेना ।

'हिन्दुस्तान समाचार' नामक समाचार एजेंसी

5040. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'हिन्दुस्तान समाचार' नामक समाचार एजेंसी का असली स्वामी कौन है;

(ख) इस समाचार एजेंसी के निदेशक मंडल के सदस्यों के नाम तथा अन्य ब्यौरा, उसके अंशधारियों का ब्यौरा तथा उसके वित्त-पोषक स्रोतों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा उक्त एजेंसी का नाम 1966 में काली सूची में दर्ज कर दिया गया था और यदि हां, तो इसके क्या कारण थे;

(घ) क्या कुछ केन्द्रीय अथवा राज्य मंत्री इससे किसी प्रकार से संबद्ध है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को यह बताया गया है कि 'हिन्दुस्तान समाचार' नामक समाचार एजेंसी का संबंध राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से है; और

(च) क्या उसके पदधारियों में से कुछ को विदेश जाने की अनुमति दी गई थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) "हिन्दुस्तान समाचार" समाचार एजेन्सी प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी के रूप में 1948 में चालू हुई थी और इसको इसके कार्यकर्ताओं द्वारा संचालित हिन्दुस्तान समाचार को-आपरेटिव

सोसाइटी लि० ने जून, 1957 में अपने हाथ में ले लिया था । इस सोसाइटी के 243 हिस्सेदार हैं।

(ख) "हिन्दुस्तान समाचार" समाचार एजेन्सी ने अगस्त, 1970 के अपने पत्र में जो सूचना भेजी थी उसके अनुसार 4 मई, 1970 को हुई इसकी वार्षिक बैठक में साधारण सभा द्वारा चुने गए प्रबंध समिति के सदस्य इस प्रकार हैं:—

अध्यक्ष:	श्री गंगा शरण सिंह, संसद सदस्य
उपाध्यक्ष:	1. श्री के०पी० त्रिपाठी, वित्त मंत्री, आसाम ।
	2. श्री रतन लाल जोशी, सम्पादक, "हिन्दुस्तान", नई दिल्ली ।
	3. श्री बसन्तराव ओक, अध्यक्ष, हिन्दी सहित्य सम्मेलन, दिल्ली ।
मंत्री:	श्री बी०पी० अग्रवाल, प्रबन्ध सम्पादक, "हिन्दुस्तान समाचार" ।
कोषाध्यक्ष:	श्री एच०डी० पाठक, प्रधान समाचार सम्पादक, "हिन्दुस्तान समाचार" ।
सदस्य:	1. श्री ए०के० जैन, प्रधान सम्पादक, नव भारत टाइम्स, नई दिल्ली ।
	2. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद, उप-मंत्री, भारत सरकार ।
	3. श्री एन०बी० लैले, विशेष संवाददाता, "हिन्दुस्तान समाचार" ।
	4. श्री आर०एस० अग्निहोत्री, सम्पादक, फीचर सैक्शन, 'हिन्दुस्तान समाचार' ।
	5. श्री बसंत देशपांडे, सम्पादक, "हिन्दुस्तान समाचार", बम्बई ।
	6. श्री एस०एन० द्विवेदी, सम्पादक, 'हिन्दुस्तान समाचार', लखनऊ ।
	7. श्री वी० रंगराजन, सम्पादक, 'हिन्दुस्तान समाचार', मद्रास ।

हिन्दुस्तान समाचार को आपरेटिव सोसाइटी लि० के 243 हिस्सेदारों में से 206 हिस्सेदार इस समाचार एजेन्सी के विभिन्न शाखा कार्यालयों के कार्यकर्ता तथा विभिन्न स्थानों में स्थित इसके संवाददाता हैं । शेष 47 हिस्सेदार कुछ सार्वजनिक व्यक्ति तथा कुछ पत्रकार हैं ।

"हिन्दुस्तान समाचार" की आय का मुख्य स्रोत समाचार-पत्रों, राज्य सरकारों तथा आकाशवाणी से प्राप्त होने वाला शुल्क है । इसके अतिरिक्त इसका फीचर तथा प्रकाशन अनुभाग भी इसकी आय का साधन है । 30 जून, 1968 के दिन के इसके चिठ्ठे के अनुसार इसकी परिसम्पत्ति और देयता इस प्रकार है:—

परिसम्पत्ति			देयता	
कार्यालय का सामान		रु०		रु०
फर्नीचर तथा फिक्सचर	92,217—10		शेयर राशि	44,987—45
मूल्य ह्रास घटाया गया	6,122—10	55.095—00	अदा किए जाने वाले बिल	60,170—87
उचंत		4,369—43	जमा	63,8 50—00
प्रतिभूति जमा		6,025—00	ऋण	70,776—83
लगा धन		1,400—00		
प्राप्य बिल		64,842—23		
शाखाओं में नकद राशि		14,410—98		
पेशगी		593—10		
चिठ्ठे के अनुसार लाभ तथा हानि लेखा	95,813—23			
लाभ तथा हानि लेखे के अनुसार वर्ष का लाभ घटाया गया	1,763—82			
		2,3 9,785—15		2,39,785—15

(ग) इसको काली सूची में दर्ज नहीं किया गया है।

(घ) इस बारे में उपर्युक्त (ख) में दी गई सूचना की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

(ङ) "हिन्दुस्तान समाचार" द्वारा भेजे जाने वाले भारतीय समाचारों में अधिकांशतया राजनैतिक तथा सांस्कृतिक समाचार होते हैं । जनसंघ, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ तथा इनसे संबंध संस्थाओं संबंधी समाचारों को अधिक विस्तार से दिया जाता है । अतः 20 सितम्बर, 1970 को जयपुर में हुए गऊ का सम्मेलन के समाचारों को विस्तार से दिया गया । जिन वक्ताओं को कवर किया गया वे हिन्दू महासभा तथा राम राज्य परिषद् के अध्यक्ष बद्रिकाश्रम के श्री शंकराचार्य जैसे धार्मिक नेता थे। एजेंसी द्वारा भेजे गये समाचारों के अनुसार, इन भाषणों में इस बात को बार-बार कहा गया कि केरल के चुनाव में कांग्रेस (सत्तारूढ़), भारतीय साम्यवादी दल तथा

मस्लिम लीग की सफलता हिन्दुओं तथा देश के लोकतांत्रिक तत्वों के लिए बहुत बड़ा खतरा है।

(च) इस एजेंसी का एक प्रतिनिधि राष्ट्रपति के दौरे को कवर करने के लिए उनके साथ सोवियत संघ, पोलैण्ड तथा बुल्गारिया गया था।

कृषि विभाग में रिक्त स्थाई पदों पर लोअर डिवीजन क्लर्कों को स्थाई बनाना

5141. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री सं० मो० बनर्जी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ वर्षों से कृषि विभाग में निम्न श्रेणी लिपिक सी० एस० सी० एस० के ग्रेड में बहुत से अस्थायी पद रिक्त हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी संख्या कितनी है तथा वे किस-किस तिथि से रिक्त हैं;

(ग) क्या कृषि विभाग के बहुत से अस्थायी निम्न श्रेणी लिपिकों (सी० एस० सी० एस) को, जो अपेक्षित अर्हतायें आदि को पूरा करते हैं तथा जो स्थायी किये जाने के पात्र हैं, अभी तक स्थायी नहीं किये गये हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो ऐसे पात्र व्यक्तियों की संख्या कितनी है तथा निम्न श्रेणी लिपिक के ग्रेड में उपलब्ध रिक्त अस्थायी पदों पर उन्हें स्थायी न करने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) और (ख). कृषि विभाग के काडर में सितम्बर 1790 में पात्र निम्न श्रेणी लिपिकों (ग्रेड 2–सी एस सी एस) को स्थाई बनाने के लिये 53 स्थाई रिक्तियां उपलब्ध हुई हैं। दिनांक 1–5–66 और 1–5–67 को काडर की अधिकृत स्थाई संख्या की संवीक्षा और स्थाई निम्न श्रेणी लिपिकों को उच्च पदों पर स्थाई करने आदि के फलस्वरूप यह रिक्त स्थान पूर्व तिथियों, 1966 तथा उसके पश्चात, उपलब्ध हुये थे।

(ग) जी हां।

(घ) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों के वेतनमान

5042. **श्री रामस्वरूप विद्यार्थी** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1967 की श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मैन्युअल में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिये स्वीकृत वेतनमान निर्धारित किये गये हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या ये वेतनमान दिल्ली के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के कर्मचारियों को दिये जा रहे हैं, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में विभिन्न श्रेणी के पदों के लिए जो वेतनमान निश्चित हैं उनमें मंहगाई भत्ता मिलाया गया है। विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को मिलने वाली परिलब्धियाँ तथा वेतनमान मैन्युअल में उल्लिखित वर्तमान वेतनमानों से ज्यादा है।

दिल्ली में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में कार्य करने वाले अध्यापकों / प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देना

5043. **श्री रामस्वरूप विद्यार्थी**: क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कार्य करने वाले प्रशिक्षकों/अध्यापकों को प्रशिक्षण देने की कोई व्यवस्था है और क्या अध्यापकों को प्रशिक्षण के लिये भेजा जा रहा है;

(ख) हिमाचल प्रदेश, जम्मू और काश्मीर, राजस्थान, तमिलनाडु की सरकार तथा दिल्ली प्रशासन द्वारा प्रशिक्षण पर भेजे गये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों को भुगतान किस दर पर किया गया; और

(ग) क्या भुगतान की इन दरों में कोई असमानता है, यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया): (क) जी हाँ।

(ख) और (ग). दिल्ली प्रशासन द्वारा अनुदेशकों के केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण के लिए भेजे अनुदेशक कर्मचारी वर्ग को उनकी यात्राओं के लिए नियमाधीन मिलने वाला यात्रा भत्ता दैनिक भत्ता दिया जाता है। प्रशिक्षण के लिए भेजे गये कर्मचारियों को, प्रशिक्षण अवधि में पूरा वेतन भी दिया जाता है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, राजस्थान और तमिलनाडू राज्य सरकारों के निदेशकों से इस प्रकार की जानकारी मांगी गई है। राज्य सरकारों के निदेशकों से वाँच्छित जानकारी प्राप्त करने के बाद, स्थिति पर विचार किया जायेगा।

Estimate of loss of foodgrains due to rains

5044. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) the estimated loss of foodgrains likely to be sustained during the current year due to excessive rains; and

(b) the names of States which are likely to become self-sufficient in foodgrains during the next year?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) Excessive rains were received in certain areas of the country, such as, parts of North-east India, Uttar Pradesh, Gujarat, Madhya

Pradesh, Maharashtra and Kerela, in some weeks during the current year. As overall production of foodgrains is influenced by rainfall and whether conditions prevailing over the entire season, it is not possible to give a precise estimate of the effect of excessive rains received in a particular period on the crops. According to present indications, the total production of foodgrains during 1970-71 is expected to be higher than that in the previous year.

(b) Whether a State is self-sufficient, surplus or deficit depends upon its production and consumption requirements in the particular year. Firm estimates of foodgrains production for 1970-71 are likely to become available after the close of the agricultural year *i. e.* some time in July-August 1971. The demand would depend on a number of factors, including growth of population, rise in levels of income, availability of substitute foodstuffs, their comparative prices, etc. in regard to which precise information is not available. It is therefore, difficult at this stage to indicate as to which of the States would be selfsufficient in foodgrains during the next year. However, on the basis of pattern of Government distribution of foodgrains during the last few years, it can be said that during a year of normal production and taking all foodgrains together, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Orissa, Punjab and Haryana can be classified as surplus States; Assam, Tamil Nadu and Uttar Pradesh as more or less self-sufficient States and the rest as dificit States.

Opening of an agricultural college in Burhanpur, East Nimad District, Madhya Pradesh

5045. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the fertile land of Burhanpur Tehsil in East Nimad district of Madhya Pradesh cannot be properly utilised due to non-availability of the technical know-how in the agricultural field;

(b) if so, whether Government would take step to set up an Agricultural College there: and

(c) whether by opening an Agricultural College there, technical know-how can be acquired and the output of foodgrains from that fertile land can be increased?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) to (c). There is no lack or shortage of technical know-how in the field of agriculture. However, the decision to set up an Agriculture College in any region of Madhya Pradesh rests with the State Government.

Posting of an officer of Indian Forest Service in Madhya Pradesh

5046. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether any officer belonging to the Indian Forest Service is posted in Madhya Pradesh;

(b) if so, the name of the place where he is posted; and

(c) if not the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) to (c). There are a large number of Indian Forest Service officers working against cadre posts in Madhya Pradesh who

were recruited with effect from 1.10.1966 to the Indian Forest Service at its initial constitution and also by direct recruitment through Union Public Service Commission. A list of these officers is given in the Appendix I. [*Placed in the Library. See No LT—4604/70.*] The internal posting of these officers is done by the State Government.

Telephone dues outstanding in Madhya Pradesh on 30.9.70

5047. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the approximate amount of telephone bills to be recovered in Madhya Pradesh as on the 30th September, 1970; and

(b) the action taken to recover this amount at an early date?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) The information relating to the amount of telephone bills outstanding as on 30th September, 1970 is not readily available. However, as on Ist September, 1970 a sum of Rs. 37.44 lakhs was outstanding in Madhya Pradesh in respect of bills issued up to 31st May, 1970.

(b) Action, such as, personal contact and correspondence with defaulting subscribers and disconnection of their telephones including legal action, where necessary, is taken with a view to effecting recovery.

पूर्व पाकिस्तान के शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये चम्बल घाटी के सुधार के लिये राजस्थान का प्रस्ताव

5048. **श्री चेंगलराय नायडू** :
श्री रा० बरूआ :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को बसाने के लिये चम्बल घाटी के खादर का सुधार करने के बारे में राजस्थान सरकार ने कोई प्रस्ताव रखा है;

(ख) यदि हाँ, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं तथा उस पर अनुमानतः कितनी राशि खर्च होगी; और

(ग) इस बारे में सरकार द्वारा क्या निर्णय किया गया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) और (ख) . जी, हाँ । राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव में 10, 085 एकड़ भूमि के उद्धार का कार्य दृष्टि में रखा गया है । यह अनुमान किया जाता है कि परियोजना की लागत लगभग 143.00 लाख रुपये होगी ।

(ग) संघीय कृषि विभाग तथा राज्य सरकार के परामर्श से प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ।

सातवां एशियाई विज्ञापन सम्मेलन

5049. **श्री चेंगलराय नायडू :**
श्री रा० कृ० बिड़ला :
श्री रा० बरुआ :

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में दिल्ली में सातवां एशियाई विज्ञापन सम्मेलन सम्पन्न हुआ था जिसमें भारत में विज्ञापन के लिए एशियाई संस्था स्थापित करने के बारे में निर्णय किया गया था ; और

(ख) यदि हाँ, तो उक्त सम्मेलन में किन-किन विषयों पर चर्चा की गई और उनके बारे में क्या निर्णय किये गये ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) और (ख). जी, हाँ । 18 नवम्बर से 20 नवम्बर 1970 तक नई दिल्ली में हुई सातवीं एशियाई एडवर्टाईजिंग कांग्रेस ने—

(1) शिक्षा तथा प्रशिक्षण के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करने तथा मीडिया यूज तथा मीडिया प्लानिंग के क्षेत्र में योग्यता निर्माण करने के लिए ;

(2) विज्ञापन में खोज तथा छात्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने के लिए ;

(3) भविष्य के लिये अध्यापकों तथा गवेषणकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए ;

(4) सदस्य देशों के अनुभव, ज्ञान तथा खोजों को एक स्थान पर एकत्र करने के लिए एक फोरम के रूप में कार्य करने तथा एशिया में विज्ञापन के क्षेत्र में कार्य करने वालों के बीच विचारों के आदान-प्रदान करने के लिए एक मंच की व्यवस्था करने के लिए "एशियन इन्स्टीट्यूट फार एडवरटाइजिंग" स्थापित करने के बारे में एक प्रस्ताव पास किया है ।

उस कांग्रेस का विषय था 'विज्ञापन तथा एशिया का उभरता हुआ मार्केट' तथा फिलीपीन की मार्केटों (गैर-शहरी) में पदार्पण । भारत की उभरती हुई मार्केटें तथा समाचार-पत्र माध्यम; विज्ञापन में अनुसंधान, भारत के पाठकों का राष्ट्रीय सर्वे, विज्ञापन में सृजनात्मक, विज्ञापन तथा सामाजिक उत्तर-दायित्व, एशिया में विज्ञापन प्रशिक्षण जैसे सम्बन्धित विषयों पर चर्चा हुई थी । कांग्रेस ने वांछित दिशाओं में कार्य शुरू करने तथा निर्णयों पर की जाने वाली कार्यवाई के समन्वय के लिए एक सचिवालय स्थापित करने की सिफारिश की है । कोई निर्णय नहीं लिये गए थे ।

बड़े समाचार-पत्रों के मालिकों के शेयरों का विकेन्द्रीकरण

5051. **श्री स० कुन्दू** : क्या **चना सूतथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े समाचार-पत्रों के मालिकों के शेयरों के विकेन्द्रीकरण करने के बारे में कोई कार्यवाही की गई है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) से (ग). प्रेस आयोग ने वर्तमान तथा भविष्य में चालू होने वाले दोनों प्रकार के उपक्रमों में शेयरों के कर्मचारियों और कुछ सीमा तक जनता में क्रमिक वितरण के साथ साथ समाचारपत्रों के स्वामित्व के फैलाव की सिफारिश की थी। सरकार प्रेस आयोग से सहमत है।

प्रेस परिषद के कार्यों में एक कार्य समाचारपत्रों के वित्तीय ढांचे या उन परिस्थितियों का अध्ययन करना भी है जो एकाधिकार या स्वमित्व के सकेन्द्रीयकरण की ओर जाएँ ।

समाचार पत्रों को प्रकाशित करने वाली कम्पनियों के स्वामित्व के ढाँचे का अध्ययन कम्पनी कार्य विभाग द्वारा हाथ में लिया जा रहा है।

उडीसा में मछली पकड़ने के लिये बन्दरगाहों की स्वीकृति

5052. **श्री स० कुन्दू**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रधुआं, स्वर्णरेखा नदी के मुहाने पर किर्तानिया में, उड़ीसा में चान्दीपुर में मछली पकड़ने के बन्दरगाहों की स्वीकृति मिल गई है, यदि नहीं, तो इन्हें स्वीकृति कब तक मिल जायेगी ;

(ख) चान्दीपुर में मछली पकड़ने की बन्दरगाह की परियोजना की लागत क्या है और क्या प्राक्कलन तैयार कर लिये गये हैं और उन्हें स्वीकृति मिल गई है और निर्माण कार्य कब आरम्भ होगा ;

(ग) क्या उड़ीसा में चान्दबली को मछली पकड़ने की बन्दरगाह के रूप में चयन किया गया है ; यदि हां, तो इस परियोजना पर कितनी धनराशि व्यय होगी ; और

(घ) क्या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मछली मत्स्य आखेट निवेशपूर्व सर्वेक्षण परियोजना ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; यदि हां, तो प्रतिवेदन की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी नहीं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम परियोजना ने मछली बन्दरगाहों के निवेशपूर्व सर्वेक्षण के लिये अधीन, किरतानियां और चांदनीपाल सहित विभिन्न स्थानों का एक प्रारंभिक सर्वेक्षण किया है। विस्तृत जांच के लिये कुछ स्थान चुने जायेंगे। परियोजना रिपोर्टों के प्राप्त होने पर, यदि धन उपलब्ध हुआ, तो उचित स्थानों पर मछली पत्तनों के बनाने की मंजूरी दी जायेगी।

(ख) भारत सरकार ने 1969–70 ने चांदीपुर में मछली बन्दरगाह सुविधाओं के लिये 4.6 लाख रुपये की राशि मंजूर की थी। मार्च 1970 में राज्य सरकार को 1.40

लाख रुपये दिए गये। हाल में ही राज्य सरकार ने बताया है कि कार्य के अनुमानों को संशोधित किया जा रहा है और संशोधित अनुमान बनने तथा उनकी मंजूरी के पश्चात् ही निर्माण कार्य शुरू किया जायेगा।

(ग) चांदबाली को मछली पत्तन के लिये चुनने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(घ) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम परियोजना ने अभी परियोजना रिपोर्ट तैयार नहीं की है। परियोजना ने मई 1970 में केवल प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया। प्रारम्भिक सर्वेक्षण के आधार पर परियोजना ने 6 स्थानों का प्रारम्भिक मूल्यांकन करने वाली एक रिपोर्ट बनाई जिन में से ३ स्थानों के विस्तृत अध्ययन का प्रस्ताव है। चांदनीपाल से आरम्भ कर के विस्तृत अध्ययन आरम्भ किया गया है।

स्वचालित मशीनों के प्रयोग के बारे में वेंकटारमन समिति

5053. **श्री स० कुन्दू** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री 6 अगस्त, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1301 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय व्यापार यूनियन संगठनों ने स्वचालित मशीनों के बारे में वेंकटारामन समिति को एक ज्ञापन दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनके ज्ञापन की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार समिति की सिफारिश को क्रियान्वित करेगी ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) स्वचलन समिति द्वारा जारी की गई प्रश्नमाला के उत्तरों के अतिरिक्त, इस प्रकार का कोई भी ज्ञापन मजदूर संघों के किसी भी केन्द्रीय संगठन से प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार को समिति की रिपोर्ट अभी प्राप्त होनी है। इसके प्राप्त होने पर सरकार यह विचार करेगी कि समिति की सिफारिशें कहाँ तक और किस तरह क्रियान्वित की जा सकती हैं।

टेलीविजन कार्यक्रमों में अंग्रेजी को प्रधानता दिया जाना

5054. **श्री बलराज मधोक** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीविजन के दैनिक कार्यक्रमों में अंग्रेजी कार्यक्रमों को बहुत अधिक समय दिया जाता है;

(ख) क्या हमारे देश कि जनसंख्या में से केवल कुछ प्रतिशत लोग अंग्रेजी समझते हैं और वे लोग सामान्यतया सम्पन्न हैं अतः उनके मनोरंजन के अन्य अनेक साधन हैं ;

(ग) क्या सामुदायिक केन्द्रों पर लगाये गये टेलीविजन सेटों पर बहुत बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम देखते हैं और उनमें से अधिकांश लोग अंग्रेजी नहीं जानते; और

(घ) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है कि दिल्ली के टेलीविजन कार्यक्रमों में, अंग्रेजी के कार्यक्रमों की ही भरमार न हो ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य-मन्त्री (श्री इ० क० गुजराल): (क) जी, नहीं । औसत: 80 प्रतिशत प्रसारण समय हिन्दी कार्यक्रमों के लिए इस्तेमाल किया जाता है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) जी, हां ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय समाचार-पत्रों में प्रकाशित विदेशी समाचार

5055. **श्री बलराज मधोक**: क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय समाचार-पत्रों में अधिक अनुपात में विदेशी समाचारों को प्रकाशित किया जाता है;

(ख) क्या विदेशी समाचार-पत्र भारतीय समाचारों को प्रकाशित करने के लिए बहुत कम स्थान देते हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार भारतीय प्रेस को भारतीय समाचारों के लिए अधिक स्थान देने की सलाह देगी ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) भारतीय समाचार-पत्रों में विदेशी समाचारों की संख्या भिन्न-भिन्न समाचार पत्रों में भिन्न-भिन्न होती है। महानगरों के अंग्रेजी समाचार-पत्रों में भारतीय भाषा के समाचार-पत्रों तथा देश के अन्य स्थानों से प्रकाशित होने वाले समाचार-पत्रों की अपेक्षा आम तौर पर अधिक विदेशी समाचार होते है। ये समाचार व्यनुपाती रूप में होते हैं, इस पर विभिन्न राय हो सकती है ।

(ख) जी, हां । आमतौर पर ऐसा होता है ।

(ग) इस मामले में अपनी नीति निर्धारित करना समाचार-पत्रों का काम है। सरकार प्रेस की स्वतन्त्रता के लिए दिए गए अपने वचन के अनुरूप इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहेगी ।

Non-Implementation of telephone schemes in Rajasthan due to shortage of instruments

5056. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communicatians** be pleased to state :

(a) whether many approved schemes for telephones are not being implemented or their implementation has been held in abeyance in different parts of Rajathan Circle and

particularly in Sawai-Madhopur and Jaipur districts, due to shortage of different instruments, insulators, wires etc; and

(b) if so, the reasons therefor and the time by which arrangements would be made for the supply of the aforesaid material there?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) About 19 projects for opening long distance Public Call Offices are pending in Rajasthan for want of important items of stores such as ACSR wire, Iron wire, Insulators etc. Out of these one project is pending in Sawai-Madhopur district and 10 in Jaipur district.

The expansion of some existing telephone exchanges and opening of new telephone connections is held up for want of under ground cables.

(b) There is a general shortage of the above mentioned stores in the entire country and this shortage is not peculier to Rajasthan only.

Efforts are being made to procure the materials required for carrying out such schemes. However no time limit for their supply, can be indicated at present.

छत्तीसगढ़ में निश्चित न्यूनतम दर से कम पर धान का विक्रय

5057. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ क्षेत्र में धान 40 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है जब कि न्यूनतम निश्चित मूल्य 56 रुपये प्रति क्विंटल है;

(ख) क्या कोई ऐसी सरकारी मशीनरी अथवा संस्था नहीं है जो किसानों से न्यूनतम निश्चित दरों पर धान खरीद सके ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार कर रही है ताकि किसानों को इस प्रकार भारी नुकसान न उठाना पड़े ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) : इस क्षेत्र में उचित औसत किस्म की धान का खुले बाजार का मूल्य निर्धारित अधिप्राप्ति मूल्य के अधिक अथवा उसके पास है ।

(ख) और (ग). भारतीय खाद्य निगम तथा राज्य सरकार ने किसानों से अधिप्राप्ति मल्यों पर धान खरीदने की पहले ही पर्याप्त व्यवस्था कर ली है ।

आकाशवाणी का भागलपुर केन्द्र

5058. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के भागलपुर केन्द्र का उद्घाटन किस तिथि को हुआ था;

(ख) इसके निर्माण की लागत तथा इसका वार्षिक व्यय क्या है;

(ग) क्या इस केन्द्र से समाचारों और पटना केन्द्र तथा आकाशवाणी के अन्य केन्द्रों के अन्य कार्यक्रमों के प्रसारण के अतिरिक्त किसी अन्य कार्यक्रम का स्थानीय प्रसारण भी होता है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) 5 मार्च 1967.

(ख) इसके निर्माण का खर्चा 13 लाख 87 हजार रुपये था। पिछले तीन वर्षों के दौरान औसत वार्षिक आवर्ती व्यय 1 लाख 79 हजार रुपये था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) भागलपुर जैसे सहायक केन्द्र उन मुख्य केन्द्रों, जिनसे वे सम्बद्ध हैं, के मीडियम वेव के प्रसारण क्षेत्र को बढ़ाने के लिये स्थापित किये गये थे। अतएव, मूल रूप से स्थानीय कार्यक्रम तैयार करने के लिये उनके पास पर्याप्त स्टूडियो तथा तकनीकी सुविधायें नहीं हैं।

दुर्गापुर मेल्टिंग शॉप में ताला बन्दी

5059. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दुर्गापुर मेल्टिंग शॉप में पिछले सितम्बर की 27–28 तारीख की रात्रि को तालाबन्दी घोषित की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इसका कितने श्रमिकों पर प्रभाव पड़ा है; और

(ग) क्या सरकार ने कोई ऐसी योजना बनाई है जिसके अनुसार कम से कम सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में हड़तालों और तालाबंदी को रोका जा सके ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैय्या) : (क) और (ख). उपलब्ध सूचना के अनुसार 26-27 सितम्बर, 1970 को लगभग 1300 श्रमिकों द्वारा हड़ताल तथा 27 सितम्बर, 1970 को श्रमिकों द्वारा किये गये प्रदर्शन के बाद, प्रबन्धकों ने 27 सितम्बर, 1970 को 10 बजे रात से स्टील मेल्टिंग शॉप की तालाबन्दी घोषित की। प्रदर्शन के दौरान कुछ अधिकारियों पर हमले होने की और कार्यालय के उपकरण तथा रिकार्डों को जलाने की घटनाओं की रिपोर्ट भी मिली है। सामान्य कार्य संचालन को असंभव पाकर, प्रबन्धकों ने तालाबन्दी घोषित कर दी। तालाबन्दी के फलस्वरूप 1350 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए बताये जाते हैं।

(ग) औद्योगिक शांति तथा औद्योगिक समन्वय लगातार बनाये रखना सरकार की जिम्मेदारी है। औद्योगिक सम्बन्ध तंत्र तथा संबंधित दलों द्वारा औद्योगिक विवादों को वर्तमान कानन तथा सम्बद्ध समझौते के आधार पर सुलझाया जाना है।

बाढ़ों के परिणामस्वरूप राज्यवार फसलों को हुई हानि

5060. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) बाढ़ों के परिणामस्वरूप फसलों को राज्यवार कुल कितनी हानि हुई;

(ख) पिछले तीन वर्षों की तुलना में यह आंकड़े क्या हैं ;

(ग) इस हानि को रोकने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ;

(घ) उसके अब तक क्या परिणाम निकले ; और

(ङ) भविष्य में इस आवर्ती हानि को रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी वाला एक विवरण संलग्न है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी०–4605/70]**

(ग) से (ङ). बांधों के निर्माण, जलपथ सुधार, नदी प्रशिक्षण संबंधी कार्य, निकास नालियों का सुधार, भण्डारण, जलाशयों का निर्माण, बाढ़ की चेतावनी तथा बाढ़ पूर्वानुमान आदि बाढ़ से रक्षा के उपाय किए गए। 1954 में से, जबकि बाढ़ नियंत्रण के राष्ट्रीय कार्यक्रम को शुरू किया गया था। चौथी योजना के प्रारम्भ तक निम्नलिखित सफलतायें मिली हैं :—

1. 6,951 किलोमीटर नए बांधों का निर्माण ।

2. 9,172 किलोमीटर निकास नालियां ।

3. 178 नगर रक्षा योजनायें ।

4. 4,580 से अधिक असहाय ग्रामों का विकास ।

इनके अतिरिक्त जहां आवश्यक था वहां मौजूदा बांधों को बढ़ाया और मज़बूत किया गया । किए गए कार्यों के परिणामस्वरूप, बाढ़ से प्रायः ग्रस्त रहने वाले लगभग 59 लाख हैक्टार क्षेत्र की भी उपयुक्त रक्षा हो पाई है ।

चौथी योजना में ऐसे ही रक्षात्मक कार्य जारी रखे जायेंगे ।

हाल ही के वर्षों के बाढ़ के अनुभवों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकारें बाढ़ नियंत्रण की दीर्घकालीन योजनायें भी तैयार कर रही हैं ।

दिल्ली के चिड़ियाघर का विकास

5061. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या **खाद्य तथा कृषी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष में सरकार ने दिल्ली के चिड़ियाघर का कितना विकास किया है; और

(ख) इसके विकास का भावी कार्यक्रम क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) दिल्ली चिड़ियाघर में गत एक वर्ष के दौरान अर्थात दिसम्बर, 1969 से नवम्बर, 1970 तक की अवधि में निम्नलिखित विकास कार्य हुआ है :–

(i) **निर्माणात्मक विकास**

'ए' श्रेणी के पक्षीगृह का निर्माण, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के आवासों के चारों तरफ बाड़ लगाना, चारा–फार्मों में सड़कों का निर्माण तथा तृतीय श्रेणी के दो क्वार्टरों को पूर्ण करना ।

हस्ति गृहों, 'सी' तथा 'ई' श्रेणी के पक्षीगृहों, मांस गृह में शीत भंडार के निर्माण तथा अस्पताल के निकट झील को भरने का कार्य चालू है ।

उड़ने वाले पक्षियों के पक्षीगृहों, चतुर्थ श्रेणी के 10 क्वार्टरों, 'बी', 'डी' तथा 'एफ' श्रेणी के पक्षीगृहों के निर्माण की स्वीकृति दे दी गई है । कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ होने की संभावना है ।

(ii) **बागवानी विकास**

220 फल तथा चारा वृक्ष, 265 छायादार तथा सजावटी वृक्ष, 900 झाड़ियां तथा लतायें और 505 राउन्डफीट झाड़ियां लगाई गई हैं। अस्पताल के चारों तरफ लगभग पांच एकड़ क्षेत्र में 'फाइकस' जाति के पौधे लगाये गये हैं । पुराने किले कि ढलान पर बेगवेमलिया के पौधे लगाये गये हैं ।

(iii) **संग्रह**

सामान्य रूप से प्राप्त होने वाले पशु–पक्षियों के अतिरिक्त दिल्ली चिडियाघर में अमरीका में पाये जाने वाले गुआनाकोस का एक जोड़ा भी लाया गया है। क्रय, भेंट अथवा विनिमय द्वारा चिड़िया घर में निम्नलिखित जानवर लाये गये हैं :–

1. भारतीय शेर	—	1
2. भारतीय अरना	—	1
3. बाघ	—	1
4. औलाइव वेषून	—	1
5. जैबरा	—	1
6. गोरल	—	1

7. स्लेन्डर लोरिस	—	4
8. हाथी	—	1
9. पैंगोलिन	—	1
10. बार्किंग डीयर	—	1
11. ओटर	—	1
12. चीत्तल	—	5
13. बोनेट बन्दर	—	3
14. शेर समान पूंछ वाला बन्दर	—	1
15. स्थल कछुआ	—	23
16. भारतीय विशाल गिलहरी	—	6
17. श्वेत मोर	—	4
18. साधारण मोर	—	14
19. ब्रेहमणी बत्तख	—	4
20. सारस क्रेन	—	7
21. भूरा तीतर	—	9
22. काला तीतर	—	5
23. एस० पर्वतीय मैना	—	7
24. मोर	—	2
25. जंगली बत्तख	—	2
26. अमेजन तोते	—	4
27. हिमालय का हरा मैगपाई	—	2
28. लाल चोटी वाला योरोपीय नीलकंट–पक्षी	—	2
29. तेंदुआ–बिल्ली	—	2

(iv) **ओसाका की अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में योगदान**

एक्सपो 70 प्रदर्शनी ओसाका (जापान) में भारतीय मंडप में सफेद बाघ दलीप ने भारी भीड को आकर्षित किया। विश्व के विभिन्न समाचार प्रचार साधनों द्वारा दिल्ली चिड़ियाघर का उल्लेख किया गया है।

(ख) दिल्ली चिड़ियाघर की स्थापना की प्रारम्भिक अवस्था में, यह अनुमान लगाया गया था कि इसके विकास के लिये 160 लाख रुपये की आवश्यकता पड़ेगी। उपरोक्त के आधार पर अभी तक विभिन्न विकास गतिविधि पर 98 लाख रुपये की राशि व्यय की गयी है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि में 25 लाख रुपये की राशि की व्यवस्था की गई है।

दिल्ली चिड़ियाघर के विकास की भावी योजनाओं में निम्न कार्य सम्मिलित हैं :-

(i) जिनका निर्माण किया जाना है :-

(i) सपर्णशील गृह।

(ii) वानर गृह।

(iii) जलशाला तथा

(iv) उड़नशील पक्षी पक्षीगृह।

(2) प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय तथा पौधों के लिये ग्रीष्म गृह का निर्माण।

(3) सफेद बाघों के लिए सलाख विहीन बेड़ों सहित मांसाहारी पशुओं के लिये आवासों का निर्माण।

(4) कर्मचारी आवासों का निर्माण।

(5) जिराफ, अरने, समुद्री शेर, सफेद गेंडे, अफ्रीकी एन्टीलोप आस्ट्रेलियाई पक्षी आदि जैसे देशी विदेशी पशुओं तथा पक्षियों के क्रय अथवा विनिमय द्वारा अभिग्रहण।

(6) यात्रियों के लिये पावर ट्रौली।

Distribution of famine relief received from foreign countries in Rajasthan

5062. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether coarse meal (Dalia), Dalda and oil etc. received from the foreign countries in the form of famine relief were distributed in District Jhalawar, Rajasthan;

(b) if so, the names of the countries which sent the said articles together with the quantity thereof received from each country; and

(c) whether the complete details in this regard would be laid on the Table of the House?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation ((Shri Annasaheb Shinde) : (a) to (c). No indication has been given in the question as to the period for which the information is required. However the Government of Rajasthan have reported that they are not aware of distribution of any coarse meal (Dalia), Dalda, etc. in Jhalawar district during the famine year 1969-70. They have added that usually, food articles of this nature are received and distributed by voluntary organisations, which function on their own and not through the State Relief Department.

नेत्रहीनों के लिए कृषि प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना

5063. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दमण के निकट कासा में नेत्रहीनों के लिये कोई कृषि प्रशिक्षण केन्द्र है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार देश के अन्य भागों में भी ऐसे कृषि प्रशिक्षण केन्द्र आरम्भ करने का है, ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) तथा (ख) . जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) जी नहीं । अब तक किसी राज्य सरकार या संस्था से ऐसा कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

संकर किस्म के अनाज की फसलों के विकास में अनुसन्धान

5064. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिक उपज देने वाली अनाज की फसल ट्रिटिकेल के विकास के लिये भारत अनुसन्धान कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी हां । राई गेहूं के संकरण द्वारा विकसित एक प्रकार के अनाज ट्रिटिकेल के विकास के लिये अनुसन्धान किया जा रहा है।

(ख) गेहूं और राई की अधिक उत्पादनशील तथा अच्छी किस्म की संकर किस्मों के विकास के सम्बन्ध में भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान, नई दिल्ली, तथा लुधियाना,

पंतनगर तथा जबलपुर में कृषि विश्वविद्यालय में अनुसन्धान चालू है । ऐसी कई संकर किस्मों का परीक्षण भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद की अखील भारतीय समन्बित गेहूं सुधार परियोजना के अधीन किया जा रहा है । साथ ही, अन्य देशों में विकसित ट्रिटिकेल की किस्मों के परीक्षण अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं तथा मक्का सुधार केन्द्र के सहयोग से मैक्सिको में किये जा रहे है । ट्रिटिकेल का बड़ा आकर्षण यह है कि वह कम नमी वाली परिस्थितियों में उगाई जा सकती है और उसमें काफी मात्रा में प्रोटीन होता है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता ।

माधेपुर, दरभंगा में केन्द्रीय डेरी संयंत्र का कार्यकरण

5065. **श्री शिव चन्द्र झा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माधेपुर (बिहार में दरभंगा जिले में) स्थित केन्द्रीय डेरी संयंत्र काफी समय से बेकार पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इसको चालू करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है और यदि कोई कार्यवाही करने का विचार नहीं है तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) से (ग) . सर्वश्री मिलक प्रोडक्टस (इन्डिया) लिमिटेड (एक गैर सरकारी उपकरण) ने दरभंगा जिले में माधेपुर नामक स्थान पर एक डेरी स्थापित की थी । आरम्भ से ही इस योजना के मार्ग में बहुत सी त्रुटियां आईं । यह डेरी एक दुर्गम क्षत्र में थी और वहां प्रति वर्ष बाढ़ें आती थीं । वहां पर बिजली और अन्य सुविधाएँ भी नहीं थी । बाद में बिहार राज्य वित्त निगम ने इस परियोजना को ऋण देकर इसके पुनरुत्थान का प्रयत्न किया परन्तु डेरी सफल नहीं हुई और निगम को अपनी राशि वापस लेने के लिये कचहरी से डिग्री लेनी पड़ी ।

राज्य सरकार ने 1967 में निर्णय किया कि मशीनरी पुरानी होने के कारण प्लान्ट को दोबारा लगाने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा ।

बैंकों द्वारा अनाज के व्यापारियों को ऋण

5066 . **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी एक वर्ष में वर्तमान मूल्य स्तर को बनाए रखने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ख) पिछले तीन वर्षों में गैर–सरकारी तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अनाज व्यापारियों (थोक तथा परचून) को कुल कितना ऋण दिया गया था तथा क्या यह भी निर्णय लिया जा रहा है कि इसके बाद थोक व्यापारियों को ऋण देना बिल्कुल बन्द कर दिया जाए ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) एक विवरण (अनुबंध 1) संलग्न है जिसमें सरकार द्वारा मूल्यों पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से उठाए गए विभिन्न पगों का ब्यौरा दिया गया है।

(ख) थोक और खुदरा व्यापारी–वार खाद्यान्नों के प्रति पेशगियों का वर्गीकरण उपलब्ध नहीं है । जमानत–वार वर्गीकरण पर आधारित खाद्यान्नों के प्रति पेशगियों से पता चलता है कि वे सभी खाद्यान्नों के संबंध में गत तीन वर्षों से अधिक हैं । एक विवरण (अनुबंध 2) सलग्न है । फिलहाल, थोक व्यापारियों को बैंक ऋण न देने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) सरकार की नीति थोक व्यापार को सर्वथा समाप्त करने की नहीं है। अतः सरकार की समूची ऋण नीति के अन्तर्गत थोक व्यापारियों को ऋण पेशगियां दी जाती रहेंगी ।

अनुबन्ध–1

विवरण

मूल्यों पर नियंत्रण रखनेके लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न पग ।

(क) खाद्यान्न व्यापार का क्षेत्रीय प्रतिबंधकों तथा अन्य विनियमक उपायों के माध्यम से विनियमन ।

(ख) सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों पर खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति एवं वितरण ।

(ग) खाद्यान्नों का बफर स्टाक बनवाना ।

(घ) मांग तथा मूल्य के दबाव को ध्यान में रखते हुए जिन्सों पर दी जाने वाली बैंक पेशगियों पर ऋण नियंत्रण का विनियमन ।

(ङ) औद्योगिक कच्चे माल के लिए मूल्यों में स्थिरता लाने सम्बन्धी उपायों को अपनाना ।

(च) मूल्य तथा वितरण नियंत्रण का चयनात्मक प्रयोग ।

(छ) मुख्य जिन्सों के व्यापार में वायदा ठेकों का विनियमन ।

(ज) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत घोषित आवश्यक जिन्सों के वितरण तथा मूल्यों के नियंत्रण के लिये राज्य सरकारों को अधिकारों का प्रत्यायोजन ।

अनुबन्ध–2

विवरण

प्राइवेट पार्टियों को खाद्यान्नों के प्रति अनुसूचित* वाणिज्यिक बैंकों द्वारा पेशगियां

(करोड़ रुपयों में)

जमानत	इन तारीखों को बकाया राशि		
	मार्च 14, 1968	मार्च 14, 1969	मार्च 13, 1970
खाद्यान्न	21.0	40.0	55.0
(क) चावल और गेहूं आटा मिलें	6.9	10.9	15.8
(ख) अन्य	14.1	29.1	39.2

* पेशगियों के जमानत–वार वर्गीकरण पर आधारित और इसमें राज्य सरकारों और भारतीय खाद्य निगम को खाद्यान्नों के प्रति दी गई पेशगियां शामिल नहीं हैं ।

अखिल भारतीय तार कर्मचारी संघ (श्रेणी तीन) की मांगें

5067. **श्री भोगेन्द्र झा : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय तार कर्मचारी संघ (श्रेणी तीन) की डिवीजनल ब्रांच, दरभंगा (बिहार) ने यह मांग की है कि व्यक्तिगत दावों के निपटान 296 प्रत्यावर्त और कर्मचारियों के कल्याण के लिये बारीवार स्थानांतरण को तत्काल बन्द किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) लागू आदेशों के अनुसार मई 1970 में बारीवार स्थानांतरण के आदेश दिये गये हैं । किन्ही खास व्यक्तियों की कठिनाई होने पर उनके मामलों पर यथानुरूप ध्यान दिया गया है । कर्मचारियों के व्यक्तिगत दावों को निपटाने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं । कर्मचारियों के दरभंगा से मुजफ्फरपुर डिवीजन में पुनः स्थानान्तरण की व्यवस्था एक क्रमिक कार्यक्रम में की गई है । जब भी रिक्त स्थान उपलब्ध होंगे, यह स्थानान्तरण किया जाएगा ।

Wages of workers in Beedi Industry

5068. **Shri Ram Singh Ayarwal** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether any conference has so far been held on central level to re-determine the wages of the workers working in the beedi industry;

(b) if so, when and the names of the representatives, who attended it and the details of their conclusions or suggestions; and

(c) if not, the date on which such a meeting is proposed to be held?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya) : (a) to (c). Fixation/Revision of minimum rates of wages of bidi workers under the Minimum Wages Act, 1948, falls in the jurisdiction of State Governments. The question of narrowing down the disparities in the wages fixed in various States has been discussed in various meetings of Minimum Wages Central Advisory Boards, Labour Ministers of the concerned States, etc. convened by the Central Government.

टेलीविजन द्वारा सजीव कार्यक्रम

5069. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीविजन द्वारा प्रादेशिक भाषाओं में ड्रामों, सामूहिक गानों आदि जैसे सजीव कार्यक्रमों का प्रसारण किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किन भाषाओं का उपयोग किया जा रहा है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस संबंध में कोई प्रयास किया गया है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) दिल्ली तथा इसके आसपास के क्षेत्र, जो टेलीविजन केन्द्र की रेंज में आते हैं, अधिकतर हिन्दी भाषी हैं, अतएव, अधिकांश कार्यक्रम हिन्दी में ही होते हैं । तथापि, प्रादेशिक भाषाओं के समूहगान तथा लोक संगीत जैसे रिकार्ड किये गये कार्यक्रम भी कभी-कभी टेलीकास्ट किए जाते हैं ।

वसूली का अनुमान

5070. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू कटाई फसल में वसूली का क्या अनुमान है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : सरकार की यह कोशिश रही है कि कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों के अनुसार

1970-71 के मौसम में 55 लाख मीटरी टन खरीफ के खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति के लक्ष्य को पूरा कर लिया जाए। क्योंकि अधिप्राप्ति मौसम अभी शुरू ही हुआ है इसलिए खाद्यान्नों की सम्भावी अधिप्राप्ति का अनुमान लगाना जल्दबाजी होगी।

Adjudication in strikes

5071. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether Government, keeping in view the heavy loss in production caused by strikes in the country, propose to appoint such tribunals for the public and private sectors as may deliver their judgements after hearing the grievances of the workers and the employers and their judgements may be binding on both the parties; and

(b) if not, the reasons therefor?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya) : (a) and (b). The Industrial Disputes Act, 1947 provides for necessary references being made by the appropriate Government in suitable cases to Labour Courts, Tribunals and National Tribunals for adjudication of industrial disputes whether in the public or private sector. These forums are already in existence; their awards are binding on the parties. The National Labour Commission has, meanwhile, recommended the constitution of Central and State Industrial Relations Commissions, with functions, *inter alia*, of industrial adjudication. The recommendation is being processed in the light of the deliberations of the Standing Labour Committee at its session in July, 1970.

Unemployment in rural areas due to mechanised farming

5072. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the number of unemployed persons in rural areas is increasing day by day as a result of mechanised farming;

(b) if so, the scheme formulated by Government to solve the increasing unemployment problem in the rural areas; and

(c) if no scheme has been formulated, the reasons therefor?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya) : (a) Government have no information about any large increase in rural unemployment due to mechanised farming.

(b) The Government of India, with the cooperation of State Governments, have lanched various schemes in the agricultural sector in the country designed to mobilise rural manpower and provide employment opportunities to technical agricultural personnel in particular and agricultural labour force in general. Some of these schemes are indicated below:—

(i) Small Farmers Development Agencies;

(ii) Scheme for Marginal Farmers and Agricultural Labourers;

(iii) Rural Works Programme;

(iv) Farm Graduate's scheme;

(v) Scheme for Establishment of Agro-Service Centres;

(vi) Custom Service Centres; and

(vii) Scheme for Intergrated Dry Land Agriculture.

(c) Do not arise.

Conference called by British Government for solving unemployment

5073. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether the British Government had called a Conference of various countries in September, 1970 with a view to solving the unemployment problem in the developing countries of the world;

(b) if so, the suggestions made therein for solving the problem; and

(c) the manner in which India is likely to be benefited thereby?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya) : (a). No information is available.

(b) & (c). Do not arise.

Fall in production of wheat in Punjab due to lack of water and electricity

5074. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether wheat crop in Punjab is likely to register a heavy decline this year due to the shortage of water and electricity there;

(b) if so, the extent to which the wheat-yield is likely to go down; and

(c) the steps taken by Government to prevent this loss?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community, Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) No official report regarding decline in wheat production in Punjab during the current Rabi season has been received. The target slands at the previous figure of high yielding varieties. Sowings are in progress and are so far reported to be continuing as normal.

(b) Due to less storage of water in Govindsagar Lake, some decline in water and power supply to Punjab is likely. It would be premature to assess the effect of this on production of wheat.

(c) The Government of Punjab have been given foreign exchange to import and instal 27 diesel generating sets with an aggregate capacity of about 36 MW. The Ministry advised the State Government to popularise the methods of irrigation which minimise the use of water and lend to target coverage of cropped area by using the available supply of water judiciously. They were also requested to issue suitable publicity material in regional language advising the farmers to use the correct quantity of water by adopting most suitable methods of irrigation.

Complaints regarding A.I.R. broadcasts

5075. **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
Shri Yashpal Singh:
Shri Samar Guha :

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased ro state:

(a) the number of complaints received during the last two years regarding the broadcasting of news and other programmes by A.I.R.; and

(b) the nature thereof and the action taken thereon?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) and (b). Complete record of complaints received by all AIR Stations during the last two years is not available as listeners' letters are generally not preserved for more than a year. However all complaints are promptly looked into. Many are found to be vague or are based on hearsay, and some times baseless or biased. Where, specific instancesare quoted and are, on enquiry found correct, appropriate remedial action is taken promptly.

Easy availability of Vanaspati Ghee to check black-marketing

5076. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that although the production-capacity of Vanaspati is more than its requirement in the country, yet it is sold in the black market;

(b) if so, the reason therefor; and

(c) the action proposed to be taken by Government to make vanaspati easily available to check its black-marketing and to stabilise its prices in the country?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) No, Sir. It has not come to the notice of the Government that vanaspati is being sold at prices higher than those notified by the Government.

(b) and (c). Do not arise.

Agricultural cooperation received from foreign countries

6077. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to staie:

(a) the names of the countries which have extended cooperation to India in the field of agriculture;

(b) the nature thereof; and

(c) the details of future programme in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Gommunity, Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a). Significant assistance has

been received from Austria, Belgium, Britain, Bulgaria, Canada, Denmark, Germany, France, Italy, Japan, Neitherl ands, Newzealand, Norway, Sweeden. Switzerland, U.S.A., U.S.S.R. and Yugoslavia.

(b) The cooperation is generally of following types: *viz*:—

(i) Material aid *i. e* Equipment, machinery and inputs;

(ii) Fellowships for Indian Officials for training in foreign countries;

(iii) Technical know-how through the services of foreign experts in various fields of agriculture;

(iv) Use of PL 480 Trust Funds for Schemes of Agricultural Research in Universities and other Institutes.

(c) The pattern of assistance, as heretofore. is expected to continue during the Fourth Plan period.

डाकघरों, अंतर्देशीय पत्रों एवं लिफाफों के मुल्य में वृद्धि

5078. **श्री श्रद्धाकर सूपकार** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में अन्तर्देशीय पत्रों एवं लिफाफों के मूल्य बढाये जाने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो कब तक ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) फिलहाल नहीं ।

(ख) ऊपर भाग (क) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

Maitnenance of record of good breed buffaloes

5079. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether Government propose to introduce the system of maintaining detailed records of good-breed buffaloes generation-wise together with the details in respect of their parents, grand-parents etc., and of their milk yield with a view to improving the breed of buffaloe and facilitating the selection of he-buffaloes and she-buffaloes of good breed, as is done in the foreign countries; and

(b) if so, the details thereof?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community, Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) Yes.

(b) Two Central Cattle Breeding Farms are being established. One for Surti buffaloes at Ankleshwar (Gujarat) and the other for Murrah buffaloes at Alamadhi (Tamil Nadu) for scientific breeding and supply of progeny-tested bulls. The performance of

individual animals, including Murrah breed of buffaloes, are maintained under the Central Herd Registration Scheme. In addition, under the Centrally sponsored progeny testing scheme, the records of performance of both mother as well as daughters are proposed to be maintained, to evaluate the genetic merit of the sires (bulls) including buffalo bulls. The progeny-tested bulls will be used extensively in the breeding programme, with a view to improving the quality of bulls.

Value of Soyabean on its Protein Contents

5080. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that soyabean contains 40 per cent protein and one quintal soyabean contains as much protein as three quintals of wheat contain;

(b) if so, the reasons for making an announcement to purchase soyabean .. Rs. 85 per quintal based on the estimation of only the oil content therein and without taking into account the value of protein in it; and

(c) if so, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community, Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) Yes, Sir. It is known that the protein content of soyabean is about 40% which is roughly three times that of wheat.

(b) & (c). The price for soyabean was fixed having regard to the likely realization from the oil and the deoiled meal, prices of competing crops and the need to encourage porduction of soyabean, Even though the purchase price was fixed at Rs. 85 per quintal, prices in the market ruled at higher levels. The level at which the price should be fixed for the comming crop is under consideration of the Government.

Production of complex fertilizers for various types of crops

5081. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether composite fertilizers are also being produced or are proposed to be produced wherein the requisite quantity of nitrogen, phosphoric acid and potash are available in each particle thereof keeping in view the requirement for each type of crops; and

(b) if so, the details in regard to the types of crops and the fertilizers in this connection?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) Yes Sir. Complex/compound (composite) fertilizers such as 28-28-0, 20-20-0, 16-20-0, 14-14-14, 18-46-0, 15-15-15, 18-18-9, 22-22-11 are already being produced in the country. It is also proposed to produce grades like 17-17-17, 14-28-14, 10-26-26, 12-32-16, 14-36-12. These fertilizer grades are produced, generally, based on the requirements of different crops.

(b) The fertilizer grades as already indicated are generally suitable for the crops as given below:—

S. No.	Grade/Grades	Crops on which used
1.	28-28-0 20-20-0	Sugarcane, maize, wheat, barley, cotton ,tobacco.
2.	16-20-0	After mixing with ammonium sulphate and muriate of potash it is used for different crops like paddy, maize, wheat, chillies.
3.	14-14-14 15-15-15 17-17-17	Paddy, maize, wheat, chillies, cotton, sugarcane, potato.
4.	18-46-0	Groundnut, after mixing with other nitrogenous and potassic fertilizers it can be used on almost all crops.
5.	22-22-11 18-18-9	Paddy, maize, wheat, cotton when the soil is comparatively rich in potash.
6.	14-28-14	Wheat, potato, maize, tobacco, chillies, groundnut.
7.	10-62-26	For all crops as for the grades of 14-14-14, 15-15-15, 17-17-17 extra nitrogen is either mixed at the time of sowing with this grade or it is applied as top dressing.
8.	12-32-16	For all crops as 14-28-14, extra nitrogen is either mixed at the time of sowing with this gtade or it is applied as top dressing.
9.	14-36-12	Groundnut when the soil is comparatively well supplied with potash.

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लंदन के "दी टाइम्स" को विज्ञापन

5082. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लन्दन के "दी टाइम्स" के 14 नवम्बर के अंक में भारत के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा दिये गए विज्ञापनों के पृष्ठों की संख्या कितनी थी ;

(ख) इन विज्ञापनों पर हवाई भाड़े सहित कुल कितना खर्चा हुआ ; और

(ग) क्या इससे पहले किसी अवसर पर किसी विदेशी पत्रिका में इतने बड़े स्तर पर विज्ञापन दिये गये थे ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री ई० कु० गुजराल): (क) "दी टाइम्स' लन्दन के ३० नवम्बर, 1970 के अंक के साथ प्रकाशित "इंडिया–ए स्पेशल रिपोर्ट" नामक परिशिष्ट में विभिन्न सरकारी उपक्रमों द्वारा विज्ञापनों के लगभग दस पृष्ठ लिये गये थे ।

(ख) उक्त विज्ञापनों पर विदेशी मुद्रा में कुल 5 लाख 58 हजार रुपये खर्च हुए थे । हवाई भाड़े का खर्चा उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) विदेशी समाचार पत्रों के परिशिष्टों में विज्ञापनों के लिये सरकारी तथा गैरसरकारी उपक्रमों की विदेशी मुद्रा के लिये प्रार्थनाएं भूतकाल में भी रिजर्व बैंक ने गुणावगुण आधार पर मंजूर की है ।

राज्य सरकारों द्वारा आकाशवाणी का अपने उद्देश्यों के लिए प्रयोग करने का प्रयास

5083. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

(क) क्या हाल में उन्होंने आकाशवाणी से कहा है कि यदि किसी राज्य सरकार द्वारा अपने प्रयोजनों हेतु उसका प्रयोग किये जाने का प्रयास किया जाता है तो वह उसके तथा अन्य किसी के आगे न झुके ;

(ख) यदि हां, तो किन परिस्थितियों ने उन्हें यह वक्तव्य देने पर विवश किया ; और

(ग) क्या किसी राज्य सरकार ने आकाशवाणी का अपने उद्देश्य के लिये प्रयोग करने का प्रयास किया है, यदि हां, तो उस राज्य का नाम क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) से (ग) . कानून और व्यवस्था के भंग होने के खतरे के सन्दर्भ में, विशेषकर सामाजिक तथा सांम्प्रदायिक तनाव के दौरान आकाशवाणी की भूमिका पर पिछले नवम्बर में आकाशवाणी के केन्द्र निर्देशकों के वार्षिक सम्मेलन में भाषण करते हुए मन्त्री महोदय ने यह कहा था:––

"जबकि हमे राज्य सरकारों से पूर्ण समन्वय और सहयोग करना चाहिए, हमारा मुख्य कर्त्तव्य है कि हम यह सुनिश्चित करें कि हम क्षेत्रीय या किसी वर्ग विशेष के दबाव के आगे न झुकें और हमेशा ही लोगों के हित में अपने मन में देश की एकता का ध्यान रखें। परन्तु इस समस्या का दूसरा पहलू उस समय महत्वपूर्ण हो सकता है जब राज्य सरकारें या कोई और वर्ग आकाशवाणी को अपने उद्देश्य के लिये इस्तेमाल करने या अपनी इच्छानुसार मोड़ने का प्रयत्न करना चाहे। इस प्रकार की स्थिति पैदा होने पर आकाशवाणी को धमकियों के सामने दृढ़ रहना चाहिये और अपनी न्यायनिष्ठा बनाए रखनी चाहिए"।

पोस्ट-कार्ड सेवा पर होने वाली हानि के परिणाम स्वरूप इसकी संशोधित दरें

5084. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार विभाग को पोस्टकार्ड सेवा के परिणामस्वरूप प्रति वर्ष बहुत अधिक हानि हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो विभाग को चालू वर्ष के दौरान अब तक और पिछले दो वर्षों में कितने हानि हुई है ;

(ग) क्या पोस्ट-कार्ड का मूल्य बढाये जाने और सभी डाक दरों के पुनरीक्षण का कोई विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यह कब तक किया जायेगा तथा क्या संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति को विश्वास में लिया जायगा ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) पोस्ट कार्डों पर अनुमानित घाटे का ब्यौरा इस प्रकार है :—

1968–69	6.57 करोड रुपये
1969–70	7.29 करोड़ रुपये
1970–71	10.27 करोड़ रुपये

(ग) फिलहाल नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता। फिर भी यह उल्लेखनीय है कि ऐसे प्रस्तावों की संसद में घोषणा करने से पहले उन्हें सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत करना ठीक नहीं होगा।

1970 के दौरान हड़तालें, तालाबन्दियों, घेराव आदि

5085. **श्री कंवरलाल गुप्त** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में हुई हड़तालों, तालाबन्दियों, घेराओं आदि की संख्या कितनी थी ;

(ख) इन हड़तालों आदि के परिणामस्वरूप अनुमानित कितनी हानि हुई है ;

(ग) उन मामलों की संख्या क्या है जिनमें श्रमिकों की माँगें स्वीकार की गई थी ; और

(घ) उन मामलों की संख्या क्या है जिनमें इन हड़तालों आदि के परिणामस्वरूप हिंसा घटित हुई ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी. संजीवैया) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

राज्यों में केन्द्रीय फार्मों की स्थापना

5086. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्य सरकारों के नाम क्या हैं जिनके पास अपने फार्म हैं तथा उन फार्मों के क्षेत्रफल सहित अन्य ब्यौरा क्या है ; और

(ख) निकट भविष्य में केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत राज्यों में स्थापित की जाने वाली नई फार्मों की योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे): (क) राज्य सरकारों से जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) केन्द्रिय सरकार राज्यों के लिये कोई फार्म नहीं बनाती है । केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों में स्थापित किये गये फार्म केन्द्रीय राजकीय फार्म हैं और भारत सरकार के एक सरकारी प्रतिष्ठान "राजकीय फार्म निगम" के अधीन हैं । इस समय केरल और तामिलनाडु के राज्यों में नये फार्म स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

'रावेनशा कालेज', कटक के सम्बन्ध में स्मृति डाक टिकटों का जारी किया जाना

5087. **श्री प्र०के० देव** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कटक स्थित 'रावेनशा कालेज' उड़ीसा में सबसे पहली शिक्षण संस्था है और उसने हाल ही में अपना शताब्दी-समारोह मनाया है;

(ख) क्या उड़ीसा की जनता इस बात की मांग कर रही है कि उक्त कालेज के संबंध में एक स्मृति-डाक-टिकट जारी किया जाये; और

(ग) यदि हां, तो इस उचित मांग के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है जब कि दी प्रेजीडैंसी कालेज, कलकत्ता और जामिया मिलिया के संबंध में ऐसे स्मृति डाक टिकट अंश-रूप से जारी किये जा चुके हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां, 19-2-70 को उड़ीसा सरकार से एक पत्र प्राप्त हुआ था । इसके बाद कुछ संसद सदस्यों से भी प्राप्त हुए थे ।

(ग) यह शताब्दी 14 मार्च, 1970 को थी । सामान्यत: नये डाक-टिकिट जारी करने के प्रस्ताव 18 महीने पहले प्रस्तुत करने होते हैं । उस समय तक 1970 के लिए पूरा कार्यक्रम बना लिया गया था । फिर भी यह प्रस्ताव डाक-टिकट सलाहकार समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया, लेकिन उन्होंने यह डाक-टिकट जारी करने की सिफारिश नहीं की ।

A.I.R. news coverage on closure of clearing houses of Banks in Bihar and discussion thereon in Lok Sabha

5088. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state:

(a) whether the closure of Clearing-Houses of the banks in Bihar from the 8th August to the 23rd November was discussed in the Lok Sabha on the 23rd November through a call-attention motion in view of its importance;

(b) if so, whether this important news-item was not included in the news bulletin broadcast by the A.I.R. with a view to apprising the people of Bihar of it; and

(c) if so, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Yes, Sir.

(b) It was covered in the news bulletins.

(c) Does not arise.

इस्टीट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग एण्ड न्यूटरेशन, नई दिल्ली के प्रबन्धकों द्वारा हड़ताल के दौरान विद्यार्थियों का अशोक होटल, नई दिल्ली में भेजा जाना

5089. **श्री रामवतार शास्त्री** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंस्टीट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग एण्ड न्यूटरेशन पूसा रोड, नई दिल्ली के प्रबंधकों ने अशोक होटल में 19 से 26 अगस्त, 1970 की हड़ताल की अवधि में कुछ विद्यार्थियों को अशोक होटल में काम करने के लिये भेजा था; और

(ख) यदि हां, तो एक शिक्षा संस्था द्वारा अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की सेवाओं का इस प्रकार का प्रयोग करना कहां तक न्यायोचित था ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय पर्यटन विकास निगम ने होटल प्रबन्ध, खानपान तथा पोषाहार संस्थान से अपने होटल में रह रहे व्यक्तियों की असुविधा को दूर करने हेतु अपनी न्यूनतम सेवाओं को चालू रखने के लिए विद्यार्थी-प्रशिक्षार्थियों की सेवाओं के लिए अनुरोध किया था। इसको दृष्टि में रखते हुए, जिन विद्यार्थियों ने स्वेच्छा से अशोक होटल में जाना और कार्य करना मान लिया था, उन्हें भेजा गया था। विद्यार्थियों को सामान्यतः मान्यता प्राप्त होटलों में व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है। अतः जो विद्यार्थी होटल में गये थे उन्हें इस व्यावहारिक प्राशिक्षण से लाभ पहुंचा है।

एक उद्योग के लिए एक श्रमिक संघ

5090. **श्री जि० मो० विश्वास** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक उद्योग में केवल एक श्रमिक संघ हो, इस दिशा में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) जैसा विधान पश्चिम बंगाल का केरल में बनाया जा चुका है, क्या वैसा ही कोई विधान यहां भी बनाये जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) से (ग). राष्ट्रीय श्रम आयोग ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह सिफारिश की है कि किसी स्थानीय क्षेत्र के एक प्रतिष्ठान या एक उद्योग में प्रतिनिधि यूनियन के रूप में केवल एक ही यूनियन को मान्यता देने के लिए सांविधिक व्यवस्था की जानी चाहिए और जूलाई, 1970 में हुए स्थायी श्रम समिति के 29 वें अधिवेशन में इसका अनुमोदन किया गया। समिति के निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्यवाही पर विचार किया जा रहा है।

राष्ट्रीय उद्यानों तथा रक्षित स्थानों के संबंध में विशेषज्ञ समिति का प्रतिवेदन

5091. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन्य पशुओं के भारतीय बोर्ड द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति ने राष्ट्रीय उद्यानों तथा रक्षित स्थानों के सम्बन्ध में अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या वन्य पशुओं के भारतीय बोर्ड द्वारा प्रतिवेदन पर विचार किया गया है, और यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिये गये हैं;

(घ) समिति की सिफारिशों / सुझावों को क्रियान्विति के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) उनकी सिफारिशों / सुझावों की क्रियान्विति में कुल कितना धन तथा समय लगने की संभावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी हां । भारतीय वन्य-प्राणी बोर्ड की सिफारिश पर भारत सरकार द्वारा स्थापित विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट अगस्त, 1970 में प्रस्तुत की थी।

(ख) उसकी मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं :—

1. भारत में वन्य प्राणि प्रबन्ध की एक राष्ट्रीय नीति को अपनाना।
2. वन्य प्राणि संरक्षण तथा प्रबन्ध के लिए और अधिक रकम की व्यवस्था करना।
3. वन्य प्राणि आश्रय-स्थलों तथा राष्ट्रीय उद्यानों के निर्माण के लिये उपयुक्त तथा अपेक्षाकृत बड़े क्षेत्रों का आरक्षण करना।
4. उच्च प्राथमिकता के आधार पर संरक्षण कानून बनाना और उन्हें वन क्षेत्रों में ही नहीं अपितु उन से बाहर भी प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वित करना।
5. वन्य प्राणियों के लिये प्रभावकारी ढंग से सुरक्षा तथा व्यवस्था करने के लिये केन्द्र तथा राज्यों दोनों में वन्य प्राणियों के लिये एक पृथक संगठन की व्यवस्था करना।
6. बिना लाइसेन्स के वर्जित पशुओं का चमड़ा कमाने और विक्रय पर प्रभावकारी ढंग से नियंत्रण करना।
7. संकट में पड़ी हुई नस्लों के शिकार पर अनिश्चित अवधि के लिये और समस्त पशुओं और पक्षियों के लिये 3 वर्ष की अवधि के लिये प्रतिबन्ध लगाना।
8. संकट में पड़ी हुई नस्लों के परिस्थिति की अध्ययन के लिये वन्य प्राणि केन्द्र की व्यवस्था करना।

(ग) जी हां। भारतीय प्राणि मण्डल ने 24 अक्टूबर, 1970 को हुये अपने 8 वें अधिवेशन में इस रिपोर्ट पर विस्तार से विचार-विमर्श किया था। इस अधिवेशन में विशेषज्ञ समिति के समस्त सदस्यों ने भाग लिया था। विचार-विमर्श को समाप्त करते हुये मण्डल के अध्यक्ष ने यह अनुभव किया कि विशेषज्ञ समिति और भारतीय वन्य प्राणि मण्डल का मुख्य उद्देश्य वन्य प्राणियों में होने वाली कमी को रोकना है। इसे सर्वसम्मति से मंजूर कर लिया गया। उन्होंने यह भी

अनुभव किया कि राजनीतिक तथा प्रशासनिक कारणों से उपयुक्त क्षेत्रों को राष्ट्रीय उद्यानों या वन्य प्राणि परिरक्षण के रूप में उनका प्रबन्ध करने के लिये राज्यों से केन्द्र को हस्तांतरण का प्रस्ताव व्यवहार्य नहीं हैं । वन्य प्राणियों के परिरक्षण की चर्चा में जिन प्रतिनिधियों ने भाग लिया था उनमें से अधिकतर प्रतिनिधियों द्वारा इसके लिये और अधिक राशि आवंटित करने के लिये काफी जोर देने पर अध्यक्ष ने अनुभव किया कि राज्यों के मुख्य मन्त्रियों / वन मन्त्रियों को इस महत्वपुर्ण कार्य से सम्बद्ध किया जाये । उन्होंने 'प्रकृति सौन्दर्य तथा प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा विषयक परिषद्' नामक एक निकाय गठित करने के विचार की प्रशंसा की । प्रधान मंत्री इसके अध्यक्ष, राज्य वन मंत्री इसके सदस्य तथा महा वनपाल इसके सदस्य होंगें या स्थायी रूप से आमंत्रित होंगें। विशेषज्ञ समिति ने वन्य प्राणियों की सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं से सम्बन्धित एक रिपोर्ट निकाली है जिसके दूरगामी परिणामों के कारण मण्डल ने अध्यक्ष को राज्य के मुख्य मन्त्रियों को उनके विचार आमंत्रित करने का अधिकार दिया है ताकि वन्य प्राणि मण्डल की कार्यकारी समिति देश के वन्य प्राणि की पैतृक समृद्धि की सुरक्षा तथा उसे बढ़ाने के विलक्षण कार्य के लिये एक निश्चित नीति तैयार करने की दिशा में उन्हें संकलित कर सके । केन्द्रीय वन मण्डल में राज्यों के वन मन्त्रियों और महा वनपालों को प्रतिनिधित्व दिया गया है, अतः भारतीय वन्य प्राणि मण्डल की सिफारिशों को उपयुक्त क्रियान्विति के लिये केन्द्रीय वन मण्डल के सम्मुख रखने का भी निर्णय किया गया था ।

(घ) भारतीय वन्य प्राणि मण्डल के 8 वे अधिवेशन की सिफारिशों के अनुसार भारतीय वन्य प्राणि मण्डल के अध्यक्ष ने राज्य के मुख्य मन्त्रियों, संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपालों तथा राज्यपालों का ध्यान विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट की ओर आकर्षित किया है । इस रिपोर्ट में देश के वन्य प्राणियों के तेजी से होने वाले ह्रास तथा और अधिक राशि के आवंटन, वन्य प्राणि आश्रय-स्थलों के निर्माण के लिये उपयुक्त क्षेत्र का आरक्षण, वन्य प्राणि संरक्षण कानून बनाना और वन तथा वनों के बाहर के क्षेत्रों में उन्हें कार्यान्वित करने और वन्य प्राणियों की प्रभावशाली तरीके से रक्षा तथा प्रबन्ध के लिये राज्य के वन विभाग के अधीन अलग से वन्य प्राणि संगठन बनाने आदि के विषय में उपयुक्त उपाय किये गये हैं । राज्यों के मुख्य मन्त्रियों, उप-राज्यपालों तथा राज्यपालों से टिप्पणियां प्राप्त होने पर भारतीय वन्य प्राणि मण्डल की कार्य समिति में उन पर विचार-विमर्श करके वन्य प्राणी सुरक्षा तथा प्रबन्ध के लिये मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार किये जायेंगे ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं होता ।

पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को बसीरहाट सब-डिविजन में विभिन्न स्थानों पर बसाया जाना

5092. **श्री सरदार अमजद अली** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बसीरहाट सब-डिविजन में ऐसे कितने शरणार्थी परिवार हैं जिन्हें अभी तक कहीं भी नहीं बसाया गया है;

(ख) क्या सरकार का उन्हें निकट भविष्य में विभिन्न स्थानों पर बसाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, उन्हें कब तक और कहां-कहां बसाया जायेगा ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) से (ग) . 11-12-1970 को पश्चिम बंगाल सरकार ने सूचित किया है कि बसीरहाट सब डिविजन में 119 परिवार विसर्जन की प्रतिक्षा में हैं; इसके अतिरिक्त, लगभग 150 परिवार सियालदह रेलवे स्टेशन पर हैं। इन परिवारों को 15 दिसम्बर, 1970 तक विशेष गाड़ी द्वारा दण्डकारण्य भेज दिया जायेगा।

पश्चिम बंगाल में बन्द पड़ी चीनी मिलें

5093. **श्री सरदार अमजद अली** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में कितनी चीनी मिलें बन्द पड़ी हैं;

(ख) क्या सरकार की उन मिलों को चालू करने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) पश्चिमी बंगाल के बीरभूम जिले में अहमदपुर में एक लाइसेंसशुदा मिल 1964-65 के पिराई मौसम से बन्द पड़ी है।

(ख) और (ग) . यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में उड़ीसा तथा मैसूर में डाकघर खोलना

5094. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में उड़ीसा तथा मैसूर में कितने डाक-घर खोलने का विचार है; और

(ख) चालू वित्तीय वर्ष की अवधि में कितने डाक-घर खोले गये हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान उड़ीसा और मैसूर राज्यों में खोले जाने वाले प्रस्तावित डाकघरों की संख्या—

उड़ीसा	640
मैसूर	1000

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान उड़ीसा और मैसूर राज्यों में खोले गये डाकघरों की संख्या—

उड़ीसा	13 (30-11-70 तक)
मैसूर	78 (9-12-70 तक)

चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में मैसूर में टेलीफोन कनेक्शनों की व्यवस्था

5095. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य को चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में कितने नये टेलीफोन कनेक्शन देने का विचार है; और

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में उनमें से कितने प्रदान कर दिये गये हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) चतुर्थ योजना की अवधि के दौरान मैसूर राज्य में लगभग 21,500 नए टेलीफोन कनेक्शन देने की संभावना है । इनमें से 10000 टेलीफोन बंगलोर टेलीफोन प्रणाली में और बाकी 11,500 कनेक्शन मैसूर राज्य के दूसरे स्थानों पर दिये जाने की संभावना है ।

(ख) चतुर्थ योजना शुरू होने से लेकर अब तक दिए गए टेलिफोन कनेक्शनों की संख्या नीचे दी गई है :--

टेलीफोन कनेक्शन

(सीधी एक्सचेंज लाइनें)

स्थान	1969-70	1-4-70 से 30-9-70 के दौरान
बंगलोर	1800	807
मैसूर राज्य (बंगलोर के अतिरिक्त)	2597	1255
योग	4397	2062

दोषी निर्यातकर्ताओं से श्रमिकों की बकाया राशि वसूल करने के बारे में समिति की नियुक्ति

5096. **डा० रानेन सेन** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दोषी निर्यातकर्ताओं से श्रमिकों को बकाया राशि शीघ्र वसूल करने हेतु प्रभावी कानूनी तथा प्रशासनिक उपायों की सिफारिश करने के लिये किसी समिति की नियुक्ति की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) समिति की सिफारिशें किस तारीख तक प्राप्त हो जायेंगी ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

Issue of booklets on use of fertiliser and their Distribution to farmers

5097. **Shri K.M. Madhukar** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether Government feel the necessity of bringing out small booklets on the methods of using fertilisers keeping in view the kind of soil of a particular areas and such booklets be made available at every fertiliser shop for distribution among the buyers of fertilisers at a very nominal price; and

(b) if so, the action being taken by Government in this regard so that every could get familiarised with the latest methods of using fertilisers?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) It is very essential to educate the farmers regarding the efficient use of fertilisers both with regard to the time and method of its application through all media of publicity, including printed leterature. This is being done under the farmers' training programme.

(b) The Farm Information Unit of the Directorate of Extension under the Ministry has already brought out a leaflet entitled "How to use fertilisers" giving the time and method of application of fertilisers. Besides, the fertiliser manufacturers also bring out and distribute leaflets giving the salient characteristics of the fertilisers and also the time and method of application of these fertilisers.

Popularisation of use of Fertiliser

5098. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Chemical fertilisers stocked in godowns in the country are not purchased by the farmers, because they are sometimes, not in a position to purchase them for want of money or for want of proper knowledge of their utility and as a result stocks of fertilisers are not cleared :

(b) if so, the effective measures taken by the Government to popularise the use of fertilisers among the farmers by acquiring them of the utility of fertilisers through the village Panchayats ;

(c) whether Government are aware that the village workers in Bihar have failed absolutely in their work of extension of knowledge about agriculture and tendering proper advice to farmers ; and

(d) if so, details of any other scheme chalked out by Government for popularising the use of fertilisers among the farmers and how it will benefit farmers ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) Stocking of fertiliser has to be done in advance of manuring season in order to ensure that fertilisers are available to farmers in time. Accumulation of stocks is also due to lack of adequate credit and extension effort to some extent.

(b) The following meausers have been taken to promote the optimum consumption of fertilisers :—

(i) Efforts are being made to make fertiliser available in sufficient quantities near the centres of consumption, so that farmers should have no difficulty in getting supplies.

(ii) National and other demonstrations are organised by Agricultural Universities and State Governments to bring home to the farmers the benefits of optimum fertilizers application.

(iii) The manufactures of fertilizer also organise promotional programmes through demonstrations, publicity, literature and *audio-visual* measures for propagation of their fertilizers.

(iv) Farmers' training programme eventually to cover 100 districts also emphasizes bala-need use of fertilisers.

(c) It is not correct that the Village Level Workers have failed in extending knowledge about agriculture and tendering advice to cultivators for adopting new techniques. All Agricultural Development Programmes, including High Yielding Varieties Programme of paddy, wheat, maize, sugarcane, jute and other development programmes for districts, *viz.* distribution of improved varieties of seeds, fertilisers and use of pesticides are executed through the Village Level Workers. The Village Level Workers are also assisting in making credit available to growers through Cooperative Societies and Banks as well as in the execution of Minor Irrigation Programmes. Refresher courses are also being organised to raise technical competence of the Village Level Workers.

(d) The Government have under consideration a proposal for establishment of a Fertiliser Promotion Council to promote the optimum and balanced use of fertiliser. Its programme will include demonstrations, *audio-visual* publicity of the use of fertilisers and farmers' training.

Percentage of Population with Knowledge of Agriculture engaged in Agriculture.

5099. **Shri K. M. Madhukar** : Will tne Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have ever tried to ascertain the number of those persons engaged in agriculture in the country who possess the minimum knowledge required for the modernised way of farming ;

(b) if so, the State-wise details thereof ;

(c) if not the reasons therefor ;

(d) whether Government propose to have some books containing the minimum knowledge of farming published in different regional languages and introduce them as text-books ; and

(e) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) No.

(b) Does not arise.

(c) The minimum knowledge required for modernised way of farming can be attained by farmers without attending any educational institution. Therefore the determination of the number of persons possessing such knowledge is not practicable. What can be determined is the number of persons who have been to recognised educational institutions and have obtained certificates or diplomas or degrees in agriculture.

(d) & (e). Government of India publish text-books in English and Hindi. In addition they publish bulletins in English, Hindi, regional languages regarding practices which should be followed for the improvement of crops and for Animal Husbandry. Various State Governments also publish suitable material in their regional languages.

पश्चिम बंगाल से बाहर स्थापित केम्पों में पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्ति

5100. **श्री समरगुह** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल से बाहर लगे शरणार्थी संक्रमणकालीन शिविरों के नाम क्या हैं और ऐसे शिविरों में कितने शरणार्थी रह रहे हैं ;

(ख) वर्ष 1968-69 और 1969-70 में महीने वार इन शिविरों में कितने बच्चे और कितने वयस्क की मृत्यु हुई ;

(ग) उन्हें राशन, नकद दान तथा अन्य वस्तुएँ कितनी कितनी दी गई ;

(घ) क्या उन्हें वहां एक वर्ष से भी अधिक समय तक रखा गया ; और

(ङ) यदि हां, तो इन शरणार्थियों को निर्धारित अवधि के अंतर्गत स्थाई पुनर्वास के लिए अन्यत्र भेजने और उन्हें स्थायी मकान के लिए भूमि देने के सम्बन्ध में सरकार ने कौनसी योजनाएँ बनाई हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैय्या) : (क) 5-12-1970, को उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों के लगभग 52,275 परिवार जिनमें लगभग 2,24,513 व्यक्ति हैं, पश्चिम बंगाल से बाहर विभिन्न राज्यों में शिविरों में रह रहे थे । इनका राज्य-वार विभाजन अनुबन्ध I I में दिया गया है । **[ग्रंथालय में रखा गया / देखिये संख्या एल० टी० – 4606/70]**

(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

(ग) पूर्वी पाकिस्तान के जिन प्रवासियों को राहत शिविरों आवाजाही केन्द्रों में प्रवेश दिया गया है, उन्हें स्वीकार्य राहत सहायता की मात्रा और पैमाना अनुबन्ध– II में दिए गये हैं । **[ग्रंथालय में रखा गया / देखिए संख्या एल० टी० – 4606 1/70]**

(घ) और (ङ) . शिविरों की वर्तमान जन संख्या, प्रायः उन प्रवासियों की है जो इस वर्ष के प्रारम्भ से भारत आने शुरू हुए। भारत आने पर जिन विस्थापित व्यक्तियों को राज्य सरकारों द्वारा राहत शिविरों में प्रवेश के लिए भेजा जाता है उन्हें निर्धारित अनुसूची के अनुसार सरकार द्वारा विनियमित राहत सहायता दी जाती है । उन्हें यथा शीघ्र स्थाई पुनर्वास स्थलों में भेजने के प्रयत्न किए जा रहे हैं परन्तु यह राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध किये गये पुनर्व्यवस्थापन अवसरों की प्राप्यता पर निर्भर करता है ।

Opening of Post and Telegraph Offices in Rae Bareli U. P.

5101. **Shri Jageshwar Yadav** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state:

(a) the number of post and telegraph offices opened in district Rae Bareli (Uttar Pradesh) during the last three years and the locations thereof; and

(b) whether more post and telegraph offices are proposed to be opened in the said district during the year 1970-71 and if so, the locations thereof?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) Post Offices.

Year	Number of Post Offices opened.	Name of places where opened.
1967	9	Dighaura Purepandey Ichauli Kaithwara Bamhanpur Reohara Rampur Kashila Bijaimau Khapra Gandheri
1968-69	5	Bhuwalpur Sisni Sahjaura Thulrai Dukanaha Ratson
1969-70	13	Misir Khere Kaziana Bhawaninagar Pure Bade Singh Beni Kama Kotwa Mohamdabad Kukaha Rampur Rampur Pawara Kalyanpur Baiti Lauli Kannawan Raja Mau Jijauli

Telegraph (Combined) Offices

Year	No. of Telegraph Offices opened	Names of places where opened
1967-68	1	Kheron
1968-69	2	Harchandpur Gurbuxganj
1969-70	1	Sareni

No Departmental Telegraph Office has been opened in Rae Bareli District during the last three years.

(b) Names of places in Rae Bareli district where post offices have been opened and also where proposals for opening post offices have either been approved or being examined by the Postmaster General Lucknow during the year 1970-71.

1. Shankarpur
2. Jamhori
3. Samodha
4. Kalyanpur Raily
5. Baghola
6. Sarai Sri Baksha
7. Dahigawan
8. Usrao
9. Paharemau
10. Cahrauli
11. Kalauli
12. Chetra Buzurg
13. Semari Jhakhrani
14. Rewan
15. Nisgar
16. Dham Dhama
17. Betaura
18. Bambharia
19. Bankagarh
20. Utragoan

Names of places in Rae Bareli district where Telegraph (Combined) Offices have been opened and also where proposals for opening such offices have been sanctioned by the Postmaster General, Lucknow, during the year 1970-71.

1. Gaura
2. Fursatganj
3. Nihasta
4. Sheoratanganj
5. Samrauta
6. Sataon
7. Semri
8. Moharganj
9. Behta
10. Nasirabad
11. Kensa

There is no proposal to open any Departmental Telegraph Office in Rae Bareli District during the year 1970-71.

Reclamation of land in Banda U. P. and its distribution to landless

5102. **Shri Jageshwar Yadav** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether lakhs of land near the banks of five major rivers *viz.* Yamuna, Ken, Wage, Paisuni and Ganta in Banda District of Uttar Pradesh are lying unutilised having drenches in it due to the erosion caused by the rivers and whether Government would make arrangements to level this land with bulldozers on their own, reclaim it and distribute to among the landless persons; and

(b) if so, the arrangements proposed to be made to have a survey of this land with a view to making it cultivable?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) In Benda district area under ravines is reported to be about 23,000 hectares. The ravines lie on the banks of rivers Jamuna Ken, Baghen, Paisuni and other Nalas, can be classified shallow to medium and deep ravines. The soils are deep and a reclaimable, though at heavy cost.

(b) A Centrally Sponsored Scheme of ravine reclamation has been taken up for ravine reclamation along Jamuna tributaries to ascertain technical and economic feasibility of such works. Depending upon the results of this Pilot Project similar reclamation could be taken up in future for the eroded lands along other rivers in the State. However it is proposed to undertake survey of ravine lands on a selective basis for the whole State as a part of current Pilot Project itself.

Food stuff for distribution to flood affected people of Rae-Bareli Area, U. P.

5103. **Shri Jageshwar Yadav** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether the Central Government had sent some food-stuffs for distribution among the persons affected by the floods in District Rae-Bareli (Uttar Pradesh) due to excessive rains there in the past; and

(b) if so, the names of the food-articles sent by the Central Government together with the quantities thereof; in each case?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) No foodgrains were supplied by the Central Government specifically for distribution among the persons affected by floods in District Rae-Bareli in Uttar Pradesh. The usual monthly allotments of foodgrains to the State were, however, being made regularly.

(b) Does not arise.

Development of backward area of Bundel-Khand during IV Plan

5104. **Shri Jageshwar Yadav** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) the names of the schemes started by Government during the last three Five Years Plans for the development of the backward area of Bundel-khand which falls between Uttar Pradesh and Madhya Pradesh;

(b) whether Government have formulated a scheme for the development of the said backward area during the 4th Five Year Plan and if so, the details thereof; and

(c) if not, whether Government would formulates a special scheme for the development of the said backward area?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) to (c). The information is being collected from the State Government and will be placed on the Table of the Sabha as soon as possible.

प्रमुख फसलों की खेती पर आने वाली लागत का अनुमान

5105. **श्री शंकरराव माने** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्रमुख फसलों की खेती पर आने वाली लागत का अनुमान लगाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी हाँ । देश में प्रमुख फसलों की कृषि लागत का अध्ययन करने के लिये एक वृहत

योजना कार्यान्वित करने का निश्चय किया गया है । योजना को 13 राज्यों में कार्यान्वित करने के लिये पहले ही संस्वीकृति जारी की जा चुकी है । और योजना को अन्य राज्यों में चालू करने के लिये भी कदम उठाये जा रहे हैं ।

(ख) वृहत योजना के अन्तर्गत, विभिन्न प्रमुख फसलों की कृषि लागत का अध्ययन क्रमबद्ध रूप से किये जाने का प्रस्ताव है । सम्बन्धित फसलों की कृषि लागत के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी, विधिवत रूप से चुने गये कृषकों से अध्ययनार्थ एकत्र की जायेगी । योजना के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों में कार्य सामान्यतः कृषि विश्व–विद्यालय आदि जैसी गैर सरकारी एजेन्सियों को सौंप दिया गया है और केन्द्र में समन्वय कार्य मंत्रालय में एक केन्द्रीय एकक द्वारा किया जायेगा ।

जापान से यूरिया खरीदने के लिये करार और राज्यों को उसका वितरण

5106. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने जापान से 74 626 टन यूरिया खरीदने के लिये एक करार पर हस्ताक्षर किये हैं ; और

(ख) यदि हां तो जापान को कितने मूल्य के क्रयादेश दिये गये हैं ; और

(ग) क्या इस उर्वरक को राज्यों में वितरित किया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी हाँ ।

(ख) 1799 9. 8 लाख येन (3. 79 करोड़ रुपये के बराबर) ।

(ग) इस प्रकार प्राप्त हुआ यूरिया अन्य उर्वरकों की तरह विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा अन्य वितरक एजेन्सियों को उनकी मांग के अनुसार वितरित किया जायेगा । इसके अतिरिक्त, उर्वरकों के घरेलू विनिर्माताओं को उनके बीज बुवाई कार्यक्रमों के लिये भी ऐसे उर्वरकों का आवंटन किया जाता है, जो इसे विभिन्न पार्टियों/राज्यों को उनके बाजार के विकास के लिये उनके सप्लाई कार्यक्रम के अनुसार वितरित करते हैं ।

भारतीय फिल्म उद्योग

5107. **श्री रवि राय :** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने 21 नवम्बर को मद्रास में दिए गए भाषण में यह कहा था कि भारतीय फिल्म उद्योग में कुछ बुराइयां पनप रही हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो उन बुराइयों का ब्यौरा क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हाँ ।

(ख) भाषण में फिल्म उद्योग में सूदखोरी जैसी बुराइयों के पनपने, नृशंस खर्चीली अभिनेता पद्धति तथा पर्याप्त प्रदर्शन सुविधाओं की कमियों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया था ।

राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह

5108. **श्री रवि राय :**
श्री स० कुन्दू :

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का बहिष्कार किया था ;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस एसोसियेशन ने निर्माता निर्देशक वि० शांताराम को फाल्के पुरस्कार दिये जाने की सर्वसम्मति से सिफारिश की थी ; और

(घ) सरकार द्वारा इस सिफारिश को स्वीकार न किये जाने के क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) और (ख). इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसियेशन से इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सरकार को नहीं मिला है और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में फिल्म उद्योग के सभी पक्षों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तथापि, इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री आई. एस. जौहर से एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें उन्होंने "दादा साहेब फालके पुरस्कार" के लिये श्रीमती देविका रानी रोरिक के चयन के विरोधस्वरूप समारोह में भाग लेने की अपनी स्वीकृति वापिस लेने की सूचना दी थी।

(ग) इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसियेशन से "दादासाहेब फालके पुरस्कार" के बारे में कोई सिफारिश प्राप्त नहीं हुई थी।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

त्रिपुरा में चांवल का उत्पादन

5109. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष त्रिपुरा में चांवल का कितना उत्पादन हुआ और इससे पहले के दो वर्षों में उत्पादन के आंकड़े क्या थे ?

खाद्य कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे): त्रिपुरा में चांवल उत्पादन 1968–69 में 205.1 हजार मीटरी टन की तुलना में 1969–70 में 234.7 हजार मीटरी टन का अनुमान था। 1970–71 के लिये चांवल उत्पादन के प्राक्कलन अभी उपलब्ध नहीं है।

त्रिपुरा में विद्युत तथा डीजल से चालित पम्पों के लिये ऋण देने की योजना

5110. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कृषि प्रयोजनों के लिये विद्युत तथा डीजल से चलने वाले पम्पों के लिये त्रिपुरा

के किसानों को ऋण देने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन के लिये इस वर्ष क्या केन्द्रीय सहायता दी गई है

खाद्य कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : त्रिपुरा में सिंचाई कार्यों के लिये शक्ति या डीजल चालित पम्पों के लिये कृषकों को ऋण देने की इस समय कोई योजना नहीं है ।

त्रिपुरा के छोटे किसानों और खेतीहर मजदूरों के लिए योजना

5111. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण जनता के दुर्बल वर्ग को ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक प्रगति और विकास से लाभान्वित करने के लिये किये गये विशेष उपायों को चौथी पंचवर्षीय योजना में दी गई उच्च प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए क्या त्रिपुरा सरकार ने छोटे किसानों तथा खेतीहर मजदूरों की सहायतार्थ एक ऐसी योजना केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत की है जिससे छोटे किसान बागवानी, पशुपालन तथा दुग्धशाला का काम अपनाते हुए अपनी थोड़ी सी भूमि में अधिकतम उत्पादन कर सकें ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर कितनी लागत आयगी तथा क्या उसे केन्द्रीय सरकार ने स्वीकृति दे दी है ; और

(ग) छोटे किसानों तथा खेतीहर मजदूरों की सहायतार्थ बनाई गई इस योजना में अनुसूचित आदिम जातियों को किस प्रकार की प्राथमिकता दी जायगी ?

खाद्य कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी हाँ ।

(ख) त्रिपुरा सरकार ने 2.4 एकड़ भूमि वाले उपान्त कृषकों और उन कृषि श्रमिकों की सहायता के लिये जिनकी कृषि से मजदूरी की आय उनकी वार्षिक आय के 50 प्रतिशत से अधिक है, एक परियोजना रिपोर्ट पेश की थी । केन्द्रीय सरकार ने चौथी योजना के दौरान संघ क्षेत्र में व्यय करने के लिये एक करोड़ रुपये के परिव्यय की एक समन्वित परियोजना तैयार करने का निर्णय किया था । इस परियोजना के अन्तर्गत 5 एकड़ तक की भूमि वाले समस्त छोटे कृषक तथा कृषि श्रमिक आ जायेंगे । राज्य सरकार से परियोजना रिपोर्ट में संशोधन करने के लिये कहा गया है ताकि केन्द्रीय सरकार द्वारा परिचालित किये गये मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार कार्यक्रम तैयार किया जा सके । संशोधित परियोजना रिपोर्ट की प्रतीक्षा है ।

(ग) 5 एकड़ भूमि वाले समस्त छोटे कृषकों और उन कृषि श्रमिकों को, जिनकी कृषि मजदूरी की आय उनकी वार्षिक आय के 50 प्रतिशत से अधिक है, कृषि पशुपालन, कुक्कुट-पालन आदि से अपनी आय को बढ़ाने के लिए ऋण और अन्य सुविधाओं के रूप में सहायता दी जायेगी ।

अंग्रेजी तथा अन्य राष्ट्रीय भाषाओं के समाचारपत्रों को अखबारी कागज का नियतन

5112. **श्री अब्दुल गनी डार** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1969 तथा 1970 में अंग्रेजी तथा राष्ट्र की अन्य भाषाओं के सभी समाचारपत्रों को अखबारी कागज का कितना कोटा अलाट किया गया था तथा प्रत्येक भाषा के समाचारपत्रों की संख्या क्या है और प्रत्येक की कितनी प्रतियां प्रकाशित होती हैं;

(ख) प्रत्येक समाचारपत्र को कितने सरकारी विज्ञापन दिये गये हैं; और

(ग) क्या किसी समाचारपत्र को कोई वित्तीय सहायता दी गई है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ०कु० गुजराल) : (क) समाचारपत्रों को अखबारी कागज का आवंटन वित्तीय वर्ष, जो आयात नीति का लाइसेंस वर्ष भी है, के लिए वार्षिक आधार पर किया जाता है । वर्ष 1968–69 और 1969–70 के दौरान जिन समाचारपत्रों ने अखबारी कागज के लिये आवेदन दिये उनकी भाषावार संख्या तथा उनको अलाट किए गए अखबारी कागज का भाषावार ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है । एक और विवरण भी संलग्न है जिसमें 31–12–1968 और 31–12–1969 को समाचारपत्रों/पत्रिकाओं की भाषावार संख्या दी गई है ।

(ख) प्रत्येक समाचारपत्र को रिलीज किये जाने वाले विज्ञापनों सम्बन्धी ब्यौरा गोपनीय समझा जाता है ।

(ग) किसी भी समाचारपत्र को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई है ।

विवरण

वर्ष 1968–69 और 1969–70 के दौरान समाचारपत्रों को भाषावार अलाट किया गया अखबारी कागज ।

भाषा	1968–69		1969–70	
	संख्या	मात्रा (टनों में)	संख्या	मात्रा (टनों में)
1	2	3	4	5
अंग्रेजी	156	64,063.22	189	73,424.64
हिन्दी	330	24,554.23	393	23,355.69
असमिया	9	692.98	7	1,142.42

1	2	3	4	5
बंगला	41	10,910.18	48	12,665.06
गुजराती	142	15,797.29	176	18,501.38
कन्नड़	42	4,735.81	47	5,925.36
मलयालम	75	15,275.18	78	18,370.67
मराठी	137	14,362.54	159	16,734.50
उड़िया	6	1,155.86	11	1,692.60
पंजाबी	40	537.78	46	603.26
संस्कृत	1	3.05	3	3.37
सिन्धी	16	433.95	18	545.51
तमिल	83	19,408.75	104	21,328.31
तेलुगु	34	6,092.73	42	7,073.28
उर्दू	144	5,657.23	192	6,400.53
द्विभाषी	42	294.67	43	305.27
बहुभाषी	8	30.00	11	31.70
अन्य	12	42.79	9	42.19
कुल :	1,318	1,84,048.24	1,576	2,08,145.74

31-12-1968 तथा 31-12-1969 को समाचारपत्रों/पत्रिकाओं की संख्या।

भाषा	31-12-1968 को	31-12-1969 को
अंग्रेजी	2,074	2,123
हिन्दी	2,381	2,508

1	2	3
असमिया	32	35
बंगला	642	655
गुजराती	573	561
कन्नड़	23 1	224
मलयालम	377	394
मराठी	572	622
उड़िया	105	100
पंजाबी	214	222
संस्कृत	29	28
सिंधी	68	67
तमिल	439	440
तेलुगु	328	321
उर्दू	90 2	886
द्विभाषी	772	789
बहुभाषी	165	178
अन्य	115	128
कुल	10,019	10,281

केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों को दी गई चीनी और अनाज

5113. **श्री अब्दुल गनी डार** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1970 में केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों को अलग-अलग कितना अनाज और कितनी चीनी का नियतन किया गया है और कितनी सप्लाई की गई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

1970 के दौरान राज्यों को खाद्यान्नों का आवंटन तथा सम्भरण और चीनी का आवंटन सम्बन्धी विवरण ।

(हजार मीटरी टन में)

राज्य	खाद्यान्न		चीनी	
	आवंटन	सम्भरण नवम्बर 70 तक	आवंटन नवम्बर 70 तक	सम्भरण %
आन्ध्र प्रदेश	187	135	151	
असम	306	204	64	
बिहार	1111	592	179	
गुजरात	296	175	254	
हरियाणा	171	97	74	
जम्मू तथा कश्मीर	184	116	17	
केरल	867*	788	104	
मध्य प्रदेश	296	137	196	
महाराष्ट्र	1315	1115	476	
मेघालय	2	–	–	
मैसूर	259	152	106	
नागालैण्ड	28	12	3	
उड़ीसा	119	70	60	
पंजाब	272	165	65	
राजस्थान	172	110	179	

1	2		3
तमिलनाडु	375	256	126
उत्तर प्रदेश	552	382	301
पश्चिमी बंगाल	1835	1407	287
केन्द्र शासित प्रदेश	588	336	123

* केरल के मामले में राज्य में भारतीय खाद्य निगम के डिपो को चावल का आवंटन किया जाता है और न कि राज्य सरकार को । भारतीय खाद्य निगम के डिपो से उचित मूल्य की दुकानों और राज्य सरकार के अन्य नामितों को अनाज दिया जाता है । इसलिए इन निगमों के आंकड़ों को राज्य को आवंटन के रूप में नहीं लिया गया है ।

% लेवी चीनी के मामले में राज्य सरकारें स्वयं आवंटनों के प्रति फैक्ट्रियों से चीनी प्राप्त करने की व्यवस्था करती है । बाजार में खुली बिक्री की चीनी की पर्याप्त उपलब्धता और वह भी उपभोक्ताओं के अनुकूल मूल्य पर होने के कारण, राज्य सरकारें सारी आवंटित मात्रा को नहीं उठाती हैं । इसलिए आवंटन को सम्भरण समझा जाता है ।

राज्यों की राजधानियों से सीधे कनेक्शनों की व्यवस्था करना

5114. **श्री अब्दुल गनी डार :** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1972 तक राज्यों की राजधानियों से कितने सीधे कनेक्शन उपलब्ध कराने का विचार है और ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभागों में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : गोवा, मणीपुर, नागालैंड, उड़ीसा और पांडिचेरी को छोड़कर अन्य सभी राज्यों की राजधानियों का दिल्ली के साथ पहले ही सीधा ट्रंक संबंध मौजूद है । उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर का संबंध 1971 के अंत तक स्थापित कर दिया जाएगा । दिल्ली के साथ कटक का संबंध पहले ही स्थापित है । अन्य चार राज्यों की राजधानियों अर्थात् गोवा, इम्फाल, कोहिमा और पांडिचेरी से दिल्ली के लिए बहुत कम परियात होता है । इसलिए फिलहाल उनका सीधा संबंध जोड़ने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

बोधीघाट सिंचाई परियोजना (मध्य प्रदेश)

5115. **श्री दं० वि० सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में बोधीघाट सिंचाई परियोजना को इस बीच स्वीकृति दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और उस पर अनुमानतः क्या लागत आयेगी; और

(ग) उसकी क्रियान्विति की दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे): (क) से (ग) . लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिये धन की व्यवस्था राज्य योजना निधि से की जाती है और विभिन्न योजनाओं का स्थान चयन तथा जांच पड़ताल और उनका क्षेत्रीय वितरण करना पूर्णतः राज्य सरकार के हाथ में है । योजनाओं के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता किसी एक विशेष योजना अथवा कार्यक्रम के लिये नहीं दी जाती बल्कि वार्षिक योजना के लिये समग्र रूप से एकमुश्त अनुदान तथा ऋणों के रूप में प्रदान की जाती है । केन्द्रीय सरकार द्वारा केवल राज्यों को विस्तृत नीतियों तथा लघु सिंचाई कार्यक्रमों के ब्यौरों का समय-समय पर पुनरीक्षण किया जाता है और राज्य सरकारों को सलाह दी जाती है । परियोजनाओं के ब्यौरे पृथक् पृथक् उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि उन पर अलग रूप से विचार नहीं किया जाता ।

टेलीफोन सलाहकार समिति,चंडीगढ़ की देर से हुई बैठक

5116. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन सलाहकार समितियों को तीन महीने में एक बार अपनी बैठक बुलानी होती है ;

(ख) क्या चंडीगढ़ टेलीफोन सलाहकार समिति की पन्द्रह महीनों के बाद बैठक हो रही है;

(ग) यदि हां, तो विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार ने इस प्रकार सरकारी अनुदेशों के उल्लंघन किये जाने के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह): (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) और (घ). पिछली समिति का कार्यकाल 30–11–1969 को समाप्त हुआ और इसका पुनर्गठन अगस्त, 1970 के अंतिम सप्ताह में किया गया है । इस कारण बैठक करने में विलम्ब हुआ है । उसके बाद समिति की बैठक 26–11–70 को हो चुकी है ।

पत्रकारों तथा गैर-श्रमजीवी पत्रकारों के पंचाट को क्रियान्वित किया जाना

5117. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पत्रकारों तथा गैर-श्रमजीवी पत्रकारों के बारे में पंचाट को क्रियान्वित नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें इस असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इसे क्रियान्वित कराने की दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) से (ग) . इन दो मजदूरी बोर्डों के पंचाटों की क्रियान्विति का प्रश्न राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है । जहाँ तक पश्चिम बंगाल के राज्य और संघ-शासित क्षेत्रों की स्थिति का सम्बन्ध है, सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

कूच-बिहार में डाक तथा तार कार्यालय और टेलीफोन केन्द्र तथा सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों की स्थापना के लिये अभ्यावेदन

5118. **श्री बे० कृ० दासचौधरी : सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को कूच-बिहार की जनता तथा उस क्षेत्र के अन्य प्रतिनिधियों से नये तारघर, डाक-घर, टेलीफोन केन्द्र तथा सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र की स्थापना के सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो वे कौन से स्थान हैं तथा सरकार मांग के अनुसार नये कार्यालयों की स्थापना करने के लिये सहमत हो गई है;

(ख) क्या पश्चिमी बंगाल के जिला कूच-बिहार में चांगड़ाबांध और बानेश्वर स्थानों की जनता ने छोटे टेलीफोन केन्द्रों की स्थापना की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क)से (ग). कलकत्ता के पोस्टमास्टर जनरल के पास (i) भेटा गुरी, चौधरी हाट, निगमनगर और दीन हाट बाजार में नए तारघर खोलने, (ii) मारू गंज में एक नया डाकघर खोलने और जमालदा और सीता इहाट के मौजूद डाकघरों का दर्जा बढ़ाने के लिए और (iii) चांग्रा बांध में टेलीफोन एक्सचेंज खोलने और (iv) बनेस्वर, सीतलकुची, निशीगंज, सीताई, गौश्काडांगा, जमालदाह, नयाहोट और रानीरेहाट में सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के लिए मांगें आई हैं । इनमें से दीनहाट बाजार में तारघर खोलने, बनेस्वर और सीतलकुची में सार्वजनिक टेलीफोनघर खोलने की मंजूरी दी जा चुकी है और निशीगंज में सार्वजनिक टेलीफोनघर खोलने की स्वीकृति शीघ्र दिए जाने की संभावना है । पोस्टमास्टर जनरल ने भेटागुरी, चौधरी हाट और निगमपुर में तार घर खोलने और सीताई, गोश्काडांगा, जमालदाह, नयाहाट और रानीहाट में सार्वजनिक टेलीफोनघर खोलने के प्रस्तावों की जांच की है परन्तु डाकतार विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार इन्हें खोलने का औचित्य नहीं पाया गया क्योंकि अनुमानित घाटे की रकम बहुत ज्यादा है । मारूगंज से डाकघर खोलने, जमालदाह और सीताई हाट के मौजूदा डाकघरों का दर्जा बढ़ाने और चांग्रा बांध में एक टेलीफोन एक्सचेंज खोलने के शेष प्रस्तावों की पोस्टमास्टर जनरल, कलकत्ता द्वारा जांच की जा रही है । इन्हें खोलना इस बात पर निर्भर करेगा कि ये प्रस्ताव डाक तार विभाग द्वारा निर्धारित मानकों पर खरे उतरते हों। पोस्टमास्टर जनरल के पास बनेस्वर में टेलीफोन एक्सचेंज खोलने की कोई मांग नहीं आई है। परन्तु, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, पोस्टमास्टर जनरल ने इस स्थान पर सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने की मंजूरी पहले से ही दी हुई है ।

आसाम के कछार जिले के सिलकूरी शिविर के निवासियों का अभ्यावेदन

5119. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को आसाम के कछार जिले के सिलकूरी शिविर के निवासियों से और संसद सदस्यों से अभ्यावेदन मिले हैं जिनमें यह अनुरोध किया गया है कि पुनर्वास शिविरों में उपलब्ध होने वाली सभी सुविधाएं उक्त शिविर में भी प्रदान की जायें और यदि हां, तो सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ;

(ख) क्या उक्त शिविर के 7 निवासी भूख के कारण मर गये हैं क्योंकि उन्हें दिया जाने वाला नकद दान गत 14 महीनों से बन्द कर दिया गया था ;

(ग) क्या उनके मंत्रालय का उक्त मामले की जांच कराने, उन्हें राहत–सामान की सप्लाई तत्काल शुरू करने और उन्हें स्थानीय रूप से बसाने का प्रबन्ध करने का विचार है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैय्या) : (क) जी, हां । मामले की जांच की गई थी और यह निश्चय किया गया था कि ऐसे परिवारों के नकद बेकारी अनुदान और राहत / पुनर्वास सहायता फिर से चालू न की जायें ।

(ख) जानकारी आसाम सरकार से एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

(ग) और (घ). जांच करने के प्रश्न का निश्चय इस समय नहीं किया जा सकता । सिलकूरी शिविर के नये प्रवासी परिवारों को, जो कि कृषि में पुनर्व्यवस्थापन के योग्य थे, दण्डकारण्य या महाराष्ट्र राज्य के चान्दा परियोजना में पुनर्वास सहायता की पेशकश की गई थी । इन परिवारों ने आसाम से बाहर, इन परियोजनाओं में जाने से इनकार कर दिया, और इसलिए, इनको दी जाने वाली सभी राहत सहायता बन्द कर दी गई है । ये परिवार इस समय अधिकृत रूप से सिलकूरी शिविर–स्थल पर रह रहे हैं, यद्यपि सरकारी रूप में राज्य सरकार द्वारा यह शिविर बन्द कर दिया गया था ।

छोटे समाचार-पत्रों को सरकारी मूल्य पर अखबारी कागज़ देना

5120. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने छोटे नगरों तथा सब-डिवीजनल हेडक्वार्टर्स से विशेषकर स्थानीय ग्रामीणों के लिये प्रकाशित होने वाले छोटे समाचार-पत्रों को सहायता देने की कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार उन्हें किस दर तथा किन परिस्थितियों में वित्तीय सहायता देना चाहती है और साथ ही सरकारी मूल्यों पर अखबारी कागज प्राप्त करने की भी सुविधायें प्रदान करना चाहती हैं; और

(ग) क्या सरकार ने स्थानीय समाचार-पत्रों में सरकारी विज्ञापन प्रकाशित कर छोटे समाचार-पत्रों को सहायता करने का निर्णय किया है और यदि हां, तो क्या स्थानीय अधिकारियों को उक्त निर्णय बता दिया गया है और उसका मापदण्ड क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) से (ग). इस सम्बन्ध में, 19 नवम्बर, 1970 को अतरांकित प्रश्न संख्या 1516 के इस सदन में दिये गए उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। यह भी उल्लेख किया जाता है कि 4-12-1970 को इस सदन में जो समाचार पत्र वित्त निगम विधेयक, 1970 पेश किया गया था उसमें प्रेस की स्वतन्त्रता में किसी प्रकार से भी हस्तक्षेप करने का प्रयत्न किए बिना छोटे तथा मंझोले समाचार-पत्रों को वित्तीय सहायता देने की व्यवस्था है ताकि वे अपनी परिचालन संख्या बढ़ा सकें या अखबारी कागज, मुद्रण यंत्र अथवा अन्य ऐसे उपकरण खरीद सकें जो उनके मुद्रण या प्रकाशन कार्य में आवश्यक हों।

चालू लाइसेंसिंग अवधि के लिए 7 अप्रैल, 1970 को घोषित की गई अखबारी कागज अवधि सम्बन्धी नीति में छोटे समाचारपत्रों के लिए, अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित सुविधाओं की व्यवस्था है:—

(1) ऐसे समाचारपत्र/पत्रिकाएं, जिनका वार्षिक कोटा 40.00 टन तक है, आयात लाइसेंस आवेदन-पत्र शुल्क देने तथा आयकर प्रमाण पत्र संख्या पेश करने से मुक्त हैं।

(2) ऐसे समाचारपत्र/पत्रिकाएं जिनका अखबारी कागज का कोटा 100 टन तक है, सारा कोटा आयातित अखबारी कागज का ही दिया जाता है।

(3) छोटी श्रेणी के दैनिक समाचारपत्रों को छपाई तथा लिखाई का महंगा कागज आवंटित नहीं किया जाता।

(4) ऐसे समाचारपत्रों को, जिनका वार्षिक कोटा 25.00 टन तक है और जो अखबारी कागज शीटों में प्रयोग करते हैं, आम तौर पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त अखबारी कागज दिया जाता है ताकि रीलों को शीटों में परिवर्तन करने में होने वाली क्षति की पूर्ति हो सके।

(5) वर्तमान (छोटे) दैनिक समाचारपत्रों को 20 प्रतिशत तथा लघु श्रेणी की पत्रिकाओं को 25 प्रतिशत की वृद्धि की अनुमति दी जाती है, जो मंझोले तथा बड़े समाचारपत्रों को दी जाने वाली वृद्धि से अधिक है।

बर्मा से स्वदेश लौटने वालों को ऋण देना

5121. **श्री बे०कृ० दासचौधरी** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हाल ही के एक आदेश द्वारा उनके मंत्रालय ने बर्मा से स्वदेश लौटने वाले व्यक्तियों में से छोटे व्यापारियों को ऋण देने के लिये कुछ राज्य सरकार को 20 लाख रुपये की राशि मंजूर की है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य को कितनी धन राशि मंजूर की गई है और वहां कितने लोग बर्मा से वापस आकर बस गये हैं; और

(ग) लघु व्यापार ऋणों के रूप में पूर्वी पाकिस्तान से स्वदेश लौटने वाले विस्थापितों को कितनी धन राशि स्वीकृत की गई है और प्रत्येक राज्य में उनकी संख्या कितनी है और क्या अनेक मंत्रालय ने इस तथ्य की जांच कराई है कि कुछ राज्य सरकारों ने इन राशियों का वितरण उचित रूप में नहीं किया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी. संजीवैय्या) : (क) और (ख). 30-11-1970 तक बर्मा से स्वदेश लौटे प्रत्यावासियों के पुनर्वास के लिए मंजूर की गई राशि संलग्न विवरण (विवरण I) में दी गई है ।

एक अन्य विवरण, जिनमें विभिन्न राज्यों में पुनर्वासित किये गये बर्मा के प्रत्यावासियों की संख्या दी गई है, संलग्न है (विवरण-II) ।

(ग) एक विवरण, जिसमें मंजूर की गई राशियों का ब्यौरा और छोटे मोटे कार्य व्यापार में बसाये गये नये प्रवासी परिवारों की संख्या दी गई है, संलग्न है (विवरण-III) ।

इस विभाग द्वारा जारी की गई हिदायतों के अनुसार, राज्य सरकारों द्वारा ऋण वितरित किए जा रहे हैं ।

विवरण-I

राज्य का नाम	1969-70 तक मंजूर किया गया ऋण	1970-71 के अन्तर्गत मंजूर किया गया ऋण	योग) (ऋण
1	2	3	4
	(रुपये लाखो में)		
आन्ध्र प्रदेश	68.84	10.00	78.84
आसाम	8.25	–	8.25
बिहार	3.49	–	3.49
गुजरात	5.84	1.00	6.84

1	2	3	4
हरियाणा	0.05	–	0.05
केरला	28.44	–	28.44
मध्य प्रदेश	1.83	–	1.83
तामिल नाडू	324.66	55.00	379.66
मैसूर	0.10	–	0.10
उड़ीसा	71.20	9.00	80.20
पंजाब	11.30	2.00	13.30
राजस्थान	6.00	–	6.00
जम्मू और कश्मीर	0.40	–	0.40
उत्तर प्रदेश	9.52	4.94	14.46
पश्चिम बंगाल	60.00	1.00	61.00
त्रिपुरा	0.16	–	0.16
मणीपुर	0.67	–	0.67
दिल्ली	6.84	1.35	8.19
चण्डीगढ़	0.31	–	0.31
अन्दमान तथा निकोबार द्वीप	0.13	0.50	0.63
	608.03*	84.79	692.82

* इसमें वैदेशिक कार्य मंत्रालय द्वारा 1964-65 में मंजूर की गई 41.40 लाख रुपये की धन राशि शामिल है ।

विवरण–II

राज्य (संघ) शासित क्षेत्र का नाम	व्यापार ऋण	रोजगार	अलाट की गई कृषि भूमि	अन्य सहायता	योग
1	2	3	4	5	6
आन्ध्र प्रदेश	7,794	5,775	7	573*	14,149
आसाम	287	–	–	–	287
बिहार	193	1	18	157*	369
गुजरात	425	35	1	303	764
हरियाणा	20	–	–	–	20
हिमाचल प्रदेश	5	3	–	2	10
जम्मू तथा काश्मीर	7	–	–	–	7
केरल	1,678	–	–	162	1,840
मध्य प्रदेश	62	–	46	–	108
मैसूर	35	–	138	–	173
उड़ीसा	1,870	242	1	933	3,046
पंजाब	238	1	11	92	342
राजस्थान	94	–	1	–	95
तामिल नाडु	35,838	3,565	1,060	6,372	46,835
उत्तर प्रदेश	800	112	238	133*	1,283
पश्चिम बंगाल	1,556	5	–	9*	1,570
अन्दमान तथा निकाबोर	–	37	–	–	37

1	2	3	4	5	6
चण्डीगढ़	24	–	–	–	24
दिल्ली	128	–	–	152	280
गोवा	1	–	–	–	1
मनीपुर	97	–	–	–	97
पांडिचेरी	46	3	–	–*	49
त्रिपुरा	2	2	–	–	4
	51,200	9,781	1,521	8,888	71,390

शिक्षा रियायतें लाईसेंसों तथा उचित दर की दुकानों की अलाटमेन्ट, वृद्धावस्था पैन्शन, अवासीय प्लाटों तथा दुकानों इत्यादि के रूप में दी गई सहायता।

*भरण पोषण अनुदान सम्बन्धी आंकड़ें जो पहले बताए गये हैं, छोड़ दिए गए हैं ।

विवरण–III

राज्य का नाम	30–11–1970 तक पुनर्वास स्थलों पर भेजे गये परिवारों की संख्या	30–11–1970 तक दी गई ऋण की राशि (रुपये लाखों में)
1	2	3
आसाम	3466	134.793
आन्ध्र प्रदेश	14	3.815
बिहार	1008	35.005
मध्य प्रदेश (माना और किरनदुल परिवारों को मिलाकर)	519	29.579
महाराष्ट्र	395	33.242

1	2	3
पंजाब	3	—
उड़ीसा	162	4.000
त्रिपुरा	40	2.665
उत्तर प्रदेश	105	5.359
योग	5712	248.458 या 248.46 लाख रुपये

वाणिज्यिक फसलों के विकास के लिए पैकेज कार्यक्रम

5122. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा वाणिज्यिक फसलों के विकास के लिये अब तक चलाये गए पैकेज कार्यक्रम की मुख्य विशेषतायें क्या हैं ; और

(ख) इन कार्यक्रमों के कार्यान्वियन के अब तक क्या परिणाम निकले हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) वाणिज्यिक फसलों के विकास विषयक केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत क्रियान्वित किये जाने वाले पैकेज कार्यक्रम की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :–

1. सुधरे हुए बीजों का प्रयोग, बीजों का उपचार, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, यथा सम्भव सिंचाई का विस्तार, पौध रक्षण उपायों का अपनाना तथा कृषि पद्धति जैसी पैकेज की विधियों को अपनाकर उत्पादन को बढ़ाना ।

2. अपेक्षित आदान तथा तकनीकी सलाह की सामयिक उपलब्धि ।

3. किसानों को पैकेज की विधियों के लाभों से अवगत कराने के लिये प्रदर्शन प्लाटों की व्यवस्था करना ।

4. पौध रक्षण रासायनों तथा हस्तचालित उपकरणों के लिये राज सहायता ।

5. अभियान के रूप में भूमि / हवाई पौध रक्षण उपायों की व्यवस्था करना ।

6, पटसन, मेस्ता तथा कपास पर यूरिया के पूर्ण उपयोग सम्बन्धी प्रदर्शन ।

(ख) फसल कटाई के प्रयोगों के परिणामों से मालूम हुआ है कि इन कार्यक्रमों से आवृत क्षेत्रों में मूंगफली का उत्पादन 20 से 60 प्रतिशत तक, कपास का उत्पादन 5 से 159 प्रतिशत तक तथा पटसन का उत्पादन 2 से 98 प्रतिशत तक बढ़ा है ।

कलकत्ता के बेलगचिया में सेंट्रल डेयरी समाज में विरोधी तत्व

5123. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता के बेलगचिया में सेंट्रल डेयरी में समाज विरोधी तत्वों का अड्डा होने का समाचार है ;

(ख) क्या डेयरी के अहाते में अतिरिक्त दुग्ध आयुक्त को छुरा मारा गया था ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और क्या डेयरी को समाज विरोधी तत्वों से मुक्त करने के लिए कोई कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) तथा (ग) . जानकारी एकत्रित की जा रही है और मिलते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) जी हां । अतिरिक्त दुग्ध आयुक्त को डेरी के अहाते में छुरा मारा गया था ।

समाचारपत्रों के पत्रकारों को संस्थागत गारन्टियां

5124. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचारपत्रों के पत्रकारों को संस्थागत गारन्टियां देने के लिए संगठन नियुक्त करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

गांधी टिकिट की बिक्री

5125. **श्री लखनलाल कपूर** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गांधी शताब्दी के दौरान जारी किए पोस्टकार्डों जिसमें गांधीजी को बांए हाथ से चरखा चलाते हुए दिखाया गया है, की बिक्री अब भी जारी है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेरसिंह) : (क) और (ख) . ये एक सीमित संख्या में छापे गए थे। केवल कुछ स्थानों को छोड़कर जहां इनका थोड़ा सा स्टाक अभी उपलब्ध है, देश के अधिकांश डाकघरों में अब ये पोस्ट-कार्ड बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि इनका स्टाक खत्म हो गया है।

इस सम्बन्ध में राज्य सभा में दिनांक 27-2-70 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 380 की ओर भी ध्यान दिलाया जाता है, जो गांधीजी को बांए हाथ से चर्खा कातते हुए दिखाए जाने के बारे में है।

आन्ध्रप्रदेश तथा अन्य राज्यों में भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्न की वसूली

5126. **श्री भोगेन्द्र झा:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश तथा अन्य राज्यों में क्रमशः भारतीय खाद्य निगम तथा गैरसरकारी व्यापारियों ने खाद्यान्नों की कुल कितनी वसूली की और वहां के किसानों के पास कितनी मात्रा में खाद्यान्नों को रहने दिया गया है ; और

(ख) क्या भारतीय खाद्य निगम द्वारा विक्रय योग्य सारे अनाज की वसूली करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं, यदि नही, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें चालू मौसम के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों की कुल प्राप्ति का ब्यौरा दिया गया है। व्यापारियों द्वारा खरीदारी और किसानों के पास खाद्यान्नों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) जी नहीं। सरकार अधिप्राप्ति मूल्यों पर खाद्यान्नों की सभी मात्रा खरीदने के लिए वचनबद्ध है। भारतीय खाद्य निगम इस नीति के अनुसरण में खरीदारी कर रहा है।

विवरण

1969-70 और 1970-71 मौसमों में भारतीय खाद्य निगम द्वारा की गई कुल अधिप्राप्ति बताने वाला विवरण।

जिन्स	मात्रा हजार मीटरी टन में	
	1969-70	1970-71
(क) सभी राज्यों के लिए		
खरीफ के अनाज : (विपणन मौसम पहली नवम्बर से 31 अक्टूबर तक)		
चावल	2191	455
मक्का	55	203

1	2	3
ज्वार	नगण्य	नगण्य
बाजरा	15	—
दालें	1	नगण्य
योग:—	226 2	66 5

रबी के अनाज : (विपणन मौसम पहली अप्रेल से 31 मार्च तक)

गेहूं	2413	3156
जौ	नगण्य	7
चना / चने की दाल	2	84
सरसों	—	5
दालें	2	नगण्य
योग	2417	3252

(ख) आंध्रप्रदेश के लिए

धान	30	24.2
चावल	16 9	10.6
मक्का	—	1.258
ज्वार	—	0.005
बाजरा	—	0.099

बहुभागीय निबंध

5127. **श्री स०चं० सामन्त :**
श्री सरदार अमजद अली :

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुभाषीय निबन्ध प्रकाशित करने के लिये इस वर्ष के बजट में १० लाख रुपये की धनराशि अलग रखी गई है ;

(ख) वित्तीय वर्ष के पहले 6 महीनों की अवधि के दौरान इस परियोजना पर स्वीकृत धन-राशि से कितना धन व्यय किया गया है ; और

(ग) दृश्य-प्रचार के माध्यम भित्ति पत्र (वाल पेपर) परियोजना पर स्वीकृत धनराशि का स्रोत क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल)। (क) जी, हाँ ।

(ख) इस योजना पर कोई खर्चा नहीं हुआ है।

(ग) भित्ति-पत्रों (वाल पेपरों) के मुद्रण पर खर्चा विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के अनुदान में से किया जाता है। इसका वितरण व्यय पत्र सूचना कार्यालय वहन करता है और वह इसका सम्पादन भी करता है। सम्पादन के बारे में अभी तक कोई अतिरिक्त खर्चा नहीं हुआ है।

इंजीनियरिंग टाइम्स का परिचालन

5128. **श्री स० चं० सामंत :**
श्री सरदार अमजद अली :

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रेस रजिस्ट्रार तथा विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय ने गत तीन वर्षों के दौरान इन्जीनियरिंग टाइम्स के परिचालन की जांच की है ;

(ख) क्या इन कार्यालयों द्वारा पुष्ट किए गए आंकड़े लेखा परीक्षा ब्यूरो के प्रमाण-पत्र द्वारा पुष्ट किए गए आंकड़ों से बहुत भिन्न हैं;

(ग) क्या विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय तथा सरकारी उपक्रम इस प्रकाशन की असामान्य ऊंची दरों पर विज्ञापन देकर उसको संरक्षण दे रहे हैं; और

(घ) क्या सरकार प्रकाशनों के संबंध में विस्तृत वक्तव्य देगी ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) :(क) और (ख) . "इन्जीनियरिंग टाइम्स" कलकत्ता की परिचालन संख्या की जाँच भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार के परिचालन संख्या की जांच पड़ताल करने वाले एक दल ने मार्च, 1970 में की थी। प्रकाशक को, उसकी प्रार्थना पर एक और मौका दिया गया है कि वह इस परिचालन संख्या, जिसका दावा किया है, को प्रमाणित करने के लिये जनवरी, 1971 के द्वितीय सप्ताह में रिकार्ड तथा कागज प्रस्तुत करे । विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय में ऐसा साधन नहीं है जिससे वह समाचारपत्रों की परिचालन संख्या के बारे में दावों की जांच कर सके ।

प्रचार आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय जब भी जरूरी समझता है इस साप्ताहिक को सरकारी विज्ञापनों के लिये प्रयोग करता है । वर्तमान नीति के अनुसार, समाचारपत्र अपनी विज्ञापन दरें निर्धारित करने में स्वतंत्र हैं, परन्तु विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय उन्हीं समाचारपत्रों का प्रयोग करता है जिनकी दरें उनके लिए स्वीकार्य होती हैं ।

कुछेक को छोड़कर शेष सार्वजनिक उपक्रमों ने अपने विज्ञापन रिलीज करने के लिये अपने प्रबन्ध किए हुए हैं ।

(घ) एक विवरण संलग्न है जिसमें साप्ताहिक के बारे में ब्यौरा दिया हुआ है ।

विवरण

समाचारपत्र का नाम	इंजीनियरिंग टाइम्स
भाषा	अंग्रेजी
आवधिकता	पाक्षिक (1–1–1970 से साप्ताहिक)
प्रकाशन स्थान	8, धर्मतल्ला स्ट्रीट, कलकत्ता–13.
प्रकाशक, मुद्रक तथा सम्पादक	ई०एच० टीप्पू
मूल्य	40 पैसे
मुद्रणालय	ए० एस० प्रिंटिंग कन्सर्न
मालिक	इन्जीनियरिंग टाइम्ज पब्लिकेशन्ज
वर्गीकरण	व्यापार तथा उद्योग
स्थापना तारीख	1966

दिल्ली के पत्रकार संघ की लेखा तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की जांच

5129. **श्री स० चं० सामन्त :**

श्री सरदार अमजद अली :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के श्रमिक संघ रजिस्ट्रार ने दिल्ली के पत्रकार संघ के गत तीन वर्षों की लेखा तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच की है ; और

(ख) क्या रजिस्ट्रार को गत तीन वर्षों में वार्षिक सामान्य निकाय बैठक अथवा आम बैठक न बुलाने के बारे में कोई शिकायतें मिली हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) और (ख) . जी, नहीं ।

प्रकाशन प्रभागों के अध्यक्षों द्वारा विदेशों के दौरे

5130. **श्री स० चं० सामंत :**

श्री भारतसिंह चौहान :

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रकाशन प्रभागों के अध्यक्षों ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विदेशों के कई दौरे किए हैं ;

(ख) क्या सरकार 1970–71 के दौरान नवम्बर के अन्त तक किए गए दौरों के उद्देश्य, स्थान, व्यय आदि के बारे में वक्तव्य देगी ;

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान विदेशी दौरों तथा विदेशों में भारतीय सामान की बिक्री को बढ़ाने के लिए कितना धन व्यय किया गया ; और

(घ) प्रकाशन प्रबन्धक द्वारा तुलनात्मक कितना व्यय किया गया ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) प्रकाशन विभाग के निदेशक ने चालू वर्ष के दौरान क्वालालुम्पुर, सिंगापुर, फ्रैंकफर्ट (संघीय गण-तन्त्र जर्मनी) सुवा (फिजी) तथा सिडनी और मैलबोर्न (आस्ट्रेलिया) के व्यापारिक दौरे किये ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) पिछले 5 वर्षों के दौरान विदेशी दौरों पर कोई खर्चा नहीं हुआ । प्रभाग के प्रकाशनों के 1962 में एक अमरीकी पत्रिका में विज्ञापन पर 1966–67 में विदेशी मुद्रा में 637.50 रुपये खर्च हुए थे ।

चालू वर्ष के दौरान, विदेश व्यापार मन्त्रालय द्वारा आयोजित भारतीय व्यापार प्रदर्शनी में प्रकाशन प्रभाग द्वारा लेने के सम्बन्ध में "स्ट्रेट टाइम्ज" क्वालालुम्पुर में एक विज्ञापन दिया गया था जिसपर विदेशी मुद्रा में 529.20 रुपये खर्च हुए थे ।

(घ) गत पांच वर्षों के दौरान विदेशी दौरों या विदेशों में बिक्री के लिए प्रचार पर प्रकाशन प्रबन्ध द्वारा कोई खर्च नहीं किया गया ।

विवरण

विदेशी दौरों पर हुआ व्यय

	दौरों का उद्देश्य	खर्च रुपये
	1	2
1. **क्वालालुम्पुर, पिनांग तथा सिंगापुर** (3-7-70 से 28-7-70 तक)	विदेश व्यापार मन्त्रालय द्वारा क्वालालुम्पुर में आयोजित भारतीय व्यापार प्रदर्शनी में भाग लेने तथा मलयेशिया के प्रमुख पुस्तक विक्रेताओं से सम्पर्क तथा बातचीत कर बिक्री प्रबन्धों को अन्तिम रूप देने के लिए ।	7,6 10.00
2. **सिंगापुर** (23-8-70 से 11-9-70 तक)	विदेश व्यापार मंत्रालय द्वारा सिंगापुर में आयोजित भारतीय व्यापार प्रदर्शनी में भाग लेने तथा पुस्तक विक्रेताओं से बातचीत कर प्रकाशन प्रभाग के प्रकाशनों की बिक्री के प्रबन्धों को अन्तिम रूप देने के लिए ।	6,370.00
3. **फ्रैंकफर्ट (संघीय गणतंत्र जर्मनी)** (22-9-70 से 30-9-70 तक)	Ausstellungsund Messe-GmbH des Borsenvereins des Deutscheh Buchhandels, Frankfurt am Main, Kleiner Hirschgraben द्वारा आयोजित फ्रैंकफर्ट बुक फेअर, 1970 में भाग लेने के लिए । इस वार्षिक मेले को अत्यन्त महत्वपूर्ण मेला समझा जाता है पुस्तक व्यापार में लगी प्रमुख फर्मों एवं व्यक्तियों से सम्पर्क करने का उपयोगी अवसर प्राप्त होता है ।	9,44.00

	1	2
4. फिजी (आस्ट्रेलिया)* (10-11-70 से 28-11-70 तक)	विदेश व्यापार मंत्रालय द्वारा सुवा से (फिजी) में आयोजित भारतीय व्यापार प्रदर्शनी में भाग लेने तथा पुस्तक विक्रेताओं से नियमित बिक्री व्यवस्था के संबंध में बातचीत करने के लिए ।	13,658.00
	कुल योग :	37,082.00 रु.
	अथवा	37,000.00 रु.

* क्योंकि प्रकाशन प्रभाग के निदेशक पूर्व की ओर जा रहे थे, इसलिए यह उचित समझा गया कि वे तीन दिन के लिए आस्ट्रेलिया भी जाएं और आस्ट्रेलिया के लिए एकमात्र बिक्री एजेन्ट से निजी सम्पर्क स्थापित कर और अपने पिछले अनुभव के आधार पर उनसे विचार-विमर्श कर उस देश में प्रकाशन प्रभाग के प्रकाशनों की बिक्री बढ़ाने की संभावना का पता करें ।

कलकत्ता बन्दरगाह में आपात स्थिति की घोषणा

5131. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता बन्दरगाह में आपात स्थिति की घोषणा करने के बाद, स्थिति में कोई सुधार हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) और (ख) . कलकत्ता गोदी श्रमिक (रोजगार का विनियमन) योजना, 1970 के खण्ड 55 के अन्तर्गत 'कलकत्ता बन्दरगाह में' आपत्काल की घोषणा के साथ कलकत्ता गोदियों में श्रम स्थिति अब सामान्य हो गई है। हड़ताल 27 नवम्बर, 1970 को वापिस ले ली गई है।

भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों की हड़ताल

5132. **श्री के० एम० अब्राहम** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों ने हाल में हड़ताल की थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) कर्मचारियों की प्रमुख मांगे क्या हैं ;

(घ) क्या सरकार ने उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए कोई कदम उठाये हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवया) : (क) से (ङ) . विशाखापटनम पत्तन में भारतीय खाद्य निगम के लगभग 670 कर्मचारियों ने, अपनी मांगों के अनुसरण में, जिनमें अन्य मागों के साथ-साथ, उजरती दर योजना का पुनरीक्षण, हाजिरी भत्ते के अतिरिक्त मंहगाई भत्ते की अदायगी तथा अतिरिक्त फिटमेन्ट की मंजूरी, शामिल है, 12 दिसम्बर 1970 से हड़ताल कर दी है। सहायक श्रमायुक्त विशाखापटनम का समझौता असफल हो जाने की रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

भारतीय प्रेस परिषद् के अध्यक्ष के नाम याचिकाएं

5133. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी 1968 से लेकर नवम्बर, 1970 तक भारतीय प्रेस परिषद्, नई दिल्ली, के अध्यक्ष को दैनिक समाचार पत्र, साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक पत्रिकाओं के विरूद्ध कुल कितनी याचिकाएं पेश की गई है, याचिकाएं पेश करने वालों के नाम व पते और दैनिक समाचार पत्र, साप्ताहिक तथा मासिक पत्रिकाओं के नाम क्या हैं ; और

(ख) परिषद् द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) और (ख) . 1968 तथा 1969 के कलेण्डर वर्षों के दौरान प्रेस परिषद् द्वारा प्राप्त याचिकाओं सम्बन्धी ब्यौरा, याचिकायें पेश करने वालों तथा प्रतिवादियों के नाम तथा प्रेस परिषद् द्वारा उस पर की गई कार्रवाई, परिषद् की क्रमश: 1968 तथा 1969 की वार्षिक रिपोर्टों, जिनकी प्रतियां पहले ही सदन की मेज पर रखी जा चुकी हैं, के अध्याय 2 में दी गई हैं। चालू कलेण्डर वर्ष (26 नवम्बर, 1970 तक) के दौरान प्राप्त याचिकाओं तथा पिछले वर्ष आनींत याचिकाओं की संख्या 46 थीं। याचिका देने वालों तथा प्रतिवादियों के नाम तथा पते तथा याचिकाएं किस प्रकार की थीं, इसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4607/70**] इनमें से 19 याचिकाओं पर फैसला दे दिया गया है, इन मामलों पर जो कार्रवाई की गई वह भी विवरण में दे दी गई है। अन्य 19 याचिकाओं पर सुनवाई शुरू होने वाली है तथा 8 पर छानबीन हो रही है।

पूर्व पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों को कालकाजी कालोनी, नई दिल्ली में भूमि का आवंटन

5134. **श्री देवेन सेन** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री 7 मई तथा 27 अगस्त, 1970 का कालकाजी, नई दिल्ली में पूर्व पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों को भूमि आवंटन सम्बन्धी अतारांकित प्रश्न संख्या 8924 तथा 4210 के उत्तरों के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 4 जनवरी, 1966 तथा 13 अगस्त, 1967 की प्रेस विज्ञप्तियों के अनुसार कालकाजी नई दिल्ली की पूर्वी पाकिस्तान विस्थापित व्यक्तियों की बस्ती के 678 आवेदक भूमि आवंटन के लिये अपात्र पाये गये ;

(ख) क्या असंख्या आवेदक (जिनके प्रार्थना पत्र निर्धारित प्रपत्र पर नहीं है) उपरोक्त बस्ती में प्लाट आवेदन के लिये उत्सुक हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का विचार उनकी प्रार्थना पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने और दिल्ली आवास सम्बन्धी नियमों में ढील देकर सभी आवेदकों को भूमि देने सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति जारी करने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैय्या) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) . कालकाजी, नई दिल्ली के निकट पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों की बस्ती में वह सभी विकसित प्लाट, जो कि व्यक्तिगत् अलाटमेन्ट के लिये हैं, या तो अलाट कर दिए गये हैं या योग्य प्रार्थियों को लाटरी निकाल कर अलाट करने के लिए रख दिये गये हैं । यदि बस्ती में और विकसित प्लाट उपलब्ध होंगे तो उन्हें योग्य पात्रों को अलाट करने के लिए उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी ।

कालकाजी कालोनी, नई दिल्ली में विस्थापित व्यक्तियों को आवंटित भूमि के प्रीमियम में कमी

5135. **श्री देवेन सेन** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल में पुनर्वास की पुनरीक्षण समिति ने जून, 1969 में की गई अपनी सिफारिशों में कुछ टिप्पणियां की थीं और कहा था कि कालकाजी नई दिल्ली स्थित पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों की कालोनी में विस्थापित व्यक्तियों की आवंटित की गई भूमि के प्रीमियम में कमी दिये जाने की गुंजाइश है ;

(ख) क्या तीसरी लोक सभा की लोक लेखा समिति ने अपने 63 वें प्रतिवेदन में कालकाजी स्थित पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों की कालोनी में विकास कार्य में किये गये विलम्ब की आलोचना की थी ;

(ग) क्या उक्त विलम्ब के फलस्वरूप कालकाजी स्थित पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों की कालोनी में भूमि के प्रीमियम में अत्यधिक वृद्धि हो गई है ; और

(घ) क्या अलाटियों ने भूमि के प्रीमियम में कमी करने के लिये कई बार सरकार से अपील की थी ; यदि हां, तो बेचारे विस्थापित व्यक्तियों को वास्तविक राहत देने के लिए क्या सरकार उक्त मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैय्या) : (क)समीक्षा समिति के अध्यक्ष, श्री एन० सी० चटर्जी, संसद सदस्य, ने 24 जून, 1969 को एक टिप्पणी भेजी थी जिसमें कालकाजी के निकट पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों की बस्ती में प्लाटों के 'प्रीमियम' और किराये में कमी करने के सुझाव दिए थे ।

(ख) जी, हां ।

(ग) मूल्यों में सामान्य वृद्धि के कारण, विकास लागत में कुछ वृद्धि हुई है ।

(घ) जी, हां । बहुत सावधानी से विचार करने के उपरान्त, सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि, दिल्ली में अन्य प्राधिकरणों द्वारा दी गई पट्टे की शर्तों की तुलना में, कालकाजी के निकट पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों की बस्ती में अलाटियों को दी गई पट्टे की शर्तें, पट्टे की 99 साल की सम्पूर्ण अवधि को ध्यान में रखते हुए, वास्तव में उदार हैं ।

दिल्ली की शरणार्थी बस्तियों में जमीन का किराया

5136. **श्री देवेन सेन** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की सभी पुनर्वास बस्तियों पर विस्थापित पुनर्वास (भूमि अर्जन) अधिनियम 1948 (1948 का साठवां अधिनियम) तथा विस्थापित पुनर्वास (भूमि अर्जन) (दिल्ली राज्य) नियम 1951 लागू होते हैं ;

(ख) क्या इन बस्तियों का जमीन किराया भिन्न भिन्न है ;

(ग) क्या दिल्ली प्रशासन का यह प्रस्ताव कि वार्षिक किराया जमीन किराया एक रुपया प्रति 100 वर्गगज पहले पांच वर्ष के लिये लगाया जाना चाहिये और उसके बाद प्लाट को 'फ्री होल्ड' समझा जाना चाहिये, दिल्ली की सभी बस्तियों पर लागू होता है ;

(घ) क्या पश्चिमी बंगाल की पुनर्वास सम्बन्धी पुनरीक्षण समिति ने जून, 1969 की अपनी सिफारिशों में सुझाव दिया है कि दिल्ली की पुनर्वास बस्तियों की जमीन किराया दर समान होनी चाहिये ;

(ङ) यदि हां, तो सरकार का विचार दिल्ली की सभी पुनर्वास बस्तियों पर एक समान जमीन किराया दर लागू करने का है ; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैय्या) : (क) और (ख) . प्रारंभ में विस्थापित व्यक्ति, पुनर्व्यवस्थापन (भूमि अर्जन) अधिनियम 1948 के अधीन पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये अर्जित की गई भूमि विस्थापित व्यक्ति पुनर्व्यवस्थापन (भूमि अर्जन) (दिल्ली राज्य) नियम, 1951 में की गई व्यवस्था के अनुसार अलाट कर दी गई थी । अलाटमेन्ट की मुख्य शर्तें विवरण I में दी गई हैं । मुआवजे की योजना लागू हो जाने पर, प्लाटों की अलाटमेन्ट विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा

पुनर्वास) नियम, 1955, में की गई व्यवस्था के अनुसार की गई थी ; वह सुसंगत शर्तें विवरणा II में दी गई हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) पश्चिम बंगाल में पुनर्वास कार्य की समीक्षा समिति के अध्यक्ष ने एक टिप्पणी भेजी थी, जिसमे कालकाजी के निकट पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों की बस्ती में भूमि में किराये को कम करने के बारे में सुझाव दिये गये थे ।

(ङ) तथा (च). मामले पर विचार किया गया है और सुझाव से सहमत होना संभव नहीं पाया गया है ।

विवरण I

(क) छोटे प्लाटों और दुकानों के स्थानों के मामलों में

(200 वर्ग गज या कम)

(i) पट्टे के प्रथम पांच वर्षों में केवल भूमि का किराया ही देय होगा। भूमि का किराया, अर्जन मूल्य तथा विकास प्रभार की राशि पर 3 प्रतिशत् वार्षिक दर से परिकलित किया जायेगा । इसके अतिरिक्त, भूमि के किराये की राशि में 5 प्रतिशत् वसूली प्रभार के रूप में मिलायी जायेगी ;

(ii) प्रथम पांच वर्षो के समाप्त होने पर और आगामी 15 वर्षों के लिए, मूल्यांकित की गई अर्जन और विकास लागत की कुल राशि में से आधी राशि 15 बराबर वार्षिक किश्तों में वसूल की जायेगी ;

(iii) 21 वें वर्ष से, उस समय चालू भूमि के मार्केट मूल्य के आधार पर भूमि का किराया पुनः परिकलित किया जायेगा । यह पट्टे की शेष अवधि के लिये लागू रहेगा ।

(ख) 'काटेज', बंगले के प्लाटों, वाणिज्यक प्लाटों इत्यादि के मामले में

(i) टेन्डर मांग कर निर्धारित करके या सरकार द्वारा निश्चित किये गये प्रीमियम के भुगतान करने पर, प्लाट पट्टे पर दिये जायेंगे । प्रीमियम पर तीन प्रतिशत् की दर से भूमि का किराया भी देय होगा और इसके साथ भूमि के किराये पर 5 प्रतिशत् वसूली प्राभार भी लगाये जायेंगे ;

(ii) भूमि का किराया और पट्टानामा, 20 वर्षों के अन्त होने पर, पुनरीक्षण के अधीन होंगे किन्तु मूल भूमि के किराये में 50 प्रतिशत् से अधिक की वृद्धि नहीं होगी । पुनीक्षित किराये का भुगतान पट्टे की शेष अवधि में किया जायेगा ।

विवरण II

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियम, 1955 के अधीन दिल्ली की पुनर्वास बस्तियों में प्लाटों के आलाटमेन्ट की शर्तें :--

(i) प्रीमियम--मार्किट दर पर एक मुश्त भुगतान ।

(ii) भूमि का किराया--

(क) अलाटियों और प्रथम हस्तान्तरियों के मामले में, हर 100 वर्ग गज या उसके भाग के लिये एक रूपया वार्षिक ।

(ख) द्वितीय और बाद के हस्तान्तरियों के मामले में, जमीन के उस समय के बाजार भाव पर $2\frac{1}{2}\%$ की दर से । इस किराये का तीस तीस वर्षों की अवधि पर पुनीक्षिण किया जा सकेगा । बाद की वृद्धि पहले से मूल्यांकित किराये के 50% से अधिक न होगी ।

पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापितों की कालोनी कालकाजी नई दिल्ली के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण आवास योजना के लिए जीवन बीमा निगम द्वारा वित्त की व्यवस्था करना

5137. **श्री देवेन सेन** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम, पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापितों की कालोनी कालकाजी नई दिल्ली में मकान बनाने के क्रमबद्ध कार्यक्रम हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण की आवास योजना के लिए केन्द्रीय सरकार की सिफारिश तथा गारंटी पर धन की व्यवस्था करने के लिये राजी हो गया है;

(ख) क्या इस आवास योजना सम्बन्धी नियम और दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बनाये जाने वाले मकानों के नक्शे और डिज़ाइन तैयार हैं; और

(ग) यदि हां, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण कब तक निर्माण कार्य आरंभ कर देगा ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैय्या) : (क) जी हां, जीवन बीमा निगम ने पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों की सहकारी गृह-निर्माण समिति लिमिटेड के सदस्यों के लिये मकानों के निर्माण के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण को एक करोड़ रुपये का ऋण मंजूर करने की सहमति दे दी है । इस ऋण को आवश्यक प्रलेखों के निष्पादन के उपरान्त, 31 मार्च, 1971 या उससे पूर्व, केन्द्रीय सरकार की गारन्टी पर एक किश्त में दिया जायेगा ।

(ख) और (ग) . यह ज्ञात हुआ है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण और पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों की सहकारी गृह-निर्माण समिति लिमिटिड द्वारा मामले में उचित कार्यवाही की जा रही है ।

पाकिस्तान में संचित भविष्य निधि की बकाया धन-राशि

5138. **श्रीमती ज्योत्सना चन्द्रा** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पाकिस्तान में नौकरी कर रहे उन भारतीय राष्ट्रीकों तथा पाकिस्तानी अल्पसंख्यकों के दुःख से परिचित है जिनकी भविष्य निधि उन्हें 30 जुन, 1956 में नौकरी से हटाये जाने से पूर्व ही जब्त कर दी गयी थी;

(ख) यदि हां, तो उनकी देय राशि के भुगतान के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है क्योंकि उनमें से अधिकांश या तो भारत लौट आये या 1959 के बाद विस्थापितों के रूप में भारत आ गये ; और

(ग) इस मामले में पाकिस्तान द्वारा कुछ भी करने से इन्कार कर देने को दृष्टि में रखते हुए; क्या सरकार कुछ ऐसे प्रभावी प्रति उपाय करने पर विचार कर रही है जिससे कि इस संचित भविष्य निधि का तुरन्त भुगतान सुनिश्चित किया जा सके ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजावैय्या) : (क) जी, हां । तथापि, जो 30 जून, 1956 से पूर्व नौकरी से हटाये गये, उन्हें अन्य से विभिन्न करने के लिए हमारे पास कोई सामग्री नहीं है ।

(ख) भारतीय राष्ट्रीक और पाकिस्तानी अल्पसंख्यक निम्न दो श्रेणियों में आते हैं:–

(i) विस्थापित सरकारी कर्मचारी

(ii) निजी दुकानों, गैर सरकारी संस्थानों इत्यादि के भूतपूर्व कर्मचारी ।

श्रेणी (i) में आने वाले व्यक्तियों की संचित भविष्य निर्वाह निधि पाकिस्तान सरकार ने जब्त नहीं की है । दोनों देशों के बीच एक करार है जिसके अनुसार, विस्थापित सरकारी कर्मचारी, जो 31-12-1960 तक पाकिस्तान से भारत आये हों, अपनी संचित भविष्य निर्वाह निधि के पाने के पात्र हैं । 31-12-60 के बाद भारत आने वाले विस्थापित सरकारी कर्मचारियों के भविष्य निर्वाह निधि के देय के भुगतान की कोई व्यवस्था नहीं है ।

जहाँ तक श्रेणी (ii) के अन्तर्गत आने वाले व्यक्तियों का सम्बन्ध है, संचित भविष्य निर्वाह निधि के भुगतान के लिए दोनों सरकारों के बीच कोई करार नहीं है । तथापि, इस विषय पर पाकिस्तान सरकार से बहुत समय से बात-चीत चलती रही है किन्तु इसका कोई हल नहीं हुआ है ।

(ग) प्रभावी प्रतिउपाय करने का प्रश्न केवल उस अवस्था में उत्पन्न होगा जबकि पाकिस्तान सरकार के साथ करार होने के प्रयत्न असफल हो जाते हैं ।

रिकार्ड किये गए दुर्लभ रागों का मिटा दिया जाना

5139. **श्री जे० एच० पटेल** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी द्वारा तत्कालीन मंत्री डा० बी० बी० केसकर द्वारा पास किये गये विशिष्ट आदेशों के आधार पर प्रसिद्ध हिन्दुस्तानी संगीतकार श्री मल्लिकार्जुन मनसूर के रिकार्ड किये गये 300 दुर्लभ रागों को हाल में मिटा दिया गया है; और

(ख) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में मैसूर के मुख्य मंत्री से कोई पत्र प्राप्त हुआ है और यदि हाँ तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां। मैसूर के मुख्य मंत्री को उत्तर शीघ्र ही भेजा जाएगा।

मद्रास में डाक व तार भंडार कार्यालय का थाउजैन्ड लाइट्स से थंड्रयारपेट को स्थानांतरण किया जाना

5140. **श्री मुरासोली मारन** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक व तार भंडार कार्यालय को मद्रास में थाउजैन्ड लाइट्स से थंड्रयारपेट को स्थानांतरित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या इस स्थानांतरण के सम्बन्ध में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां ।

(ग) उपर भाग (क) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए किसी कार्यवाई की आवश्यकता नहीं है।

गिरीडीह, जिला हजारीबाग बिहार की अभ्रक खानों के श्रमिकों को नियमित करना

5141. **श्री गणेश घोष** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गिरीडीह जिला हजारीबाग बिहार की अभ्रक खानों में प्रारंभ से कार्य कर रहे 60 प्रतिशत से 70 प्रतिशत श्रमिकों को नियमित नहीं किया गया है और वे अभी भी नैमित्तिक तथा अस्थायी तौर पर कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उन्हें नियमित न किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार उन्हें नियमित करने के लिये तुरन्त कार्यवाही करेगी, और यदि हां, तो कब ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

हजारीबाग, बिहार के गिरीडीह क्षेत्र में, राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की कोयला खानों का बंद होना

5142. **श्री नम्बियार** :
श्री के० रमानी :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार राज्य में हजारीबाग के गिरीडीह क्षेत्र में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की कोयला-खानों के बंद होने के कारण कितने श्रमिक बेकार हो गये हैं;

(ख) क्या उनके संघ तथा प्रबन्धकों के मध्य समझौता हो जाने के फलस्वरूप उन्हें राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की अन्य खानों में स्थानाँतरित कर दिया गया है या उनकी छटनी कर दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उन्हें रोजगार देने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी०संजीवैया) : (क) से (ग). राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की गिरीडीह कोयला खानें अभी तक काम कर रही हैं, परन्तु कोयला-खा : की विभिन्न इन्लाइनें/पिटें उनमें भण्डार समाप्त होने पर बंद की जा रही हैं। 15-4-1969 को श्रमिकों की संख्या लगभग 3900 थी। वर्ष में क्रमिक छंटनी (1) सेवानिवृत्ति, मृत्यु, त्याग-पत्र, आदि जैसी प्राकृतिक छीजन, (2) अन्य परियोजनाओं में पुनर्नियुक्ति, और (3) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से शुरू की गई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के कारण हुई ।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा कोयला मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित करना

5143. **श्री राममूर्ति** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है की राष्ट्रीय कोयला विकास निगम में काम करने वाले श्रमिकों की श्रेणियों तथा सेवा शर्तें निर्धारित करने के सम्बन्ध में कोयला मजूरी बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशें क्रियान्वित नहीं की गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित न करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या उन्हें क्रियान्वित करने के लिए सरकार शीघ्र उपाय करेगी और यदि हां, तो कब ?

श्रम तथा रोजगार मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) और (ख) . जी नहीं। कोयला मजदूरी बोर्ड की समस्त सिफारिशों को, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है, राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने पूर्णतया कार्यान्वित कर लिया है। इसके अतिरिक्त, मासिक दर पर 15-8-1967 से पहले लगे कर्मचारियों को, जिन्होंने मजदूरी बोर्ड के मानो को ग्रहण करने के लिए स्वेच्छा प्रकट की है, अवकाश, छुट्टियां, बदलियां आदि के लाभों को, जो उन्हें पहले से प्राप्त थे, प्राप्त करते रहने की, विशेष स्थिति के रूप में अनुमति दी गई है।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठते ।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के कर्मचारियों के लिए समान उपदान योजना

5144. **श्री के० रमानी** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के कर्मचारियों के लिए समान उपदान योजना के लिए कानून बनाने पर विचार करेगी ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में श्रमिकों की ओर से अभ्यावेदन अथवा ज्ञापन मिला था ; और

(घ) यदि हां, तो उक्त ज्ञापन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) से (घ) . कोयला उद्योग के श्रमिकों के लिए सामान्य रूप से कोयला मजदूरी बोर्ड द्वारा सिफारिश की गई ग्रेच्यूटी योजना को लागू करने की कार्यवाही की जा रही है। परन्तु राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की अपनी एक ग्रेच्यूटी योजना है, जो कि पहले मासिक दर के श्रमिकों पर लागू थी और जिसे 1-1-1970 से दैनिक दर तथा उजरती दर के श्रमिकों पर भी लागू कर दिया गया है। राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की ग्रेच्यूटी योजना की मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं :–

1–अच्छी, कुशल तथा निष्ठावान सेवा के लिए निम्नलिखित स्थितियों में ग्रेच्यूटी दी जायेगी :–

(क) पद के समाप्त होने पर सेवा मुक्ति ;

(ख) शारीरिक अथवा मानसिक विकलांगता के कारण स्थाई अक्षमता ;

(ग) मृत्यु ;

(घ) वार्धक्य निवर्तन ;

(ङ) 30 वर्ष की अर्हक सेवा के बाद सेवा निवृत्ति ;

बशर्ते कि (क), (ख) और (ग) में निर्दिष्ट मामलों में ग्रेच्यूटी 5 साल की अर्हक सेवा के बाद ही ग्राह्य होगी।

2–ग्रेच्यूटी की राशि, सेवा के हर पूरे वर्ष के लिए 15 दिन के वेतन की राशि के समान होगी बशर्ते की इसकी अधिकतम राशि वेतन का 15 गुना अथवा 24,000 रुपये जो भी कम हो, होगी :–

3–मृत्यु के मामले में, ग्रेच्यूटी की राशि, उपरोक्त (2) में परिकलित अथवा नीचे लिखे अनुसार, जो भी अधिक हो, होगी :–

(1) सेवा के प्रथम वर्ष के दौरान	2 मास का वेतन	अंशदायी भविष्य निधि व कर्मचारी के खाते में मौजूद निगम के अंशदान की सब्याज राशि कम करके (निगम के अंशदान में, कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि नियमों के नियम 2(6) के अन्तर्गत ग्राह्य ग्रेच्यूटी की राशि शामिल है)
(2) एक वर्ष के बाद किन्तु पांच वर्ष की सेवा से पहले	6 मास का वेतन	
(3) पांच वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद	12 मास का वेतन	

*यदि उपयुक्त न हो तो लुप्त किया जाना है।

ग्रेच्यूटी योजना को दैनिक दर तथा उजरती दर के श्रमिकों पर अस्थाई रूप से लागू किया गया है और इसे सरकार द्वारा लागू की जाने वाली योजना द्वारा परिस्थापित किया जायेगा।

अंतर्गत पंजीकृत हजारीबाग जिला के गिरीडीह क्षेत्र में अभ्रक खान कारखाने

5145. **श्री के० रमानी** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गिरीडीह क्षेत्र, जिला हजारीबाग, बिहार में कारखाना अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत अभ्रक खान कारखानों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) इन अधिनियमों के अंतर्गत श्रमिक कौनसी सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं;

(ग) क्या गिरीडीह क्षेत्र में अभ्रक खानों में कार्य कर रहे 80 प्रतिशत श्रमिक नैमित्तिक अथवा अस्थायी हैं; और यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन्हें नियमित करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) चूंकि कारखाना अधिनियम, 1948 की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जाती है, इसलिए यह मामला राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है।

(ख) कारखाना अधिनियम में कारखानों के श्रमिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण की व्यवस्था है। यह उनके काम के घंटों को भी नियमित करता है और सवेतन वार्षिक छुट्टी की व्यवस्था करता है।

(ग) और (घ) . सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा की मेज पर रख दी जायगी।

टेलको, जमशेदपुर में ठेके की तथा अस्थाई मजदूर व्यवस्था का समाप्त किया जाना

5146. **श्री मुहम्मद इस्माइल** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को टेलको, जमशेदपुर में ठेके की तथा अस्थाई मजदूर व्यवस्था को समाप्त करने के संबंध में कोई अभ्यावेदन या ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस ज्ञापन पर क्या कार्यवाही की है; और

(ग) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) . यह मामला राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है । अभ्यावेदन आवश्यक कार्यवाही के लिए राज्य सरकार को भेज दिया गया है ।

भूदान आंदोलन में प्राप्त भूमी का वितरण

5147. **श्री म० सुदर्शनम्** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में कुल कितनी भूमि भू–दान आंदोलन में प्राप्त हुई; और

(ख) इसमें से कितनी भूमि वितरित की गई है और किस प्रकार वितरित की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) 1,691,019 हैक्टार ।

(ख) 461,681 परिवारों को 476,048 हैक्टार भूमि बांटी गई है । 750,096 हैक्टार भूमि काश्त योग्य और भूमिहीन लोगों में बांटने के योग्य नहीं समझी गई है ।

श्री विनोबा भावे के नेतृत्व में भूदान सर्वोदय आदर्शों पर आधारित एक गैर-सरकारी और स्वैच्छिक आंदोलन है जिसका संबंध भूदान और भू–वितरण से है । भूमि का वितरण भूदान कार्यकर्ताओं द्वारा साधारणतः ग्रामों में किया जाता है जहां भूमि देने के लिये भूमिहीनों के आवेदन-पत्रों पर विचार किया जाता है । अलाटियों का चुनाव ग्राम समाज के मतैक्त या लगभग मतैक्य से किया जाता है ।

सरकारी क्षेत्र में वनस्पति तेल और घी बनाने वाले कारखानों की स्थापना

5148. **श्री न०रा० देवघरे** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सरकारी क्षेत्र में एक वनस्पति तेल तथा वनस्पति घी के कारखाने की स्थापना का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना-साहेब शिंदे) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) देश में इन दोनों उद्योगों में पहले ही पर्याप्त क्षमता है।

बिहार में गगनपुर, चकई, चंद्रमंडी आदि में डाक-घर का खोला जाना

5149. **श्री मधु लिमये** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एक संसद् सदस्य से एक अभ्यावेदन, जो बिहार में मुंगेर जिले के जमुई उप–खंड के गगनपुर–बोंगी क्षेत्र में डाकघर बंद करने के बारे में था, प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या यह क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है और इस समय वहां अभूतपूर्व अकाल पड़ा हुआ है;

(ग) क्या सरकार की नीति पिछड़े क्षेत्रों में डाक-तार कार्यालय खोलने और टेलीफोन की सुविधाएं प्रदान करने की है;

(घ) यदि हां, तो तथाकथित डाकघर बन्द करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार तथाकथित डाकघर को फिर से खोलेगी और इस पिछड़े उपखंड में और विशेषकर झाझा और लक्ष्मीपुर खंडों और थानों में अन्य डाकघर खोलेगी ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) बिहार के मुंगेर जिले में जमुई उपखंड में बोंगी के अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर को बंद करने में प्रस्ताव के संबंध में संचार मंत्री के पास दिसम्बर, 1969 में श्री मधु लिमये की ओर से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था ।

(ख) ऐसी सूचना मिली है कि बिहार के मुंगेर जिले में जमुई उपखंड में बोंगी-गगनपुर इलाके को राज्य सरकार ने पिछड़ा हुआ इलाका घोषित नहीं किया है । यह भी बताया गया है कि यह इलाका अभूतपूर्व अकाल के प्रभाव में नहीं है ।

(ग) सामान्यतया ऐसे इलाकों को प्रत्येक मामले के गुण दोषों के आधार पर डाक-सुविधाएं देने के लिए बहुत पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है जो इलाके कठिन दुर्गम होते हैं जहां छितरी आबादी, साक्षरता की कमी होती है और जहां सामान्य इलाकों पर लागू आबादी और दूरी आदि के विभागीय मानकों के अनुसार संचार की लम्बी लाइनें और डाकघर नहीं खोले जा सकते । समूचे देश और राज्य के अंतर्गत साथ लगने वाले इलाकों में दी गई तुलनीय डाक सुविधाओं को भी ध्यान में रखा जाता है । राज्य सरकार ने अपनी किन्हीं योजनाओं के लिए किसी इलाके

को यदि पिछड़ा इलाका घोषित किया हो तो यह तथ्य भी एक तत्व के रूप में माना जाता है, हालांकि यह बात डाक सुविधाएं देने के लिए किसी इलाके को बहुत पिछड़ा इलाका घोषित करने के लिए एक मात्र तत्व नहीं है । ऐसे इलाकों में डाकघर स्थानीय प्राधिकारियों के परामर्श से खोले जाते हैं हालांकि इसमें दूरी (सीमा 3 मील) और आबादी (सीमा 2000) की शर्तें रहती हैं और इन डाकघरों को खोलने में प्रति डाकघर 1000 रु० प्रति वर्ष की बढ़ी रकम तक घाटा उठाया जाता है जबकि दूसरे इलाकों में पोस्टमास्टर की शक्ति के अधीन निर्धारित घाटे की रकम 750 रु० या 500 रु० है । अपवादजनक मामलों में डाकतार महा निदेशक की शक्तियों के अधीन 2500 रु० तक की बढ़ी हुई सीमा तक घाटा उठाकार भी डाकघर खोले जाते हैं। अलबत्ता, ऐसे प्रत्येक डाकघर को खोलने के लिए उसे खोलते समय उस डाकघर से उसकी लागत की कम से कम 25 प्रतिशत रकम की आय का होना जरूरी है ।

सामान्यतया, तार और टेलीफोन सुविधाएं किसी स्थान पर तब दी जाती हैं, जब वह योजना लाभकर हो ! परन्तु अविकसित क्षेत्रों में ये सुविधाएं देने के लिए, डाक तार विभाग ने एक योजना बनाई है, जिसके अधीन एक विशेष श्रेणी के स्थानों पर घाटे पर भी ये सुविधाएं दी जाती हैं । इसके लिए उन स्थानों का प्रशासनिक महत्व, और आबादी देखी जाती है और यह देखा जाता है कि वे स्थान सामान्य दूर संचार जाल से कितनी दूर देहात में हैं । घाटें के आधार पर तार और टेलीफोन सुविधाएं देने के लिए पर्यटक केन्द्र, यात्री केन्द्र, कृषि और सिचाई प्रायोजना के स्थान और उपनगरों के बारे में भी एक सीमित संख्या में विचार किया जाता है । इस योजना के अन्तर्गत पिछड़े इलाके भी आ जाते हैं ।

(घ) बिहार के जिला मुंगेर में जमुई उपखंड के गंगापुर–बोंगी इलाके को डाक सुविधाएं देने के उद्देश्य से "बहुत पिछड़ा" इलाका घोषित नहीं किया गया है । इसलिए, ऐसे इलाकों में देहाती डाकघर खोलने के लिए प्रति डाकघर प्रति वर्ष घाटा उठाने की जो सीमा बढ़ा कर 1000 या 2500 रु० की हुई है और 10 वर्ष तक चालू रखने की जो अधिकतम अवधि है, वे इस इलाके के डाकघरों पर लागू नहीं होती । डाक तार विभाग की मौजूदा नीति के अनुसार किन्हीं देहाती डाकघरों को, जिनमें "बहुत पिछड़े" इलाके में स्थित डाकघर भी शामिल है, जो 10 वर्ष की अवधि में भी स्थायी बनाए जाने के लिए योग्य नहीं बन जाते, चालू रखना इस बात पर आधारित होता है कि वह डाकघर घाटे की कुछ स्वीकृत सीमाओं के अन्दर ही घाटे पर चल रहा हो जब तक कि इच्छुक पार्टी स्वीकृत घाटे से उदयपुर के घाटे की रकम जमा कराने के लिए तैयार न हो । बोंगी में अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर 18–1–1957 को खोला गया था। यह डाकघर 10 वर्ष की अधिकतम प्रायोगिक अवधि में स्थायी बनाए जाने के योग्य नहीं हो सका है । ऐसा पाया गया है कि यह डाकघर 10 वर्ष की अवधि के बाद भी घाटे की स्वीकृत सीमा से अधिक घाटे पर चल रहा है । इस अतिरिक्त घाटे को पूरा करने के लिए कोई भी इच्छुक पार्टी तैयार नहीं हुई यहां तक कि ग्राम पंचायत के मुखिया भी इसके लिए तैयार नहीं हुए । इसलिए इस डाकघर को 26–11–1970 को बन्द करना पड़ा ।

(ङ) यदि कोई इच्छुक पार्टी इस अतिरिक्त घाटे की पूर्ति करने के लिए तैयार हो और पटना के पोस्टमास्टर जनरल को इस बात की सूचना दे दी जाए तो बोंगी के डाकघर को फिर से खोलने पर विचार किया जा सकता है ।

बम्बई चन्द्रमण्डी और लक्ष्मीपुर खंडों और थानों में नए डाकघर खोलने के बारे में इस समय पोस्टमास्टर जनरल पटना के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं। पोस्टमास्टर जनरल ने झाझा खंड में राजा में डाकघर खोलने के लिए 26-10-70 को आदेश जारी कर दिए हैं।

कुर्ग (मैसूर) में कृषि का विकास तथा जाया भूमि का समाप्त किया जाना

5150. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को पता है कि कृषि को बढ़ावा देने की सामान्य नीति के साथ-साथ अत्यधिक लगान बढ़ाये जाने के कारण कुर्ग जिले के किसानों में असंतोष पैदा हो गया है और वे हतोत्साहित हो गये हैं; यदि हां, तो लगान में कितनी वृद्धि हुई और यदि 5 एकड़ जोत से कम भूमि को सारे करों से मुक्त नहीं किया जाये तो कम से कम लगान से मुक्त क्यों नहीं किया जाता;

(ख) क्या जाया भूमियों को समाप्त किये जाने के संबंध में योजना आयोग तथा उनके मंत्रालय से सलाह कर ली गई और इससे होने वाले मूल अधिकारों के उल्लंघन पर भी विचार कर लिया गया है; और

(ग) उनके मंत्रालय द्वारा कावेरी नदी पर बनाये जाने वाले कम्बड़कड़ बांध से निकलने वाले परिणामों की जांच न किये जाने के क्या कारण हैं क्योंकि उसके बन जाने से कुर्ग में कृषि संबंधी हितों को हानि होगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) राज्य सरकार से जानकारी इकटठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) कुर्ग में जाया भूमि बिचोलिए पट्टेदारों की है और भूमि के स्वत्व-हस्तान्तरण संबंधी कुछ प्रतिबंधों के पूरा होने की स्थिति में भू-राजस्व की रियायती दर भूमि पर दी गई है। कुर्ग के जाया पट्टे जैसे कुछ विचोलिए पट्टेदारों को समाप्त करने के प्रस्तावों पर राज्य सरकार विचार कर रही है। योजना आयोग या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में ये प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। इस प्रस्ताव का कृषि सुधार से संबंध है। अतः संविधान के अनुच्छेद 31-क द्वारा प्रदत्त सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए इससे किसी भी मूल अधिकार के छीने जाने की सम्भावना नहीं है।

(ग) राज्य सरकार से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

न्यूनतम बोनस में वृद्धि

5151. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 27 नवम्बर, 1970 के "इकनामिक टाइम्स" में प्रकाशित समाचार के अनुसार कम लाभ वाले कारखानों का ध्यान रखते हुए न्यूनतम बोनस में प्रस्तावित वृद्धि के प्रश्न पर विचार किया गया है;

(ख) कितने कारखानों की ओर बोनस की राशि बकाया है और कितने बंद हो गये हैं; इसके परिणामस्वरूप हुई बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की;

(ग) न्यूनतम बोनस की वृद्धि से किन कारणों से सरकारी क्षेत्र के कारखानों को छूट दी गई है; और

(घ) सरकार गैर-सरकारी विधेयक में यह संशोधन कि बोनस उत्पादिता के आधार पर दिया जायेगा प्रस्तुत करने पर विचार क्यों नहीं करती, क्योंकि यह उपभोक्ताओं द्वारा दिया जाता है जो बोनस पाने वालों की अपेक्षा अधिक गरीब हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) जी, नहीं।

(ख) सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) शायद यह श्री चिट्टू वसु द्वारा राज्य सभा में पेश किए गए बोनस अदायगी (संशोधन) विधेयक के संदर्भ में है। उनके इस प्रस्ताव पर, कि विधेयक को प्रवर समिति को भेजा जाये, राज्य सभा द्वारा 11-12-1970 को अनिश्चायक रूप में बहस हुई। इसी प्रकार का एक विधेयक श्री जार्ज फरनांडिस द्वारा लोक सभा में प्रस्तुत किया गया है और सभा द्वारा उस पर अभी विचार-विमर्श किया जाना है।

पश्चिम बंगाल में मालदा के हरिचन्दरपुर संयुक्त (डाक व तार) उप-डाकघर का एक किराये के मकान में स्थानांतरण किया जाना

5152. **श्री चपलाकांत भट्टाचार्य** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में मालदा के हरिचन्दरपुर स्थित संयुक्त (डाक व तार) उप-डाकघर को एक वर्ष से विभाग के भवन से किराये के मकान में स्थानांतरित किया गया है यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) उसका मासिक किराया कितना है और अक्टूबर तक कुल कितना किराया दिया जा चुका है;

(ग) कब तक यह उप डाकघर किराये के मकान में रहेगा; और

(घ) क्या विभाग के अपने भवन की मरम्मत कराना आवश्यक है; यदि हां तो मरम्मत कार्य कब प्रारंभ किया जायेगा ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) विभागीय इमारत में स्थान की कमी और इमारत की हालत अधिक खराब होने के कारण 1-12-69 को हरिश्चन्द्रपुर डाकघर को एक किराये की इमारत में स्थानान्तरित कर दिया गया था।

(ख) मासिक किराया 225 रुपये है और अक्टूबर, 1970 तक कुल 2475 रुपये किराये के अदा किए गए हैं।

(ग) तब तक जब तक विभागीय इमारत की पूरी मरम्मत और उसका विस्तार नहीं हो जाता।

(घ) जी हां। कलकत्ता के डाक-तार आर्कीटेक्ट से 31-12-69 को निवेदन किया गया है कि विभागीय इमारत के विस्तार संबंधी प्रारम्भिक ड्राइंग तैयार करें। इस इमारत की मरम्मत और इसके विस्तार का काम एक साथ हाथ में लिया जाएगा।

New Satgram Colliery

5153. **Shri Janeshwar Misra :**
Shri Ram Sewak Yadav :

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether the investigation into the alleged Labour Department's sympathy and co-operation with a Union of the Communist Party of India in the New Satgram Colliery which lacked the support of the workers, has been completed;

(b) if not, the time by which the investigation is likely to be completed;

(c) whether Goverement are aware that the management of the New Satgram Colliery have taken the dispute arising out of the transfer of some labourers to the High Court of West Bengal and the Colliery Mazdoor Congress have also been made a party to it; and

(d) whether pressure is being put on the Labour Department in this regard to take immediate steps at Government expense to strengthen the cause of the Union of the Communist Party of India which lacked the support of the workers?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya) : (a) to (d). The investigation is continuing and no time can be specified as to when investigation be completed.

(c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House when received.

विजय नगर, दिल्ली, में पट्टे पर दी गई भूमी

5154. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री 26 नवम्बर, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2563 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जो ब्लाक, विजय नगर, दिल्ली के पास वाले मकान के अलाटी ने किन आधारों पर सार्वजनिक लेन तथा सार्वजनिक पार्क के अपने नाम में स्थानांतरण के लिये कहा था और क्या इस बारे में जांच की गई थी तथा उसे न्यायोचित पाया गया था;

(ख) यदि नहीं, तो अन्य किन कारणों से उक्त सार्वजनिक स्थान स्थानांतरित किये गये;

(ग) क्या मास्टर प्लान में दिखाये गये सार्वजनिक लेन और पार्क के स्थानांतरित करने से पूर्व उपयुक्त प्राधिकरण की स्वीकृति प्राप्त की गई थी; और

(घ) पुनर्वास विभाग द्वारा पट्टानामा कब जारी किया गया और क्या तथ्यों को गलत बताने और उन्हें छिपाने के आधार पर पट्टानामा रद्द करने के लिये कोई कालावधि निर्धारित है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) और (ख). अलाटी ने अपने मकान के पास वाली भूमि की अलाटमेन्ट के बारे में प्रार्थना की थी। उसने यह उल्लेख नहीं किया था कि उक्त भूमि सार्वजनिक मार्ग या गली का भाग थी। इस तथ्य का ध्यान नहीं रहा कि, बस्ती की योजना के अनुसार, उक्त भूमि सार्वजनिक गली और पार्क के लिये आरक्षित रखी गई थी।

(ग) जी, हां। उक्त भूमि की अलाटमेन्ट ऐसे अधिकारी के आदेशों के अधीन की गई थी जो कि पास वाली भूमि के टुकड़ों का हस्तान्तरण करने के लिए सक्षम था।

(घ) 24 सितम्बर, 1966 को।

नियमों के अधीन, गलत-बयानी करके और सार तथ्यों को छूपाकर हांसिल किये गये पट्टा-नामा को रद्द करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं है। इस गलती को शुद्ध करने के उद्देश्य से, विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954 की धारा 33 के अधीन, मामले का पुनर्विलोकन कराने का निश्चय किया गया है।

बंगलोर प्रसारण केन्द्र से तुलु और कोंकणी भाषाओं में प्रसारण

5155. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि दक्षिण कनारा जिले में तुलु और कोंकणी बोलने वालों की संख्या क्रमश: 4 और 3 लाख है तथा उसके आसपास के जिलों में इनकी संख्या क्रमश: 4 और 2 लाख है। बंगलूर आकाशवाणी प्रसारण केन्द्र से तुलु और कोंकणी भाषा में प्रसारण के लिये कितना समय नियत किया गया है;

(ख) राज्य में कन्नड़ और उर्दू बोलने वालों की संख्या कितनी है और इन भाषाओं के प्रसारणों के लिये कितना समय नियत किया गया है;

(ग) आकाशवाणी केन्द्र के सलाहकार बोर्डों में कुल कितने प्रतिनिधि हैं और उनमें तुलु, कोंकणी और उर्दू के प्रतिनिधियों की संख्या कितनी है;

(घ) प्रसारण केन्द्र में कुल कितने कर्मचारी काम करते हैं और उनमें तुलु, कोंकणी और उर्दू बोलने वालों की संख्या कितनी है; और

(ङ) इन भाषाओं के बोलने वालों के बढ़ते हुये असन्तोष को दूर करने के लिये तुलु के प्रसारण के लिये प्रतिदिन 10 मिनट, कोंकणी और उर्दू के लिये प्रति सप्ताह में दो बार 10 मिनट का समय नियत न किये जाने के क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) बंगलोर केन्द्र से तुलु तथा कोंकणी में कोई कार्यक्रम प्रसारित नहीं किया जाता ।

(ख) 1961 की जनगणना के अनुसार, मैसूर राज्य की कुल जनसंख्या 2,35,86,772 में से कन्नड भाषी लोगों की संख्या 1,53,71,753 थी तथा उर्दू भाषी लोगों की संख्या 20,34,492 । यह केन्द्र कन्नड़ में प्रतिमाह 73 घण्टे 40 मिनिट तथा उर्दू में प्रतिमाह 1½ घण्टे की अवधि के कार्यक्रम प्रसारित करता है ।

(ग) आकाशवाणी के केन्द्रों में नियुक्त कार्यक्रम सलाहकार समिति का गठन भाषा या बोली के प्रतिनिधित्व के आधार पर नहीं किया जाता । बंगलौर केन्द्र से सम्बद्ध कार्यक्रम सलाहकार समिति के प्रत्येक सदस्य की मातृ भाषा कौन सी है या वह कौन सी भाषा/बोलीयाँ जानता है, इसके बारे में निश्चित सूचना उपलब्ध नहीं हैं ।

(घ) आकाशवाणी के बंगलौर केन्द्र के कर्मचारियों की कुल संख्या 219 है । इनमें से तुलु बोलने वाला कोई नहीं है, कोंकणी बोलने वाले 4 हैं तथा उर्दू बोलने वाले 6 ।

(ङ) बंगलौर केन्द्र उर्दू में पहले ही हर महीने 1½ घण्टे की अवधि के कार्यक्रम प्रसारित करता है । इन कार्यक्रमों की अवधि को बढ़ाने का फिलहाल प्रस्ताव नहीं है । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि बंगलौर केन्द्र के कार्यक्रम दक्षिण कनारा तथा मैसूर राज्य के आसपास के जिलों में अच्छी तरह नहीं सुने जाते, तुलु और कोंकणी में कार्यक्रम प्रसारित करने का फिलहाल प्रश्न नहीं उठता ।

मंगलूर प्रसारण केन्द्र की स्थापना में विलम्ब

5156. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह बताने के क्या कारण हैं कि मंगलूर प्रसारण केन्द्र 1974 में ही तैयार होगा जब कि मेरे प्रश्न के उत्तर में कहा गया था कि उसकी स्थापना को 1970 में प्राथमिकता दी जायेगी;

(ख) आपातकालीन विधि के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण न करने और पहले से ही आवश्यक सामग्री की व्यवस्था न करने के क्या कारण हैं जिससे छः महीने की अवधि में भूमि उपलब्ध हो जाती; और

(ग) इसका 1974 तक पूरा करने के लिये क्या कार्यक्रम बनाया गया है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जैसा कि प्रश्न में कहा गया है, परियोजना को प्राथमिकता दी गई थी और उसे 1970-71 की वार्षिक योजना में शामिल किया गया था, परन्तु मंगलूर में जिस प्रकार की प्रायोजना का विचार है उसको पूरा करने में प्रायोजना की स्वीकृति के बाद 3 से लेकर 4 वर्ष तक लगते हैं।

(ख) प्रायोजना की स्वीकृति की प्रत्याशा में स्थान का चयन कर लिया गया था तथा राज्य सरकार से भूमि अधिग्रहण करने की प्रार्थना कर दी गई थी। आशा है कि भवन निर्माण के प्रारम्भिक कार्य पूरे होने से पहले ही भूमि उपलब्ध हो जायेगी।

(ग) प्रारम्भिक कार्य 1971-72 तक, सिविल कार्य 1972-73 तक तथा उपकरण लगाने का कार्य 1973-74 तक पूरा किया जाना है।

बेरोजगार कृषि स्नातक

5157. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कितने कृषि स्नातक बेरोजगार हैं; और

(ख) क्या उन्हें रोजगार प्रदान करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) दिसम्बर, 1969 के अन्त में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में 5130 कृषि स्नातकों के नाम दर्ज थे।

(ख) इस समय विभिन्न विस्तार तथा अनुसंधान कार्यक्रमों के अन्तर्गत कार्य करने वाले स्नातकों के अतिरिक्त चतुर्थ योजना की अवधि में सरकार को 9745 स्नातकों की आवश्यकता पड़ने की संभावना है। इस के साथ साथ सरकार 5,000 कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना की योजना पर भी विचार कर रही है, जिस में लगभग 50,000 कृषि इंजीनियर स्नातकों तथा डिप्लोमा-धारियों को रोजगार प्राप्त होने की संभावना है। स्टेट बैंक आफ इंडिया ने कृषि स्नातकों तथा अन्य व्यक्तियों जो कि स्वयं को कृषि उत्पादन कार्यों में लगाना चाहते हैं की सहायता के लिये 'कृषि स्नातक योजना' नाम से योजना भी तैयार की है। यह योजना समस्त राज्य सरकारों को भेजी जा चुकी है।

दिल्ली में शरणार्थियों को प्लाटों की बिक्री

5158. **श्री कवंरलाल गुप्त** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली के 1,600 अलाटी शरणार्थियों को विक्रय पत्र जारी करने से पूर्व उनसे प्लाटों के लिये 29 रुपये प्रति वर्ग फुट के हिसाब से और धन मांगा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस वृद्धि के विरुद्ध कोई आन्दोलन चल रहा है; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस वृद्धि को वापिस लेने का है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) जी हां। पटेल नगर नई दिल्ली की बस्तियों में प्लाटों के अलाटियों से विभिन्न दरों पर, किन्तु वह दर 29 रुपये प्रति वर्ग फुट नहीं, अतिरिक्त 'प्रीमियम' के भुगतान की मांग की जा रही है।

(ख) दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश द्वारा भूतपूर्व भूमि के मालिकों को बढ़ाई गई दरों के आधार पर मुआवजा देने के फलस्वरूप मूल्यांकन की दरों में पुनरीक्षण किये जाने के कारण, अतिरिक्त प्रीमियम की मांग की गई है।

(ग) सूचना मिली है कि इस सम्बन्ध में कुछ व्यक्तियों ने 'अनशन' रखा है और 'धरना' लगाया है।

(घ) जी, नहीं।

आलमबाग लखनऊ में अनियमित डाक-वितरण की शिकायत के बारे में जांच

5159. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लखनऊ के दैनिक समाचार पत्र में लखनऊ शहर के आलमबाग क्षेत्र में अनियमित डाक वितरण के बारे में शिकायत का समाचार छपा है;

(ख) यदि हां, तो सम्बद्ध डाक कर्मचारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या उत्तर प्रदेश के एक मंत्री ने इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहा था और डाक विभाग के उच्चाधिकारियों ने इसका विरोध किया था।

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां। आलमबाग, लखनऊ के निवासियों से पहले भी इसी तरह की शिकायतें आई थीं।

(ख) आलमबाग डाकघर के नायब पोस्टमास्टर और टाउन इन्पेक्टर को बदल दिया गया है। टाउन इंस्पेक्टर की आगामी दो वर्ष की वेतन वृद्धि भी रोक दी गई है।

(ग) उत्तर प्रदेश के एक मंत्री महोदय ने लखनऊ के पोस्टमास्टर जनरल को यह सुझाव लिख भेजा था कि टाउन इंस्पेक्टर के बदली के आदेश रद्द कर दिए जाएं। पोस्टमास्टर जनरल ने मंत्री महोदय को एक पत्र में स्थिति स्पष्ट कर दी है। डाक अधिकारियों द्वारा सुझाव के प्रश्न पर रोष प्रकट करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

'जी ब्लाक' विजय नगर, दिल्ली में सार्वजनिक सड़क तथा सार्वजनिक पार्क का पुनः बनाया जाना

5160. **श्री कमलनाथन्** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुनर्वास विभाग ने 34/जी, विजय नगर, दिल्ली 9 के मालिक को जो पट्टानामा जारी किया गया था उसके साथ उसने सार्वजनिक सड़क तथा पार्क का नक्शा भी लगाया था।

(ख) क्या मास्टर प्लान में वर्णित आवश्यक सेवाओं से जनता को वंचित करना गैर कानूनी तथा मानव के मूलभूत अधिकारों के विरुद्ध नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो जन सेवाएं पुनः प्रदान करने के लिये उनके मंत्रालय द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) विस्थापित व्यक्ति (प्रति-कर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954, की धारा 33 के अधीन मामले का पुनर्विलोकन कराने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं।

अन्न की फसल का मनुष्यों के लिये हानिकारक होना

5161. **श्री रा० बरुआ** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पोषाक आहार संस्थान हैदराबाद ने यह पता लगाया है कि कुछ अनाज की फसलें मनुष्यों के लिये हानिकारक होती हैं; और

(ख) यदि हां, तो अनाज की वे फसले कौन कौन सी है और हर अनाज तथा उनके हानिकारक प्रभावों के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) और (ख). जी हां। राष्ट्रीय सरकार पोषाक आहार संस्थान, हैदराबाद ने खाद्यान्न विषयक अपने अध्ययन के दौरान बताया है कि खेसरी दाल (लैथिरस सैटाइबस) के काफी मात्रा में खाने पर लैथिरस नामक रोग हो जाता है, जो एक तंत्रिका-रोग है और मनुष्यों, विशेषकर युवा व्यक्तियों को अपंग कर देता है। जिन खाद्य फसलों में एफलाटोक्सिन का संदूषण हो जाता है उनसे एफ्लाटोक्सिन के युक्तिय प्रभाव के फलस्वरूप मनुष्यों को लिवर रोग हो सकता है। मुख्य रूप से ज्वार (सोर्घम बल्गैर), जिसमें अमिनो एसिड-ल्यूसिन की अधिकता होती है, पर आधारित आहारों पर रहने वाले प्राणियों को पेलगुरा हो जाता है। मक्का के खाने वालों को भी पेलगुरा हो जाता है लेकिन यह या तो लूसिन तत्व के अधिकता होने या निकोटिनिक एसिड की कमी के कारण होता होगा।

जर्मन जनवादी गणतंत्र के लिये स्थानीय डाक दरों में कमी

5162. **श्री रा० बरुआ** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मन जनवादी गणतंत्र के लिये स्थानीय डाक दरों में अब कमी कर दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और भारत को इससे क्या लाभ होगा ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) अभी तक जर्मन जनतंत्रवादी गणराज्य को भेजी जाने वाली हमारी पार्सल डाक और पत्र डाक फ्रांस और बेल्जियम से होकर भेजना पड़ती रही है क्योंकि भारत से रोस्टोव तक के लिए सीधे जहाजी सेवा उपलब्ध नहीं थी। हाल ही में हम ने अपनी डाक के लाने-ले जाने के लिए बम्बई से रोस्टोव तक की सीधी जहाजी सेवा का लाभ उठाना शुरू किया है। इससे पार्सल डाक की दरों में कमी हो गई है क्योंकि इस मार्ग से पहले की बनिस्बत खर्च कम पड़ता है। पहले हमें फ्रांस और बेल्जियम को पारिवहन खर्च देना पड़ता था। अब हमें यह खर्च नहीं देना पड़ता।

इस तरह से विभाग को कोई बचत नहीं हुई क्योंकि जो भी कोई बचत हुई उसका लाभ डाक सेवा का इस्तेमाल करने वालों को ही, पार्सल डाक की दरों में कम कर के, दे दिया है। इस समय पार्सल डाकदरों में 10 प्रतिशत की कमी हो गई है।

अलबत्ता फ्रांस और बेल्जियम को पहले जो विदेश मुद्रा की अदायगी हम करते थे, उसकी अब बचत होगी। 1969 के सांख्यकीय आंकड़ों के आधार पर जो हिसाब हमने लगाया है, उसके अनुसार अब हम 9000.00 रुपये की वार्षिक बचत कर सकेंगे।

राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा महाराष्ट्र में राज्य कृषकों को घटिया किस्म के बीज की सप्लाई

5163. **श्री देवराव पाटिल : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1969–70 में राष्ट्रीय बीज निगम तथा अन्य एजेंसियों ने महाराष्ट्र राज्य के किसानों को संकर किस्म की ज्वार के घटिया बीजों की सप्लाई की है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) खराब किस्म की बीजों की सप्लाई करने के लिये जिससे किसानों को हानि हुई कौन व्यक्ति जिम्मेदार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं होते।

दिल्ली चिड़ियाघर के जानवरों के खाद्यमान निश्चित करने संबंधी समिति

5164. **श्री हिम्मतसिंहका : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली चिड़ियाघर के कुछ दुर्लभ जानवर अर्धपोषित हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या कोई ऐसी समिति है जो जानवरों के खाद्यमान निश्चिय करती है और यदि हां, तो इस समिति के सदस्य कौन कौन हैं ; और

(ग) जानवरों को उनकी शारिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, निश्चित स्तर की दैनिक खुराक देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रायल में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां, समिति का गठन इस प्रकार है :–

1. निदेशक, दिल्ली चिड़ियाघर।

2. उप निदेशक, दिल्ली चिड़ियाघर ।

3. पशुचिकित्सा अधिकारी, दिल्ली चिड़ियाघर ।

समिति को समय समय पर पशु निर्दयता निवारण समिति, दिल्ली के कार्यभारी डा० एस० डी० शर्मा, अवैतनिक पशुचिकित्सा सलाहकार, की भी सहायता प्राप्त होती है ।

(ग) अन्तराष्ट्रीय महत्व के चिड़ियाघरों जैसे नेशनल जूआलोजीकल पार्क, वाशिंगटन डी० सी०, विप्सनाडे चिड़ियाघर, लंदन, बर्नी चिड़ियाघर, स्विटजरलेण्ड की खुराक सूची के आधार पर खुराक की मानक सूचि तैयार की गई है तथा भारतीय स्थितियों के अनुसार उनमें संशोधन किया गया है । खुराक में सरसता को बनाये रखने के लिए पशु की आयु, परिस्थिति और मौसमी आवश्यकताओं का ध्यान करते हुए समय समय पर खुराक सूची में तबदीली की जाती है ।

समिति के सदस्य, जानवरों / पक्षियों के रखवालों को उनके अहातों या पक्षीशालाओं में खाना देने से पूर्व, प्रत्येक प्राप्त: खाद्य सामग्री के गुणों और मात्रा की परीक्षा करते हैं । जानवरों को खिलाते समय जांच चिड़ियाघर के रेंजर और मुख्य रखवाले द्वारा की जाती है और उसके ऊपर जांच पार्क के निदेशक और उपनिदेशक द्वारा की जाती है ।

Selection of journalists to write 'Sansad Sameeksha' broadcast by A.I.R.

5165. **Shri S. M. Joshi** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state:

(a) whether any criteria has been laid down for the selection of Journalists for writing the script of 'Sansad Sameeksha' broadcast by All India Radio and the name of the authority who makes such selection;

(b) the names of the Journalists who prepared the scripts of Sansad Sameeksha during the previous year; and

(c) whether the journalists working in the English newspapers are asked to prepare scripts of 'Sameeksha' in Hindi and if so, the basis thereof?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) The main criteria are experience and knowledge of Parliament coverage and procedure, ability to turn out well in time, in a condensed form, the whole day's proceedings in a script suitable for broadcast. The selection is made by the Director of News Services.

(b) A statement is laid on the Table of the House.

(c) By and large, they are journalists of standing working in Hindi newspapers. Occasionally well-known journalists working in English newspapers have also been engaged for the purpose. But all of them have proven ability to express themselves well in Hindi and that is one of the essential criteria followed in selecting journalists for writing these scripts.

Statement

List of script writers for 'Sansad Sameeksha' for 1969

1.	Shri J. P. Chaturvedi	Special Representative, "AJ"
2.	Shri Raghbir Sahay	Editor, Dinman.
3.	Shri Anand Jain	Chief of Bureau, Navabharat Times.
4.	Shri N. K. Trikha	Special Correspondent, Navabharat Times.
5.	Shri L. P. S. Shrivastava	Special Correspondent, Navabharat Times.
6.	Shri C. L. Chandrakar	Special Correspondent, Hindustan.
7.	Shri Upendra Vajpai	Special Correspondent, Hindustan Times.
8.	Shri Yatindra Bhatnagar	Special Correspondent, Hindustan.
9.	Shri K. K. Misra	Special Correspondent, Indian Express.
10.	Shri K. P. Shrivastava	Special Correspondent, PTI.
11.	Shri R. P. Sood	Special Correspondent Samachar Bharati.
12.	Shri Pankaj Sharma	Special Correspondent, Samachar Bharati.
13.	Shri Vinod Gupta	Special Correspondent, Samachar Bharati.
14.	Shri A. P. Gupta	Special Correspondent, Samachar Bharati.

कालकाजी, नई दिल्ली स्थित गोविन्दपुरी ऐक्सटेंनशन नामक कालोनी की भूमि का अधिग्रहण

5166. **श्री हेंमराज** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कालकाजी, नई दिल्ली स्थित गोविन्दपुरी एक्स-टेनशन की भूमि का अधिग्रहण कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो भूमि अधिग्रहण की धारा 4 या अन्य सम्बद्ध अधिनियम के अर्न्गगंत किये गये इस अधिग्रहण की संख्या तथा तिथि क्या है ;

(ग) क्या उस भूमि पर उसके मालिकों के मकान बने हुए थे और सरकार के आदेश द्वारा उन्हें 15 अक्टूबर, 1970 को गिरा दिया गया ;

(घ) यदि हां, तो क्या इन मकानों को गिराने से पूर्व उनके मालिको की कोई बेदखली के नोटीस जारी किये गये थे, अधिग्रहण के लिए उन्हें मुआवजा दिया गया था तथा बिधि सम्बद्ध अन्य कार्यवाही पूरी की गई थी ; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या कारण हैं और सरकार उन्हें कोई अन्य वैकल्पिक भूमि या आवास देने पर विचार कर रही है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) से (ङ) . कालकाजी कालोनी में पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए विस्थापित व्यक्ति, पुनर्व्यवस्थापन (भूमि अर्जन) अधिनियम, 1948, के अधीन, अधिसूचना संख्या, एफ –1 (71) /48 –एल एस जी।

(i) दिनांक 25 मार्च, 1949 तथा एफ 1–(71)/48 एल एस जी।

(ii) दिनांक 5 अगस्त, 1949 द्वारा, सरकार ने लगभग 655 एकड़ भूमि अर्जित की थी। जिस तिथि को अर्जन के नोटिस मालिकों को दिए गये थे, उस तिथि से बिना किसी भार के भूमि सरकार में निहित थी। तथापि, कुछ व्यक्तियों ने सरकार द्वारा अर्जित की गई भूमि के एक भाग पर अनधिकृत ढांचे बना लिए थे जिसे अब उन्होंने गोबिन्दपुरी एक्सटेन्शन कहना शुरू कर दिया है। पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों की बस्ती का विकास पूर्ण करने के लिये कुछ अनधिकृत ढांचे गिरा दिये गये है और जिन्हे बेदखल किया गया है उन्हें झुग्गी झोंपडी योजना के अन्तर्गत वैकल्पित आवास दे दिया गया है।

12नवम्बर, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 659 के उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य

STASEMENT CORRECTING ANSWER TO USQ NO. 659 DT. 12-11-1970

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : 12 नवम्बर, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 659 के उत्तर में सभा पटल पर रखे गए विवरण के अनुसार ग्राम्य निर्माण कार्यक्रम योजनाओं के लिए निम्नलिखित अनुमोदित परिव्यय जो कि चालू वर्ष के दौरान 20 जिलों में क्रियान्वित किए जाने हैं, दिखाए गए हैं :–

राज्य	जिलों के नाम जहां योजनाएं क्रियान्वित की जानी हैं	1970–71 के लिये अनुमोदित परिव्यय (लाख रुपये में)
आन्ध्र प्रदेश	4	249.63
गुजरात	7	329.93
महाराष्ट्र	6	132.26
मैसूर	2	62.18
उत्तर प्रदेश	1	113.20
	20	

उत्तर प्रदेश का परिव्यय भूल से 113.20 लाख रु० दिखाया गया है । इस राज्य का सही परिव्यय 25.00 लाख रुपये पढ़ा जाए ।

अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

रेल के माल डिब्बे पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न होने के कारण पंजाब की मण्डी में चावल के व्यापार में मंदी आ जाने के समाचार

Shri Raghuvir Singh Shastri (Baghpat) : Sir, I call the attention of the Minister of Railways to the following matter of urgent Public Importance and I request that he may make a statement thereon.

Reported depression in the rice marbet in Punjab due to non-availability of railway wagons.

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : पंजाब से चावल का लदान भारतीय खाद्य निगम के लेखे में होता है । इस प्रयोजन के लिए भारतीय खाद्य निगम उत्तर रेलवे को आवधिक कार्यक्रम भेजता है जिसमें इस बात का उल्लेख होता है कि विशेष रूप से ओर टुट-फुट दोनों रूपों में चावल की ढुलाई के लिए कितने माल डिब्बे अपेक्षित हैं । भारतीय खाद्य निगम के लेखे में चावल की ढुलाई के लिए माल डिब्बों की सप्लाई अति उच्च अग्रता, अर्थात् तरजी ही यातायात अनुसूची के मद 'ख' के आधार पर की जाती है ।

रेलें पंजाब से यथासम्भव अधिक से अधिक चावल उठाने का भरसक् प्रयास करती आ-रही हैं । 1 अक्तूबर से 7 दिसम्बर, 1970 तक पंजाब से भारतीय खाद्य निगम के लेखे में केवल बड़ी लाईन के 6204 माल डिब्बों में चावल का लदान किया गया, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में बड़ी लाईन के 5856 माल डिब्बों में चावल का लदान हुआ था । इसी महीने की 8 से 15 तारीख तक लदान में और भी वृद्धि कर दी गयी और पंजाब से प्रतिदिन बड़ी लाइन के 135 माल डिब्बों में चावल लादा गया, जबकि 1 अक्टूबर से 7 दिसम्बर, 1970 तक प्रतिदिन लगभग 91 माल डिब्बों का लदान हुआ था ।

भारतीय खाद्य निगम पंजाब से पश्चिमी बंगाल के गन्तव्य स्टेशनों को चावल की और अधिक ढुलाई का कार्यक्रम बनाता रहा है । उदाहरणार्थ चालू महीने के पहले 10 दिनों में पंजाब से चावल के जो 1291 माल डिब्बे लादे गये, उनमें से 481 माल डिब्बे पश्चिमी बंगाल के गन्तव्य स्टेशनों के लिए थे । इसके अलावा, 15-12-70 को पंजाब में चावल के लिए 1089 माल डिब्बों की जो मांग बकाया थी, उसमें से 412 माल डिब्बे पश्चिमी बंगाल के गन्तव्य स्टेशनों के लिए थे । पंजाब से पश्चिमी बंगाल के गन्तव्य स्टेशनों के लिए चावल की भारी और एकाग्र ढुलाई तथा कलकत्ता क्षेत्र में टर्मिनल स्टेशनों पर लदे हुए माल डिब्बों के शीघ्र खाली न किये जाने और अधिक संख्या में माल डिब्बों के रुके रहने के फलस्वरूप स्थिति बिगड़ गयी है । कलकत्ता क्षेत्र में 13-12-1970 को खाद्यान्न

से लदे 736 माल डिब्बे–चावल के 443 और गेहूं के 293 माल डिब्बे–खाली होने के लिए खड़े थे । इस समय यह भी एक दुर्भाग्य की बात है की कम माल डिब्बों के खाली किये जाने और जूट–कर्मचारियों की हड़ताल के परिणामस्वरूप पूर्व रेलवे पर जूट से लदे हुए बड़ी लाइन के 3000 से अधिक माल डिब्बों का संचलन रूक गया है । माननीय सदस्यों ने जो यह चिन्ता व्यक्त की है कि कमी वाले विभिन्न राज्यों को पंजाब से प्राप्त चावल की ढुलाई शीघ्रता से की जाये, मैं उससे पूर्णतः सहमत हूं । लेकिन माननीय सदस्य मेरे इस विचार से भी सहमत होंगे कि वर्तमान परिस्थितियों में पश्चिम बंगाल के गन्तव्य स्टेशनों को यदि चावल की और ढुलाई की जाती है, तो इससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, बल्कि रुके रहने वाले माल डिब्बों की संख्या में घोर वृद्धि ही होगी । इससे स्थिति और बिगड़ेगी ही । रेलें, पंजाब से चावल की ढुलाई तेजी से कर सकें, इसके लिए मैं अपने सहयोगी खाद्य मंत्री से अनुरोध कर चुका हूं कि वे इस दिशा में निम्नलिखित कार्रवाई करें :–

(i) पंजाब से चावल की ढुलाई में तेजी लाने के लिए, कलकत्ता क्षेत्र में टर्मिनल स्टेशनों पर खाद्यान्न से लदे हुए माल डिब्बों को शिघ्रता से खाली करने के लिए कदम उठाये जायें ।

(ii) पंजाब से चावल की ढुलाई के कार्यक्रम का समायोजन किया जाये ताकि चावल की ढुलाई न केवल पश्चिमी बंगाल के गन्तव्य स्टेशनों को ही की जाये, बल्कि उसकी ढुलाई अन्य राज्यों को भी हो ।

Shri Raghuvir Singh Shastri : On account of non—availability of wagons the farmers of Haryana are facing such difficulty in transporting their rice. Rice worth 8 crores of rupees is rotting in the absence of sufficient wagons. The farmers are not setting payment or their produce, because the mill owners make the payment only when they get the wagons. Unless these circumstances the farmers are not in a position to purchase fertilisers seeds etc. In the light of present situation hon. Minister pointed out two difficulties. First is that most of the rice is going to West Bengal and the wagons there, are not unloaded early. This problem can be solved if Food Corporation does not send more wagons to West Bengal. Perhaps the hon. Minister wrote about this to the Food Minister. I would like to show the result of his correspondance and subsequent discussions.

Shri Nanda : More wagons were given to Haryana and Punjab this year when the production of rice was the same as it was last year. The hon. Minister had asked the solution of the problem. The solution had been found out and now we are not sending rice to West Bengal from Punjab and Haryana but now it is being sent to Bihar and other states.

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : भारत ने सदैव सैनिक संधियों को गम्भीरता से लिया है । वारसा सन्धि के देशों की सेनाओं का उपयोग पोलैण्ड में किया गया है यह कोई साधारण घटना नहीं है . . . . . .

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें बोलने की अनुमति नहीं दी है कृपया वे बैठ जायें ।

डॉ. राम सुभग सिंह (बक्सर) : मिदनापुर जेल में कई बार गोली बारी हुई है और उनमें लगभग एक दर्जन लोग मारे गये हैं और 50 घायल हुए । क्या यह बात सही है ?

Shri Meethalal Meena (Savai Madhopur) : Sir, there was a scheme of installing a refinary in Rajasthan at Savai Modhopur line now it is going to be installed at Fridabad in Haryana. Sawai Madhopur is an ideal place for installing a refinary from every point of view. This latest decision has created an atmosphere of tension and discontentment in the area and complete strike has been observed in Sawai Modhopur against this step of the Government.

श्री देवकीनन्द पाटोदिया (जालोर) : तेल शोधक कारखाना सवाई माधोपुर में स्थापित करने के पक्ष में समिति की सिफारिश के बावजूद भी उसे हरियाणा में स्थापित करने का फैसला करना राजस्थान के साथ अन्याय करना है। कृपया सरकार इस का स्पष्टीकरण करे ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : I would like to know from the Minister of Information and Broadcasting the reason for giving wrong news by the A.I.R. about the strike of Punjab Government employees in Patyala. In the news it was said that the strike was a failure, but I have seen with my own eyes that there was a complete strike there. The Punjab Government employees are demanding allowances of Central Government employees. I would like to know whether the Central Government if ready to help the Punjab Government in this respect..

अध्यक्ष महोदय : मुझे इसकी पूर्व सूचना मिलनी चाहिए कि माननीय सदस्य क्या पूछना चाहते हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : मैंने नियम 377 के अन्तर्गत सूचना दी थी...

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें नियम 377 के अन्तर्गत कोई लोक महत्व का विषय उठाने की अनुमति नहीं देता ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : बारासाट के हत्याकाण्ड को हुए लगभग एक महीना हो गया है उस सम्बन्ध में कोई परिणाम नहीं निकला है । लोगों को सन्देह है कि इस हत्याकाण्ड में पुलिस का हाथ है इसलिए उनका बचाव किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : जिन सदस्यों ने पूर्व सूचना नहीं दी है उन्हें मैं अनुमति नहीं दे सकता। श्री बसु मेरे पास आये थे पर मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि वे नियम 377 के अन्तर्गत मामला उठाएंगे ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने दो दिन पहले सूचना दी थी। कृपया अपने सचिवालय से ज्ञात करें यह एक महत्वपूर्ण मामला है।

श्री स०मो०बनर्जी (कानपुर) : मुझे तीन बातें कहनी हैं। मैं चाहता हूँ कि सरकार एयर इंडिया की हड़ताल, नरेशों की निजी थैलियों और कानपुर में जे.के. द्वारा तालाबन्दी करने के सम्बन्ध में वक्तव्य दे।

अध्यक्ष महोदय : केवल वही विषय इस समय उठाए जायें जिनके सम्बन्ध में उन्होंने पूर्व सूचना दी है।

श्री स०मो० बनर्जी : मैं इस सम्बन्ध में आपको पहले ही लिख चुका हूँ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Yesterday I draw your attention towards the three judgements of Andhra Pradesh High Court, in which it had passed strictures against four ministers of the state.

अध्यक्ष महोदय : यह उच्च न्यायालय और मंत्रियों के बीच का मामला है।

Shri Madhu Limaye : You please first listen to we and then take a decision.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : पहले भी ऐसे मामले यहां आये हैं।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : आन्ध्र प्रदेश के मंत्रियों पर लगाए गये आरोपों के सम्बन्ध में राष्ट्रपति के सम्मुख याचिका पेश की गई थी उसका क्या हुआ। गृह मंत्री को राष्ट्रपति ने उसे भेजा होगा।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने मुझे लिखा है। मैंने उस पर विचार किया है। मैं असहमत हूँ कि वह हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं है।

Shri Madhu Limaye : I would like to bring the precedence in your kind knowledge.

Shri M. A. Khan (Kasganj) : I want your ruling on this that whether state matters can be raised in this House.

अध्यक्ष महोदय : यदि मैं ऐसे मामलों की अनुमति दूं तो फिर इसका कोई अन्त ही न हो। राज्यों के मामले नहीं उठाए जा सकते। मुझे वह पूर्वोदाहरण मालूम है जिसे वे बताना चाहते हैं। और फिर यह मामला राज्य का है और राज्य विधान सभा इन पर चर्चा कर सकती है।

Shri Madhu Limaye : I myself do not like that Governor or President should interfere in the affairs of states ministers. But who appointed Das Commission against Shri Kairon.

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : इस सम्बन्ध में न्यायालय का फैसला ही नहीं हुआ है वरन् राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भी दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : यह सब कब तक चलेगा।

Shri Mabhu Limaye : I want that Government should appoint an enquiry Commission on this also, as it was appointed in the case Shri Kairon.

Shri Atal Bihari Vajpayee : I support the demand of enquiry Commission.

श्री रणधीर सिंह : यह राज्य का मामला है। यह यहाँ नहीं उठाया जाना चाहिए क्योंकि सम्बन्धित व्यक्ति अपना बचाव करने को यहाँ उपस्थित नहीं है।

श्री हेम बरूआ : उच्च न्यायालय के एक फैसले में इसे असंवैधानिक बताया गया हैं । वहाँ की कानून और व्यवस्था का प्रश्न संसद अथवा केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : इसके अतिरिक्त यह राज्य का विषय है ।

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : राज्य के मामले को यहाँ पर और सम्बद्ध व्यक्ति की बात सुने बिना समाप्त नहीं किया जा सकता ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : क्योंकि इससे संविधान का उल्लंघन होता है इसलिए इस मामले पर इस सदन में चर्चा होनी चाहिए और इस सम्पूर्ण मामले की जांच करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति की जानी चाहिए ।

डा० राम सुभग सिंह (बक्सर) : कानपुर मील के मजदूरों की कठिनाई के बारे में बताया गया है । उनकी सहायता की जानी चाहिए (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप सब अपने अपने स्थानों पर बैठ जायें । जब सब एक साथ बोलते हैं तो मैं किसी की बात नही सुन सकता । एक माननीय सदस्य ने दो मिनट का समय मांगना चाहा था । उसने अपना सुझाव दे दिया है ।

Shri Ramkishan Gupta (Hissar) : The Punjab High Court has passed similar strictures against Government of Haryana and its ministers. An enquiry should be conducted into this matter.

श्री कालीनाथ पाण्डेय (पदरौना) : कल छः बजे चीनी की वर्तमान स्थिति के बारे में चर्चा आरम्भ हुई थी। कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट भी किए थे परन्तु दुर्भाग्यवश उस समय समाचार पत्रों में कुछ सम्वाददाता चले गये थे और इस पर कुछ माननीय सदस्यों में रोष उत्पन्न हो गया जिस के फलस्वरूप सदन में तनाव पूर्ण चर्चा होने लगी थी उस समय पीठासीन सभापति महोदय श्री क०ना० तिवारी जी ने सदन में अत्याधिक शोर होने के कारण सभा की कार्यवाही स्थगित कर दी थी । इसलिये मंत्री महोदय अपना उत्तर नहीं दे सके थे अतः मेरा अनुरोध है कि मंत्री महोदय को वाद विवाद का उत्तर देने की अनुमति दी जाए ।

Shri Kanwarlal Gupta (Delhi Sadar) : Sir, that day Education Minister, Shri Bhakta Darshan had stated that Government would bring forward a Delhi Education Bill in regard to the pay scales of Delhi Teachers. Sir, the hon. minister has not fulfilled his promise. I request him through you that Bill should at least beintroduced in the House.

Secondly the Naxalites have made a very dangerous plan of murdering some people in Delhi. I request you to admit a calling attention motion in this regard.

Shri Shivchandra Jha (Madhubani) : Sir the mother tongue of most of the people in Bihar is Maithili language and we have been constantly demanding to include this language in the Eighth Schedule of the Constitution. In this connection a Bill has also been introduced in the House. I request that Government should accord recognisation to this language.

अध्यक्ष महोदय : कल मायं यहां जो कुछ हुआ उससे मुझे अत्यन्त खेद है । केवल पत्रकारों को देखकर ही हम अपना कार्यक्रम नहीं बना सकते । हमें अपना कार्यक्रम इन सब मामलों से स्वतंत्र रखना है । यह संसद है। बड़े दुख की बात है कि एक सदस्य के इस बात पर आपत्ति उठाने के कारण कि पत्रकार उपस्थित नहीं हैं सभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई ।

श्री रणधीर सिंह : हम तो आकाशवाणी के बारे में चर्चा कर रहे थे नाकि पत्रकार गैलरी के बारे में । आकाशवाणी के लोगो का यहां होना अनिवार्य है । (**व्यवधान**)

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : यह अत्यन्त हास्यास्पद बात है कि पत्रकारों के गैलरी में अनुपस्थित होने के कारण संसद अपनी कार्यवाही बन्द कर दे ।

अध्यक्ष महोदय : इस बात पर तो मुझे आश्चर्य है ।

Shri Randhir Singh : Sir, I am a supporter of the full independence of the Press. The discussion regarding problems of the farmers should be taken up during day time and not at the last moment of the sitting so that it can get full publicity in the press and in the All India Radio ....(interruption). I did not say anything against press. I said about All India Radio and now I stick to that.

श्री चेंगलराया नायडू (चित्तूर) : मैं भी आपकी इस बात से पूर्ण रूपेण सहमत हूं कि जब हम यहाँ बातचीत करते हैं तो पत्रकारों की कोई आवश्यकता नहीं है । परन्तु क्या आप कम से कम आज इन पत्रकारों की यहां से छुट्टी करा सकते हैं ? आज आप इनकी यहां आवश्यकता क्यों समझते हैं ?

श्रीमती सुशीला गोपालन (अम्बलपुजा) : बंगलौर और मद्रास में रिजर्व बैंक में हड़ताल है । समाचार पत्रों में समाचार थे कि पुलिस ने कर्मचारियों को मारा पीटा है। मंत्री महोदय इस घटना के बारे में वक्तव्य दें और यह भी बताये कि हड़ताल समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

दूसरे केरल सरकार ने केरल में बागानों को अपने हाथों मे लेने के लिए केन्द्रीय सरकार को लिखा है । हम जानना चाहते है कि इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या राय है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मुझे बडा आश्चर्य है कि आप प्रतिदिन इसी तरह करते हैं। इस सदन के माननीय सदस्यों पर आप कुछ तो दया करो ।

Shri Sheo Naain (Basti) : Sir, the Central Government has refused to give one hundred crores of rupees to S.V.D. Government of Uttar Pradesh. This amount should be made available to us.

डा० राम सुभग सिंह : इण्डियन एअर लाइन्स में हो रही हड़ताल को समाप्त कराया जाना चाहिए ।

Shai Ramavatar Shastri (Patna) : Sir, the unconcluded discussion regarding the price of sugar-cane and position of sugar should be concluded today and other remaining members should also be given a chance to speak and after that thehon. Minister should give reply to the debate, because this is an important matter.

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

नौसेना (पेंशन) तीसरा संशोधित विनियम, 1970

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रतिरक्षा उत्पादन) (श्री प्रकाशचंद्र सेठी) : मैं श्री जगजीवनरामजी की ओर से नौसेना अधिनियम, 1957 की धारा 185 के अन्तर्गत, नौसेना (पेंशन) तीसरा संशोधन विनियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 28 नवम्बर, 1970 में अधिसूचना संख्या एस०आर०ओ० 461 में प्रकाशित हुए थे, सभा पटल पर रखता हूं। [**ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी०—4594/70.**]

समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार का वार्षिक प्रतिवेदन

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग के राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : मैं श्री सत्यनारायण सिंहजी की ओर से भारत में समाचार पत्रों के सम्बन्ध में भारत सरकार के समाचार-पत्रों के रजिस्ट्रार के वर्ष 1970 के वार्षिक प्रतिवेदन (भाग—1) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। [**ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी०—4595/70**]

भारतीय तेल निगम लिमिटेड, बम्बई के कार्य की समीक्षा और उसका वर्ष 1969—70 का वार्षिक प्रतिवेदन

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा०रा० चव्हाण): मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619—क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभापटल पर रखता हूं :—

(एक) भारतीय तेल निगम लिमिटेड, बम्बई, के वर्ष 1969-70 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय तेल निगम लिमिटेड, बम्बई, का वर्ष 1969-70 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

[**ग्रन्थालय में रखी गईं। देखिये संख्या एल०टी०—4596/70.**]

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) 1970

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० आर० गणश) : मैं श्री विद्याचरण शुक्लजी की ओर से संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) 1970—

भाग 8—तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कार्य का विशद मूल्यांकन;

भाग 9—भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के कार्य का विशद मूल्यांकन;

भाग 10—मदवार अनियमिततायें तथा कम्पनी लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन का सारांश

की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। [**ग्रंथालय में रखीगई। देखिये संख्या एल०टी० 4597/70.**]

अतारांकित प्रश्न संख्या 2086 के 24 नवम्बर, 1970 को दिए गए उत्तर को शुद्ध करने वाला विवरण

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय के उपमंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : मैं मध्य प्रदेश से लायसेन्सों के लिये आये आवेदनों के बारे में श्री गंगाचरण दीक्षित के अतारांकित प्रश्न संख्या 2086 के 24 नवम्बर, 1970 को दिये गये उतर को शुद्ध करने के लिये एक विवरण की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। [**ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी०—4598/70.**]

याचिका समिति
COMMITTEE ON PETITIONS

कार्यवाही सारांश

श्री श्रद्धाकर सूपकार (सम्बलपुर) : मैं याचिका समिति की 67वीं से 75वीं बैठकों के कार्यवाही सारांश सभा पटल पर रखता हूं।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

कार्यवाही सारांश

श्री बसुमतारी (कोकराझार) : मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति की वर्ष 1970 के दौरान हुई 21वीं से 33वीं और 35वीं से 39वीं बैठकों की कार्यवाही सारांश सभा पटल पर रखता हूं।

राज्य सभा से सन्देश
MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मैं राज्यसभा के सचिव महोदय से प्राप्त निम्नलिखित सन्देशों की सूचना सभा को देता हूं :—

(एक) कि राज्य सभा ने 15 दिसम्बर, 1970 को हुई अपनी बैठक में दंड प्रक्रिया संहिता विधेयक, 1970 दोनों सभाओं की 45 सदस्यों की एक संयुक्त समिति को, जिसमें राज्य-सभा के 15 सदस्य, अर्थात् :—

(1) श्री अकबर अली खान
(2) श्री जी० आर० पाटिल

(3) श्री सिनम कृष्ण मोहनसिंह

(4) श्री सैयद हुसेन

(5) श्री रतनलाल जैन

(6) श्री के० पी० मल्लिकार्जुनुडु

(7) श्री सुरेश जे० देसाई

(8) श्री श्यामलाल यादव

(9) डा० बी० एन० अन्तनी

(10) श्री मुल्क गोविन्द रेड्डी

(11) श्री सूरज प्रसाद

(12) श्री हमीद अली सचमनाद

(13) श्री ए० डी० मणि

(14) श्री एम० पी० शुक्ल

(15) श्री राम निवास मिर्धा

और लोक-सभा के 30 सदस्य होंगे, सौंपने का प्रस्ताव किया है तथा सिफारिश की है कि लोक-सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हों और लोक-सभा द्वारा उक्त संयुक्त समिति में नियुक्त किये गये सदस्यों के नाम उस सभा को बतायें।

(दो) कि 10 दिसम्बर, 1970 को लोक-सभा द्वारा पास किये गये विनियोग (रेलवे) संख्या 4 विधेयक, 1970 के सम्बन्ध में राज्य-सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(तीन) कि 10 दिसम्बर, 1970 को लोक-सभा द्वारा पास किये गये विनियोग (रेलवे) संख्या 5 विधेयक, 1970 के सम्बन्ध में राज्य-सभा को लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

सदस्य की गिरफ्तारी
ARREST OF MEMBER
(श्री हुकमचन्द कछवाय)

श्री अध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष महोदय मुझे पुलिस थाना नागदा, मध्यप्रदेश, के स्टेशन हाउस अधिकारी से प्राप्त दिनांक 16 दिसम्बर, 1970 के एक तार के बारे में सभा को यह सूचना देनी है कि लोक-सभा के सदस्य श्री हुकमचन्द कछवाय को निषेधाज्ञा आदेश का उल्लंघन करने पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 और 151 के अधीन 16, दिसम्बर, 1970 को 19·30 बजे नागदा में गिरफ्तार किया गया और उन्हें न्यायिक हिरासत में रखा गया।

बाहरी व्यक्तियों पर लगाये गये आरोपों की जांच करने के लिए प्रक्रिया

PROCEDURE FOR DEALING WITH ALLEGATIONS AGAINST OUTSIDERS

अध्यक्ष महोदय : श्री शशिभूषण द्वारा 27 नवम्बर, 1970 को सभा में कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप लगाये गये थे। इस सम्बन्ध में मेरा विचार है कि नागरिकों अथवा सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को निपटाने के लिये कुछ ऐसी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिये जिसके अन्तर्गत उन व्यक्तियों की रक्षा हो सके। संविधान के अनुच्छेद 105 के अन्तर्गत सदस्यों को अपनी बात कहने की पूरी स्वतन्त्रता है तथा सभा में उनके द्वारा कही गई किसी बात के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। इस विशेषाधिकार के दुरूपयोग का नियंत्रण करने के लिये कुछ अन्य संवैधानिक व्यवस्था भी है, तथा सदन ही इस बात का निर्णय कर सकता है कि यह विशेषाधिकार कहां तक दिये जा सकते हैं। प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों के नियम 353 में कहा गया है कि किसी सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध मानहानिकारक अथवा अपराधारोपक स्वरूप का आरोप नहीं लगाया जायेगा जब तक कि सदस्य ने अध्यक्ष को तथा सम्बन्धित मंत्री को भी पूर्व सूचना न दे दी हो जिससे कि मंत्री उत्तर के प्रयोजन के लिए विषय की जांच कर सके।

यह भी व्यवस्था है कि यदि अध्यक्ष किसी आरोप को सभा की प्रतिष्ठा के प्रतिकूल पाता है तो वह सदस्य को ऐसा आरोप लगाने से रोक सकता है।

इस नियम पर विचार करते समय नियम समिति ने 22 दिसम्बर, 1953 को साथ ही यह टिप्पणी दी थी कि सभा में किसी व्यक्ति के चरित्र तथा आचरण की निन्दा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसे उसके विरुद्ध कुछ कहने का अधिकार नहीं है। जनता के सम्मान की रक्षा करने के लिए यह आवश्यक है कि सदस्य स्वयं संयम से काम लें। अब केवल अत्यन्त आवश्यक मामलों में ही, जहाँ कि जनहित का प्रश्न हो, आरोप लगाया जाये। ऐसे मामलों में भी सम्बद्ध मन्त्री महोदय को मामले की जांच पड़ताल करने के लिए उचित अवसर दिया जाना आवश्यक है।

इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय को भी पूर्व सूचना मिलनी चाहिए।

15 फरवरी, 1968 को श्री उमानाथ ने श्री राम कृष्ण बजाज नामक एक व्यक्ति के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया था। उस समय सभा का मत था कि व्यक्ति विशेष को यह अधिकार दिया जाना चाहिए कि वह अध्यक्ष महोदय को पत्र के द्वारा अथवा प्रेस के माध्यम से अपनी स्थिति स्पष्ट कर दे। अध्यक्ष महोदय उसके अभ्यावेदन को याचिका समिति को जांच के लिये सौप दें।

वर्ष 1963 में भी ऐसे दो व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप लगाये गये थे तथा अध्यक्ष महोदय ने उनके अभ्यावेदनों को याचिका समिति को विचार के लिये भेज दिया था और इस मामले की सदन को भी सूचना दे दी गई थी।

वह व्यक्ति सम्बद्ध मंत्री महोदय से भी अपनी स्थिति स्पष्ट कराने के लिये प्रार्थना कर सकता है तथा मंत्री महोदय जांच के पश्चात् सभा में वक्तव्य दे सकते हैं।

सामान्यत: सभा की कार्यवाही से सम्बन्धित पत्रों, अभ्यावेदनों, याचिकाओं आदि को याचिका के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता किन्तु यदि जिन मामलों में उचित साक्ष्य या दस्तावेज दिये जायें और अध्यक्ष महोदय उनसे सन्तुष्ट हों तो वह उनको सरकार के पास उचित जांच करने के लिये भेज सकता है या उन्हें याचिका समिति के विचारार्थ भेजने को कह सकता है।

सरकारी अधिकारियों की स्थिति भिन्न है क्योंकि वे अपने विरुद्ध लगाये गये आरोपों का खण्डन करने के लिये प्रेस या संसद की सीधे सहायता नहीं ले सकता है। अत: ऐसे सरकारी अधिकारी को सम्बद्ध मंत्री के द्वारा अपनी स्थिति स्पष्ट कराने का अधिकार है तथा यदि मंत्री उचित समझे तो सदन में अध्यक्ष की पूर्व अनुमति लेकर सदन में वक्तव्य दे सकता है।

संक्षेप में उन आरोपों का निपटारा करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जायेगी:—

(एक) किसी भी सदस्य को अध्यक्ष तथा सम्बद्ध मंत्री को मामले की पूर्व सूचना देकर अध्यक्ष की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना किसी भी बाहरी व्यक्ति पर आरोप लगाने की अनुमति नहीं दी जायेगी। इस सूचना में सम्बद्ध व्यक्ति का नाम, उसके विरुद्ध आरोप तथा कुछ ऐसे साक्ष्य देने होंगे जिससे प्रथम दृष्टया यह सिद्ध हो कि वह इस प्रकार का मामला है।

(दो) जब कोई सदस्य सदन में किसी गैर सदस्य के विरुद्ध अध्यक्ष की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना कोई आरोप लगायेगा तो उसे सभा की कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(तीन) सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध लगाये गये मामलों में यह सम्बद्ध मन्त्री की इच्छा पर निर्भर होगा कि वह सभा में वक्तव्य दे।

(चार) जब कोई गैर-सदस्य अभ्यावेदन के साथ पुष्टि में साक्ष्य प्रस्तुत करेगा तो अध्यक्ष अपने स्वविवेक से उस मामले को सरकार अथवा याचिका समिति के पास जांच करने और प्रतिवेदन देने के लिए भेज सकता है।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Sir, with your permission I want to make a submission. We are bound by the ruling given by you but it would have been better if you had discussed the matter with the leaders of the opposition before giving the ruling her. You have not made it clear as to the time by which notice should be given in advance suppose we recieve an information while on our way to the house about a matter which is being discussed but. .. ..

Shri Kamal Nayan Bajaj : Sir I want a clarification.....

अध्यक्ष महोदय : मैंने केवल उन्हीं नियमों को दुहराया है जिनका सदन में अनुकरण होता आया है । मैंने स्थिति बहुत स्पष्ट कर दी है । (**व्यवधान**) मैं किसी माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं दूंगा । किसी भी सदस्य की बात को कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जाएगा । (**व्यवधान**) ××

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM THE SITTING OF THE HOUSE

16 वां प्रतिवेदन

श्री गु० च० नायक : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति का 16वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTS AND SCHEDULED TRIBES

14 वां प्रतिवेदन

श्री बसुमतारी : मैं शिक्षा तथा युवक सेवा, स्वास्थ्य परिवार नियोजन, निर्माण आवास तथा नगरीय विकास एवं श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों छात्रों के लिये शिक्षा संस्थाओं (तकनीकी तथा गैर तकनीकी) में दाखिले की सुविधाओं के संबंध में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का 14 वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं ।

हावड़ा-अमता और हावड़ा-शियाखाला लाइट रेलवे कम्पनियों के बारे में याचिका

PETITION RE : HAWRA-AMTA AND HAWRA-SHEAKHALA LIGHT RAILWAY COMPANIES

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : मैं हावड़ा–अमता और हावड़ा–शियाखाला लाइट रेलवे कम्पनियों के बारे में श्री पतित पावन पाठक तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूँ ।

**कार्यवाही–वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।
xx Not Recorded.

अध्यक्ष महोदय : अब हम राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध तथा प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम 1970 में संशोधन करने के बारे में रखे गए प्रस्ताव पर विचार करेंगे ।

कुछ माननीय सदस्य : आपको विभिन्न दलों के नेताओं की बैठक बुलानी चाहिए.. (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैंने केवल उसी को दोहराया है जिसकी व्यवस्था पहले से कर दी गई है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह सदस्यों के अधिकारों का अतिक्रमण है । क्या आप इस मामले पर विचार करने के लिए विभिन्न दलों के नेताओं की बैठक बुलायेंगे ।

अध्यक्ष महोदय मैं नहीं समझता इसमें कुछ नई बात है । सदन में सदा ऐसा होता आया है और इस विषय में पहले ही नियम बना हुआ है । (**व्यवधान**)

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : मेरा अनुरोध यह है कि क्योंकि आपके विनिर्णय से कुछ गलत फहमी पैदा हो गई हैं अतः आप विरोधी दल के नेताओं तथा सरकारी पक्ष के लोगों की बैठक बुलाकर इस निर्णय के प्रभावों के बारे में विचार कर लें ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं इसका समर्थन करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : ऐसी व्यवस्था नियमों में पहले ही विद्यमान है ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : संभव है नियमों में ऐसी व्यवस्था हो तथा आपने उसे दोहराया है किन्तु इससे यह धारणा हो गई है कि यह सदस्यों के आरोप तथा अभियोग लगाने के अधिकार को सीमित करता है । अतः यह अत्यावश्यक है कि आप नेताओं की एक बैठक बुलाएं तथा इस विषय पर चर्चा करें ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही नियम उद्धृत कर दिया है । यह नियम 353 है और जो कुछ मैंने कहा है उसमें कुछ नया नहीं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आपको इस प्रकार से निर्णय नहीं लेना चाहिए । आपको नेताओं की एक बैठक बुलानी चाहिए तथा इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए ।

श्री रणधीर सिंह : अध्यक्ष महोदय को पूरा सम्मान देते हुए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम इस विनिर्णय से सहमत नहीं हैं । यह हमारे मूल अधिकारों का अतिक्रमण है ।

श्री बलराज मधोक : मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप सदन की मर्यादा को बनाए रखें । आपने उन सदस्यों को तो अनुमति नहीं दी जो नियमों का अनुसरण कर रहे हैं किन्तु

उनको अनुमति दे रहे है जो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। श्री कमल नयन बजाज कुछ निवेदन करना चाहते हैं किन्तु आपने उन्हें अनुमति नहीं दी। यह उचित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैं फिर से एक बार स्पष्ट करना चाहता हूं यह नियम पहले से विद्यमान है।

श्री टी० ना० मुकर्जी : कोई भी आपके विनिर्णय को चुनौती नहीं दे रहा है किन्तु ऐसा लगता है कि इस मामले पर सदस्यों में आपस में बहुत मतभेद हैं। . . . . .

अध्यक्ष महोदय : यह मात्र उसकी पुनरावृत्ति है जो पहले से विद्यमान है। मैंने पहले ही नियमों सम्बन्धी प्रक्रिया का उल्लेख कर दिया है। मुझे खेद है कि मैं इस पर और चर्चा की अनुमति नहीं दे सकता। सभा अब मध्याह्न भोजन के लिये स्थगित होगी।

Shri Kunwar Lal Gupta : Sir, yours is a new ruling. It is therefore proper that you should discuss the matter with the leaders of all the parties to save embarrasment to your self and also to meet the wishes of the House.

अध्यक्ष महोदय : सभी दलों के नेता यदि चाहें तो मुझे किसी समय भी मिल सकते हैं और इस सम्बन्ध में जो कुछ कहना चाहते हैं मुझे बता सकते हैं। मैं उनके विचारों का आदर करूंगा तथा मैं उनको समिति के समक्ष प्रस्तुत करने को भी तैयार हूं किन्तु जैसा कि आपने कहा है यह नियमों में की गई व्यवस्था की मात्र पुनरावृत्ति है। (**व्यवधान**)

इसके पश्चात लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Forteen of the Clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोकसभा दो बजे म० प० पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha reassembled after Lunch at Fourteen of the Clock.

[श्री क0 न० तिवारी पीठासीन हुए]
[Shri K. N. Tiwari *in the Chair*]

Mr. Chairman : I was not here when the house adjourned for lunch. I was said by some members that the house was adjourned because press reporters were not present. I did not adjourn the house for this reason. There was a demand for extending the time by half an hour and which was acceded to also but thereafter there was such a noise and interruptions that I had to adjourn the house. After all the chairs has not got unlimited powers it is also bound by the rules.

Shri Randhir Singh : Sir, we should be given the time that was lost due to the adjournment of house.

Shri Madhu Limye : Mr. Chairman, sir you have rightly said that the House should act according to rules. We are also bound by the rules. I do not violate the rules and it also not challenging the ruling given by the chair but I wish to make a submission,

occasionaly charges are levelled in the house against outsiders and many are left guessing if we are so irresponsible that we keep indulging in accusing outsiders without any guarantee of protection tothem. As far to day's ruling, would I request the hon. speaker to reconsider if this ruling does not after the existing rules. Please refer to rule number 353.

"No allegation of a defamatory or incrimatory nature shall be made by a member against any person unless the member has given previous intimation to the speaker and also to the Minister concerned so that the Minister may be able to make an investigation into the matters for the purpose of a reply."

The rule no where says that sanction has got to be obtained before any accusation is made. All that it says is that the speaker should have prior intimation so that the charges which do not require any investigation may be readily answered by the hon. minister".

As you were not in the house at 1 O'clock I request you to refer to proviso.

"Provided that the speaker may at any time prohibit any member from making any such allegation if he is of opinion that such allegation is deragatory to the dignity of the House or not public interest is served by making such allegation."

"Such allegation" means deganatory or incrimatory but if the Hon. Speaker thinks it is not in the public tnterest he can prohibit the member. Provisions are there to expunge the undesired statement of the hon. member if he defies the orders of the hon. Speaker. Therefore it must be referred to the Rules Committee because in that case we can get an apportunity to discuss on the report received from that Committee. It is our humble request that our feelings should be conveyed to the hon. speaker.

Shri Atal Bihari Vajpayee : It is quite clear that the ruling of the speaker has created dissatisfaction amongst the members. There are some implications of it. As you have just said that we are bound by rules and we have to obey them but it seems that the hon. speaker has not just reiterated the old rule, but has formed a new rule according to which the approval of the speaker becomes necessary before making any allegation or accusation. I personally feel if such approval will be made compulsory it will cause unnecessary delay.

I request you sir that our feelings should be conveyed to the hon. speaker. He should refer the entire matter to the rules Committee so that the committee could consider over it. I also request that unless the rules committee consider this matter and unless the hon. speaker discuss on this matter with the leaders of all opposition parties. This ruling should not be implemented

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : अध्यक्ष महोदय के विनिर्णय का मैं सम्मान करता हूं। इस विषय में अंतत: जो भी उनका विनिर्णय होगा हम उसका पालन करेंगे। इस सदन में कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं। पूरे राष्ट्र ने कई बार ऐसी घटनाओं की आलोचना की है। मैं अध्यक्ष महोदय के विनिर्णय के पिछे छिपी भावना से सहमत हूं किन्तु इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि श्री मधु लिमये तथा श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जो कुछ कहा है वह बिल्कुल ठीक है। ऐसा कहना कि अध्यक्ष महोदय का विनिर्णय नियम 353 और अनुच्छेद 150 की मात्र पुनरावृत्ति है मामले को अति सरल बनाना है—मैं कानून की भाषा में बोल रहा हूं। श्री मधु लिमये ने नियम 353 का उल्लेख किया है। मैं इसकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। इसमें कुछ उन परिस्थियों का उल्लेख

किया गया है, जिनमें कोई सदस्य किसी प्रकार की मानहानि तथा दोषारोपण सम्बन्धी वक्तव्य नहीं दे सकता ।

Mr. Chairman : Are we discussing the ruling of the hon. speaker ?

Shri N. K. P. Salve : No. We are just saying that the ruling is not fair according to rule 353 and 105.

Mr. Chairman : So far as I have understood what he has said should be conveyed to the hon. speaker. It is on record.

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : मैं यह कहना चाहता हूं कि परन्तुक (Proviso) के अन्तर्गत अध्यक्ष महोदय किसी वक्ता को, अग्रीम सूचना दिये जाने पर भी दोषारोपण और मानहानि संबंधी वक्तव्य देने से रोक सकते हैं किन्तु अध्यक्ष महोदय ने आज यह कहा है कि यदि बिल्कुल कोई सूचना नहीं दी जाएगी जो कुछ भी कहा जाएगा उसे कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया जाएगा । नियम 353 में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है । यह एक नया ही नियम है ।

Mr. Chairman : How can you discuss the ruling of the speaker here. Yesterday I had to adjourn the house because of th is noise. You should follow the rules. Is it the way to run the house. Now whatever you will say will not go on records.

श्री स० कुण्दू : मैंने जो कुछ कहा है वह अध्यक्ष महोदय के विनिर्णय की आलोचना के लिए नहीं कहा है । यह हमारा निवेदन हैं । नियम 353 तथा संविधान के अन्तर्गत कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं, अर्थात जो कुछ भी सदन में कहा जायगा कुछ कारणों से उसे चुनौती नहीं दी जायेगी । यदी यह संरक्षण न होता तो कई मामले ..... (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : आप इसकी चर्चा अध्यक्ष महोदय से कर सकते हैं ।

श्री स० कुण्दू : मैं आपके ध्यान में एक बात लाना चाहता हूं ऐसा कोई भी नियम नहीं बनाया जा सकता जो संविधान के विरूद्ध हो । यह एक नया मामला है जिसे किसी ने नहीं उठाया । आशा है मैं आपको आश्वस्त करने में समर्थ हुआ हूं । आज अध्यक्ष महोदय ने जो विनिर्णय दिया है उसमें दो नई बाते हैं एक तो यह कि.....

सभापति महोदय : आप फिर से चुनौती दे रहे हैं ?

श्री स० कुण्दू : आप मुझे समझने की कोशिश करिए मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं ।

सभापति महोदय : मैंने पहले ही कहा है कि मैं यह सारी बातें अध्यक्ष महोदय तक पहुंचा दूंगा । ..... (**व्यवधान**)

श्री स० कुण्दू (बालासौर) : मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप यह कृपया अध्यक्ष महोदय तक पहुंचा दीजिए ..... (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : यह बात अध्यक्ष महोदय तक पहुंचा दी जायगी। मैं उन्हें यह सुझाव दूंगा कि वह विभिन्न दलों के नेताओं कि एक बैठक बुला लें। . . . . . (**व्यवधान**) क्या सदन के कार्य को चलाने का यह तरीका हैं ? मैं कोई भी बात रिकार्ड में जाने न दूंगा। . . . . . (**व्यवधान**)**

अब सदन में राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध तथा प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम के बारे में चर्चा होगी।

श्री क० लकप्पा (तुमकुर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : अब राष्ट्रीयकृत बैंकों के संबन्ध में चर्चा होगी। अगर आपको इससे कुछ एतराज है, तो व्यवस्था का प्रश्न उठाइये . . . . . (**व्यवधान**)**

सभापति महोदय : कोई भी बात कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं की जायगी। . . . . . (**व्यवधान**) **

श्री स० मो०बनर्जी (कानपुर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। हम अब राष्ट्रीयकृत बैंक (सम्बन्ध तथा प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम पर जो वित्तमंत्री द्वारा बनाया गया है, चर्चा कर रहे हैं। चर्चा के दौरान हमें कुछ भ्रष्टाचारियों का तथा कुछ व्यापारियों का जो पहले इन बैंकों का काम चला रहे थे, नाम लेना चाहता हूं। मगर माननीय अध्यक्ष को व्यवस्था के आधार पर ऐसा करना असंभव है।

श्री शिवचन्द्र झा (मधुबनी) : **

श्री क० लाकप्पा : **

श्री नारायण राव (बौंब्बिली) : **

श्री क० लकप्पा : **

श्री स० मो० बनर्जी : अतः मैं चाहता हूं कि आप व्यवस्था दें ताकि हम उन भ्रष्टाचारी व्यक्तियों का नाम ले सकें।

Mr. Chairman : It does not require a ruling. This is not a point of order.

Shri Shiva Chandra Jha : I rise on a point of order under Rule 340. I seek to move "That the debate before the house be adjourned."

We may have to mention the names of corrupted officers while holding discussion. We have absolute freedom here in the house, like any other Parliament in the world, to speak on any subject. Therefore, I would submit that in view of the ruling given by hon. speaker, a meeting of the leaders of the various parties be convened and this matter should be discussed therein. I want that before adjorning the debate, you may kindly make it clear as to what extent we can speak in the House.

**कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया गया।

**Not recorded.

My second point of order is that.....

Mr. Chairman : There cannot be two point of orders at a time. I have already replied to both the points. So far as the first point is concerned, I would convey the sentiments of Shri Vajpayee, Shri Madhu Limaye and shri Salve to the Speaker. He will think over it.

As far as the point regarding mentioning of certain names is concerned, I would say that the prescribed rules or the concerned ruling of the speaker will be followed.

Shri Shiva Chandra Jha : Therefore, I said that the House should be adjourned....(*Interruptions*)

सभापति महोदय : श्री लकप्पा के व्यवस्था के प्रश्न पर मैंने व्यवस्था दी है... (**व्यवधान**) कोई भी बात कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं की जाएगी...(**व्यवधान**)**

श्री दतात्रय कुन्टे (कोलाबा) : क्योंकि अब सदन में स्थगन प्रस्ताव पेश किया गया है, अतः इस पर निर्णय किया जाना चाहिए । इस पर आप मतदान कराइये ।

Mr. Chairman : I would dis-allow this motion under Rule 341.

Shri Kanwarlal Gupta (Delhi Sadar) : You have witnessed the feelings of the Members. Now, there are two or three Members who want to speak. Kindly permit them to speak, so that the business may proceed uninterruptedly.

Mr. Chairman : No, it is not necessary.

श्री क० लकप्पा : मरा व्यवस्था का प्रश्न है...

सभापति महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दूँगा । आप सदन के कार्यों में बाधा डाल रहे हैं ।

श्री क० लकप्पा : मैं सदन और माननीय सदस्यों के प्रति आप के मनमाने रूख के विरोध में सदन से बाहर जा रहा हूं ।

[श्री क० लकप्पा सभा भवन के बाहर चले गये ।]

[Shri K. Lakkappa left the Houses]

** कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया गया ।
Not recorded.

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध तथा प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम 1970 में रूपभेद करने के बार में प्रस्ताव-जारी

MOTION RE : MODIFICATION OF NATIONALISED BANKS (MANAGEMENT AND MISCELLAEOUS PROVISIONS) SCHEME CONTD.

श्री मुरासोफी मारन (मद्रास दक्षिण) : बैंकों का राष्ट्रीयकरण हमारे देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। हमने इस कदम का समर्थन इसीलिए किया है कि हमारा लक्ष्य जनता को सामाजिक न्याय प्रदान करना है। जब राष्ट्रीयकरण किया जाए, तो हमने आशा की कि बैंकों के कार्यकरण में राज्य सरकारों को सार्थक एवं प्रभावशाली भूमिका प्रदान की जाएगी। कुछ बैंक ऐसे हैं जिनका राष्ट्रीय स्वभाव है जैसे, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बरोदा। हमने आशा की थी कि स्थानीय सलाहकार निकाय में राज्य सरकारों को स्थान मिलेगा। कुछ बैंक ऐसे हैं जिनका कुछ भौगोलिक स्थानों की आर्थिक गतिविधियों मे घनिष्ट संबंध है जैसे इण्डियन ओवरसीज बैंक। हमने आशा की थी कि इन बैंकों की प्रबन्ध समितियों में राज्य सरकारों को प्रतिनिधित्व मिलेगा। परन्तु राज्य सरकारों को केवल स्थानीय परामर्शदात्री समितियों में ही स्थान मिला है।

परामर्शदात्री समितियों का काम बैंक के विकास का पुनरीक्षण करना और सिफारिश देना है। इस समिति के तीन सदस्यों का केन्द्रीय सरकार नाम निर्देशन करती है। इन समितियों का अध्यक्ष वित्तमंत्री या उनके मन्त्रालय के उपमन्त्री या उनके द्वारा नाम निर्देशित व्यक्ति होगा। अतः समिति की बैठक बुलाने का काम वित्तमंत्री की सुविधा के अनुसार किया जाता है। ये समितियाँ वस्तुतः केवल औपचारिकता निभाने के लिये ही हैं। ये समितियाँ संसद की परामर्शदात्री समितियों से भी बदतर हैं। मेरा विचार है कि इन समितियों को अधिकार दिया जाना चाहिए। जो अधिकार स्टेट बैंक ऑफ इन्डिया के स्थानीय बोर्डों को दिये गये हैं। वे अधिकार इन परामर्शदात्री समितियों को भी दिये जाने चाहिए।

एक संघीय प्रशासनिक ढांचे में राज्य सरकारों और केन्द्रीय आर्थिक संगठनों के बीच निरंतर मुक्त वार्ता होनी चाहिए ताकि शीघ्र प्रगति हो सके।

{ **श्री वासुदेवन नायर पीठासीन हुए** / **Shri Vasduevan Nair in the Chair.** }

ऋण की नीति के महत्वपूर्ण निर्णयों में राज्य सरकार का कोई हाथ नहीं है। अतः मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि वे राष्ट्रीय ऋण परिषद में राज्य सरकारों को प्रतिनिधित्व दें। वैसे ही बैंकों को स्थानीय सरकार को बनाये रखना चाहिए। नीति निर्धारित करने का काम स्थानीय बैंकों के संबद्ध निकायों द्वारा ही किया जाना चाहिए।

राष्ट्रीयकृत प्रत्येक बैंकों का अलग व्यक्तित्व आज नहीं है क्योंकि सारा अधिकार केन्द्रीय सरकार के हाथ में है। बैंकों के जो प्रशासन का बृहत् आकार है, उसका हम विरोध करते हैं।

राष्ट्रीयकरण के उद्देश्यों में एक यह था कि क्षेत्रीय असंतुलन दूर किए जाए और पिछड़े इलाकों के विकास के लिए आवश्यक धनराशि प्रदान की जाए। देश को पांच जोनों में विभाजित किया

जाय। वे हैं उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम और केन्द्रीय। हम इसका भी विस्तार कर सकते हैं और एक प्रकार का स्थानीय बैंक बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, इन्डियन ओवरसीज बैंक, इन्डियन बैंक और सिन्डिकेट बैंक को मिल कर एक दक्षिण भारतीय स्थानीय बैंक बनाया जाना चाहिए। बैंकिंग आयोग इस पर विचार नहीं कर रहा है, क्योंकि यह बात उसके निदेशपद में नहीं थी। अतः सरकार को इस मामले पर गहराई से विचार करना चाहिए।

कर्मकारों को बैंक के प्रबंध बोर्ड में प्रतिनिधित्व देने की बात तो महत्वपूर्ण है, परन्तु उस की प्रक्रिया काफी दुष्कर है। इसमें सत्यापन की जो बात कही गई है उसमें बहुत अधिक समय लगेगा। वित्तमंत्री ने कहा कि कर्मकारों को एक वर्ग के रूप में प्रतिनिधित्व दिया जायगा, न किसी व्यक्ति विशेष के आधार पर ऐसे में मंत्री महोदय को प्रतिनिधि संघ को नामनिर्देशित करने पर विचार करना चाहिए। मगर इस सत्यापन कार्य में बहुत समय लगेगा। अगर विलंब हुआ, तो सरकार क्या करेगी? अंत में वह अपने पक्ष समर्थक किसी व्यक्ति को ही नियुक्त करेगी।

हम मानते हैं कि वर्तमान समय में यह व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ है। मगर कर्मकारों को छोडकर अन्य कर्मचारियों के सम्बन्ध में भी यही व्यवस्था क्यों लागू नहीं की जाती? वर्तमान व्यवस्था के अनुसार उनकी नियुक्ति कर्मचारियों से परामर्श किये बिना की जाती है। इस प्रकार बैंकों के वर्तमान अभिरक्षकों के निजी सहायकों को नियुक्त किया जा सकता है यह अप्रजातांत्रिक कदम है। कर्मकारों और कर्मचारियों की नियुक्तियां गुप्त मतदान के द्वारा क्यों नहीं की जा सकती? वित्तमंत्री ने राज्य सभा में कहा कि सर्वप्रथम एक राष्ट्रीय प्रक्रिया बनाई जानी चाहिये। और उसके बाद एक तटस्थ निर्वाचन मशीनरी बनाई जानी चाहिए। सत्यापन का कार्य एक राष्ट्रीय प्रक्रिया है। स्कीम की पहली अनुसूची में मुख्य श्रम आयुक्त, क्षेत्रीय श्रम आयुक्त और सत्यापन अधिकारी की सेवाओं के संबंध में बताया गया है। क्या ये अधिकारी निष्पक्ष चुनाव नहीं करा सकते? अंत में मंत्री महोदय कहते हैं कि तमाम कार्यों को राजनीति प्रधान बनाया जाएगा। आज ऐसी कौन सी बात हैं जो राजनीति प्रधान नहीं है? अधिकांश श्रमिक संघों को राजनैतिक दलों का समर्थन प्राप्त है। अतः हम इस प्रकार के निर्वाचन का विरोध करते हैं। मंत्री महोदय प्रतिनिधि संघ से कहें कि वह एक व्यक्ति चुनकर भेज दे। मगर सरकार कर्मकारों और कर्मचारियों के मामले में दुहरी नीति अपना रही है। हम चाहते हैं कि एकीकृत नीति अपनाई जाए।

मैं 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों के अभिरक्षकों को दिये जा रहे वेतन के बारे में कहूँगा। भारत में सबसे अधिक वेतन इनको मिल रहा है। एक नियम के अनुसार किसी भी सरकारी कर्मचारी का आई०सी०एस० सचिव के वेतन, जो कि 4,000 प्रतिमाह है, से अधिक न होना चाहिए। परंतु, पंजाब नैशनल बैंक के अभिरक्षक को प्रतिमाह 6,000 रुपये मिलते हैं। इन्डियन ओवरसीज बैंक के अभिरक्षक के वेतन तथा अन्य परिलब्धियों के रूप में प्रतिमाह 6,500 रुपये मिलते हैं। इसके अलावा उन्हें निःशुल्क कार और आवास की सुविधायें तथा मनोरंजन भत्ता के रूप में 200 से 500 तक प्रतिमाह मिलते हैं मगर रिजर्व बैंक के गवर्नर को जो कि एक उच्च अधिकारी हैं, केवल 4500 रुपए प्रतिमाह मिलते हैं। और स्टेट बैंक ऑफ इन्डिया के अध्यक्ष को केवल 4,000 रुपए प्रतिमाह मिलते हैं। अतः इन बातों पर विचार किया जाना चाहिए।

एक अन्य बात यह है कि इन्डियन ओवरसीज बैंक, दरियागंज, दिल्ली के मुख्य कोषपाल को 1 000 रुपए प्रतिमाह मिलते हैं मगर अभिकर्त्ता को केवल 900 रुपए मिलते हैं। इस विषमता को दूर किया जाना चाहिए।

माननीय मंत्री महोदय का ध्यान कार्यकारी अधिकारियों के स्थानांतर की आवश्यकता की ओर दिलाना चाहता हूं। जब तक ऐसा नहीं किया जाता, बैंककारी व्यवस्था में निहित स्वार्थों का जन्म होता रहेगा।

1963 में जमा बीमा निगम की स्थापना की गई थी। इस निगम पर प्रतिवर्ष 2.5 करोड़ रुपये की राशि व्यय होती है। 85 प्रतिशत डिपाजिट्स सरकार के पास हैं और 9 से 10 प्रतिशत विदेशी बैंकों के पास। ऐसी स्थिति में इस निगम पर प्रति वर्ष इतना अधिक धन व्यय करना उचित नहीं है।

ऐसा प्रयत्न किया जा रहा है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम अपने कर्मचारियों के मस्तिष्कों में उपक्रमों के भागीदार होने की भावना पैदा करें। परन्तु वहां जो कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं वे साम्राज्यवादी बैंककारी परम्परा में पले हैं। अतः सामाजिक न्याय की भावना उनके लिये एक अभिशाप बनकर रह जाती है और यही कारण है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की प्रतिष्ठा भंग हो रही है।

इस सदन में कार्यसंचालकों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये हैं। भ्रष्टाचार राष्ट्रीयकरण से पहले भी था और आज भी है। ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये कि बैंकों के कार्यकारी अधिकारी अपनी सम्पत्ति तथा दायित्वों का विवरण वित्त मंत्रालय को प्रतिवर्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह भ्रष्टाचार का मामला समाप्त नहीं होगा।

Shri Madhu Limaye (Monghyr.) : Mr. Chairman, a point of order. Sir I had quoted from a document in the morning, now I want to place that document on the Table of the House.

सभापति महोदय : इसे इस समय स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस समय एक दूसरे विषय पर चर्चा हो रही है। आप विषय से असम्बद्ध कोई बात इस समय नहीं उठा सकते। श्री साल्वे।

श्री नरेंद्र कुमार साल्वे (बेतूल) : सभापति महोदय, बैंकों के राष्ट्रीयकरण ने देश के राजनैतिक इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण से एक नये युग का उदय हुआ है जिसमें देश निवासियों की आर्थिक उन्नति अविभक्त रूप में सामाजिक न्याय की भावना के साथ जुड़ी हुयी है। देश के संविधान निर्माताओं ने भारतीय समाज को समानता के सिद्धांतों से देखा है। यदि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अध्ययन किया जाय तो यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। हमें समानता के सिद्धांतों पर आधारित समाज की स्थापना करने का प्रयत्न करना चाहिये था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात की दो दशाब्दियों में हम ऐसा नहीं कर सके और अमीर तथा गरीब के बीच की खाई बराबर बढ़ती गई। इस बढ़ती हुयी खाई को रोकने के उद्देश्य से ही राष्ट्रीयकरण किया गया। यही

कारण है कि जब यह प्रस्ताव पारित हुआ था तो जनता से इसे भारी समर्थन प्राप्त हुआ। मेरे विचार से इस भारी समर्थन के दो कारण हैं। एक तो यह कि इस विधेयक का पारित होना सामान्य व्यक्तियों की निहित स्वार्थों पर विजय का प्रतीक बन गया। दूसरे इसे भारतीय समाज के उपेक्षित वर्ग के आर्थिक उद्धार लिये देश की वाणिज्यिक नियम परम्परा में एक महत्वपूर्ण प्रगतिवादी तथा क्रांतिकारी कदम समझा गया था।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश की बैंककारी व्यवस्था असंतोषप्रद रही है। सामान्यतया पूंजीपतियों का दृष्टिकोण यह रहा कि उनके पूंजीनिवेष सुरक्षित रहें और इन्हीं सुरक्षित निवेषों मे ये पूंजीपति लाभ कमाते रहे हैं। इस प्रकार की पद्धति से कोई आर्थिक विकास नहीं हो सकता था, हम इसी पद्धति के आदी हो चुके थे। इसीलिये बैंकों के राष्ट्रीयकरण से यह भावना जागृत हुई कि इससे बैंककारी प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन होगा।

समाज के दुर्बल वर्ग के प्रति बैंक अधिकारियों के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ है। अधिकारी वर्ग निर्धनों के कल्याण की बात सोचने लगा है। किसानों, रिक्शावालों तथा अब तक उपेक्षित रहे अन्य निर्धनों को अग्रिम धनराशि की व्यवस्था इस बात का स्पष्ट प्रमाण है।

इस नई प्रणाली के अन्तर्गत निदेशक मंडल तथा अन्य दूसरी समितियां बनाने की व्यवस्था की गई है। यह बैंककारी प्रणाली की लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। इस व्यवस्था को चलाने के लिये कुशल तथा योग्य व्यक्तियों की आवश्यकता की ओर भी पूरा ध्यान दिया गया है।

बैंकों की कार्यक्षमता स्थिति चिन्ताजनक है। कर्मचारी वर्ग (चपरासी, लिपिक, रोकड़िये आदि) बैंक राष्ट्रीयकरण को सफल बनाने में कृतसंकल्प नहीं हैं।

निदेशक मंडल में कर्मचारियों के प्रतिनिधि का चयन भी एक सरदर्द है। मजदूर संघों के नेता मजदूरों के हित की बात नहीं सोचते हैं, यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। जब सैद्धांतिक रूप में यह स्वीकार कर लिया गया है कि निदेशक मंडल में कर्मचारियों का एक प्रतिनिधि भी होगा तो इसके लिये कोई न कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। मजदूर संघों के नेता जब मजदूर के कल्याण की बात करते हैं तो उसमें उनका व्यक्तिगत स्वार्थ होता है, वे केवल अपने कल्याण की ही बात सोचते हैं। इस स्थिति में सुधार की आवश्यकता है।

अभिरक्षकों के अधिक वेतनों पर आपत्ति उठाई गई है। बैंकों के अन्य कर्मचारियों यहां तक कि चपरासी और डाक्टरों को भी बहुत अधिक वेतन देने की बात कही गई है। मुझे इन लोगों के अधिक वेतनों से कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति केवल इस बात से है कि ये कर्मचारी बैंक के प्रति अपने दायित्वों को निष्ठापूर्वक नहीं निभाते हैं। इन कर्मचारियों को यह समझना चाहिये कि बैंक राष्ट्रीयकरण को सफल बनाने का दायित्व श्री चव्हाण, श्री गणेश तथा श्री शुक्ल आदि पर भी नहीं है बल्कि इसकी सफलता का दायित्व उन कर्मचारियों पर भी है जो बैंकों में कार्य कर रहे हैं। इन कर्मचारियों की अपने दायित्वों के प्रति उपेक्षा की भावना बहुत ही अनुचित तथा घृणास्पद है।

राष्ट्रीयकृत बैंक की कार्यक्षमता में सुधार अपेक्षित है। सभी कर्मचारियों को इस नई व्यवस्था को सफल बनाने के लिये कार्यवाही करनी चाहिये।

श्री स० कुण्डू (बालसौर) : जब चौदह बैंकों का राष्ट्रीकरण किया गया तो हमें यह आशा थी कि इससे एक नये युग का उदय होगा। समाज के दुर्बल वर्ग को सहायता मिलेगी तथा उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। यह तो नहीं कहा जा सकता कि दुर्बल वर्ग लघु उद्योग तथा किसानों के राष्ट्रीयकृत बैंकों से सहायता नहीं मिली है परन्तु क्या वे सभी उद्देश्य जिनके लिये बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था पूरे हो चुके हैं ?

दो उद्देश्यों को दृष्टि में रखकर बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। पहला उद्देश्य यह था कि बैंक संसाधनों का लाभ दुर्बल वर्ग के लिये सुलभ्य हो सके। दूसरा उद्देश्य यह था कि बैंकों की अधिक शाखायें खोली जांय जिससे संसाधनों की वृद्धि हो सके।

इन दो उद्देश्यों से मैं इस योजना की समीक्षा करने का प्रयास करूंगा। क्या यह सच है कि कुछ लघु उद्योगों, छोटे किसानों और छोटे दुकानदारों आदि को धन दिया गया है और क्या मंत्री महोदय ने इस बात का पता लगाने का प्रयास किया है कि छोटे व्यक्तियों को ही वस्तुतः धन दिया गया है और उन व्यक्तियों की स्थिति किस प्रकार की है ? मैं मंत्री महोदय की इस बात को चुनौती देता हूं कि वास्तव में योग्य व्यक्तियों को ही इससे लाभ मिला है।

मैं यह दिखाने का प्रयास करूंगा कि कमजोर वर्गों को किस प्रकार की सहायता दी जा रही है। व्यापारियों को दी गई धनराशि 87 लाख रुपये से 2 करोड़ 86 लाख रुपये तक बढ़ा दी गई परन्तु गरीब किसानों को बैल खरीदने के लिये प्रति व्यक्ति 1,000 रुपये की राशि भी इस आधार पर नहीं दी गई कि उनके गांव नगर से 36, 37 मील दूर थे। उन्हें यह कह कर मना कर दिया गया कि उनका मामला किसी संयुक्त योजना के अन्तर्गत नहीं आता है।

धन गरीब किसानों को न दिया जाकर धनी उद्योगपतियों और व्यापारियों को दिया जा रहा है। मैं यह चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस बात की जांच करायें कि वास्तव में जरुरतमंद लोगों को ही धन दिया गया है अथवा गरीब लोगों के नाम पर धनी तथा सम्पत्तिशाली किसान लाभ उठा रहे हैं।

संसाधनों को बढ़ाने का कार्य आशाजनक रहा है। एक या दो वर्ष पूर्व निक्षेप लगभग 16 प्रतिशत थे। अब यह 11.5 प्रतिशत हो गये हैं। ऐसा क्यों है ? जब निक्षेपों में 441 करोड़ रुपये से 486 करोड़ रुपये तक वृद्धि हुई है तो इनकी वृद्धि दर कम क्यों हो ? जब तक वृद्धि दर को बनाये नहीं रखा जायेगा तब तक बैंकों में लगाया गया धन बेकार हो जायेगा।

अफसरों की साम्राज्यवादी और एकतंत्रवादी प्रवृत्ति के कारण गरीब किसानों को उचित ढंग से अपत्र नहीं मिल रहे हैं, मेरे द्वारा कही गई इन बातों पर अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिये। संसाधनों को बढ़ाने के लिये कोई समुचित योजना भी नहीं है।

1974–75 तक 10,000 नये कार्यालयों की शाखाएँ खोलने की सरकार की योजना है। सरकार को एक 'जोरदार कार्यक्रम' के अन्तर्गत समस्त देश में 50,000 शाखायें खोलनी चाहिये

जिससे 2.5 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिल सके। दूसरी बात यह है कि उससे ग्रामीण क्षेत्र में संसाधनों को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। जहां एक हजार व्यक्ति रहते हैं। उन गांवों में मंत्री महोदय को ग्रामीण बैंकों की शाखाएं खोलनी चाहिये। इससे साहूकारों के पास जो पैसा जाता है, वह नहीं जायेगा। ये साहूकार 100 से 200 प्रतिशत तक ब्याज वसूल करके ग्रामीणों का खून चूसते हैं।

उचित योजना के सम्बन्ध में मैंने कुछ संशोधन पेश किये हैं। उन संशोधनों में से एक संशोधन में मैंने मत पत्र द्वारा चुनाव कराने का सुझाव दिया है। एक सदस्य के स्थान पर दो सदस्य होने चाहिये। धरू संबंध में दूसरे सदन में चर्चा के समय श्री यशवन्तराव चव्हाण ने कहा था कि इस प्रकार तो आम चुनाव ही हो जायेंगे। परन्तु ऐसी बात नहीं हैं। परन्तु मैं समझता हूं कि यदि ऐसा किया गया तो उसमें वास्तविक कार्यकर्त्ता आ पायेंगें।

इन नये बैंकों को जो दो कार्य दिये गये हैं वे 15 निदेशकों द्वारा कैसे किये जायेंगे जब कि उन में से केवल एक कार्यकर्ता का प्रतिनिधित्व हो सकेगा और शेष 14 निदेशक रिजर्व बैंक की अनुमति लेकर ही केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे। यह प्रतिनिधि अफसरों में से ही लिये जायेंगे और इस प्रकार अफसरशाही के प्रतिनिधि ही होंगे। वर्तमान निदेशकत्व की प्रणाली से उद्देश्य हासिल करना असंभव है ऐसा मैं समझता हूं।

प्रादेशिक समिति में चार अथवा पांच राज्यों के प्रतिनिधि लिये जा सकते हैं। मेरे विचार से उस समिति में प्रत्येक राज्य से एक विधायक अथवा संसद सदस्य लिया जाना चाहिये। आखिर इस जनता के प्रत्यक्ष सम्पर्क में वे लोग रहते हैं और यह समिति एक परामर्शदात्री स्वरूप वाली समिति है और इसके बावजूद यदि हमें उसमें प्रतिनिधित्व न मिला तो वह फिर अफसरशाही वाली समिति ही बन कर रह जायेगी। अतः मैं मंत्री महोदय से सदभावनापूर्ण तरीके से इस पर विचार करने के लिये अनुरोध करता हूं।

बैंकों के निदेशक को प्रतिवर्ष 2 लाख रुपये से अधिक राशि वेतन, भत्ते आदि के रूप में मिलती है उसे प्रतिमास 3,500 रुपये तक सीमित कर दिया जाना चाहिये। जिसमें उसके भत्ते आदि भी शामिल हों। किसी भी व्यक्ति को रिजर्व बैंक के गवर्नर से अधिक वेतन नहीं मिलना चाहिये। जब तक केन्द्रीय सरकार बैंक के निदेशक को हटाने का निर्णय नहीं लेती है तब तक उसे नहीं हटाया जा सकता है। मैंने अपने संशोधन में यह सुझाव दिया है कि उसकी कार्यावधी तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये जिससे यह उस स्थान पर स्थायी न बन जाये।

बैंकिंग उद्योग में दो मान्यता प्राप्त कार्मिक संघ हैं। आल इंडिया बैंक एम्लोयीज यूनियन के साथ मेरी सहानुभूति है। इन 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों में 'नेशनल यूनियन आफ बैंक एम्प्लायीज' के नाम से एक मजदूर संघ है। उसका यह कहना है कि इन 14 बैंकों में उसका बहुमत है अतः उसे मान्यता दी जानी चाहिये।

जब इस विधेयक पर चर्चा हो रही थी तो तत्कालीन प्रभारी मंत्री महोदय श्री गोविन्द मेनन ने आश्वासन दिया था कि 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों के मुख्य कार्यालय 14 राज्यों में अलग-अलग

रखे जायेंगे परन्तु उस आश्वासन पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। केवल बड़े शहरों में इन बैंकों के मुख्य कार्यालय हैं। अतः जो यह असमानता है, वह दूर की जानी चाहिये। यदि सरकार गरीब तथा धनी राज्यों के बीच की खाई को समाप्त करना चाहती है तो उसे चाहिये कि वह यह देखे कि बड़े बैंक लोगों की बचत बढ़ाने में कितने प्रभावशाली सिद्ध होते हैं। सब लोगों को बैंकों की सुविधायें दी जानी चाहिये ।

श्री कमल नयन बजाज (वर्धा) : श्री स०मो०बनर्जी ने बताया है कि बैंकों में जो निक्षेप है, वह जनता का धन है। जनता द्वारा बैंकों में जमा किये धन पर विश्वास दिया है कि वह धन सुरक्षित है। अतः जब कभी बैंक कर्जा दे तो उनका कर्त्तव्य है कि वे कर्जे की सुरक्षा पर पहले ध्यान दें क्योंकि वह जनता का धन है, सरकार का नहीं है।

श्री बनर्जी ने यह भी कहा है कि कुछ उद्योगों को धन दिया गया है और वे उद्योग गैर-सरकारी फर्मों के हैं। यदि उन उत्पादों का, जिनकी राष्ट्र को आवश्यकता है, ये उद्योग उत्पादन करते हैं तो सरकार तथा बैंकों का कर्तव्य है कि उन्हें उनके रखने के लिये उचित वित्तीय सहायता दी जाती रहे । यदि देश में उन उत्पादों की आवश्यकता नहीं है तो उन्हें लाइसेंस क्यों दिये जाये ?

यह वांछनीय है कि कृषि को सहायता दी जाये ताकि कृषि सम्बन्धी उत्पादन बढे । यदि कृषि समृद्ध नहीं होगी तो उद्योग अथवा व्यापार को हानि निश्चित रूप से होती रहेगी । अतः जैसे भी सहायता कृषि के लिए दी जाये, वह अवश्य दी जानी चाहिये। जब भोले किसानों का पैसा जमा होता है, तो उसमें बैंकों के कुछ क्लर्कों द्वारा उनके साथ गड़बड़ की जाती है। यह इसलिये हो रहा है कि बैंकों की शाखाओं की संख्या तेजी से बढ़ायी जा रही है।

इन शाखाओं में उन व्यक्तियों को लगाने की आवश्यकता है जिन्हें तकनीकी विशेषज्ञता और ज्ञान हो। शाखायें चाहे जितनी शीघ्रता से खोली जाये परन्तु उनमें प्रशिक्षित कर्मचारी ही निश्चित रूप से रखे जाने चाहिये अन्यथा इन बैंकों की साख बिगड़ जाने का भय है। शाखाओं की इस वृद्धि पर बहुत ध्यान रखा जाना चाहिये । अप्रशिक्षित कर्मचारी ग्राहकों के साथ ठीक व्यवहार नहीं करते हैं। कार्यकुशलता भी कम हो चुकी है और भ्रष्टाचार बढ़ गया है। यदि सरकार बैंकों की प्रणाली के मामले में शिथिल रही तो भ्रष्टाचार बढ़ जायगा । शाखायें बढ़ाने से पूर्व कर्मचारियों का प्रशिक्षण आवश्यक है ।

निक्षेपों की कुल वृद्धि 16 से 17 प्रतिशत तक हुई है परन्तु 2,000 नई शाखाओं में निक्षेपों की वृद्धि बहुत कम है और कार्यालयों के संचालन का सारा व्यय अन्य शाखाओं द्वारा ही वहन किया जाता है।

जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था तब यह आश्वासन दिया गया था कि उनके वैयक्तिक स्वरूप और स्वतंत्रता को बनाए रखा जायगा । अब जब यह संशोधन विधेयक लाया गया है, तो हम देखते है कि रिजर्व बैंक के अधिकार काफी कम होते जा रहे हैं। यह करीब करीब वित्त मंत्रालय की शाखा बनने जा रहा है। इसका प्रधान रिजर्व बैंक के परामर्श के बाद केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जायगा। यहां तक की 'बोर्ड आफ डायरेक्टर्स' की भी अनुमति नहीं

ली जायगी । पुरानी परिपाटी के अनुसार उसे रिजर्व बैंक नियुक्त करता था । अब अध्यक्ष वित्त मंत्रालय द्वारा मनोनित किया जायगा ।

रिजर्व बैंक अब तक ठीक कार्य करता रहा था । अब वित्त मंत्रालय इसमें हस्तक्षेप कर रहा है । यह अधिकार रिजर्व बैंक को दे दिया जाना चाहिए ।

अब पूरे समय तक कार्य करने वाले निदेशक नियुक्त किये जायेंगे तथा उन्हें प्रबंधक निदेशक जिसके अधीन उन्हें कार्य करना होगा, के परामर्श के बिना नियुक्त किया जायेगा । ऐसी परिस्थिति में बोर्ड आफ डायरेक्टर्स का महत्व नहीं रह पायेगा और तब कार्य करना कठिन हो जायेगा ।

कार्यकर्त्ता निदेशक अवश्य नियुक्त किये जाने चाहिये परन्तु यदि उन्हें बैंकों का प्रबंध करना है और उन्हें सलाह देनी है तो यूनियनों से राजनैतिक प्रभाव को तुरन्त हटाया जाना चाहिए ।

जब ग्रामीण क्षेत्रों में स्टेट बैंक की शाखायें खोली गई थीं तब उन्हें राज सहायता दी गई थी परन्तु अब राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है । अतः मेरा अनुरोध है कि जब राज सहायता दी जाये तो राष्ट्रीयकृत बैंकों को भी दी जानी चाहिये अन्यथा उसे स्टेट बैंक को देना भी बंद कर देना चाहिये ।

जिन 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है और जिन्हें विशेषज्ञता तथा अनुभव प्राप्त है, क्या सरकार उन बैंकों को कार्य करने की अनुमति देती रहेगी ? क्या किसी मूल बैंक ने बैंक का कार्य करने के लिये प्रार्थना पत्र दिया है, यदि हां, तो सरकार की उस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

जब बैंक धन जमा कराते हैं, उस समय वे लोगों को कुछ ब्याज देते हैं । उस ब्याज की दर का सम्बन्ध एडवान्स के ब्याज की दर से भी होना चाहिये । बैंक दर में इस वृद्धि से उद्योग की उत्पादन लागत में सहायता मिलती है ।

बैंक से उधार दी जाने वाली राशि पर ब्याज की दर निश्चित करते समय यह ध्यान रखा जाना चाहिये कि ब्याज की दर अधिक होने के कारण उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि हो जायेगी ।

निदेशक मंडल में विभिन्न क्षेत्रों से विशेषज्ञ लेना अच्छी बात है परन्तु उन्हें बैंकों के संचालन के विषय में अनुभव नहीं होता । हाँ विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ समुचित सामूहिक निर्णय कर सकते हैं क्योंकि उन्हें व्यापार तथा उद्योग का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त होता है । ऐसा अनुभव न होने पर बैंक उचित ढंग से उधार नहीं दे सकेंगे और संतुलन बिगड़ जायेगा ।

अतः मैं कहना चाहूंगा कि इन नियमों की स्वीकृति देने में जल्द बाजी नहीं होनी चाहिये क्योंकि बैंक संचालन में बहुतसी कठिनाइयां है ।

SHRI RANDHIR SINGH (Rohtak) : Sir, it is time that Bank Nationalisation is the greatest measure passed since we have achieved Independence. In this regard

I think-that framing of rules and appointing Boards is good but while doing this we should keep in mind the 80 or 90% of people who live in 5 lakh villages. I suggest that it should be kept in mind that deserving people, who are engaged in small jobs, should get loans and big and influctual people should not try to depry them of the benefit which they will get by this. I think that the real motive of this scheme should not be defeated.

Rules should be framed in such a way that the poor should get the money and adequate representation should be given to them on boards. If only technical and experienced people are to constitute the boards the poor won't get the representation as they are generally backward. If they are not to be represented on the boards atleast those people should represent them who have sympathy with the poor and the landless. In this regard Russia's example should be rigidly followed.

Sanctioning of loans has created a group of intermediaries in urban areas and those who get loans have to pay a fixed 'percentage' for getting loans sanctioned and being the representatives of the people know the true picture in this regard. Consequently, the loan does not go to the deserving people. Proper steps should be taken to get rid of these intermediaries.

Bank nationalisation can play a remarkable role in solving the problem of unemployment. There are so many unemployed Engineering and Agriculture graduates, E.C.O.S. and other educated people roaming on the roads. They should be provided with bank-loans and small priees of land so that they may be able to earn their livelihood.

This scheme should be implemented through a phased programme and a target should be fixed. Money allotted for small farmers should go to the small farmers and money alloted to landless should go the landless. Steps should be taken to ensure the proper distribution of money.

There are certain backward areas in almost all the states. These areas should be given priority in sanctioning of loans. Sanctioning of loans takes a long time and people do not get the money in full as there are many people who get their 'share' out of that loan.

It should be looked into that these evils should go when money travels from bank to the loanee. Loan should be sanctioned on a long term basis and the farmer should be free to pay in cash or kind.

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : It has taken nine months before this scheme could take final shape after the Bank Nationalisation and one does not know how much time it will take for its actual implementation. This scheme should cover the commercial banks as well. It should be a comprehensive scheme and the very purpose of it would be defeated if commercial and foreign banks are not nationalised.

Coming to the aspect of management I would like to point out that students should also be given proper representation as they too need money for educational purposes. Depositors should also be given representation but represantatives should hail from small depositors.

{ **श्रीमती सुशीला रोहतगी पीठासीन हुईं ।** }
{ **Shrimiti Sushila Rohtagi** *in the chair* }

It is true that an expert will give an expert advise. But we should take into consideration that he may not be a as tool in the hands of the officers. I am of the view that the Managing Directors should be appointed for a period of five years and same should not be reappointed. Directors may continuously be appointed. In case my amendment is accepted the purpose of bank nationalisation will be served.

श्री सरदार अमजदअली (बसिरहाट) चौदह बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् देश ने एक नये युग में प्रवेश किया है । लेकिन राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रबन्ध के बारे में योजना बनाने में असाधारण विलम्ब हो रहा है ।

बैंकों से ऋण लेने के सम्बन्ध में जनता को अनेक कठिनाइयां अनुभव हो रही हैं । उनमें से दो कठिनाइयां बहुत गम्भीर हैं ।

किसानों को ऋण प्राप्त करने के लिये अनेक औपचारिकताओं का पालन करना पड़ता है। उन्हें वकीलों की शरण लेना पड़ती है । यदि किसी किसान को, जिसके पास भूमि का एक बहुत छोटा टुकड़ा हो, बैंकों से कुछ सहायता प्राप्त करनी हो, तो उसे वकील द्वारा उस सम्पत्ति पर किसी का अधिकार न होने का प्रमाण-पत्र देना होता है । जब तक किसी वकील का यह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं होता उक्त व्यक्ति को ऋण प्राप्त करने का अधिकारी नहीं समझा जाता है । अतः सरकार को एक वकील नियुक्त करना चाहिये जिससे अधिकारहीनता का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जा सके और उसे बैंक स्वीकार कर लें ।

विभिन्न स्थानों पर बैंक की नई शाखाएं खोलने के लिये वे एजेन्टों के पास नहीं जा सकते । मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि विभिन्न स्थानों और गाँवों में बैंक की शाखाएं खोलने की प्रणाली सरल होनी चाहिये ।

सरकार को इस संबंध में गम्भीरता तथा सहानुभूति से विचार करना चाहिये । देश की वित्तीय संस्थाओं के प्रशासन और प्रबन्ध में भाग लेने के लिये जनता ने 20 वर्ष तक प्रतीक्षा की थी । सरकार द्वारा बैंकों के प्रबन्ध में जनता के भाग लेने का निर्णय स्वागत योग्य है ।

बैंक से लेन देन करने वाले व्यक्तियों और औद्योगिक और वित्तीय मामलों की विशेष जानकारी रखने वाले व्यक्तियों को बोर्ड में अवश्य प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाहिए ।

निदेशकों की सेवाएं अपने कर्तव्य का पालन न करने पर ही समाप्त की जानी चाहिए । यदि किसी निदेशक को योग्यता प्राप्त नहीं है तो उसकी नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए ।

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : योजना के बारे में मुख्यतया इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या इससे अधिक धनराशि जमा करने में सहायता मिलेगी ।

माननीय मंत्री ने यह स्वीकार कर लिया है कि गत महीनों में जमा धनराशि में कमी हुई है । गत 11 महीनों में 289 करोड़ रुपये जमा किये गये थे जबकि इससे पिछले वर्ष 11 महीने की अवधि में 324 करोड़ रुपये जमा किये गये थे । रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंकों को सूचित किया

है कि वह अपनी अग्रिम राशि में वृद्धि नहीं करेगा और यदि उन्हें अपने वचनों को पूरा करना है तो उन्हें 600 करोड़ रुपये की राशि जमा करनी होगी।

ऐसी भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि बैंकों में भ्रष्टाचार का बोलबाला है और जब तक अधिकारियों को कुछ धनराशि नहीं दी जाती जनता को ऋण नहीं मिलता।

बैंकों की सेवाओं में खराबी आ गई है। बिलों का भुगतान करने में विलम्ब होता है। बैंकों का काम धीमा हो गया है। ऋणों को वसूल करने में विलम्ब हो रहा है और मैं समझता हूँ कि बैंक केवल सहकारी समितियां मात्र रह गये हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें यह देखना है कि उक्त योजना कहां तक सफल होती है।

यह योजना शिक्षा सम्बन्धी योजना है और यह बैंक की नीति से सम्बन्धित है और बैंक के व्यवहारिक कार्य से सम्बन्धित नहीं है।

सरकार ने 2000 से अधिक बैंकों की शाखाएं खोली हैं। उनमें काम करने वाले कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिये बिना नियुक्त किया गया है। इससे जनता को कोई लाभ नहीं होगा। बैंकों को जनता की आवश्यकता को पूरा करना चाहिये। सरकार को इस सम्बन्ध में उचित गति से काम करना चाहिये।

प्रबन्ध निदेशकों की नियुक्ति के लिये कोई योग्यताएं निर्धारित नहीं की गई हैं। इसके परिणामस्वरूप सरकार किसी भी व्यक्ति को प्रबन्ध निदेशक नियुक्त कर सकती है और अपने अधिकारों का दुरूपयोग कर सकती है।

कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व के बारे में भारी असन्तोष है। सरकार को कर्मचारियों की ओर से किसी व्यक्ति को प्रतिनिधित्व करने के लिये चुनना चाहिये।

छोटे जमाकर्ताओं को प्रतिनिधित्व देने की बात कही गई है। मेरा यह सुझाव है कि सबसे अधिक धनराशि जमा करने वाले 10 व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति को अवशेष प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये। इस सम्बन्ध में किसी प्रणाली का पालन करना चाहिये। यदि छोटे जमाकर्ताओं और 10 बड़े जमाकर्ताओं में से किसी व्यक्ति को प्रतिनिधित्व के लिये नहीं चुना जाता है तो किसी निर्वाचन पद्धति का अनुकरण किया जाना चाहिये। लेकिन इस कार्य को सरकार के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिये। यदि ऐसा किया गया तो सरकार अपनी इच्छानुसार किसी भी व्यक्ति को नियुक्त कर लेगी।

कलाकारों, कर्मचारियों और किसानों का प्रतिनिधित्व करने के लिये कुछ योग्यताएं आवश्यक निर्धारित की जानी चाहिये। ऐसे व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिये जिन्हें अपने काम में कुशलता प्राप्त हो। जब तक ऐसा नहीं किया जायेगा सरकार किसी भी व्यक्ति को इसके लिये चुन लेगी और इससे बैंकों का अहित होगा और इसके परिणामस्वरूप जमा धनराशि में भी कमी होगी।

विशेषज्ञों के प्रतिनिधित्व के बारे में वाणिज्यिक संघों से सलाह ली जानी चाहिये।

रिजर्व बैंक और सरकार के प्रतिनिधियों की नियुक्ति के बारे में सरकार मनमाने ढंग से अपने अधिकारों का प्रयोग कर रही है जो उचित नहीं है।

समिति की बैठक, स्टेट बैंक की पद्धति की तरह, प्रत्येक सप्ताह की जानी चाहिये। समिति में नियुक्ति के बारे में भी कोई योग्यताएं निर्धारित नहीं की गई हैं। समिति में सरकार की इच्छानुसार किसी भी व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है।

प्रादेशिक समितियों में न केवल उक्त प्रदेश के प्रतिनिधि शामिल किये जाने चाहिये बल्कि इसमें बैंक के प्रतिनिधि भी शामिल किये जाने चाहिये।

बैंकों की नीति एक समान होनी चाहिये। इस दृष्टि से इस विचार को और आगे बढाया जाना चाहिए। मैं उक्त सुझाव का पूर्णत: समर्थन करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि राष्ट्रीयकृत बैंकों का विकास होता रहे और सुचारु रूप से कार्य करें ताकि वे समाज और देश के लिए लाभप्रद सिद्ध हो सकें।

श्री प० गोपालन (तेल्लीचेरी): यह योजना बहुत ही सीमित है। इसके अनुसार निदेशक मंडल के गठन के पश्चात् प्रबन्ध-निदेशक की नियुक्ति की जायेगी और तत्पश्चात् कस्टोडियन के वर्तमान पद को समाप्त कर दिया जायेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इन बैंकों के वर्तमान कस्टोडियनों में से अधिकांश उनके प्रबन्ध-निदेशक बने रहेंगे। ये लोग बड़े व्यापारी वर्ग के हितों का ध्यान रखते हैं, छोटे लोगो का नहीं। अत: मैं निदेशक-मंडल के गठन के बारे में बहुत अधिक चिन्तित हू। योजना में यह उपबन्ध है कि निदेशकों की नियुक्ति के बारे में रिजर्व बैंक से परामर्श किया जायेगा किन्तु रिजर्व बैंक के निदेशकों में श्री किर्लोस्कर, श्री अरविन्द मफतलाल और श्री कोठारी आदि है, जो बड़े व्यापारियों के प्रतिनिधि हैं। इनसे परामर्श लेने से भी कोई लाभ नहीं है।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय लोगों में यह भावना उत्पन्न हो गई थी कि अब छोटे लोगों को, छोटे किसानों, रिक्शा चालकों को इन बैंकों से लाभ होगा। किन्तु बैंक राष्ट्रीयकरण के बाद क्या हुआ ? राष्ट्रीयकरण के पश्चात् भी बैंकों की नीति वही रही जो इससे पूर्व थी। सरकार की ऋण देने से सम्बन्धित नीति क्या है, इसका पता हरियाणा युवक कृषक संघ द्वारा किये गये सर्वेक्षण से लगता है। इसके अनुसार गत 6 महीनो में राष्ट्रीयकृत बैंकों से 31·50 करोड़ रुपये के ऋण लोगों को दिये गये। इसमें से 25 करोड़ रुपये उच्च तथा मध्य वर्ग के उद्यमियों को गये। शेष 6.50 करोड़ रुपये की राशि गैर-उद्योग क्षेत्र में गई, जिसमें से 60 प्रतिशत नगरीय क्षेत्रों में मध्य वर्ग तथा उच्च श्रेणी के लोगों को दी गई। ऋण की 1.6 करोड़ रुपये की राशि में से अधिकतर बड़े किसानों को दी गई और केवल 42 छोटे किसानों को उससे लाभ हुआ। यह राष्ट्रीयकृत बैंकों की ऋण-नीति है। इसमें आज तक भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। केन्द्रीय सरकार इस नीति में परिवर्तन नहीं कर सकती क्योंकि वह बड़े व्यापारियों और पूंजीपतियों की सरकार है। मेरा यह अनुमान है कि बैंकों के निदेशक मंडलों में अधिकतर बड़े व्यापारियों के प्रतिनिधि नियुक्त किये जायेंगे।

इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक बैंक की अपनी अलग प्रबन्ध समिति, सलाहकार समिति, निदेशक-मंडल आदि होंगे, जिससे खर्च अधिक बढ़ जायेगा। आप देश में एक बैंकिंग व्यवस्था का

विकास क्यों नहीं करते हैं। मैंने एक यह सुझाव भी दिया था कि प्रत्येक राज्य में इन बैंकों का मुख्य कार्यालय हो। साथ ही एक क्षेत्र में विशेष रूप से एकत्र किये गये धन को उसी क्षेत्र के विकास-कार्यों में लगाया जाये। इससे क्षेत्रीय असंतुलन समाप्त हो जायेगा। मंत्री महोदय इन सुझावों पर ध्यान दें। मेरे विचार से प्रस्तुत योजना से जनसाधारण को कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि इससे पूंजीवाद और एकाधिकार को बढावा मिलेगा।

श्री क० नारायण राव (बोम्बिली) : सभापति महोदय, योजना के अध्ययन से दो बातों का पता चलता है। पहली है परिहार्य शासनतंत्र की और दूसरी यह है कि इसके द्वारा अधिनियम के आशय की अवहेलना की गई है। परन्तु धन,पूंजी संरचना 15 करोड़ रुपये की एकत्र पूंजी तथा विभिन्न बैंकों के पुनर्गठन तथा एकीकरण के बारे में यह योजना मौन है। आज आवश्यकता इस बात की है कि विभिन्न बैंकों के पुनर्गठन के माध्यम से बैंकों का युक्तियुक्तकरण कर। दो इस योजना के अनुसार निदेशकों की नियुक्ति पर सरकार का अधिक प्रभाव पड़ेगा। प्रस्तावित योजना के अनुसार 15 निदेशकों में से केवल 6 निदेशक ऐसे होंगे जो सरकार के नियंत्रण से बाहर के होंगे। मूल अधिनियम में यह व्यवस्था थी कि कृषकों, कारीगरों तथा श्रमिकों के प्रतिनिधि इन लोगों में से दो होंगे, किन्तु योजना में इसे बदल दिया गया है। योजना में यह व्यवस्था भी है कि जो व्यक्ति इन लोगों का प्रतिनिधित्व करने के योग्य होगा उसे निदेशक नियुक्त किया जा सकता है। अमुक व्यक्ति में यह क्षमता है अथवा नहीं इसका निर्णय कौन करेगा। इस व्यवस्था से निदेशकों की नियुक्ति में गड़बड़ी करने की संभावना काफी बढ़ गई है। योजना में यह भी व्यवस्था है कि नाम आने में विलम्ब होने की स्थिति में आवश्यकता पड़ने पर सरकार श्रमिकों की ओर से एक निदेशक नियुक्त कर सकेगी। यह बहुत ही गलत बात है। यदि यह व्यवस्था स्वीकार भी कर ली जाये तो व्यवस्था ऐसी होनी चाहिये जिससे ऐसे निदेशक को समय-समय पर बदला जा सके। किन्तु ऐसी कोई व्यवस्था योजना में नहीं है।

विधेयक में यह भी नहीं बताया गया है कि निदेशक मंडल में अधिक से अधिक कितने सदस्य होंगे। कृषकों, कारीगरों, श्रमिकों तथा कर्मचारियों के वर्गों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, किन्तु इनके प्रतिनिधि केवल तीन होंगे जबकि सरकार द्वारा नियुक्त किये गये निदेशकों का बहुमत होगा। इस दृष्टि से उनकी महत्ता ही समाप्त हो जाती है। योजना में यह व्यवस्था भी है कि प्रबन्ध-निदेशक बैंक का कार्यकारी अधिकारी होगा और उसे कुछ शक्तियां प्रत्यायोजित की जायेंगी। अधिनियम के अनुसार ये शक्तियां निदेशक-मंडल को दी जानी चाहिए। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि यह योजना मूल अधिनियम की भावना के विपरीत है और वह अधिनियम के क्षेत्र से परे है। अतः मेरा अनुरोध है कि एक नयी योजना बनाई जाये जिससे अधिनियम का ध्येय पूरा हो सके।

श्री दत्तात्रय कुन्टे (कोलाबा) : लगभग 18 महिने पूर्व 14 अनुसूचित बैंकों को इस आशय से राष्ट्रीयकृत किया गया था कि क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त किया जायेगा, पिछड़े क्षेत्रों का विकास किया जायेगा, और समाज के दुर्बल वर्ग की सहायता की जायेगी। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सरकार ने बैंकों के प्रबन्ध की यह योजना तैयार की है। सरकार द्वारा बैंकों के अपने नियंत्रण में लेने का एक कारण यह भी था कि उनका प्रबन्ध अपेक्षाकृत अच्छा हो। मंत्री महोदय ने स्वयं ही अपनी प्रशंसा करते हुए यह कहा है कि 25% अधिक बैंक खोल दिये गये हैं किन्तु हमारे

जिले कोलाबा में किसी भी बैंक की एक भी नई शाखा नहीं खोली गई है, यद्यपि यदि बैंक आफ इंडिया जो बड़े बैंकों में से एक है, हमारे पास पड़ता है।

जहां तक प्रबन्ध का सम्बन्ध है मेरी समझ में यह नहीं आता कि 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों को पृथक-पृथक बनाये रखने की क्या आवश्यकता है। सभी का नियंत्रण अन्ततोगत्वा सरकार के हाथ में रहता है तो फिर क्यों न सभी बैंकों का एक संगठन बना दिया जाय। क्योंकि परस्पर प्रतिस्पर्धा का प्रश्न नहीं है अतः सब बैंकों का एक एकक बना दिया जाये और जिसकी प्रबन्धक संस्था भी एक हो। इस एक बैंक की ही सम्पूर्ण देश में शाखाएं हों। सुचारू रूप से कार्य चले इसके लिए क्षेत्रीय स्तर पर बोर्ड नियुक्त किये जा सकते हैं। इस व्यवस्था से बैंकों का नियंत्रण भली प्रकार हो सकेगा। मुझे पूर्ण आशा है कि मंत्री महोदय इसकी ओर निश्चित रूप से ध्यान देंगे। समाज के दुर्बल अंगो की, निर्धन लोगों की सहायता की बात प्रायः कही जाती है। किन्तु इन बैंकों की ब्याज की दर तकाबी ऋण की ब्याज की दर से कहीं अधिक है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात इन लोगों के लिए ब्याज की दर में कुछ कमी होनी चाहिए थी, किन्तु ऐसा नहीं किया गया है। छोटा किसान, रिक्शावाला अथवा मजदूर ऋण प्राप्त न कर सकेगा और यदि उसे ऋण मिल भी गया तो ब्याज की दर अधिक होने के कारण वह उसका भुगतान न कर सकेगा।

क्या सरकार को जानकारी है कि अब ये राष्ट्रीयकृत बैंक किस प्रकार कार्य कर रहे हैं? इन बैंकों के राष्ट्रीयकरण से पूर्व बैंक का प्रत्येक कर्मचारी बैंक के ग्राहकों की सेवा उत्तरदायित्व के साथ करता था परन्तु आज किसी को उनकी परवाह नहीं रहती है। सरकार के पास इस संबंध में क्या स्पष्टीकरण है? क्या सरकार ने बैंकिंग व्यवस्था का सरकार का एक विभाग बना लेने के विचार से ही उनका राष्ट्रीयकरण किया था अथवा पिछड़े क्षेत्रों की सेवा संघीय असन्तुलन को हटाने के लिये किया था, तो कि वस्तुतः ही एक महान उद्देश्य है। इस दृष्टि से विचार करने पर योजना सार्थक सिद्ध नहीं होती हैं। इस योजना में तो प्रबन्धक मंडल गठित करने तथा क्षेत्रीय समितियों का संचार बढ़ाने भर की व्यवस्था ही प्रतीत होती है। इस योजना द्वारा बैंकों के राष्ट्रीय करण के मुख्य उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती, अतः सरकार इस योजना को वापस ले तथा सारे देश के लिये केवल एक बैंकिंग संगठन की स्थापना करे ताकि बैंकिंग कार्य अच्छे ढंग से हो। मेरा सुझाव है कि इस संगठन पर संघीय नियंत्रण होना चाहिये।

श्रीमती शारदा मुकर्जी (रत्न गिरि) : भारत के रिजर्व बैंक ने जून 1970 के अपने प्रतिवेदन में बताया था कि राष्ट्रीयकृत बैंक विभिन्न प्रकार के उत्पादन-प्रयासों को छोटे-बड़े के भेदभाव बिना तथा विरोध रूप से किसान, लघु उद्योग चलाने वालों आदि की आवश्यकता को पूरा करेंगे। परन्तु पूरे 16 महीने पश्चात हमारे सामने केवल यही योजना आई है जिसमें कहा गया है कि इन बैंकों के प्रबंध मंडलों का गठन कैसे हो। एक वर्ष पूर्व अन्तर में मंडलों के गठन के बाद स्थिति प्रायः ज्यों की त्यों बनी हुई है। लगता है कि मंडलों में 15 प्रतिशत तो सरकारी तथा रिजर्व बैंक के अधीकारी ही भरे होंगे।

हमें आशा थी कि सरकार बैंकों के पुनर्गठन तथा नई नीतियों को सभा के समक्ष रखेंगी परन्तु यहां तो केवल बैंकों के आन्तरिक प्रबंध की व्यवस्था ही अब तक बताई गई है। हमें

इन बातों से क्या सरोकार ? हमें तो परिणामों से सार्थ है। और ये परिणाम अत्यन्त असन्तोषजनक हैं। हम चाहते थे कि रिजर्व बैंक द्वारा दी गयी रिपोर्ट में वर्णित लक्ष्य की पूर्ति हो परन्तु हम स्थिति को उसके विपरीत पाते हैं। जुलाई 1969 से जुलाई 1970 के मध्य विदेशी बैंकों की जमा पूंजी में 11 प्रतिशत वृद्धि हुई थी तथा इस समय राष्ट्रीयकृत बैंकों की जमा पूंजी में 16 प्रतिशत की। परन्तु अप्रेल से अगस्त 1970 के मध्य भारतीय बैंकों की जमा पूंजी में गिरावट आ गई है। उनमें 5·8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जबकि विदेशी बैंकों की जमा पूंजी में यह वृद्धि 7·4 प्रतिशत है। चान्दी के मूल्यों में भी 8 रुपये प्रति किलो की वृद्धि होकर इसकी दर 567 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। स्वर्ण की तस्करी में अत्यधिक वृद्धि हुई है। यदि बैंकों के माध्यम से संसाधनों का उचित उपयोग किया जाता तो ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती। कहा जाता है कि चांदी तथा स्वर्ण की तस्करी द्वारा देश में लगभग 500 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा चोरी छिपे बाहर चली जाती है। देश में बाहर से स्वर्ण के आने से हमारा कोई लाभ नहीं होता।

इसके उपचार के लिये सबसे पहले तो जनता के दिल में बैंकों के प्रति विश्वास पैदा करना होगा। उन्हें विश्वास दिलाना होगा कि उनके रुपये का मूल्य स्थायी होगा। परन्तु आज देश में वित्तीय संकट विद्यमान है। इस स्थिति का मुकाबला करने के लिये सरकार को ठोस कारगर उपाय करने चाहिये।

सबसे पहले तो बैंकों के लिये नीति संबंधी व्यापक रूपरेखा तैयार की जानी चाहिए जिसका कि वे पालन करें। आज स्थिति यह है कि बैंक से छोटे छोटे ऋण लेने के लिये भी एक आदमी को रिजर्व बैंक तथा वित्त मंत्रालय से स्वीकृति लेनी पड़ती है।

दूसरे अधिकाधिक लोग गैर सरकारी संस्थानों में अपनी राशि जमा करा रहे हैं। सरकार बैंकों की जमा राशि में वृद्धि कराने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है। बैंकों को योजना में निर्धारित वरीयताओं के अनुसार कार्यवाही करनी चाहिये। इधर उधर छोटे-मोटे ऋण देकर जनता में प्रचार कर देने मात्र से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को कोई लाभ नही पहुँचेगा।

अतः सरकार नीति संबंधी कोई वक्तव्य दे। वित्तमंत्री ने निजी व्यवसाय करने वाले तथा समाज के अन्य कमजोर क्षेत्र को सहायता देने संबंधी नीति के बारे में कई बार वक्तव्य दिये परन्तु उसका अर्थ कुछ भी नहीं निकलता। अतः मंत्री महोदय को बैंकों की नीति संबंधी कोई स्पष्ट वक्तव्य देना चाहिये ताकि बैंकों को भी पता लगे कि ये क्या क्या कर सकते हैं। तथा जनता भी जाने कि उन्हे क्या कुछ सहायता मिल सकती है।

केवल बैंकिंग का ही नहीं बल्कि थोक मूल्यों में वृद्धि तस्करी में वृद्धि तथा बैरोजगारी में वृद्धि से देश की अर्थव्यवस्था पर कुप्रभाव पड़ा है। गत 16 महीनों में भी सरकार कोई निश्चित नीति निर्धारित नहीं कर सकी है। इस अनिश्चितता की स्थिति से आर्थिक मामलों पर कुप्रभाव ही पड़ेगा।

Shri Ramavtar Shastri (Patna) : Quite a good number of hon. Members have criticised the nationalisation of banks, either directly or indirectly. It is time that the hopes raised for farmer, poor man and small scale industrialists have not materialised. Only very few people both from the rural and urban areas are getting loans, but that is quite negligible. Therefore, the Government should make radical changes in their capi-

talistic policies so as to use the banks for the formation of a new India and its progress. Ordinary people who cannot grase the palm of the concerned officers,etc. cannot get loans. I have seen it myself. Therefore, the people are losing interest in nationalised banks. It is therefore, very necessary to make available these loans to the common man without any difficulty. The main difficulty is that the banks are being managed by the same old bureaucrats who had no faith in public sectors or in the very cult of bank nationalisations. Those officers have no sympathy for the common man. In these circumstances the purpose of bank nationalisation is totally defeated and there will be no going out of it. The Govt. have been working of having given loans to Taxi-drivers, Riksha-pullers, small traders and farmers etc,. but what they quote in support is quite negligible. They should therefore make the money available to these people liberally so that they increase our production and save our valuable foreign exchange, which goes to America and other countries for purchasing foodgrains and other articles. And for all this, the Government will have to make wholesome changes in their policy regarding banking. Also the Government should open more and more branches of nationalised banks in rural areas.

The banking scheme prepared by the Government would creat a top banking administration and only bureaucrats will be appointed there. My suggestion is that only such people should be taken into the boards who have deep faith in nationalisation and socialism People like Morarji Bhai should not be taken on such boards. The boards should. comprise of representatives of small and medium farmers, small traders etc. because only this category of masses need loans and those people only can make advancement in the country. Some hon. members have suggested for taking in members of Parliament also in the boards. It is a very good suggestion because they are the representatives of the people and can be of great help in regard to recovery of loans etc. If it is not possible, they should be invited to attend the meetings of boards as social invitees so that they may be able to put forth difficulties of their people in this behalf, from time to time. But certainly all the needy sections of the society should be represented on the boards.

The Government propose to enroll representatives of bank employees also on these boards. But criterion for ensuring the real representative of these employees should be an election through secret ballot. Otherwise you will not be able to select the real representatives of the bank employees. I always wish for best possible efficiency among bank employees. If you honour their genuine demands they are always prepared to extend their fullest cooperation to you.

I have explained my view points in my amendments and I request you to accept them.

{ **श्री क० ना० तिवारी पीठासीन हुए।** / **Shri K.N. Tiwary** *in the chair.* }

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : इस चर्चा में भाग लेने तथा अपने मूल्यवान् सुझाव प्रदान करने के लिये मैं माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं और उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि उनके प्रत्येक विचार तथा सुझाव पर पूरी लगन के साथ विचार किया जायेगा।

श्री विश्वनाथम् ने बैंकों के अत्यधिक केन्द्रीयकरण की शिकायत की है परन्तु इस शिकायत में अधिक सार नहीं है। सम्भव है यदा-कदा कहीं प्रबंधक को कोई निर्णय लेने में कठिनाई हुई

हो, परन्तु प्राय: बैंकिंग प्रक्रिया के अनुसार निर्णय ले लिये जाते हैं। कुछ शिकायतें हमारे पास आई भी कि कतिपय अभिरक्षकों ने शक्तियों को स्वयं में केन्द्रित करना चाहा परन्तु जानकारी मिलने पर तुरन्त ही उस स्थिति में सुधार कर दिया गया, और माननीय सदस्य विश्वास रखें कि सरकार इस प्रकार के केन्द्रीयकरण के सर्वथा विरुद्ध है। वैसे यह तो अनिवार्य है कि प्रत्येक बैंक कर्मचारी/अधिकारी को अपने-अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्व का पता हो तथा वह तदनुसार ही कार्य करें। इसीलिये प्रस्तुत योजना में हमने बैंकिंग अधिनियम के मूल उद्देश्य तथा भावना को सार्थक करने हेतु कुशल विकेन्द्रित प्रणाली की व्यवस्था की है।

दूसरी शिकायत इस योजना को क्रियान्वित करने में विलम्ब के बारे में थी। सभा की कार्यवाही को देखने से पता लगा है कि स्वर्गीय श्री पी० गोविन्द मैनन ने जिन्होंने यह विधेयक पेश किया था, छः महीने में यह योजना पेश करने का आश्वासन दिया था। यह अधिनियम सभा ने 31 मार्च को पारित किया था और उक्त छः महीने की अवधि 30 सितम्बर, 1970 को समाप्त होती है। परन्तु सभा के अधिवेशन से पूर्व हम इस योजना को प्रकट नहीं करना चाहते थे तथा इसे सभा में ही पेश करना चाहते थे। और ज्योंही इस सभा का सत्र आरम्भ हुआ हमने यहां इसे चर्चा के लिये पेश कर दिया। अतः मेरे विचार से इसमें कोई अनावश्यक विलम्ब नहीं हुआ है।

यह अलग बात है कि यह तीन या चार मास में भी किया जा सकता था परन्तु इतने महत्वपूर्ण मामले पर हम अत्यन्त सावधानी से विचार करना चाहते थे। इस बारे में हमने योग्य निकायों तथा व्यक्तियों से सलाह ली है और यह योजना तैयार की है। और अब अन्तिम रूप से विचार विमर्श संसद के इन दोनों सदनों में होना है। माननीय सदस्यों ने अपने अनेक मूल्यवान सुझाव दिये हैं।

यह कहना भी गलत है कि इस योजना को नौकरशाहों ने तैयार किया है। यह कहना उपहासास्पद है कि हम सदन में जो विधेयक लाते हैं, उसके सम्बन्ध में हमारा कोई उत्तरदायित्व नहीं हैं और हमारा उसे बनाने में कोई दायित्व नहीं है। वस्तुतः इस स्कीम के प्रत्येक खण्ड के बारे में हमारा उत्तरदायित्व है। जब अन्त में इस स्कीम को सदन द्वारा स्वीकार कर लिया जायेगा, तो उसका भी इस पर उत्तरदायित्व होगा।

कई माननीय सदस्यों ने समाज के कमजोर विभागों को ऋण दिये जाने के बारे में कई प्रश्न पूछे हैं। इस सम्बन्ध में मैं बताना चाहता हूं कि हमने उपलब्ध समय के अन्दर न केवल कमजोर एवं पिछड़े विभागों की सहायता की है, अपितु इन प्रदेशों की ओर भी अधिक ध्यान दिया है जहाँ पहले बैंक नहीं थे, जहां बैंक की सुविधायें अपर्याप्त थीं।

इस सिलसिले में ध्यान देने योग्य बात यह है कि क्या हम निर्धारित नीति का उचित ढंग से पालन करते हैं अथवा नहीं। हर बात में हम सदन के प्रति जवाबदेह हैं। अब तक का हमारा अनुभव बताता है कि हमने काफी हद तक अपने उत्तरदायित्वों को निभाया है।

श्री सुदर्शनम् ने प्रबन्ध निदेशकों, अध्यक्ष और पूर्वकालिक निदेशकों के सम्बन्ध में कहा है। श्री नारायण राव ने भी प्रबन्ध निदेशकों की शक्तियों के बारे में कहा है। स्कीम के खण्ड 6 में बताया गया है कि प्रबन्ध निदेशक उन शक्तियों का प्रयोग करेगा जो उन्हें बोर्ड द्वारा दी जाती

हैं। अतः यह कहना उचित नहीं है कि प्रबन्ध निदेशक मनमाने ढंग से काम करेगा। निदेशक बोर्ड बैंक के मुख्य कार्यों के सम्बन्ध में निर्णय करता है।

श्री पटोदिया ने कहा है कि राष्ट्रीयकरण के बाद देश के आर्थिक कार्यों में रिजर्व बैंक का महत्व कम हो गया है। यह ठीक नहीं है। देश में बैंक के कार्यों की देख-रेख करना रिजर्व बैंक का काम है। रिजर्व बैंक को अपने इस उत्तरदायित्व से वंचित नहीं किया गया है। संसद द्वारा पारित कानून द्वारा रिजर्व बैंक को कुछ शक्तियाँ और कुछ उत्तरदायित्व दिए गए हैं। कोई भी वित्त मंत्री किसी कार्यपालिका आदेश द्वारा उसे इस उत्तरदायित्व से वंचित नहीं कर सकता। अतः यह कहना अनुचित होगा कि वित्त मंत्रालय रिजर्व बैंक के दैनिक कार्यों में हस्तक्षेप कर रहा है।

श्री कमलनयन बजाज (वर्धा) : क्या यह सच नहीं है कि वित्त मन्त्रालय बैंक के अध्यक्ष, पूर्ण काल निदेशक अथवा प्रबन्ध निदेशक को रिजर्व बैंक से केवल परामर्श करके नियुक्त कर रहा है ? इन लोगों को नियुक्त करने का काम रिजर्व बैंक को क्यों नहीं दिया जा रहा है ? सामाजिक नियंत्रण में भी मन्त्रालय ने यह काम नहीं किया है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : सरकार इस सदन के प्रति जिम्मेदार है, अतः बोर्ड को नियुक्त करने का उत्तरदायित्व सरकार का ही होना चाहिये। निदेशक बोर्ड का गठन ठीक ढंग से करना हमारा कर्तव्य है।

श्री पाटोदिया तथा अन्य माननीय सदस्यों ने ऋण लेने वालों के बारे में बताया है। इस सम्बन्ध में मैं आवश्यक आंकड़े बाद में दूँगा। परन्तु यह कहना ठीक नहीं होगा कि छोटे ऋण लेने वाले राष्ट्रीयकृत बैंक के कार्यकरण से असन्तुष्ट है। वस्तुतः पहली बार छोटे ऋण लेने वालों को किसी भी बैंकों से ऋण लेने की सुविधा दी गई है।

कुछ मानयीय सदस्यों ने राष्ट्रीयकृत बैंक में भ्रष्टाचार के बारे में कहा है। यह कहना कि राष्ट्रीयकृत बैंकों में भ्रष्टाचार बढ़ा है, बिल्कुल गलत है। यह गलत प्रचार है। अगर हम तथ्यों की गहराई से जांच करें तो मालूम होगा कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद भ्रष्टाचार बहुत कम हुआ है। जब बैंकों की शाखाओं का विस्तार किया जाता है और कम अनुभव प्राप्त लोगों को नियुक्त किया जाता है, तो हो सकता है कि इधर-उधर भ्रष्टाचार की कुछ घटनाएं सामने आ जाएं। इसको रोकने के लिए हम प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंकों में एक सतर्कता सेफ बना रहे हैं। इन मामलों में सतर्कता आयोग भी तत्परता से कार्य कर रहा है। अतः यह आरोप कि राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों में भ्रष्टाचार बढ़ा है, निर्मूल है।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : क्या वे इन मामलों की तटस्थ रूप से जांच करायेंगे ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : वस्तुतः जो भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं, हमने उनकी जांच कराई है। कुछ मामलों में भ्रष्टाचार का आरोप सही सिद्ध हुआ है। परन्तु अधिकांश आरोप गलत सिद्ध हुए हैं।

श्री पाटोदिया ने निदेशक बोर्ड में स्थानीय प्रतिनिधित्व दिये जाने की भी मांग है । मेरे विचार से इस प्रकार के स्थानीय प्रतिनिधित्व बैंकों के कार्यकरण में सहायक नहीं होगा।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया (जालोर): मैंने स्थानीय प्रतिनिधित्व का सुझाव नहीं दिया है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : श्री स० मो० बनर्जी ने श्री पाटोदिया द्वारा उठाई गई सारी बातों का जवाब दिया है। अतः मैं उस सम्बन्ध में अधिक नहीं कहना चाहता हूँ । श्री नवल किशोर शर्मा ने भी इस स्कीम के सम्बन्ध में कुछ अच्छे सुझाव दिये हैं। उन्होंने कहा है कि आसाम, उडीसा, मध्यप्रदेश और राजस्थान में जहां बैंक की अधिक सुविधायें प्राप्त नहीं है, नये बैंक खोले जाने चाहिए। इन बातों पर हम समुचित ध्यान देंगे ।

श्री कोठारी ने कार्यकुशलता, लेखा प्रस्तुत करने में अनावश्यक विलम्ब तथा उन इलाकों में जहां बैंक नहीं हैं नये बैंक खोले जाने के सम्बन्ध में बताया है। उन्होंने यह भी कहा है कि कुछ शाखायें घाटे पर चल रही हैं। अतः उनको लाभकारी बनाने के लिये आवश्यक कदम उठाया जाना जरूरी है। यह बहुत अच्छा सुझाव है। जब बैंकों की नई शाखायें उन इलाकों में खोली जाती हैं, जहाँ लोग बैंक में कार्यकरण से परिचित नहीं हैं, तो सम्भव है कि प्राथमिक अवस्था में कुछ नुकसान हो। परन्तु हम इसको ठीक करने के लिये आवश्यक कार्यवाही तुरन्त करेंगे। उन्होंने कहा है कि निदेशक बोर्ड को नौकरशाह बनने से रोका जाना चाहिए। एक अन्य बात यह थी कि निदेशक बोर्ड में 60 प्रतिशत सरकारी अधिकारी हैं। यह ठीक नहीं है। बैंक का जो पुनर्गठन किया गया है, उसके अनुसार अगर निदेशक बोर्ड में 6 अथवा 7 निदेशक हैं, तो उनमें वित्त मन्त्रालय का केवल एक प्रतिनिधि और रिजर्व बैंक का भी केवल एक प्रतिनिधि होगा। नई स्कीम के अनुसार 14 अथवा 16 निदेशकों में से सरकार के केवल दो ही प्रतिनिधि होंगे। शेष लोग समाज के विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि होंगे। अतः नौकरशाही का सवाल ही नहीं उठता है।

एक माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि कर्मकारों के प्रतिनिधियों को गुप्त मतदान द्वारा चुना जाना चाहिए। इससे कोई लाभ नहीं होगा। हमारे श्रमिक संघों में अब तक यह प्रक्रिया चालू नहीं की गई है। श्रमिक संघों का कर्तव्य केवल श्रमिकों के हितों की रक्षा करना ही नहीं अपितु बैंकों के कार्यों को सुचारु रूप से चलने में सहायता देना भी है। आशा है, कि इस स्कीम द्वारा श्रमिकों और श्रमिक संघों को जो ऐतिहासिक भूमिका दी गई है, वे इसको सफलता से निभायेंगे।

एक माननीय सदस्य ने कहा है कि निदेशकों को पूर्ण स्वायत्तता दी जानी चाहिये। इस स्कीम द्वारा उन्हें पूर्ण स्वायत्तता दी जा रही है। श्री मारन ने कहा है कि बैंकों के अध्यक्षों से कहा जाए कि वे इस सम्बन्ध में अपनी आस्तियों की घोषणा करें। हम इस पर विचार करेंगे। श्री बजाज ने कहा है कि स्टेट बैंक आफ इण्डिया की तरह ही राष्ट्रीयकृत बैंकों को भी सरकारी कार्य करने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह एक रचनात्मक सुझाव है और हम इस पर अवश्य विचार करेंगे। मेरे विचार से हम सिद्धांततः इसको स्वीकार कर सकते हैं। श्री बजाज ने कहा है कि उन बैंकरों को जो राष्ट्रीयकरण के पूर्व बैंक का कार्य कर रहे थे पुनः बैंक का कार्य करने की

अनुमति दी जानी चाहिए। पंजाब नेशनल बैंक ने रिजर्व बैंक से 10 करोड रुपये हिस्सेदारों के नाम से क्षतिपूर्ति के रूप में लिये हैं। परन्तु इन हिस्सेदारों को उक्त राशि नहीं बाँटी गई। वे इसे अपने पास रखकर बैंक का कार्य पुनः चालू करना चाहते हैं। अतः इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है।

श्री रणधीर सिंह ने छोटे किसानों के हित की रक्षा के लिये आवश्यक कदम उठाने के बारे में कहा है। उन्होंने मूल्यवान और रचनात्मक सुझाव दिये हैं। उनके सुझाव की ओर उचित ध्यान दिया जाएगा। श्री लोबो प्रभु ने जमा पूंजी में वृद्धि के संबंध में कुछ आंकडे दिये। जिसके बारे में मैं बाद में बोलूंगा।

श्रीमती शारदा मुकर्जी ने कहा है कि निदेशक बोर्ड में 50 प्रतिशत सरकारी अधिकारी हैं। यह ठीक नहीं हैं। अधिकारियों की संख्या सब से कम है।

श्रीमती शारदा मुकर्जी (रत्नगिरि) : क्या यह सच नहीं हैं कि निदेशक बोर्ड के 87 निदेशकों में 14 निदेशक सरकारी अधिकारी हैं अथवा रिजर्व बैंक के अधिकारी हैं ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : इस प्रश्न का उत्तर मैं अन्त में दूंगा। राष्ट्रीयकरण के बाद देहाती इलाकों में तथा उन इलाकों में जहाँ बैंक की सुविधायें नहीं हैं बैंकों की कई शाखायें खोली गई हैं। राष्ट्रीयकरण के $14\frac{1}{2}$ महीने बाद भी 1965 नई शाखायें खोली गई हैं। प्रतिमाह औसतन 135 शाखायें खोली गई हैं। इनमें से 67 प्रतिशत शाखायें देहाती इलाकों में ही खोली गई हैं।

मुख्य बैंक योजना के संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि वे, जिन्होंने इसका सुझाव दिया है, इस योजना की विशेषतायें समझ लें। श्री दत्तात्रय कुन्टे ने कहा है कि $14\frac{1}{2}$ महीने के बाद एक भी मुख्य बैंक ने अपने जिले में एक शाखा भी नहीं खोली। यह बात नहीं है कि केवल मुख्य बैंक ही शाखा खोले अन्य बैंक भी शाखायें खोल सकते हैं। परन्तु मुख्य बैंक आवश्यक सर्वेक्षण करेगा और अन्य बैंकों तथा ऋण देने वाली संस्थाओं के कार्यों को समन्वित करेगा और स्वयं उस इलाके के आर्थिक विकास कार्यों को सुचारु रूप से चलाने में सहायता देगा परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि इस बैंक का वहां एकाधिकार होगा। रिजर्व बैंक मुख्य बैंक योजना के कार्यकरण में भाग ले रहा है और अगर आवश्यक हुआ, तो हम इसके कार्यकरण में सुधार करेंगे।

कुछ माननीय सदस्यों ने जमा राशि में वृद्धि करने के बारे में कहा है। हम चाहते हैं कि जमाराशि में अधिकाधिक वृद्धि हो। यहां मैं कुछ आंकडे प्रस्तुत करना चाहता हूँ जो यह दिखायेंगे कि हमने अब तक इस दिशा में क्या क्या प्रयत्न किये हैं।

दिसम्बर, 1969 के अन्तिम शुक्रवार और 30, नवम्बर 1970 के बीच 14 बैंकों में जमा राशि में 406.4 करोड़ रुपये अथवा 14.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि वर्ष 1969 की उपर्युक्त अवधि में 323.9 करोड़ रुपये अथवा 13.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। स्टेट बैंक आफ इंडिया और 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों में 1969 की तुलना में जमा राशि में लगभग 200 करोड़ रुपये

की वृद्धि हुई है। वर्ष 1970 में नवम्बर 1970 तक विदेशी अथवा अन्य भारतीय असूनुचित बैंकों की तुलना में राष्ट्रीयकृत बैंकों से अधिक धनराशि जमा की गई है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि जमा राशि बढ़ाने के हमारे प्रयत्न लाभप्रद सिद्ध हुए हैं। आरम्भ में कुछ कठिनाई अवश्य थी परन्तु अब हमारी अर्थ व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ होने के साथ जमा राशि में अधिक वृद्धि होने की सम्भावना है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों ने ऋणों में विविधता लाकर एक महत्वपूर्ण कार्य किया है। इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने जो कई सुझाव दिये हैं, हम उनका ध्यान रखेंगे। ऋण देने की नीति काफी उदार बना दी गई है। हमारी नीति कमजोर वर्गों, निर्धन वर्गों, विद्यार्थियों आदि को अधिक से अधिक सहायता देने की है। इस प्रकार की योजनाएं बनाई गई हैं जिनसे कृषि, लघु उद्योग, सड़क परिवहन, छोटे व्यापारियों, बेरोजगार व्यक्तियों इंजीनियरों को दी जाने वाली राशि में अधिक जोखिम न हो। जुलाई 1969 और अगस्त 1970 के बीच इन खातों की संख्या 2,70,421 से बढ़कर 10,23,069 हो गई थी। जहां तक कम ऋण लेने वालों से कम ब्याज लेने का सम्बन्ध है, यह मामला हमारे विचाराधीन है। हमने सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है कि समाज के कमजोर वर्ग में कम ऋण लेने वाले व्यक्तियों को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध किया जाये। इस मामले पर ध्यानपूर्वक विचार करना होगा जिससे इसका हमारी सामान्य आर्थिक स्थिति पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।

रोजगार पैदा करने के लिये सुविधाएं देने हेतु हम कुछ विशेष योजनाएं बना रहे हैं। इस प्रकार की किसी भी योजना पर बैंक गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे और उसे अत्यधिक प्राथमिकता देंगे। इस सम्बन्ध में एक योजना बनाने के लिये हमने एक समिति नियुक्त की है और उससे कहा है कि सिद्धान्ततः किये गये उपर्युक्त निर्णय को क्रियान्वित करने के बारे में अपने सुझाव दे। इस समिति का प्रतिवेदन शीघ्र मिल जाने की सम्भावना है।

जहां तक बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों की सुरक्षा का सम्बन्ध है हमने एक व्यापक ऋण गारंटी योजना बनाई है जिसे लागू किया जायेगा। इस योजना का उद्देश्य यह है कि कम ऋण लेने वाले लोगों को कोई कष्ट न हो और इसके साथ ही बैंक की धनराशि को भी कोई खतरा न हो।

हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि बड़े बड़े व्यापार-गृहों, औद्योगिक-गृहों आदि द्वारा बैंकों से प्राप्त धनराशि का उपयोग किस प्रकार किया जाता है। पहले वे पर्याप्त गारंटी दे सकते थे और वे उस धन को मनमर्जी से खर्च कर सकते थे। परन्तु अब हमने इस बात का ध्यान रखने का निर्णय किया है कि बड़े उद्योगपति बैंक से प्राप्त राशि का उपयोग किस प्रकार करते हैं। हम चाहते हैं कि उद्योग तथा व्यापार की वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये दिये गये इन ऋणों का दुरुपयोग न हो। इस सम्बन्ध में हमने निर्णय किया है कि अब एक लाख रुपये से अधिक अप्रयुक्त राशि पर एक प्रतिशत की दर से वचनबद्धता शुल्क लगाया जायेगा। दूसरे, रिजर्व बैंक द्वारा ऋण प्राप्त करने का अधिकार दिये जाने सम्बन्धी व्यवस्था में सुधार किया जा रहा है। इस योजना को ब्यौरेवार बनाया जा रहा है जिससे रोक सम्बन्धी उपायों को प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वित किया जा सके।

कुछ बड़े उद्योग एक ही समय में विभिन्न बैंकों से ऋण लेते हैं और सम्बन्धित बैंकों के लिये इस बात का पता लगाना कठिन था कि वे लोग विभिन्न बैंकों तथा अन्य साधनों से कुल कितना ऋण प्राप्त कर रहे हैं। अब हमने सरकारी क्षेत्र के बैंकों की एक समन्वय समिति बनाई है। और अब हमने एक कार्यकारी दल भी बनाया है जो बैंकों में सूचना का आदान-प्रदान करता रहेगा जिससे बड़े व्यापार गृहों में इस कदाचार को रोका जा सके और उन पर उचित नियंत्रण रहे।

कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों की संगठन व्यवस्था तथा आंतरिक लेखा परीक्षा व्यवस्था का पुनरीक्षण करने के लिये एक समिति बनाने पर विचार किया जा रहा है। इस समिति के निष्कर्ष प्राप्त होने पर जहां कहीं भी किसी त्रुटि का पता चलेगा उसे दूर किया जायेगा। मुझे आशा है कि यह सभा इस योजना का समर्थन करेगी।

श्री स० कुण्डू (बालासौर) : मैंने पूछा था कि जमा राशि की प्रगति दर में कमी होने के क्या कारण है ? मैं इसका स्पष्टीकरण चाहता हूं। दूसरे मैंने भी सुझाव दिया था कि इन बैंकों की 50,000 शाखाएं खोली जाये, इस बारे में मंत्री महोदय ने कुछ नहीं कहा है। उन्हें बताया जाना चाहिये कि उनके सामने क्या कठिनाइयां हैं। मैंने कहा था कि इससे 2.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। मन्त्री महोदय को मेरे प्रश्नों का उत्तर अवश्य देना चाहिये।

सभापति महोदय : सभी माननीय सदस्य अपने प्रश्न पूछ लें और बाद में मंत्री महोदय उसका उत्तर दे देंगे।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : मैंने कहा था कि निदेशकों को नियुक्त करते समय जमाकर्ताओं की उन संस्थाओं के साथ परामर्श किया जाना चाहिये जो उनका प्रतिनिधित्व करती है क्योंकि निदेशकों द्वारा किये जाने वाले निर्णयों का उन पर अधिक प्रभाव पड़ता है।

भारत में उत्तर तथा दक्षिण के किसानों की समस्याओं में अन्तर है। उनकी समस्याएं एक जैसी नहीं हैं अतः उनका स्पष्टीकरण आवश्यक है।

मंत्री महोदय को आश्वासन देना चाहिये कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर को नियुक्ति के मामले में रिजर्व बैंक के साथ किये गये परामर्श पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जायेगा और उसे केवल औपचारिक परामर्श कह कर अस्वीकार नहीं किया जायेगा।

श्री तेन्नेटी विश्वनाथम (विशाखापतनम) : मध्य वर्ग तथा छोटे ऋण प्राप्तकर्ताओं को ऋण देने के बारे में निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के बारे में जनता को जानकारी देनी चाहिये। दूसरे मैंने कहा था कि जहाँ तक बोर्ड में श्रमिकों के अतिरिक्त कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व का संबंध है; रिजर्व बैंक के साथ परामर्श करने के बजाय मान्यता प्राप्त संघों के नामांकित व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को अवश्य चुना जाना चाहिये। मंत्री महोदय को मेरे इस संशोधन को स्वीकार कर लेना चाहिये।

श्री अ० डांगे (बम्बई मध्य-दक्षिण) : क्या सरकार किसी एक या दो व्यक्तियों को कई करोड़ रुपये का ऋण दिये जाने की प्रथा रोकने के लिये कोई कार्यवाही करने के संबंध में

विचार कर रही है ? क्या सरकार स्विस सरकार तथा स्विस बैंकों से अनुरोध करेगी कि वे गुप्त लेखे रखने की प्रथा छोड़ दें ।

श्री कमलनयन बजाज (वर्धा) : मंत्री महोदय ने कहा है कि कुछ लोग राष्ट्रीयकृत बैंकों के विरूद्ध प्रचार कर रहे हैं । परन्तु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वास्तव में राष्ट्रीयकृत बैंकों को परामर्श देना चाहते हैं और उन्हें अपने अनुभव से अवगत कराना चाहते हैं। परन्तु उन्हें अब प्रतिक्रियावादी बताया जाता है । यदि ऐसा कोई प्रचार किया जाता है तो उसे रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ? यह कहना गलत है कि पंजाब नेशनल बैंक मेरा है, श्री टी० टी० कृष्णमाचारी के आग्रह पर मुझे उस बैंक का चेयरमैन बनाया गया था परन्तु उसमें मेरी कोई विशेष रूचि नहीं है और न ही अब मैं उस बैंक का चेयरमैन हूं । परन्तु जब तक मैं वहां पर हूं, अंशधारियों की सेवा करना मेरा कर्तव्य है ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैंने केवल इतना कहा था कि वह बैंक के चेयरमैन हैं ।

श्री सरदार अमजद अली (बशीरहाट) : मैंने सुझाव दिया था कि ऋण-भार मुक्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाना चाहिये । मैं इसका स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

Shri M. A. Khan (Kasganj) : May I know whether Reserve Bank of India has issued a circular according to which the banks have been given directions that they should neither advance loans to the people residing at a distance of more than ten miles from the bank nor deal with such applications, if so the steps taken to give benefit to such people? It was stated that new Banks will be opened. May I know the time by which this expansion would take place?

श्री मुरासोली मारन (मद्रास दक्षिण) : मैं पूछना चाहता हूं कि निदेशकों का चयन करने के सम्बन्ध में बैंक उद्योग में कर्मचारियों तथा श्रमिकों के लिये भिन्न-भिन्न तरीकों को क्यों अपनाया जा रहा है ? क्या मंत्री महोदय एक वक्तव्य देंगे कि बैंकिंग सेक्टर में कोई भी सरकारी कर्मचारी रिजर्व बैंक गवर्नर से अधिक वेतन प्राप्त नहीं करेगा ? क्या परामर्शदातृ समिति को भी स्टेट बैंक आफ इंडिया के स्थानीय बोर्डों की तरह पुनर्गठित किया जाएगा ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : श्री कुन्दू ने प्रगति की दर का प्रश्न उठाया था । मैंने इसका ब्यौरेवार उत्तर दे दिया है । मैंने बताया था कि जमा राशि में 14 प्रतिशत वृद्धि हुई है ।

श्री स० कुन्दू : मैं इसके कारण जानना चाहता था ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : श्री पाटोदिया इस बात का आश्वासन चाहते हैं कि निदेशक बोर्ड की नियुक्ति के बारे में रिर्जव बैंक के साथ परामर्श औपचारिक-मात्र नहीं होना चाहिये बल्कि ठोस रूप में होना चाहिये । इस सम्बन्ध में रिजर्व बैंक द्वारा दिये जाने वाले सुझावों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जायेगा । कोई भी सरकार रिजर्व बैंक के परामर्श की उपेक्षा नहीं कर सकती । जहां तक विभिन्न योजनाओं के प्रचार का सम्बन्ध है विभिन्न बैंक कम ऋण प्राप्त करने वाले लोगों के लिये निर्धारित योजनाओं का समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं के माध्यम से प्रचार करते रहते हैं ।

इसके बावजूद हम इस बात पर विचार करेंगे कि प्रचार कार्य को किस प्रकार प्रभावशाली ढंग से चलाया जा सकता है ।

यह ठीक है कि बैंक राष्ट्रीयकरण का विरोध करने वाले व्यक्तियों को प्रतिक्रियावादी कहा जाता है । इसमें प्रचार की कोई बात नहीं है । यह सच्चाई है ।

यह बात भी ठीक है कि हम चाहते हैं कि बैंकों की अपनी निकटतम शाखा से 10 मील की दूरी से परे ऋण सुविधाएं नही देनी चाहिये । ऋण प्राप्त करने वाले लोगों पर कारगर नियत्रण रखने के लिये यह व्यवस्था की जाती है । इस समस्या का समाधान बैंकों की अधिक शाखाएँ खोलकर किया जा सकता है । इस सम्बन्ध में विचार किया जायेगा । जहाँ तक बैंकों के कस्टोडियनों का वेतन रिजर्व बैंक के गवर्नर से अधिक होने का सम्बन्ध है, हम इस मामले पर गम्भीरता पूर्वक विचार करेंगे ।

सभापति द्वारा संशोधन संख्या 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. और 14 सभा के मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

The Motions No. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, and 14 were put and negatived.

पूर्वी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के पुनर्वास के बारे में प्रस्ताव
MOTION RE: REHABILITATION OF EAST PAKISTAN REFUGEES

श्री वासुदेवन नायर पीठासीन हुए ।
Shri Vasudewan Nair *in the chair*

श्री समर गुह (कन्टाई): बंगालियों में साम्प्रदायिक भावना सबसे कम होती थी और है परन्तु ब्रिटिश शासकों के षड़यंत्र एवं हमारे राष्ट्रीय नेताओं के प्रेम का प्रभाव सबसे अधिक उन पर पड़ा है । पूर्वी पाकिस्तान में अकाली लीग की विजय से भारत-पाकिस्तान के बीच व्याप्त कटुता के वातावरण में परिवर्तन की संभावना आज कल बहुत है । आशा है कि इस विजय के परिणामस्वरूप दोनों देशों के बीच कटुता समाप्त होकर सद्भावना, सहयोग तथा शांति का युग प्रारम्भ होगा ।

मैं आशा करता हूं कि अकाली लीग के नेता श्री मुजीबुर रहमान पूर्वी पाकिस्तान के सभी बंगाली वर्गों के नेता के रूप में अल्पमत जातियों की भावनाओं की भी रक्षा करेंगे जिससे वे बहुमत जाति के अपने भाइयों के साथ मिल कर वहां रहने के बारे में विचार करें । इस भावना के उदय होने के कारण पश्चिम बंगाल एवं पूर्वी पाकिस्तान के बीच के सम्बन्धों का युग प्रारम्भ हो ऐसी भी मेरी आशा है ।

शरणार्थियों के पुनर्वास के सम्बन्ध में मैंने प्रधानमंत्री तथा पुनर्वास मंत्री को एक पत्र लिख कर शरणार्थियों के सम्बन्ध में पाकिस्तान पर अन्तर्राष्ट्रीय दबाव डालने की आवश्यकता पर बल दिया था । परन्तु अब परिस्थितियाँ बदल गई हैं । अब मैं सरकार से यही प्रार्थना करूंगा कि

उस प्रकार की कार्यवाही की कोई आवश्यकता अब नहीं रही है। इस समस्या को सुलझाने के लिए अब उन प्रगतिशील नेताओं की सहायता ली जानी चाहिये।

पूर्वी पाकिस्तान से भारत आने वाले शरणार्थियों के तीन वर्ग हैं। पहले वर्ग में वह लोग हैं जो 1964 से पहले भारत आए, दूसरे वर्ग में वह हैं जो 1964 से लेकर 1969 तक भारत आए और तीसरे वर्ग में वे हैं जो 1969 और 1970 वर्षों के दौरान भारत आए। अपने उपरोक्त पत्र में मैंने यह भी सुझाव दिया था कि अलग से एक पुनर्वास मन्त्रालय खोला जाए। इस विषय में मेरा एक अन्य सुझाव है कि अंडमान मुख्यायुक्त सहित सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों की बैठक बुलाकर शरणार्थियों के पुनर्वास हेतु एक सुनियोजित कार्यक्रम तैयार किया जाए।

पश्चिम बंगाल में पारमन शिविरों की अवस्था में कुछ सुधार हुआ है। परन्तु मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा राजस्थान स्थित पारगमन शिविर की अवस्था ठीक नहीं है। इन कैम्पों में भोजन, कपड़े, बर्तनों आदि पर जो धन व्यय किया जा रहा है वह पूर्णता अपर्याप्त है। 1964 के कत्लेआम के पश्चात आए लगभग 6 लाख शरणार्थी अभी पश्चिम बंगाल में हैं परन्तु सरकार ने उन्हें शरणार्थी के रूप में स्वीकार नहीं किया है। सरकार उनके मामले पर फिर से विचार करके उन्हें शरणार्थी स्वीकार करे तथा उन्हें सभी सुविधाएं प्रदान करे।

मैसूर, आंध्रप्रदेश तथा उड़ीसा और बिहार के भागों में पुनर्वास योजनाएं पूर्णता असफल रही हैं। ये योजनाएं केवल दण्डकारण्य क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश के तराई तथा रूद्रपुर क्षेत्र और बिहार के बेलिया शिविर में ही सफल हुई हैं। 1964 के पश्चात आनेवाले तथा नये शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए व्यवस्थित योजना बनाई जाए। विभिन्न राज्यों में उन्हें बसाने के बजाये दण्डकारण्य परियोजना क्षेत्रों में ही उन्हें एक स्थान पर बसाया जाए। इन क्षेत्रों में कुछ कृषि भूमि उपलब्ध है जिस पर इन्हें बसाया जा सकता है। इस समय वहां पर केवल 10,000 परिवारों को बसाया गया है और 40,000 अतिरिक्त परिवारों को अभी वहां पर और बसाया जा सकता है। सरकार इन लोगों को नेफा में बसाये जाने की सम्भावना के सम्बन्ध में विचार कर रही है इसमें शीघ्रता की जानी चाहिये। जिससे स्थिति स्पष्ट हो सके। सुन्दरबन क्षेत्र में भी दो लाख शरणार्थियों को बसाया जा सकता है इससे उस क्षेत्र में मत्स्य विकास में भी सहायता मिलेगी।

अन्डमान तो इन लोगों के पुनर्वास के लिए सब से उत्तम क्षेत्र है। परन्तु वहां पर बहुत कम परिवारों को भेजा गया है। जबकि वहां पर 50,000 परिवारों को बसाया जा सकता है। वहां पर और लोगों को भेजने की सरकार की योजना थी जो कार्यान्वित नहीं की गई है। इस विषय में अध्ययन करने के लिए वहां एक सरकारी अन्तः विभागीय समिति बनाई गई थी जिसने रिपोर्ट दी है कि 1971 तक वहां 75,000 शरणार्थियों को और 1973 तक 75,000 अतिरिक्त शरणार्थियों को वहां बसाना सम्भव है। परंतु सरकार ने इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की। इस संबंध में एक समिति गठित की जानी चाहिये।

सरकार द्वारा गठित पुनरीक्षा समिति की रिपोर्ट के अनुसार 75 प्रतिशत लोगों का आर्थिक दृष्टि से कोई पुनर्वास नहीं हुआ है। केवल मकान अथवा भूमि का टुकड़ा पा लेना ही पर्याप्त नहीं होता। इन लोगों की बस्तियां गन्दी बस्तियों से भी आगे हैं। हिंसा की भावना को वहां

प्रश्रय मिलता है। इन लोगों की समस्या को जल्दी हल किया जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में 1955 में दो योजनाएं बनाई गई थीं जिनका कार्यान्वयन ठीक ढंग से नहीं हुआ है।

पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों को मुआवजा दिये जाने के सबंध में नेहरू लिआकतअली समझौते के बारे में हवाला देकर कहा जाता है कि यह मुआवजा नहीं दिया जा सकता यद्यपि पश्चिमी पाकिस्तान से आने वाले शारणार्थियों को 200 करोड रुपये की राशि मुआवजे के रूप में दी गई है। अतः इन लोगों को भी तुलनात्मक रूप से मुआवजा दिया जाना चाहिये। सरकार इन लोगों की समस्या को राष्ट्रीय समस्या, मानविक समस्या के रूप में देखे और राष्ट्रीय कर्तव्य के रूप में इसे हल करें।

Shri Beni Shanker Sharma (Banka) : I also feel that if Sheikh Mujibur Rehman is able to form Government the relation between Pakistan and India would improve. But I would request the Government to direct its High Commission to start negotiations about influx of refugees from Pakistan.

We have our own problems in this country and had problem is one of them. The influx of refugees would add to that problems. All persons coming as refugees were not farmers but on the hope of getting some land they are not doing any work though a number of them are trained in other jobs. When there is shortage of land for ourselves how all such persons can be provided with land.

I may point out that the conditions under which there refugees are made to line in Camps are not humane. Some Schemes should be prepared to rehabilitate them properly. They should be helped to stand on their own and only then the position could be solved.

They could be provided Ambar Charkhas or Sewing machines, etc. so that they could engage themselves in some utilitarian work and stand on their own. So far as settling them permanently is concerned, only Andaman is such an area where they could be settled comfortably.

Arrangements should also be made for imparting education to children of these people. They should be imparted education in their mother tongue upto primary stage for which no arrangements has so far been made.

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी (हावडा) : मैं यह विश्वास नहीं करता कि पूर्वी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए पूर्वी पकिस्तान के वातावरण में परिवर्तन की आवश्यकता है। इस समस्या को हल करने के लिए मैं किसी दूसरे देश पर आधारित नहीं रहना चाहता। यह ठीक है कि वहां पर बहुत बड़ी क्रांति हुई है परन्तु अपनी इस समस्या के समाधान के लिए हम उनकी सद्भावना अथवा सहयोग पर अवलम्बित क्यों रहे ?

देश का बंटवारा एक गलती थी। परन्तु उस बंटवारे के पश्चात भी जो प्रयास किये गये हैं वह व्यर्थ गये हैं। उन प्रयासों से पुनर्वास की समस्या का कोई हल नहीं हुआ है।

भाषा सम्बन्धी बहुत सी बाधाएं हमारे सामने हैं। इस कारण अन्य राज्यों में पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों को बसाना अधिक सफल नहीं रहा है। पश्चिम बंगाल में भूमि नहीं है, यह कहा है।

पर शरणार्थियों को सुन्दरवन क्षेत्र में बसाया जा सकता है और इस प्रकार उन्हें बसाने के साथ-साथ छापामार युद्ध की कार्यवाहीयों को भी रोका जा सकता है। दण्डकारण्य में भी और अधिक लोगों को बसाया जा सकता है।

अन्डमान द्वीप समूहों में भी पुर्नवास को तुरन्त पूरा किया जाना चाहिए। मेरे राज्य के पुनर्वास विभाग में अत्याधिक भ्रष्टाचार है। माननीय मंत्री को चाहिए कि वे स्वयं इसकी जांच करें। हम सब गड़बडी का मुख्य कारण बंगालियों की अपनी मित्र संस्कृति और भाषा के कारण अन्य राज्यों में बसने से इन्कार करना है। अतः मैं पुनः मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि वे स्वयं वहां जा कर वहां की स्थिति को देखे।

शरणार्थियों की यह समस्या केवल पश्चिम बंगाल की ही समस्या नहीं है। इसे राष्ट्रीय स्तर पर सुलझाया जाना चाहिये।

श्री अमियनाथ बोस (आरामबाग) : यह बड़े खेद की बात है कि स्वतंत्रता मिले 23 वर्ष होने पर भी आज हमें पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों कि समस्या पर विचार करना पड़ रहा है। और मुझे संदेह है कि यह एक सरकार जो भारत की एकता समाप्त करने, और बंगाल को भेड़ियों के हाथों में सौंपने के लिए जिम्मेदार हैं कभी भी इस समस्या को हल कर सकेगी।

आप कहते हैं कि बंगाल हिंसा और नक्सलवादी गतिविधियों में विश्वास करता है। परन्तु जब लोगों को पर्याप्त होते हुए भी खाने को कुछ न मिले और वे हिंसा पर उतारू हों तो उसमें उनका क्या दोष।

बंगाली शरणार्थी दया की भीख नहीं माँगते वे न्याय चाहते हैं। चाहते हैं कि विभाजन के समय जो वायदा किया गया था वह पूरा किया जाये।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : शरणार्थियों की यह समस्या समूचे राष्ट्र की समस्या है और इसे सुलझाना समस्त राष्ट्र की जिम्मेदारी है। पर वर्तमान सरकार उसी ढ़र्रे पर चल रही है जिस पर कि ब्रिटिश सरकार चलती थी।

स्वतंत्रता प्राप्ति के 23 साल बाद भी बंगाल के सम्मुख अनेक समस्याएं है। उसके सामने बेघरबार लोगों को बसाने की समस्या है। पूर्वी पाकिस्तान में अपनी धन सम्पत्ति छोड़ कर आये लोगों को मुआवजा दिया जाना है। सरकार को इस सबका हिसाब देना चाहिये कि उन्हें अब तक कुछ लोगों को एक भी पैसा क्यों नहीं दिया गया।

प्रतिदिन बड़ी संख्या में आने वाले शरणार्थियों की समस्या बंगाल के सम्मुख है। उनके लिये जो व्यवस्था की गई है वह बहुत ही कम है। उनको आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। अतः अस्वास्थकर परिस्थितियों में रहने के कारण उनमें अनेक व्यक्ति मर रहे हैं। एक शरणार्थी पर केवल 87 पैसे प्रति दिन खर्च किया जाता है, जो कि घर के कुत्ते के लिये भी नाकाफी है। यह कम से कम 3 रुपये प्रति व्यक्ति होना चाहिए।

पश्चिम बंगाल के सुन्दरबन क्षेत्र में बहुतसी कृषि योग्य भूमि खाली पड़ी है पर वहां सरकार कुछ नहीं कर रही है। वह शरणार्थियों की समस्या को सुलझाना ही नहीं चाहती है।

हमने इस समस्या को एक सामूहिक समस्या के रूप में सुलझाने के लिये मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन बुलाने की सलाह दी थी पर वे ऐसा करने को राजी नहीं।

पाकिस्तान के साथ जो बातचित चल रही थी उसका क्या हुआ ? हमें अब उसे पूरे मनोयोग से चालू करना चाहिए। अन्यथा बहुत देरी हो जायगी, अब समय है उसे चलाने का।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : हाल ही में पाकिस्तानी चुनावों के परिणामों से ऐसा लगता है कि पूर्वी पाकिस्तान से हमारे सम्बन्ध सुधरेंगे और अब और शरणार्थी भारत नहीं आयेंगे।

शरणार्थियों की भलीभांति देख भाल नहीं की जाती है और इस कारण उनमें से कई की मृत्यु भी हो गई। उन्हें अच्छा भोजन नहीं दिया जाता। वे काम चाहते हैं भीख पर रहना नहीं चाहते। वे किसान हैं और उन्होंने अच्छी खेती की है, वह आप सरुद्रपुर में देख सकते हैं।

Shri Deven Sen (Asansol) : Government should stand negotiations with Pakistan for Confederation of India and Pakistan. This is the high time for that.

I do not want to put any allegation on Pakistan because I am not in the habit of putting allegations. Neither I want to put any demand for land from Pakistan nor I want to say any thing against Pakistan. There was a Nehru-Liyaquat pact. According to Evacuee Property Act,a sum of rupees four crores was given to the people comming from West Pakistan. But we are not getting anything from East Pakistan. It has been stated in point 5 of Nehru-Liyaquat pact that "rights of ownership in or occupancy of the immovable property of a migrant shall not be disturbed. If, during his absence, such property is occupied by another person, it shall be returned to him, provided that he comes back by 31st December, 1950." It means that, that property which has been acquired is to be returned to the refugee whenever he returns. It has been further stated in point 6 of the fact, "that in the case of a migrant who decides not to return, ownership of all his moveable property shall continue to vest in him and he shall have unrestricted right to dispose of it by sale, by exchange with an evacuee in the other country, or otherwise."

I wish that India must have trade relations with Pakistan. We should supply coal to East Pakistan and Pakistan should supply fish to India. If we start our trade relation then I feel that all the disputes between India and Pakistan will come to an end and afterward we can raise the slogan of Confederation between the two Countries.

श्री बे० कृ०दास चौधरी (कूच-बिहार) : हमारे आज की चर्चा का विषय है "कि इस सभा की राय है कि पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये प्रभावी कदम उठाये जाये।"

जो थोड़ा समय हमारे पास है उसमें सबसे पहले हमें इस बात पर विचार करना चाहिये कि सरकार ने अब तक पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये क्या योजना बनाई

है। मंत्रालय ने अपने प्रतिवेदनों में इससे सम्बद्ध कुछ आंकड़े प्रकाशित किये हैं और मंत्री महोदय ने भी इस घोषणा पर प्रसन्नता व्यक्त की है कि वह पश्चिम पाकिस्तान की अपेक्षा पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों पर अधिक धन व्यय कर रहे हैं। मंत्रालय ने जो हाल ही में आकड़े दिये हैं उसके अनुसार पूर्व पाकिस्तान से आये शरणार्थियों के पुनर्वास पर 302 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं और पश्चिम पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों पर 205 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं।

यदि इस संबंध में हम जरा दिये गये अनुदानों की दृष्टि से विचार करें तो पता चलेगा कि पश्चिम पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों पर 101 करोड़ रुपया खर्च किया गया है और पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों पर 136 करोड रुपये खर्च किये गये हैं। इसीप्रकार दण्डकारण्य योजना के लिए 48 करोड़ रुपये की व्यवस्था है; 5 करोड़ रुपया पुनर्वास के लिये व्यय किया जा रहा है। पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों के लिए 66 करोड़ रुपये की व्यवस्था है परन्तु पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों के लिए 47 करोड़ रुपये रखे गये है। इसी प्रकार की कई अन्य छोटी छोटी बाते हैं। इससे मेरा कहने का तात्पर्य केवल यह है कि अब तक जितनी भी योजनाएं प्रस्तुत की गई हैं वह पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों को केवल नकद सहायता से सम्बन्धित है। पश्चिमी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों की संख्या 40.70 लाख है जबकी पूर्व पाकिस्तान से 50.50 लाख शरणार्थी आये हैं। फिर पश्चिम पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों को केवल 200 करोड़ रुपये के लगभग मुआवजा ही नहीं दिया गया अपितु इसके साथ ही 60 लाख एकड़ पंजाब की उपजाऊ भूमि और 4.44 लाख रुपये के लगभग की सम्पत्ति भी केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा उनको दी गई है। अब जरा इस सबको मिलाकर आप अनुमान लगाइये की पश्चिम पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों को इस प्रकार कितना लाभ हुआ है। यह कुल मिलाकर 2500 करोड़ रुपये के करीब जा बैठता है।

सरकार यह कह सकती है कि क्षतिपूर्ति अधिनियम 1954 में लागू किया गया था और वह भी इस संसद की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद। परन्तु मैं उन्हें उस आश्वासन की याद दिलाना चाहता हूं जो कि विभाजन के समय दी गई थी। 14 अगस्त, 1947 की आधी रात को जब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने शपथ ली थी तो पहले उसने कुछ आश्वासन दिये थे और बाद में यही आश्वासन सरदार पटेल द्वारा भी दिये गये थे। क्या हमारे नेताओं ने इन आश्वासनों को पूरा किया है अथवा नहीं? यदि कानून का उल्लंघन करने वाले राज्य के समक्ष अपराधी होते है तो आश्वासनों को तोड़ने वाले भगवान के समक्ष अपराधी होते है। हर बार सरकार यह उत्तर दे देती है कि हमने पूर्व पाकिस्तान के शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए बहुत धन व्यय किया है। मैं पूछना चाहता हूं कि आज तक उनके पुनर्वास के लिए सरकार ने कौन सी योजना बनाई है? आज तक जो भी योजना बनाई गई है वह केवल कुछ सम्बद्ध अधिकारियों के हितों के लिए ही बनाई गई है, उनके पुनर्वास के लिए ही बनाई गई है।

दण्डकारण्य परियोजना पर 48 करोड़ रुपया खर्च किया गया है। परन्तु लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन में यह बताया गया है कि इस योजना का कम से कम 40 प्रतिशत रुपया शरणार्थियों के हितों के लिए प्रयोग नहीं किया गया। यही नहीं इस योजना पर होने वाले कुल व्यय का 30 प्रतिशत भाग योजना से सम्बद्ध विभिन्न राज्य सरकारों के लाभ के लिए खर्च हुआ है जिनसे कि कुछ शर्तों पर भूमि आदि ली गई थी।

संयुक्त राष्ट्रसंघ के उच्चायुक्त ने शरणार्थियों के पुर्नवास से सम्बद्ध एक पुस्तिका प्रकाशित की है। राष्ट्रसंघ की इस योजना से 80 से 85 देशों ने लाभ उठाया है। भारत भी इससे लाभ उठा रहा है। तिब्बत से जब शरणार्थी भारत आये थे तो उस समय संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त ने भारत को 300,000 डालर उन लोगों के पुर्नवास आदि के लिए दिये थे। फिर आज यदि सरकार के पास धन की कमी है तो क्या मंत्री महोदय ने संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त से संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त के पुर्नवास कोष से किसी प्रकार की सहायता की मांग की है, अथवा ऐसी मांग के लिये कोई प्रस्ताव या योजना तैयार की है ? अतः मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह इस पुस्तिका को पढ़े। इससे अनेक देशों ने लाभ उठाया है। इस संबंध में एक बात मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि सरकार इस समस्या को सुलझाने में पूर्णतया असफल रही है, उसने इसके समाधान के लिए कोई योजनाबद्ध कारगर कार्य नहीं किया है।

सरकार यदि अन्य परियोजनाओं के लिए पंच वर्षीय योजनायें बना सकती है तो क्या इन शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए कोई निश्चित अवधि वाली परियोजना नहीं बनाई जा सकती? अंत में मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिये भेदभावपूर्ण नीति अपनाई है यह नीति बहुत ही घातक सिद्ध हुई है और सरकार को इसका मूल्य अवश्य चुकाना पड़ेगा।

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : मैं श्री समर गुह को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक बार पुनः संसद, सरकार तथा राष्ट्र का ध्यान पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों की ओर दिलाया है। परन्तु कुछ माननीय सदस्यों ने इसमें राजनीतियां लाने का प्रयास किया है।

जहां तक नेहरू-लियाकतअली समझौते का सम्बन्ध है यह एक राजनीतिक प्रश्न है और मैं इसका कई बार उत्तर दे चुका हूं। मैं जानता हूं कि यह एक कठिन बात थी और इसमें पश्चिम पाकिस्तान से आये विस्थापितों की अपेक्षा पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को अधिक हानि हुई। मैंने अनेक बार यह बात कही है कि पाकिस्तान ने अपने वचन को पूरा नहीं किया है और उन्होंने लोगों को अपने घरों में वापिस आने तथा सम्पत्ति को बेचने की अनुमति नहीं दी है।

मैं यह बात पुनः दोहराना चाहता हूं कि यह एक राष्ट्रीय समस्या है और हम इसको राष्ट्रीय समस्या समझ कर ही हल करने का प्रयास कर रहे हैं। केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों के सहयोग से इस समस्या को हल करने का प्रयास कर रही हैं। हमने जो शपथ ली थी वह हमें याद है। जो लोग इस देश में आये हैं वह उनका दोष नहीं है। देश के विभाजन के कारण ही ऐसा हुआ है और इस स्वतंत्रता का मूल्य दे रहे हैं। अतः किसी को भी यह नहीं कहना चाहिए कि हम अपनी शपथ को भूल गये हैं।

हमने जो कुछ किया है हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। इस देश में अब तक 41.81 लाख पुराने विस्थापित हैं। उन पर अब तक 322.59 करोड़ रुपये व्यय हो चुके हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने नियम 376 के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। यदि माननीय मंत्री सभा को गुमराह करने तथा अपूर्ण उत्तर देने का प्रयास करेंगे तो हम चुप नहीं रह सकते। उन्होंने सभा के समक्ष गलत तस्वीर पेश की है।

सभापति महोदय : आप बैठकर टिप्पणी नहीं कर सकते। यदि आपको कुछ कहना है तो आप खड़े होकर प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री भागवत झा आजाद : सभा को गुमराह करने की मेरी आदत नहीं है। पश्चिम पाकिस्तान में आप शरणार्थियों पर हमने 205 करोड़ रुपये व्यय किये हैं। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि नेहरू–लियाकतअली समझौते से पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों के लिए कठिनाइयां उत्पन्न हो गई हैं। परन्तु ऐसा कहना ठीक नहीं है कि हम अपनी शपथ को भूल गये हैं।

उनकी सहायता करना हमारा कर्तव्य है। परन्तु यह कहना भी ठीक नहीं है कि हमने उनके लिए कुछ नहीं किया है। 1960-61 में पश्चिम बंगाल सरकार के साथ पुराने आप्रवासियों की समस्या का पुनर्विलोकन किया गया था और उस समय इस समस्या को लगभग हल कर चुके थे। अवशिष्ट समस्या को हल करने के लिए हम से 21.88 करोड़ रुपये मांगे गये थे। हमने 14 करोड़ रुपये दिये थे और पश्चिम बंगाल सरकार ने इस राशि का पूरा उपयोग नहीं किया है। अभी भी कुछ राशि उनके पास शेष है।

दूसरे वे शरणार्थी हैं जो 1964 के बाद भारत आने शुरू हुए हैं। दिसम्बर 1965 तक 8 लाख लोग आ चुके थे। परन्तु यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस वर्ष आरम्भ से और शरणार्थी आना शुरू हो गये हैं। 1 जनवरी, 1970 से लेकर अब तक 2,47,000 शरणार्थी आ चुके हैं। अब उनके पुनर्वास की समस्या हमारे समक्ष है। पुराने शरणार्थियों की समस्या को लगभग हल किया जा चुका है। जो लोग एक विशेष तिथि तक पश्चिम बंगाल पहुंच गये थे उनको झुग्गी झोपड़ी कालोनी में बसाया जा चुका है। जो लोग हमारी सहायता नहीं लेना चाहते थे वे पश्चिम बंगाल के गांव में जाकर बस गये हैं।

अब समस्या यह है कि नये शरणार्थियों को जिनकी संख्या 2,47,000 के लगभग है और जो अभी आ रहे हैं उनको किस प्रकार बसाया जाये। कुछ व्यक्तियों को छोड़ कर सभी को अलग अलग स्थानों पर भेजा जा चुका है। श्री समर गुह ने कहा था कि हमने गलत आंकड़े दिये हैं। वह स्थिति की जांच कर सकते हैं मेरे विचार में हमने ठीक आंकड़े प्रस्तुत किये थे। हम ऐसा प्रबन्ध कर रहे हैं कि जैसे ही लोग शिविर में पहुंचे उनको पुनर्वास के स्थान पर भेज दिया जाये। परन्तु ऐसा तभी किया जा सकता है जबकि विभिन्न राज्यों में उनके पुनर्वास के लिए भूमि उपलब्ध हो। पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले अधिकांश लोग छोटे किसान हैं और वे खेती पर ही गुजर करना पसन्द करते हैं। यदि उनको कुछ और रोजगार दिया जाता है तो उनके लिए कठिनाई होगी। अतः हमने विभिन्न राज्यों में पुराने शिविरों को पुनः तथा कुछ नये शिविरों को खोल दिया है और उनको उन शिविरों में भेज देते हैं। अब तक लगभग सभी नये शरणार्थियों को इन शिविरों में भेजा जा चुका है। दण्डकारण्य एक केन्द्रीय परियोजना है और वहां पर लगभग 59,000 लोग भेजे जाने की आशा है। जिन राज्यों ने पुराने शिविरों को पुनः खोला है मैं

उनका धन्यवाद करता हूं । यह एक राष्ट्रीय समस्या है और केन्द्रीय सरकार उसका समूचा व्यय वहन कर रही है। अतः यह कहना भी ठीक नहीं है कि हम इसको राष्ट्रीय समस्या नहीं समझ रहे हैं। यह दुर्भाग्य की बात है कि पूर्वी बंगाल सरकार कभी-कभी ऐसी कार्यवाही करती है जिसमें वहां से और लोग पश्चिम बंगाल आना शुरू कर देते हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो यह समस्या अब तक हल हो चुकी होती ।

कुछ माननीय मित्रों ने यह भी कहा है कि हम उन पर प्रति व्यक्ति 87 पैसे और 98 पैसे व्यय कर रहे हैं । यदि प्रति परिवार इसकी गणना की जाय तो यह राशि 121 से 130 रुपये प्रति परिवार बैठती है। उनको बसाने, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने तथा पूंजीगत व्यय पृथक से किया जा रहा है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या प्रति व्यक्ति प्रति दिन 86 पैसे पर्याप्त होते हैं ?

श्री भागवत झा आजाद : यह सच है कि चार योजनाओं के बावजूद भी हम इतना कुछ नहीं कर सके जो कि हमें करना चाहिये था। परन्तु इस देश में ऐसे भी परिवार हैं जो महिने में 121 रुपये भी नहीं कमा पाते । ऐसे अनेक परिवारों को तथा अपने सीमित साधनों को देखते हुए हम उन पर पर्याप्त व्यय कर रहे हैं। मैं इस बात का दावा नहीं करता कि यह एक आदर्श स्थिति है। यह कहना ठीक नहीं कि उनकी स्थिति बहुत खराब है।

जो लोग पूर्वी पाकिस्तान से आ गये हैं उनको बसाने के लिए भूमि की व्यवस्था करने का प्रश्न है। मैं इतना और बता देना चाहता हूं कि स्वयं प्रधान मन्त्री इस कार्य में रूची ले रही हैं । इस मामले में केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार से सम्पर्क बनाये हुए हैं। हम भूमि प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान सरकार ने चम्बल को खेती योग्य बनाने का सुझाव दिया है। इस परियोजना की जांच की जा रही है। उड़ीसा सरकार ने भी दो परियोजनाओं का सुझाव दिया है । हम इन परियोजनाओं की भी जांच कर रहे हैं। हमने राज्य सरकारों को बता दिया है कि खेती योग्य बनाई गई भूमि का 25 प्रतिशत भाग स्थानीय आदिम जातियों तथा हरिजनों को बसाने के लिए सम्बन्धित राज्य सरकार को दे दिया जायेगा ।

कुछ राज्य सरकारों की अपनी कठिनाइयां हैं परन्तु एक राज्य सरकार ने कहा है कि वह इस समस्या को राष्ट्रीय समस्या नहीं समझती और इसलिए वह सहयोग देने को तैयार नहीं है। अगले कुछ दिनों में प्रधान मंत्री इस मामले के बारे में सम्बन्धित मुख्य मन्त्रियों को स्वयं पत्र लिखेंगी।

इस सब बातों से यही पता लगता है कि हम इनके पुनर्वास के लिए भरसक प्रयत्न कर रहे हैं । यह सच है कि हम तुरन्त भूमि वसूल करने में सफल नहीं हुए। परन्तु यह कहना ठीक नहीं कि हम उनको बसाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं ।

देवली शिविर में कुछ लोगों की मृत्यु हुई है। इसलिए हमने बच्चों की खुराक के बारे में विशेष कार्यक्रम के आदेश जारी कर दिये हैं ताकि ऐसी घटनाएं पुनः न घटें । सरकार ने इस बारे में पर्याप्त कार्य किया है और आगे भी करती रहेगी ।

हमें आशा है कि हम अपने साधनों के अन्तर्गत इन समस्या को हल करने में सफल होंगे। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तावक से निवेदन करूंगा कि वह अपने संकल्प को वापिस ले लें।

श्री बे० कृ० दासचौधरी (कूच-बिहार) : मैं माननीय मंत्री से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। इस बात को देखते हुए कि पकिस्तान सरकार ने नेहरू-लियाकतअली समझौते का पालन नहीं किया है और अल्पसंख्यकों की सम्पत्ति को शत्रु सम्पत्ति मान बेचा जा रहा है, क्या सरकार इस मामले पर विचार करेगी तथा विस्थापितों को उनके द्वारा पूर्वी पाकिस्तान में छोड़ी गई सम्पत्ति के लिए मुआवजा देगी ?

श्रीमती इला पालचौधरी (कृष्णनगर) : मैं भी माननीय मंत्री से एक स्पष्टीकरण चाहती हूं कि क्या उन लोगों को अधिक से अधिक अनुदान देना तथा ऋण देने की प्रणाली को धीरे-धीरे कम करना सम्भव नहीं है ?

श्री भागवत झा आजाद : यह सच है कि हम उनको ऋण दे रहे हैं। परन्तु इसके साथ-साथ हम उनको अनुदान भी दे रहे हैं। दोनों प्रकार से उनकी सहायता की जा रही है। हमने राज्य सरकारों को यह अनुदेश भी दिया है कि यदि वह किसी विशिष्ट मामले में ऋण की राशि माफ करना चाहे तो वह ऐसा कर सकती है। नेहरू-लियाकत समझौते के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं। यह एक राजनीतिक प्रश्न है और इसको वैदेशिक कार्य मंत्रालय के साथ उठाया जा सकता है।

श्री समर गुह (कन्टाई) : अनेक शरणार्थी पूर्वी पाकिस्तान के तटीय क्षेत्रों से आये हैं। पश्चिम बंगाल में मछली को 65 प्रतिशत कर्मी है, अतः पश्चिम बंगाल में मत्स्य पालन के कार्य में इन लोगों को लगाया जा सकता है। इन लोगों अन्दमान भी भेजा जा सकता है क्योंकि अन्दमान में मछुए बहुत प्रसन्न हैं। माननीय मंत्री ने अन्दमान के बारे में कुछ नहीं कहा है।

मैंने पिछले सत्र के अंत में प्रधान मंत्री को नामशूद्र समुदाय के बारे में एक पत्र लिखा था। सुरक्षा सेवाओं के लिए इस समुदाय से लोगों को भर्ती किया जाना चाहिए। मैंने बंगाल में एक और सैनिक स्कूल खोलने तथा बंगाल रेजीमेंट बनाने का अनुरोध किया था। इस रेजीमेंट में इस समुदायों से लोगों को भर्ती किया जाना चाहिए।

मैंने प्रधानमंत्री तथा पुनर्वास मंत्री से इन शरणार्थियों का एक कृतिक बल बनाये जाने का भी अनुरोध किया था। पुनर्वास मंत्रालय से यह उत्तर मिला था कि वह इसकी जांच कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इस जांच का क्या परिणाम निकला है।

मैंने एक ठोस सुझाव यह भी दिया था कि पुनर्वास मंत्रालय को श्रम मंत्रालय से पृथक कर दिया जाये। प्रधान मंत्री ने यह कहा था कि उन्होंने सुझाव को नोट कर लिया है और वह इस पर गम्भीर रूप से विचार कर रही हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है।

मंत्री महोदय ने इस बात को स्वीकार किया है कि पाकिस्तान सरकार नेहरू लियाकत अली समझौते को क्रियान्वित करने में असफल रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस

स्थिति में हमारी सरकार को मुआवजा देने का अपना वचन पूरा नहीं करना चाहिए ? मैंने इसके साधन सुझाये थे ।

नेताजी ने 1944 में जब वह रंगून में थे यह अपील की थी कि यदि देश का विभाजन हुआ तो देश नष्ट हो जायेगा। राष्ट्रीय नेताओं द्वारा विभाजन को स्वीकार किये जाने के कारण ही ये लोग आज शरणार्थी बने हैं । अतः उनके पुनर्वास की जिम्मेदारी राष्ट्र पर है । अत इसी बात को ध्यान में रखते हुए उनका पुनर्वास किया जाना चाहिए । मैं इस मामले को कोई राजनीतिक वाद-विवाद में परिवर्तित नहीं करना चाहता । मैं सरकार से यह अपील करना चाहता हूं कि वह अपने पूरे साधनों से इस समस्या का समाधान करने का प्रयास करे।

मैं सभा की अनुमति से प्रस्ताव को वापस लेना चाहता हूं ।

प्रस्ताव सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

इसके पश्चात लोक सभा शुक्रवार 18 दिसम्बर 1970/ 27 अग्रहायण, 1892 (शुक्र) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, December 18, 1970/ Agrahayana 27, 1892 (Saka)

NAI DUNIA PRESS INDORE -340-3-71